



वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT **2018-19**



**BANK BEGAN ITS JOURNEY IN THE YEAR 1908 FROM HALL BAZAR AMRITSAR
(A SKETCH OF THE BUILDING)**

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors



अध्यक्ष / Chairman
डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
श्री एस. हरिशंकर / Sh. S Harisankar



कार्यकारी निदेशक / Executive Director
डॉ. फरीद अहमद / Dr. Fareed Ahmed



कार्यकारी निदेशक / Executive Director
श्री गोविंद एन डोंग्रे / Sh. Govind N Dongre



श्री एस. आर. मेहर
Sh. S. R. Mehar



श्री प्रदीप्त. के. जेना
Sh. Pradipta K. Jena



श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता
Sh. T.R. Mendiratta



श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh



श्री एस.आर. घेडीया
Sh. S.R. Ghedia



श्री मधु सूदन दादू
Sh. Madhu Sudan Dadu

विषय—सूची / Contents

	पृष्ठ संख्या / Page No.
1. उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2. निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3. नोटिस / Notice	4-13
4. निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	14-43
5. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट / Secretarial Audit Report	44-47
6. कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	48-99
7. बासल—II व बासल—III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel - II & Basel - III	100-187
8. वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	188-197
तुलन—पत्र / Balance Sheet	198-199
लाभ—हानि खाता / Profit & Loss Account	200-203
अनुसूचियाँ / Schedules	204-275
नकदी प्रवाह विवरण—पत्र / Cash Flow Statement	276-279
9. प्रॉक्सी प्रारूप / Proxy Form	280-281
10. उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	282-283

उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में / Rupees. in lacs
दिनांक 31.03.2019 को / As on 31.03.2019

1. जमा Deposits	9855760
2. सकल अग्रिम Gross Advances	7274747
3. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	2828724
4. सकल निवेश Gross Investments	2646132
5. परिचालन लाभ Operating Profit	139686
6. शुद्ध लाभ Net Profit	(-)54348
7. आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	(-) 0.47%
8. शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	7.22 %
9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	10.71%
10. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	10.93%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

अध्यक्ष / Chairman

डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer

श्री एस. हरिशंकर / Sh. S Harisankar

कार्यकारी निदेशक / Executive Director

डॉ. फरीद अहमद / Dr. Fareed Ahmed

कार्यकारी निदेशक / Executive Director

श्री गोविंद एन डोंग्रे / Sh. Govind N Dongre

निदेशक / Directors

श्री एस. आर. मेहर
Sh. S. R. Mehar

श्री प्रदीप्त के. जैना
Sh. Pradipta K. Jena

श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता
Sh. T.R. Mendiratta

श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh

सीए, एस.आर. घेडीया
CA, S.R. Ghedia

श्री मधु सूदन दादू
Sh. Madhu Sudan Dadu

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer

श्री संजय जैन
Sh. Sanjay Jain

महाप्रबंधक / General Managers

श्रीमती हरविन्द्र सचदेव
Smt. Harvinder Sachdev

श्री नेत्रानंद सेठी
Sh. Netranand Sethi

श्री जयंत कुमार नायक
Sh. Jayanta Kumar Nayak

श्री राजीव रावत
Sh. Rajiv Rawat

श्री दलजीत सिंह ग्रोवर
Sh. Daljit Singh Grover

लेखा परीक्षक / Auditors

मैसर्स एस. मान एण्ड कं.
M/s S. Maan & Co.

मैसर्स बलदेव कुमार एण्ड कं.
M/s Baldev Kumar & Co.

मैसर्स सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
M/S Suresh Chandra & Associates

मैसर्स राज गुप्ता एण्ड कं.
M/S Raj Gupta & Co.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

ई-मेल: www.psbindia.com

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यवसायिक गतिविधियाँ परिचालित करने के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की नौवीं सामान्य बैठक वृहस्पतिवार, 11 जुलाई, 2019 को प्रातः 10:00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, प्लॉट संख्या 3, संस्थागत क्षेत्र, , सेक्टर-3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली-110085 में आयोजित होगी:

मद संख्या

1. वित्तीय परिणामों अर्थात् 31 मार्च, 2019 को बैंक का लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ हानि खातों, बैंक की लेखों में सम्मिलित अवधि में गतिविधियों एवं कार्य शैली पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखाकारों की रिपोर्टों पर विचार करने, अनुमोदन करने तथा अंगीकार करने हेतु।

यह भी सूचित किया जाता है कि बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक में ई-मतदान/मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारकों के नामों को सुनिश्चित करने की अंतिम तिथि 04.07.2019 निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और बैंक की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 05.07.2019 से 11.07.2019 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 04 जून, 2019

(एस. हरिशंकर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

www.psbindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Thursday, the 11th July, 2019 at 10.00 a.m. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085 to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Financial Results viz. Audited Balance Sheet and Profit & Loss Accounts of the Bank for the year ended 31st March 2019, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Notice is also given that the Bank has fixed 04.07.2019 as the 'Cut-Off date' to ascertain names of shareholders who shall be entitled to e-vote / vote at the Annual General Meeting. Further, the Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 05.07.2019 to 11.07.2019 (both days inclusive) in connection with the Ninth Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 04 June, 2019

S Harisankar
MD & CEO

टिप्पणियां :

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता है। विनियमों के विनियम 70(vi) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत अनुदानदाता को व्यक्तिगत रूप से बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जिससे इस प्रकार का लिखत संबंधित है।

प्रॉक्सी फार्म (अनुलग्नक-ए) तभी प्रभावी होगा जब वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में वार्षिक समान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 06.07.2019 (शनिवार) को सायं 5:00 बजे अथवा बैंक के कार्य-घंटों के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ मुख्तारनामा या अन्य अधिकार पत्र यदि कोई है, जो कि हस्ताक्षरित है अथवा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित है सत्य-प्रति के रूप में प्रस्तुत की जाए बशर्ते यह मुख्तारनामा अथवा अधिकार-पत्र पूर्व में बैंक के पास जमा तथा पंजीकृत है।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या निगमित निकाय जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे एक यथाविधि अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 06.07.2019 (शनिवार) को सायं 5 बजे या इससे पहले पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. पंजीकरण, उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पर्ची:

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 11.07.2019 को प्रातः 9.00 बजे पंजीकरण प्रक्रिया, बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा उपस्थिति पास (अनुलग्नक 'ब') में संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भर कर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें इसके पश्चात् ही उन्हें प्रवेश पर्ची जारी की जाए। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची पर प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो अंकित करेगा। शेयरधारकों /प्रॉक्सी-धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, के पश्चात होगा और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र/नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है। प्रवेश पास को प्रस्तुत करने पर चुनाव के लिए मतपत्र जारी किया जाएगा।

4. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्र-व्यवहार:

शेयरधारकों जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों (यदि कोई हैं) की सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दें:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.

यूनिट: पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1, ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकरपुरी, नई दिल्ली- 110058
फोन (011) 41410592 से 0594, फैक्स : (011) 41410591, ई मेल: delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अर्भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि समस्त संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन (यदि हो तो) की सूचना अपने डिपॉजिटॉरी सहभागी को दें।

NOTES

1. **APPOINTMENT OF PROXY:**

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008. As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form (Annexure -'A') in order to be effective must be received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 06.07.2019 (Saturday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :**

No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 06.07.2019 (Saturday).

3. **REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP AND ENTRY SLIP:**

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 11.07.2019, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed (Annexure-'B') to this notice. Shareholders/ Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry slip shall be issued to them. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Ballot paper for poll will be issued against surrendering of entry pass.

4. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Pvt Ltd.
Unit: Punjab & Sind Bank

Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058
 Phone : (011) 41410592 to 0594 Fax : (011) 41410591 E Mail : delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

5. लाभान्श

बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए लाभान्श घोषित नहीं किया गया है।

6. अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभान्श, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने अपने विगत वर्ष के लाभान्श वारंटों का नकदीकरण नहीं लिया है उनसे अनुरोध है कि बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से उपर्युक्त पते पर या 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैंक के शेयर कक्ष से संपर्क करें।

7. पृष्ठ संख्याओं (फोलियो) का समेकन:

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. (आर.टी.ए.) को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियो के साथ सूचित करें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों के शेयर प्रमाण-पत्र यथा समय लौटा दिए जाएंगे।

8. शेयर धारकों से अनुरोध:

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आए। वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की कोई प्रति वितरित नहीं की जाएगी।

यह प्रशंसनीय होगा कि शेयरधारक अपने प्रश्न, यदि कोई हैं, समय से पर्याप्त पहले कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. शेयर कक्ष, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 के पास प्रेषित करें या complianceofficer@psb.co.in पर ई-मेल करें।

9. शेयर धारकों के मताधिकार:

अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयर, बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकार का दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा। बैंक सभी शेयरधारकों को एजेंडा मदों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। वा.सा.बैं. की ई-वोट, वोट की पात्रता की अंतिम दिनांक(कट ऑफ डेट) 04.07.2019 है। ई-वोटिंग की अवधि 08.07.2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारंभ होगी और 10.07.2019 को अपराह्न 5.00 बजे तक समाप्त होगी। इसके पश्चात ई-वोट नहीं की जा सकेगी। लॉगिन आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया संलग्न है।

जिन शेयरधारकों ने ई-वोट किया है वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकते। यदि उन्होंने मतदान के माध्यम से मत का प्रयोग किया तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. शेयर कक्ष

शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशकर्ता निम्न पते पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं-

कंपनी सचिव,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

प्रधान कार्यालय (शेयर कक्ष)

लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग,

21-राजेंद्र प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली-110008

दूरभाष: 011- 25782926, 25812922 ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

11. अन्य जानकारी:

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में किसी भी प्रकार का उपहार/उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के कारणों से हाल के भीतर ब्रीफ केस, खाद्य पदार्थ तथा निजी वस्तुएं ले जाना मना है। इसलिए बैठक में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों को परामर्श दिया जाता है कि अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 04 जून, 2019

(एस.हरिशंकर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

5. DIVIDEND

No dividend has been declared by the Bank for the year 2018-19.

6. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008.

7. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders, who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

8. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Annual report shall be provided at the venue of the Annual General Meeting.

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 21 Rajendra Place, New Delhi-110008 or email to complianceofficer@psb.co.in.

9. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The Cut-off date for eligibility to e-vote/vote at AGM is 04.07.2019. The e-voting period shall commence on 08.07.2019 from 10.00 a.m. and end on 10.07.2019 up to 5.00 p.m. beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed.

The shareholders who have e-voted can participate in the AGM but cannot participate in poll. Incase they vote through poll, the same will not be considered.

11. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary,

Punjab & Sind Bank,

Head Office, Shares Cell,

Accounts & Audit Department,

21 Rajendra Place, New Delhi-110008

Telephone: 011-25782926, 25812922

E-mail: complianceofficer@psb.co.in.

12. OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi

Date : 04 June, 2019

**S Harisankar
MD & CEO**

ई-मतदान प्रक्रिया

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए ई-मतदान

समय-समय पर संशोधित कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार बैंक नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-मतदान की सुविधा प्रदान करेगा।

सदस्यों हेतु इलेक्ट्रॉनिक विधि से मतदान हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं :-

- मतदान अवधि दिनांक 08.07.2019 को प्रातः 10.00 बजे आरम्भ होगी और दिनांक 10.07.2019 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अंतिम तिथि 04.07.2019 को अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
- शेयरधारकों को ई वोटिंग साइट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।
- शेयरधारक/सदस्य (ओं) पर क्लिक करें।
- अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें :
 - सीडीएसएल हेतु - 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
 - एनएसडीएल हेतु - 8 अंकों की कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी।
 - भौतिक रूप में शेयर धारक अपनी पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
- दर्शनी गई ईमेज को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना विद्यमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न चरणों का अनुसरण करें:

	भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) <ul style="list-style-type: none"> ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना PAN कंपनी /डिपॉजिटरी सहभागी के पास अद्यतित नहीं कराया है , से अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में क्रम संख्या जो पोस्टल बैलेट/उपस्थिति पर्ची पर प्रिंट है पैन फील्ड में प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉगइन करने हेतु अपने डीमेट खाते के रिकार्ड या कंपनी रिकॉर्ड के अनुसार कृपया लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) में प्रविष्ट करें। <ul style="list-style-type: none"> यदि उपरोक्त दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं तो लाभांश बैंक विवरण फील्ड में निर्देश (iv) में उल्लिखित अनुसार सदस्य आईडी/फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

- इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात, "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँच सकते हैं। तथापि सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड सृजन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्ट करना आवश्यक है। कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड, डीमेट धारकों द्वारा, किसी भी कंपनी, जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें CDSL द्वारा ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई-वोटिंग के लिए उन विवरणों का उपयोग किया जा सकता है।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक के "EVSIN" पर क्लिक करें जिसमें आप मतदान करना चाहते हैं।
- वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोल्यूशन विवरण के समक्ष हाँ/ नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। हाँ अथवा नहीं जैसा आवश्यक हो, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।

E-Voting

E-Voting for the Ninth Annual General Meeting of Punjab & Sind Bank

In terms of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the Ninth AGM.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

- (i) The voting period begins on 08.07.2019 at 10.00 a.m. and ends on 10.07.2019 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 04.07.2019, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders/ Members.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot/Attendance Slip indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details Or Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (dd/mm/yyyy) format as recorded in your demat account or in the company records in order to login. <ul style="list-style-type: none"> If the both details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- (xiii) यदि आप समस्त प्रस्ताव विवरण को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- (xiv) आपने जिस प्रस्ताव पर मतदान करने का निर्णय लिया है उसके चयन के बाद SUBMIT पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा, यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।
- (xv) यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- (xvi) आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट लेने हेतु यहां क्लिक करें" पर क्लिक कर ले सकते हैं।
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेल सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- (xviii) शेयरधारक अपना मतदान सीडीएसएल की मोबाइल एप एम-वोटिंग का उपयोग करते हुए कर सकते हैं जोकि एन्ड्रायड आधारित मोबाइलों हेतु उपलब्ध है। एम-वोटिंग मोबाइल एप को गूगल के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। एप्पल और विंडो फोन का उपयोग करने वाले क्रमशः एप्पल स्टोर तथा विंडो फोन स्टोर से एप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर मतदान करते समय मोबाइल एप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें।
- (xix) अवैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु नोट
- अवैयक्तिक शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक से इतर, हिंदू संयुक्त परिवार, एनआरआई आदि) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com लॉगिन करना होगा और कॉर्पोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
 - पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिए, को helpdesk.evotingindia@cdslindia.com पर ई-मेल कर देना चाहिए।
 - लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद admin लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर क्रिएट करना चाहिए। अनुपालन यूजर, खाता(ओं) को लिंक करने में समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
 - सभी खातों की सूची helpdesk.evotingindia@cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होंगे।
 - अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी पॉवर ऑफ अटॉर्नी और बोर्ड संकल्प की स्कैनड प्रति, यदि कोई है, को पीडीएफ प्रारूप में प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि छानबीन करने वाला उसको सत्यापित कर सके।
- (xx) व्यक्तियों जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस प्रेषित करने के बाद सदस्य बने हैं वे भी दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं।

टिप्पणी: यदि कोई सदस्य(ओं) अपने वोट दोनों अर्थात भौतिक रूप या ई-वोटिंग से मतदान करता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य रहेगा तथा भौतिक मतदान को अनदेखा कर दिया जाएगा। यद्यपि जिस शेयरधारक ने ने ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट दिया है वह वार्षिक सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकता है किंतु पोल में वोट नहीं कर सकता।

श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी नं. 4629) को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है जो वार्षिक बैठक मतदान के लिए पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की रिपोर्ट तैयार करेंगे और बैठक समापन के 03 दिनों के भीतर वार्षिक सामान्य बैठक के अध्यक्ष को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

अध्यक्ष द्वारा घोषित परिणाम के साथ संवीक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद डाल दिया जाएगा;

पर्याप्त वोट की प्राप्ति पर संकल्प को वार्षिक सामान्य बैठक के दिन पारित माना जाएगा;

बैठक की सूचना www.psbindia.com तथा www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मेनुअल का अवलोकन करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें या श्री वेंकटेश्वर फुरतदो, डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 16वां माला, पी.जे. टावर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001, दूरभाष नं. 18002005533 से संपर्क करें या श्री भारत भूषण, एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक इनटाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1, ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकरपुरी, नई दिल्ली- 110058 फोन (011) 41410592 से 0594, फैक्स : (011) 41410591 को फोन करें या delhi@linkintime.co.in को ई मेल करें।

- (xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians.
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xx) Person who have acquired shares and become members after despatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting.

Note: In case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored. However, shareholder(s) who have casted their vote through e-voting can participate in General Meeting but cannot vote in poll.

Mr. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary (CP No. 4629) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process and for poll at the Annual General Meeting, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Annual General Meeting within 3 days of the conclusion of the meeting;

The results declared along with the scrutinizer’s report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL e-voting immediately after the result is declared by the Chairman;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution(s) shall be deemed to be passed on the date of the Annual General Meeting;

Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com and www.evotingindia.com.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 16th floor, P.J Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Phone-18002005533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 Phone-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण:

आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक परिदृश्य:

12 अप्रैल, 2019 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित फंड-बैंक स्प्रिंग मीटिंग्स के मौके पर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने वैश्विक जोखिमों में से कुछ पर उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से हमारे केंद्रीय बैंक के विषय में बताया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान तीन चिंताओं पर प्रकाश डाला। एक यह कि वैश्विक विकास और व्यापार कमजोर हो रहा है। आईएमएफ ने अपनी इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट (अप्रैल 2019) में वैश्विक विकास प्रक्षेपण को 3.6% से घटाकर 3.3% कर दिया है। ईएमई के बारे में उन्होंने जो दूसरी बात कही है, वह यह है कि वे वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति अस्थिर हैं। उन्होंने देखा कि पूंजी प्रवाह के रुकने और परिवर्तन से अचानक जोखिम बढ़ गए हैं। ईएमई के लिए तीसरा जोखिम अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों की उच्च अस्थिरता है जो चालू खाता घाटा और मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिम को प्रस्तुत करता है। इनके कारण अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से तनाव जारी है जो वित्तीय बाजारों और व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर रहा है।

घरेलू आउटलुक:

सीएसओ द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 की चौथी तिमाही में कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में खराब विकास के कारण आर्थिक विकास दर घटकर 5.8% रह गई। 2018-19 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद भी 6.8% का आंकड़ा जैसा कि 2017-18 के दौरान 7.2% था से कम दर्ज किया गया है। अप्रैल 2019 में आठ उद्योगों की वृद्धि (जो कुल कारखाने के उत्पादन में 40% का योगदान है) ने भी मंदी दर्ज की। हालांकि, सरकार ने राजकोषीय घाटे को अच्छी तरह से नियंत्रित करके जीडीपी के संशोधित लक्ष्य 3.4% के भीतर रखा है। उम्मीद है कि ये संकेतक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आरबीआई के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित करेंगे, जब जून 2019 में मौद्रिक नीति की घोषणाएं की जाती हैं। कुछ कारकों में निजी उपभोग की वृद्धि, निश्चित निवेश में मामूली वृद्धि, मौन निर्यात और मंदी शामिल हैं। ऑटोमोबाइल और तेज गति से चलने वाले उपभोक्ता सामानों की बिक्री में, शहरी के साथ-साथ ग्रामीण मांग में भी वृद्धि की संभावना बढ़ सकती है, जैसा कि आरबीआई ने कहा है। आपूर्ति पक्ष में, कृषि क्षेत्र की वृद्धि में मंदी और उद्योग में वृद्धि को बनाए रखने के लिए चुनौती है।

2019-20 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 4% से नीचे रिकॉर्ड करने की उम्मीद है, हालांकि कच्चे तेल और खाद्य कीमतों से कुछ अनिश्चितताओं बनी रहेगी।

बैंकिंग क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय पुनर्पूजीकरण की स्थिति में सुधार हुआ है। साथ में दबावग्रस्त पूंजी (इनसॉल्वेंसी एण्ड बैंकरप्सी कोड) के रिजॉल्यूशन के साथ, इससे बैंकों राहत देने की उम्मीद है। अब वे बेहतर तरीके से क्रेडिट में विस्तार करने के लिए तैयार हैं, जब अर्थव्यवस्था के अन्य कारक अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं।

बैंक के अग्रिमों में वर्ष 2018-19 के 12.2% की तुलना में वर्ष 2019-20 में 13 से 16% की सीमा में वृद्धि होने की उम्मीद है जोकि मुख्य रूप से मजबूत खुदरा ऋण की मांग, एनबीएफसी/एचएफसी से अधिक मांग और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि के कारण है (वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के साथ)।

‘क्रिसिल की वित्तीय 2019 के द्वितीय अर्धवार्षिकी की रेटिंग’ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 के 12.2% की तुलना में वर्ष 2019-20 में 14% की सीमा में वृद्धि होने की उम्मीद है जोकि मुख्य रूप से मजबूत खुदरा ऋण की मांग, एनबीएफसी/एचएफसी से अधिक मांग और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि के कारण है (वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के साथ)।

यह सामान्य सोच है कि आरबीआई वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विकास समर्थक मौद्रिक नीति का पालन करेगा। हमारा बैंक खुदरा ऋण, कृषि, एमएसएमई और उच्च रेटेड कॉर्पोरेट सेगमेंट पर ध्यान दे रहा है। इसे पूंजी के विवेकपूर्ण प्रबंधन के साथ कैलिब्रेट किया जाएगा। देयता पक्ष पर, कासा के प्रभावी जुटाव द्वारा जमा की लागत को कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। विशेष रूप से एमएसएमई और रिटेल सेगमेंट में क्रेडिट प्रोसेसिंग और डिलीवरी में संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई हैं। बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को बड़े पैमाने पर नवीनीकृत किया जा रहा है ताकि बैंक अपने व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता प्राप्त कर सके।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors has pleasure in presenting Annual Report of the Bank along with the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2019.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

Economic Outlook

Global Outlook:

On the sidelines of the Fund-Bank Spring Meetings held in Washington DC, on the 12th of April, 2019 Reserve Bank of India Governor Sri Saktikanta Das spoke about the concerns of our Central Bank from the perspective of the Emerging Market Economies on some of the Global risks. He highlighted three concerns during his speech. One is that the Global growth and trade is weakening. The IMF in its Economic Outlook Report (April 2019) has revised the global growth projection downward from 3.6% to 3.3%. The second concern he voiced about the EMEs is that they remain volatile to financial market volatility. He observed that the sudden risks of stops and reversals of capital flow has increased. The third risk to EMEs is the high volatility of international oil prices, presenting a heightened risk of current account deficit and inflation. Adding to these is the prolonged trade tensions between the US and China, which is impacting financial markets and business sentiments and disrupting supply chains.

Domestic Outlook:

The data released by the CSO shows that in the fourth quarter of 2018-19, economic growth slowed down to 5.8% due to poor growth in Agriculture and manufacturing sectors. The annual GDP for 2018-19 also registered a lower figure of 6.8% (as against 7.2% during 2017-18). Growth of the eight industries (which contribute to 40% of the overall factory output) also registered a slowdown in April 2019. However, the Government managed the fiscal deficit front well as it remained within the revised target 3.4% of the GDP. It is expected that these indicators will influence RBI's economic outlook for the FY 2019-20, when the monetary policy announcements are made in June 2019. Some of the factors including declining growth of private consumption, tepid increase in fixed investment, muted exports and slowdown in sales of automobile & fast moving consumer goods, slackening of urban as well as rural demand may outweigh the growth prospects, as seen by RBI. On the supply side, the challenge is to reverse the slowdown in growth of agriculture sector and sustain the growth in industry.

Headline CPI inflation is expected to record below 4% in 2019-20 though highly exposed to certain uncertainties, especially from crude oil and food prices.

Banking Sector:

Recapitalization has improved the financials of Public Sector Banks. Together with resolution of stressed assets (including those under the insolvency and bankruptcy code), this is expected to offer succor to the Banks. They are now poised in a better way to expand in credit once the other factors in the economy conjure up well.

Bank credit is expected to grow in the range of 13-16% in 2019-20 up from 12.2% in 2018-19 mainly driven by strong retail credit demand, higher demand from NBFCs/HFCs and increase in working capital requirement (with increase in commodity prices).

As Per 'Crisil Rating Roundup second half, fiscal 2019', report banking industry credit is expected to grow by 14% in 2019-20 up from 12.2% in 2018-19 mainly driven by strong retail credit demand, higher demand from NBFCs/HFCs and increase in working capital requirement (with increase in commodity prices).

It is the general thinking that RBI will be following a growth supportive monetary policy during the financial year 2019-20. Our bank will be focusing on Retail, Agriculture, MSME and High rated corporate segments for growing in advances. It will be calibrated with judicious management of capital. On the liability side, focus will be on reducing cost of deposits by effective mobilization of CASA. Structural changes in credit processing and delivery especially in the MSME and Retail segments are on the anvil. Information Technology platform of the Bank is being comprehensively refurbished so that the Bank attains the technological competence required to keep its business competitive.

कार्य-निष्पादन परिणाम

कुल व्यापार : दिनांक 31.03.2018 को बैंक के रु. 1,71,464.95 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2019 की समाप्ति पर बैंक का कुल व्यापार रु.1,71,305.07 करोड़ रहा।

लाभ : वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान 743.80 करोड़ की कुल हानि की तुलना में बैंक ने वर्ष 2018-2019 के दौरान रु.543.48 करोड़ की कुल हानि दर्ज की है। वर्ष 2017-18 के (-) 0.69% की तुलना में आस्तियों पर प्रतिफल 2018-19 में (-) 0.47% रहा।

लाभांश : बोर्ड ने वर्ष 2018-19 हेतु कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

पूंजी एवं आरक्षितियां : दिनांक 31.03.2018 को बैंक की निवल मालियत रु. 4,733.96 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2019 को रु.3652.26 करोड़ रही।

दिनांक 31.03.2019 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बॉसल III) 10.93% है जोकि निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.875% के विरुद्ध है।

जमाएं : बैंक की कुल जमा राशियों में 31 मार्च, 2019 को रु.98,557.60 करोड़ रही जोकि दिनांक 31.03.2018 को रु.1,01,726.17 करोड़ थी। दिनांक 31.03.2019 को बैंक की औसत जमा लागत 6.01% रही जोकि विगत वर्ष 5.93% थी।

अग्रिम : दिनांक 31.03.2019 को बैंक के कुल अग्रिम रु. 72,747.47 करोड़ रहे जोकि दिनांक 31.03.2018 को रु.69,738.78 करोड़ थे। दिनांक 31.03.2019 के अनुसार अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 8.61% रहा जोकि विगत वर्ष 8.80% था।

सरकारी व्यवसाय विभाग

बैंक का भारत सरकार द्वारा शुरू की गई तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को महत्व प्रदान करने में योगदान है। दिनांक 31.03.2019 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 10,04,470 नामांकन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) के तहत 1,99,498 नामांकन तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 1,47,639 नामांकन किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने रु 119.28 लाख की गैर निधि आय प्राप्त की है।

बैंक की शाखाओं ने पीएफआरडीए द्वारा शुरू किए गए प्रत्येक एपीवाई अभियान में सहभागिता की और बैंक को "एपीवाई फॉर्मेशन डे (मई 2018)", "एपीवाई अनुकरणीय आठ (जनवरी 2019)" अभियान के लिए तीन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामित किया गया तथा "एपीवाई आर्ट ऑफ इन्क्लूजन (मार्च 2019)" के लिए सर्वश्रेष्ठ आंचलिक प्रबंधकों तथा सर्वश्रेष्ठ शाखा प्रबंधक को सात पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामित किया गया।

विभिन्न सरकारी लघु बचत योजनाओं के तहत बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) के तहत कुल 9166 नए खाते खोले गए। बैंक ने इन सरकारी योजना के तहत रु 14.75 लाख की राशि गैर-निधि आय के रूप में प्राप्त की है।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन सामान्य रूप से समाज के सभी वर्गों और अति संवेदनशील जैसे कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों को विशेषकर (अर्थात् छोटे एवं सीमांत कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, मौखिक किरायदारों, स्व-रोजगार तथा असंगठित क्षेत्रों के उद्योगों) उचित लागत पर न्यायोचित तथा पारदर्शी तरीके से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया है।

क. बैंक की दिनांक 31.03.2019 को पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत स्थिति:

क्र.सं.	मापदण्ड	स्थिति
1.	कुल पी.एम.जे.डी.वाई. खाते	13.05 लाख
2.	क्रियाशील पी.एम.जे.डी.वाई. खाते	11.18 लाख (86%)
3.	कुल जारी रुपे कार्ड	11.74 लाख (90%)
4.	पी.एम.जे.डी.वाई. शेष	र 685 करोड़
5.	पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में औसत बैलेंस	र 5250/-
6.	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत संस्वीकृत ओडी की संख्या	64180
7.	पी.एम.जे.डी.वाई. ओडी के अंतर्गत संस्वीकृत राशि	र 9.48 करोड़
8.	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत जीरो बैलें वाले खातों की संख्या	18574 (1.4%)

WORKING RESULTS

TOTAL BUSINESS: During the year ended 31.03.2019, total Business of the Bank stood at Rs.1,71,305.07 crore as compared to Rs.1,71,464.95 crore as on 31.03.2018.

PROFIT: The Bank recorded a Net Loss of Rs.543.48 crore for the year 2018-19 as compared to Net Loss of Rs.743.80 crore during the FY 2017-18. The Return on Assets (ROA) stood at (-) 0.47% as compared to that at (-) 0.69% in the year 2017-18.

DIVIDEND: The Board has not recommended any dividend for the year 2018-19.

CAPITAL & RESERVE: The Net Worth of the Bank stood at Rs.3652.26 crore as on 31.03.2019 compared to Rs.4733.96 crore as on 31.03.2018.

The Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 10.93% as on 31.03.2019 against the minimum stipulated requirement of 10.875%.

DEPOSITS: The total deposits of the Bank stood at Rs.98,557.60 crore as on 31.03.2019 as compared to Rs. 1,01,726.17 crore as on 31.03.2018. The average cost of deposits of the bank stood at 6.01% as compared to 5.93% in previous year.

ADVANCES: The Bank's Advances stood at Rs.72,747.47 crore as on 31.03.2019 as compared to Rs.69,738.78 crore as on 31.03.2018. The average yield on Advances stood at 8.61% as compared to 8.80% during the last year.

ACHIVEMENTS UNDER PMSBY, PMJJBY AND APY

The Bank continues to accord importance to the three Social Security schemes launched by Govt. of India. During the FY 2018-19, enrollment of subscribers under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) was 10,04,470 and under the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) it was 1,99,498. The Bank could add 1,47,639 subscribers under the Atal Pension Yojana (APY) during the same period.

Bank has earned **Rs. 119.28 Lac** as a non-fund income on account of the above enrollments.

The Bank's branches had participated in every APY Campaign launched by PFRDA and the Bank secured Three Awards for the campaign "**APY Formation Day (May 2018)**", "**APY Exemplary Eight (Jan 2019)**" and "**APY Art of Inclusion (Mar 2019)**" alongwith 7 awards to Best Zonal Managers and Branch Manager.

The performance of the bank under different Small Saving Schemes of the Government continued to be good and during FY 2018-19, a total of **9166** new accounts were opened under the **Public Provident Fund (PPF)**, **Senior Citizen Saving Schemes (SCSS)** & **Sukanya Samriddhi Account (SSA)**. The Bank has earned **Rs. 14.75 Lac** as non fund income from these Schemes.

FINANCIAL INCLUSION

Our Bank has been an active participant in promoting Financial Inclusion. This is evident from the number of accounts opened, being successful in getting the account holders to keep the accounts funded, in providing Rupay Card linkage and providing all the attendant services with excellent coverage.

A. Bank's Status under PMJDY as on 31.03.2019:

Sl No.	Parameter	Status
1.	Total PMJDY A/Cs	13.05 lac
2.	Operative PMJDY Accounts	11.18 lac (86%)
3.	Total Rupay Cards Issued	11.74 lac (90%)
4.	Balance held in the PMJDY accounts	r 685 Cr.
5.	Average Balance in the the accounts	r 5250/-
6.	Number of Over Drafts Sanctioned in the accounts	64180
7.	Amount Sanctioned under the overdraft	r 9.48 Cr.
8.	Number of Zero balance accounts	18574 (1.4%)

ख.. ग्राम स्वराज अभियान एवं विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान:

वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों के ग्रामीणों को बैंकिंग चैनल के अंतर्गत लाने हेतु दो एक बाद एक योजनाएं लागू की जहाँ बैंकिंग सेवाएं अभी तक मौजूद नहीं थीं। यह योजनाएं ग्राम स्वराज अभियान (दिनांक 14.04.2018 से 05.05.2018 तक) एवं विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान (दिनांक 01.06.2018 से 14.08.2018 तक) थीं। हमारे बैंक को आबंटित क्षेत्र में आबंटित गांवों में पी.एम.जे.डी.वाई. के खाते खोलने थे। हमारे बैंक की जी.एस.ए. के अंतर्गत कार्य-निष्पादन निम्न प्रकार है:

अभियान	लक्ष्य	बैंक की उपलब्धियां
जी.एस.ए.(14.04.18 - 05.05.18)	15339	11669 (76%)

विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान (ई.जी.एस.ए.) :

भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन की योजनाओं जैसे पी.एम.जे.डी.वाई., पी.एम.जे.जे.वाई. तथा पी.एम.एस.बी.वाई. में सार्वभौम कवरेज हेतु ई.जी.एस.ए. शुरू की गई है। वित्तीय सेवाएं विभाग ने भारत सरकार के उक्त प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत शत-प्रतिशत कवरेज को प्राप्त करने में केंद्र एवं राज्य के प्रयासों में समन्वय करने हेतु, हमारे बैंक के कार्यकारी निदेशकों को पंजाब राज्य के दो जिलों जिनका नाम मोगा और फिरोजपुर हैं, आबंटित किया है। अन्य बैंकों की सहायता के साथ, इन दो जिलों में आबंटित किए गए सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया।

जिला/राज्य	गांव	पी.एम.जे.डी.वाई.			पी.एम.एस.बी.वाई.			पी.एम.जे.जे.वाई.		
		लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति
फिरोजपुर (19 बैंक)	254	25814	27528	107	34201	35960	105	21523	21510	100
मोगा (17 बैंक)	207	13536	14990	111	13535	14873	110	8092	8282	102
कुल	461	39350	42518	108	47736	50833	106	29615	29792	101

हमारे बैंक का कार्य-निष्पादन निम्न प्रकार है:

पी.एम.जे.डी.वाई.			पी.एम.एस.बी.वाई.			पी.एम.जे.जे.वाई.		
लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति
9546	11290	118.27	11161	12496	112	6810	7160	105.14

ग. पी.एम.जे.डी.वाई. अभियान (अक्टूबर '18 - मार्च '19):

वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने विस्तृत पीएमजेडीवाई कार्यक्रम में दिनांक 28.08.2018 के पश्चात् "प्रत्येक घर" के फोकस में परिवर्तन कर "प्रत्येक व्यस्क" का खाता खोलने की समय-सीमा में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। वित्तीय सेवाएं विभाग ने अक्टूबर, 2018 से मार्च, 2019 का अवधि के दौरान 3 करोड़ अतिरिक्त पीएमजेडीवाई खाते खोलने और इन सभी खातों में रुपये कार्डों को जारी करने के अभियान का शुभारम्भ किया। हमारे बैंक को अभियान के दौरान लक्ष्य भी आवंटित किए गए।

बैंक का अभियान के अंतर्गत निष्पादन:

क्र.सं.	मानदण्ड	लक्ष्य	बैंक की स्थिति	प्राप्ति का %
1	पीएमजेडीवाई खाते खोलना (अक्टूबर-मार्च)	3.19 लाख	2.23 लाख	70%
2	पीएमजेडीवाई रुपये कार्डों को जारी करना (अक्टूबर-मार्च)	3.19 लाख	1.75 लाख	55%

घ. व्यक्तिगत बैंक मित्र मॉडल:

बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ स्थायी शाखा उपलब्ध नहीं हैं, 11 राज्यों में 19 आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से बैंककारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए कुल 353 बैंक मित्रों की नियुक्ति की है। बैंक ने व्यक्तिगत बीसी मॉडल अंगीकार किया है। मैसर्स टीसीएस का चयन एफआईजी/सेवा उपलब्ध कराने वाले के रूप में किया गया है। व्यवसाय प्रतिनिधि मूलभूत बैंककारी सेवाएं जैसे खाता खोलना, जमा/आहरण एवं निधि अंतरण(अंतरपरिचालन), बैलेंस पूछताछ एवं मिनी विवरणी, जीसीसी/केसीसी बनवाना, सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना, विभिन्न माईक्रो बीमा योजनाओं (पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई) के साथ पेंशन योजनाएं (अटल पेंशन योजना) चलाना, और शाखाओं को अनर्जक खातों/तकनीकी रूप से बंद खाते में डाले गए खातों आदि की वसूली करना भी है।

B. Gram Swaraj Abhiyan & Extended Gram Swaraj Abhiyan :

Department of Financial services launched two subsequent schemes for bringing villagers from far-flung areas also under the ambit of Banking services. The first one named, 'Gram Swaraj Abhiyan (GSA)' as launched on 14.04.2018 and it lasted up to 05.05.2018. The second one named 'Extended Gram Swaraj Abhiyan (EGSA)' launched on 01.06.2018 continued up to 14.08.2018. Performance of our Bank under the GSA is mentioned below:

Campaign	Target	Bank's Achievement
GSA (14.04.18 – 05.05.18)	15339	11669 (76%)

EGSA was launched with the objective of providing universal coverage under financial inclusion. The Department of Financial Services allotted villages to Executive Directors of Public Sector Bank for supervising and coordinating the activities of various banks and support service agencies in the respective areas. Our Bank was allotted Moga & Ferozepur districts of Punjab for achieving 100% saturation under the flagship FI programmes of the government. We could achieve the targets allotted to the respective areas by effectively coordinating with all the banks operating there.

District/ state	Villages	PMJDY			PMSBY			PMJJBY		
		Targets	Achv	% achv	Targets	Achv.	% Achv	Targets	Achv.	% Achv
Ferozepur (19 banks)	254	25814	27528	107	34201	35960	105	21523	21510	100
Moga (17 banks)	207	13536	14990	111	13535	14873	110	8092	8282	102
Total	461	39350	42518	108	47736	50833	106	29615	29792	101

The performance of our Bank is mentioned below:

PMJDY			PMSBY			PMJJBY		
Target	Achv	% Achv.	Target	Achv	% Achv.	Target	Achv	% Achv.
9546	11290	118.27	11161	12496	112	6810	7160	105.14

C. PMJDY Campaign (Oct'18 – Mar'19):

Department of Financial services, Govt of India decided to extend the comprehensive PMJDY program beyond 28.08.2018 with the change in focus on opening accounts from "every household" to "every adult". The campaign was launched with the objective of opening 3 crore PMJDY accounts additionally and provide Rupay card linkage in all those new accounts. The target allotted to our Bank and achievement are given below:

Bank's performance under Campaign:

Sl No.	Parameter	Target	Bank's status	% Achievement
1	Opening of PMJDY Accounts (Oct-March)	3.19 lac	2.23 lac	70%
2	Issuance of PMJDY RuPay Cards (Oct-March)	3.19 lac	1.75 lac	55%

D. Individual Bank Mitr Model:

Bank has appointed a total of 353 Bank Mitrs in 11 states divided through 19 Zonal Offices to provide Banking Services to rural areas where brick & mortar branch is not available. Bank has adopted individual BC Model. M/S TCS has been selected for FIG/Service provider. BCs provide basic Banking services like A/C opening, Deposit/ Withdrawal & Fund Transfer (interoperable), Balance Enquiry & Mini Statement, sourcing of GCC/KCC, FD/RD opening, sourcing of various micro insurance schemes (PMJJBY,PMSBY) along with pension schemes (APY) & helping Branches in recovery of NPA/TWO accounts etc.

बैंक मित्रों का कार्य-निष्पादन:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
बैंक मित्रों द्वारा लाया गया कुल व्यवसाय	₹ 359 करोड़	₹ 382 करोड़
माईक्रो एटीएम पर की गई लेन-देन की संख्या	₹ 16.17 लाख	₹ 10.34 लाख
कुल खोले गए सावधि जमा/आवर्ती जमा खाते	8857	9809
कुल लाई गई जमा	₹ 242 करोड़	₹ 266 करोड़
कुल खोले गए केसीसी खाते तथा संवितरित राशि	2990 ₹ 104 करोड़	2760 ₹ 97.06 करोड़
कुल खोले गए जीसीसी खाते तथा संवितरित राशि	135 ₹ 1.65 करोड़	145 ₹ 2.47 करोड़
अनर्जक खातों की संख्या तथा वसूली गई राशि	2180 ₹ 11.82 करोड़	3083 ₹ 16.86 करोड़

ड. पुरस्कार एवं उपलब्धियां:

भारतीय बैंक संघ ने बैंक को 'बैंककारी तकनीकी, सम्मेलन, एक्सपो एवं अवार्ड, 2019' के अंतर्गत छोटे बैंकों के वर्ग में सर्वोत्तम वित्तीय समावेशन की पहल करने हेतु उप विजेता घोषित किया।

विपणन और बीमा विभाग

सोबरेन गोल्ड बॉन्ड : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने सभी छह निर्गमों में सहभागिता की और 19.35 लाख रुपये की आय अर्जित करने के साथ 61.18 किलोग्राम सोने की बिक्री की।

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (सएमएजी): बैंक ने भारत सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को सफलतापूर्वक लागू किया और इस योजना को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक बन गया।

बैंकएश्योरेंस : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एलआईसी दोनों की कुल 5629 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचीं, जबकि 10.69 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा किया गया, जिसके फलस्वरूप 2.08 करोड़ रुपये की कमीशन आय प्राप्त हुई।

नई पहल

- एनसीएमसी कार्ड को क्रियांवित करना
- बैंक के कॉल सेंटरों द्वारा कार्ड को अवरुद्ध करना

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि को छोड़ कर, ऋण प्रदान करने हेतु एसोचैम से सर्वोच्च बैंक का सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है और 14वीं वार्षिक सामाजिक उत्कृष्टता अवार्ड, 2018 में उप विजेता का पुरस्कार जीता है।

- दिनांक 31.03.2019 को कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹. 28,287 करोड़ (एनबीसी का 39.04%) रहे। तथापि, भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, बैंक नियामक के (एनबीसी का 40%) प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में एनबीसी के 41.12% के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा।
- दिनांक 31.03.2019 को बैंक के कृषि अग्रिम ₹. 11750 करोड़ (एनबीसी का 16.22%) रहे। औसत के आधार पर, बैंक ने कृषि ऋणों में अंतर्गत एनबीसी के 17.35% को प्राप्त कर लिया है।
- बैंक के छोटे एवं सीमांत कृषकों को अग्रिम ₹. 6825 करोड़ (एनबीसी के 9.42%) दिनांक 31.03.2019 को रहे जोकि एनबीसी के 8.00% के लक्ष्य के विरुद्ध है।
- बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ₹. 1200 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध ₹. 1150 करोड़ के अग्रिम प्रदान किए हैं जो लक्ष्य का 95.83% है।
- बैंक ने दिनांक 31.03.2019 तक केसीसी संचालित कुल 2.21 लाख खातों में से केसीसी के 2.16 लाख खातों (97.76%) में रुपये डेबिट कार्ड जारी किए हैं।

Performance of Bank Mitrs:

Particulars	FY 2017-18	FY 2018-19
Total Business brought by Bank Mitrs	Rs. 359 Cr	Rs 382 Cr
Total No of Transactions done on MicroATMs	Rs 16.17 Lac	Rs 10.34 lac
Total FD/RD Accounts opened	8857	9809
Total Deposit brought	Rs 242 Cr	Rs 266 Cr
No of KCC opened and Amount disbursed	2990 Rs 104 Cr	2760 Rs 97.06 Cr
No of GCC opened and Amount disbursed	135 Rs 1.65 Cr	145 Rs 2.47 Cr
No of Accounts with NPA Recovery & Amount Recovered	2180 Rs 11.82 Cr	3083 Rs 16.86 Cr

E. Awards & Achievement:

The bank was adjudged as the Runner Up in the category of the **Best Financial Inclusion Initiatives amongst Small Banks by Indian Banks' Association** in 'Banking technology, Conference, Expo & Awards 2019'.

MARKETING AND INSURANCE

Sovereign Gold Bond: During FY 2018-19 Bank participated in all the six issues and was able to mobilize the sale of 61.18 Kg Gold with earning a commission of Rs 19.35 Lakh.

Gold Monetization Scheme (GMS): The Bank successfully rolled out the Gold Monetization Scheme of Govt. of India and joined the list to become one of the leading public sector bank to implement this scheme.

Bancassurance: The Bank sold a total of 5629 Life insurance policies during FY 2018-19 of both SBI Life Insurance Co and LIC of India, while a premium to the tune of Rs 10.69 Crore was collected resulting in a commission income of Rs 2.08 Crore.

NEW INITIATIVES

- Implementation of NCMC cards
- Card Blocking through Bank's Call Centre

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank has won Social Banking Excellence Awards from ASSOCHAM as the Best Bank under the 'Priority Sector Lending other than Agriculture' and Runner-up under the Agricultural Banking Category for Small class' at the 14th Annual Banking Social Banking Excellence Awards, 2018.

- Total Priority Sector Advances stood at Rs. 28287 crore (39.04% of ANBC) as on 31.03.2019. **However, as per RBI guidelines, Bank was able to surpass the regulatory target of (40% of ANBC) to PS Advances on average basis achieving 41.12% of ANBC.**
- Bank's Agriculture advance stood at Rs.11750 crore (16.22% of ANBC) as on 31.03.2019. **On average basis, Bank has achieved 17.35% of ANBC under Agriculture Advances.**
- Bank's advance to Small & Marginal Farmers stood at Rs.6825 Crore (9.42% of ANBC) as on 31.03.2019 against the target of 8.00% of ANBC.
- Bank made advances to the tune of Rs. 1150 crore against the target of Rs. 1200 crore under Pradhan Mantri Mudra Yojana which is 95.83% against the target.
- Bank has issued RuPay Debit Cards in 2.16 lac KCC accounts out of the total operative KCC accounts of 2.21 lac (97.76%) as on 31.03.2019

- बैंक के पंजाब और हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु 17 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, एफएलसी सलाहकारों द्वारा 1293 कैंपों का आयोजन किया गया जिसमें 62509 व्यक्तियों ने सक्रियता से सहभागिता की तथा उनको मल बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
- बैंक का कमजोर वर्गों को अग्रिम रु. 7948 करोड़ रहा जो एनबीसी के 10% के लक्ष्य के विरुद्ध 10.97% है।

प्राथमिकता क्षेत्र में नई पहल:

- बैंक ने विशिष्ट एसएमएसई शाखाओं की श्रेणी में 36 शाखाएं जोड़ी हैं जिसके कारण विशिष्ट एसएमएसई शाखाओं की संख्या 144 हो गई है।
- वर्तमान एसएमएसई ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं का ध्यान रखने हेतु विशिष्ट एसएमएसई शाखाओं में संपर्क अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं और एसएमएसई ग्राहकों हेतु प्रत्येक शाखा में विशेष हेल्प डेस्क बनाई गई है।
- बैंक ने समूह आधारित वित्तपोषण को अंगीकार किया है। हमारी 268 एमएसएमई समूह में 803 शाखाएं हैं। 156 एमएसएमई समूहों में 71 विशेषीकृत शाखाएं हैं। बैंक की 73 फूड एवं एग्री प्रसंस्करण समूहों में उपस्थिति है।
- इस वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्येक आंचलिक कार्यालय ने अपने क्षेत्र/रीजन में अच्छे संभावना वाले दो एसएमएसई समूहों को अंगीकार किया है और उनकी आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए उद्योगों/व्यापार एसोशिएसनों के साथ संपर्क में हैं।
- बैंक ने मैसर्स ऑनलाईन पीएसबी अग्रिम लि. के साथ ऑनलाईन एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने हेतु करार किया है।
- एम.एस.एम.ई. ऋणियों के ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिलों की डिस्काउन्टिंग को शुरू किया गया है।

खुदरा ऋण विभाग

- दिनांक 31.03.2019 को बैंक का खुदरा ऋण संविभाग ₹15,826 करोड़ रहा और तदनुसार, खुदरा ऋण ने विगत वर्ष के विरुद्ध 8.22% की व्यवसायिक वृद्धि दर्ज की है।
- बैंक के कुल अग्रिम में रु. 3042 करोड़ की वृद्धि हुई और उसमें से खुदरा ऋण का अंश ₹1202 करोड़ का है जो कुल वृद्धि का 40% है।
- दिनांक 31.03.2019 को कुल अग्रिम के विरुद्ध खुदरा ऋण का प्रतिशत 21.74% रहा।
- हमने गुणवत्तापूर्ण खुदरा (आर.एल.सी.) प्रदान करने और टी.ए.टी. में कटौती के लिए चार केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र खोले हैं। वर्तमान में, बैंक की आर.एल.सी. के क्षेत्र में 155 शाखाएं हैं।
- बैंक ने खुदरा ऋण के उत्पादों को अधिक प्रति-स्पर्धात्मक तथा आकर्षक बनाने के लिए उनका औचित्यकरण किया है। बैंक ने एम.एस.एम.ई. श्रेणी के अंतर्गत ठेकेदारों की ऋण की विस्तृत मांग को पूर्ण करने और बाजार में अपने आपको प्रति-स्पर्धात्मक रूप से स्थापित करने हेतु नए उत्पाद जैसे पीएसबी कॉन्ट्रेक्टर प्लस शुरू किया है।
- पेस्टीवल बोनान्जा अभियान के अंतर्गत (01.10.2018 से 31.03.2019) जिसमें खुदरा ऋण उत्पाद अर्थात् पी.एस.बी. अपना घर और पीएसबी अपना वाहन सम्मिलित हैं, बैंक ने ₹1091 करोड़ के नए ऋण संस्वीकृत किए हैं।

आस्ति गुणवत्ता:

बैंक का अनर्जक आस्तियों पर नियंत्रण हेतु प्रयास जारी हैं और विधिक साधनों एवं संवाद पर आधारित समझौतों सहित वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग किया है। "प्रतिभूतीकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002" के प्रावदानों को प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। बैंक ने वर्ष के दौरान, विभिन्न केंद्रों पर वसूली कैंपों का आयोजन भी किया है।

बैंक की वर्ष के दौरान अनर्जक खातों में वसूली औचित्यपूर्ण रही है। वसूली के लिए किए गए अथक तथा केंद्रित प्रयासों के परिणाम स्वरूप ₹186.01 करोड़ की तकनीकी रूप से बट्टे खातों में डाली गई राशि सहित कुल ₹2369.34 करोड़ की वसूली की जा सकी है।

बैंक ने नए अनर्जक खातों में वृद्धि को रोकने हेतु यथा संभव प्रयास किए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप, दिनांक 31.03.2019 को हमारे सकल एनपीए तथा निवल एनपीए को क्रमशः ₹8605.87 करोड़ और ₹4994.23 करोड़ पर रोकने में सफल रहे जोकि दिनांक 31.03.2018 के ₹7801.65 करोड़ तथा ₹4607.87 करोड़ के विरुद्ध हैं।

विगत वर्ष की तुलना में, दिनांक 31.03.2019 को सकल एनपीए और निवल एनपीए की स्थिति निम्न प्रकार है:-

राशि ₹ करोड़ में

एनपीए	31.03.2018 को		31.03.2019 को	
सकल	7801.65	11.19%	8605.87	11.83%
निवल	4607.87	6.93%	4994.23	7.22%

दिनांक 31.03.2019 को बैंक का प्रावधानन कवरेज अनुपात 59.46% रहे।

- Bank has 17 Financial Literacy Centres (FLCs) at block level in Punjab & Haryana to spread financial literacy among people. A total of 1293 camps have been organized during the 2018-19 by FLC Counsellors wherein 62509 people actively participated and were sensitized about Basic Banking Services, so that they are able to avail banking services according to their requirements.
- Bank's lending to weaker sections stood at Rs.7948 Crore achieving 10.97% of ANBC as against a target of 10% of ANBC.

New Initiatives in Priority Sector:

- Bank has added 36 branches in the category of specialized MSME branches thus raising total number of Specialized MSME branches to 144.
- Relationship Officers have been appointed in specialized MSME branches to take care of various financial needs of existing MSME Customers and special helpdesk created at each of these branches for MSME Customers.
- Bank has adopted cluster-based Financing. We have 803 Branches in 268 MSME clusters, 71 Specialized Branches in 156 MSME clusters. Bank has presence in 73 Food and Agro Processing Clusters.
- Each Zonal office has adopted two MSME clusters having good potential in their area/ region during this FY 2018-19 and liaising with industries/ trade associations for identifying their needs.
- Bank has entered into tie up arrangement with M/s Online PSB loans Limited for mobilizing online MSME loan proposals.
- Bill discounting of MSME borrowers through TReDS platform has been introduced.

RETAIL LENDING

- The Retail Lending portfolio of the Bank as on 31.03.2019 stands at Rs 15826 Cr and thereby, Retail Lending has registered a business growth of 8.22 % over the previous year.
- Total advance of the Bank has increased by Rs. 3042 crore and out of that the share of retail credit is Rs. 1202 crore which is 40% of the total increase.
- The percentage of Retail credit to Gross Advances was 21.74% as on 31.03.2019.
- We have opened four centralized processing centres for retail (RLCs) to improve quality of lending and to curtail TAT. Presently 155 branches of the Bank are under the ambit of RLCs.
- The Bank has modified its Retail Loan products to make them more attractive and competitive. A new product viz., PSB Contractor plus has been designed in order to meet credit demands of contractors under the MSME category.
- A special campaign titled "Festival Bonanza" was run from October 2018 to March 2019, covering the Retail products viz. PSB Apna Ghar and PSB Apna Vahan. The Bank sanctioned fresh loans to the tune of Rs. 1091 crore during the campaign.

Asset Quality:

The Bank continued to make concerted efforts to contain NPAs and has used all available tools of recovery including negotiated settlements and legal means. The provisions of "The Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act -2002" were used effectively. The Bank had also organized Recovery Camps during the year at various centers.

The performance of the Bank under recovery of NPAs during the year remained reasonable. The aggressive and focused efforts resulted in the total recovery of over ₹2369.34 Crore during the year including recovery of ₹186.01 Crore in Technically Written Off Accounts.

Bank has made earnest efforts to contain fresh slippage. As a result our gross NPAs and net NPAs as on 31.03.2019 have been stood at ₹8605.87 Crore and ₹4994.23 Crore respectively against ₹7801.65 Crore and ₹4607.87 Crore as on 31.03.2018.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2019 vis-à-vis previous year is as under;

Amount in ₹ Crore

NPA	As on 31.03.2018		As on 31.03.2019	
Gross	7801.65	11.19%	8605.87	11.83%
Net	4607.87	6.93%	4994.23	7.22%

The Provision Coverage Ratio of the Bank as on 31.03.2019 stood at 59.46%.

दबावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन हेतु वर्टिकल बनाना (SAMverT)

r25 करोड़ एवं अधिक की दबावग्रस्त आस्तियों का प्रबंधन करने के लिए सेमवरटी एक विशेषज्ञ वर्टिकल है। वर्टिकल के निम्न अनुदेश हैं -

- एसएमए खाते -एसएमए की निगरानी करने हेतु - 1 & 2 खाते जिनका बैलेंस रु. 25 करोड़ एवं अधिक है।
- एनपीए/टीडब्लूओ खाते - सुनिश्चित करता है कि सरफेसी अधिनियम/डीआरटी अधिनियम/दीवीलिया एवं दीवाला कोड आदि के अंतर्गत समय से कार्रवाई करता है।

ऋण निगरानी विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

ऋण निगरानी विभाग r 25 करोड़ से कम बैलेंस के मानक एवं एसएमए खातों की निरंतर निगरानी करता रहेगा

वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई प्रगति

वित्तीय वर्ष 2018-19 में, विभाग ने r 2000 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध कुल r 2327.86 की वसूली की। इस वसूली में टीडब्लूओ की r 186.18 करोड़ की वसूली सम्मिलित है जो r 160 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध है।

ऋण निगरानी

बैंक ने ऋण एक्सपोजरों वाले उच्च मूल्य खातों की प्रभावशाली निगरानी तथा नयी चूक गिरावट पर नियंत्रण रखने के लिए रु. 25 लाख से अधिक के जोखिमों हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर तथा r 25 लाख तक के ऋणों की निगरानी हेतु आंचलिक कार्यालय स्तर पर अलग से नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इन निरीक्षण कक्षों ने अंचलों तथा शाखाओं के साथ निरन्तर आधार पर बड़े स्तर पर नए एनपीए बनने से रोकने को सुनिश्चित करने हेतु नजदीकी अनुवर्ती कार्रवाई की है। आरबीआई तथा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र मामलों की पुनरसंरचना की जा रही है।

विभाग ने अन्य अभिकरणों जैसे एक्सपीरियन के साथ गठबंधन किया है और आवश्यक तत्परता बढ़ाने के लिए सिबिल के अन्य उत्पाद जैसे ई-पुष्टीकरण एवं क्रिसिल एमएसएमई को नामांकित किया है। एक नियंत्रण प्रणाली के तौर पर, विभाग द्वारा कई कार्य-विधियों का विकास किया गया है ताकि स्वचालन से सूचना प्रदान करने/राजस्व की हानि पर रोक लगाने में सरलता हो।

निवेश प्रबंधन तथा विदेशी विनिमय

- 31.03.2019 को बैंक की संस्थागत क्षेत्र की आवश्यकता, जोखिम संग्रह एवं बैंक की निवेश नीति के अनुरूप बैंक का सकल निवेश r 26461.32 करोड़ था।
- बैंक ने इस वर्ष सरकारी प्रतिभूतियों तथा गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूति में ट्रेडिंग गतिविधियों से अब तक का सबसे उच्चतम लाभ अर्जित किया जोकि मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के r 259.52 करोड़ से 38.08% बढ़कर 31.03.2019 को r 358.36 करोड़ हो गया है।
- विदेशी विनिमय विभाग का कुल लाभ r 29.52 करोड़ है जो कुल आय और कुल व्यय की नेटिंग है। (कुल आय में डीलिंग कक्ष का विनिमय लाभ, अन्य बैंकों से प्राप्त आय, ईबीआरडी पर ब्याज, पीसीएफसी, एफसीडीएल तथा विविध आय जैसे एफपीसी, एफएससी आदि का निरस्तीकरण और कुल व्यय में सम्मिलित है मर्दे जैसे एएमसी, स्विफ्ट प्रभार आदि)
- डीलिंग कक्ष का r 14.10 करोड़ का विनिमय लाभ कुल आय का हिस्सा है जिसको विभाग द्वारा डीलिंग कक्ष की गतिविधियों द्वारा अर्जित किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जोखिम, परिभाषित जोखिम क्षमता के भीतर हैं और उनकी पर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है, के लिए एक सुदृढ़ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यरूप दिया है। बैंक के शिखर स्तर के प्रबंधन तथा बोर्ड के अधिकारों में प्रभावी जोखिम प्रबंधन तथा बैंक की जोखिम प्रवृत्ति को लागू करने का संपूर्ण दायित्व है। महाप्रबंधक की अध्यक्षता में प्र.का. जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) द्वारा बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की जाती है।

जोखिम प्रबंधन के कार्य जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) - बोर्ड स्तर की समिति द्वारा किए जाते हैं। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.), आस्ति एवं देयताएं प्रबंधन समिति (एलको), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एम.आर.एम.सी.), और आईसीएपी के अनुसार पूंजी आयोजना समिति जैसी अन्य समितियां हैं।

Formation of Stressed Asset Management Vertical (SAMverT)

The SAMverT is a specialized vertical for management of all stressed assets of Rs.25 Crore and above. The following are the mandates of the vertical:

- i. **SMA accounts** -To monitor the SMA- 1 & 2 accounts having Balance Outstanding amount Rs.25.00 Crores and above.
- ii. **NPA/TWO accounts** – Ensures that timely action is taken under SARFAESI Act/ DRT Act/ Insolvency & Bankruptcy Code etc.

Role & Responsibilities of credit monitoring department

The credit monitoring department will continue to monitor all standard accounts and SMA accounts having outstanding below Rs.25 Crore.

Progress made in the FY 2018-19

In the financial year 2018-19, the department has made total recovery amounting to Rs.2327.86 Crores against the target of Rs.2000.00 Crores. This recovery includes TWO recovery of Rs.186.18 Crores against the target of Rs.160.00 Crores.

CREDIT MONITORING

The Department has already set up a Control Room for proper and effective monitoring of large accounts, with exposure above Rs.25 Lac at HO and accounts up to Rs.25 Lac by separate Control Rooms at Zonal Offices. These Control Rooms maintain close follow-up with the zones and branches on an ongoing basis so that there is an effective management of SMA and prevention of slippage. Restructuring of eligible cases also is being done as per the RBI guidelines.

The Department has entered into tie-up with agencies like Experian and also subscribed products like the “CIBIL like e-verify” and “CRISIL MSME Rank” for enhanced Due diligence. Various functionalities have been developed for easy reporting and having an effective check on revenue leakage besides bringing about Capital Conservation with the help of automation.

INVESTMENT & FOREIGN EXCHANGE

- The Bank's total gross investment as on 31.03.2019 was Rs.26461.32 crore, with a portfolio that is consistent with our requirement, risk perception and investment policy.
- Through sale/redemption of securities (G-sec as well as Non SLR securities) the Department earned a profit of Rs.358.36 crores, which registered an increase of 38.08% over the profit as on (which was Rs.259.52 crores).
- The total profit of foreign exchange department of Rs. 29.52 crores is netting of total income and total expenditure (Total Income includes Dealing room exchange profit, Interest received from other banks, Interest on EBRD, PCFC and FCDL and Misc. income such as cancellation of FPC, FSC etc. and total expenditure includes items such as AMC, SWIFT charges etc.)
- The dealing room exchange profit of Rs. 14.10 crores is part of the total income which is earned by the department through dealing room activities

RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately monitored. The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. The implementation of Integrated Risk Management System in the Bank is monitored by HO Risk Management Department (RMD) headed by General Manager.

The Risk Management Function is managed through Risk Management Committee (RMC)- a board level subcommittee. Other Committees are Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset and Liabilities Management Committee (ALCO), Operational Risk Management Committee (ORMC), Market Risk Management Committee (MRMC) and Capital Planning Committee as per ICAAP.

नीति-तंत्र : बैंक के समक्ष जोखिमों का मापन, प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां तथा कार्यविधियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार ऋण प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) नीति, व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) व आपदा उद्धार प्रबंधन (डीआरएम) नीति, स्ट्रेस टेस्टिंग नीति, ऋण जोखिम कम करने संबंधी तकनीकों की प्रयोग नीति तथा संपार्श्विक प्रबंधन, आईसीएपी नीति, एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, इंद्रा गुप लेन-देनों एवं जोखिम के प्रबंधन तथा लॉस डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क पर नीति ।

बैंक का बेसल-II एवं बेसल-III के साथ अनुपालन: बैंक ने मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 की शर्तों के अनुसार, बेसल-III पूंजी अधिनियमों को लागू किया है। इन नियम एवं शर्तों पर आधारित, बैंक ने ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत मापन प्रणाली और परिचालन जोखिम हेतु मूल सूचक को पूंजीगत चार्ज को लिए अंगीकार किया है।

बैंक ने बॉसल-III के दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है और सीआरएआर की संगणना शुरू की है जो जून, 2013 से प्रभावी है। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सीआरएआर की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। बॉसल-III के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बैंक में विस्तृत संकलन जोखिम प्रबंधन उद्यम प्रक्रिया (ईआईआरएमएस) की स्थापना हेतु एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

आई.सी.ए.ए.पी. नीति: बॉसल-II व बॉसल-III - स्तंभ 2- पर्यवेक्षणीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) विषयक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन, बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा संचालन की परिधि के अनुरूप है, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) नीति तैयार की गई है। विभिन्न अवशिष्ट जोखिमों का निर्धारण किया जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। आईसीएपी परिणाम तिमाही आधार पर तैयार किया जाता है तथा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

प्रकटीकरण: बॉसल-II व बॉसल-III, स्तंभ-3 'बाजार अनुशासन' विषयक, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुपालन में बैंक के निदेशक-मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की गई है और इस नीति के अनुसार तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर इन्हें बैंक की वेबसाइट/वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

ऋण जोखिम: ऋण-जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में इसकी पहचान, आकार, ऋण-कारोबार पर निगरानी व नियंत्रण शामिल हैं। ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) द्वारा ऋण-जोखिम तथा नीति-निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इसके द्वारा उद्योग, कॉर्पोरेट, खुदरा तथा व्यक्ति/समूह ऋणकर्ताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

कॉर्पोरेट जोखिम के लिए ऋण रेटिंग जोखिम जोखिम मॉडल और एनबीएफसी ऋण जोखिम, रियल स्टेट एवं खुदरा ऋण जोखिम, खुदरा ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेटिंग, एवं उद्योगों/पोर्टफोलियो का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए और ऋण रेटिंग के उत्प्रवासों के लिए एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है।

बाजार जोखिम: बैंक का पोर्टफोलियो ब्याज-दरों तथा मुद्रा-दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप बाजार जोखिम से प्रभावित होता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ.) बाजार जोखिम से संबंधित काम-काज की निगरानी करती है। बैंक ने विभिन्न बाजार जोखिम मापन-प्रणाली व साधनों को लागू किया है। विभिन्न परिसीमाओं का कड़ा अनुपालन तथा उल्लंघनों में वृद्धि, यदि कोई हो, का उचित अनुसरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक मध्यस्थ कार्यालय भी स्थापित है।

तरलता प्रबंधन तंत्र सुस्थापित है जोकि बैंक के समस्त भुगतान दायित्वों को देय होने पर पूरा करने के सामर्थ्य को संरक्षित करता है। यह बैंक की तरलता जोखिम को पहचानने, मापने तथा संचालन करने के लिए बनाया गया है।

बैंक, विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार रूपांतरित अवधि पद्धति का उपयोग करके मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम प्रभार की संगणना करता है। बैंक अपने विदेशी विनिमय पोर्टफोलियो पर भी जोखिम मूल्य (वीएआर) की गणना करता है।

परिचालनगत जोखिम: परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालनों से जुड़े जोखिमों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक/अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में परिचालनगत जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूल संकेतक दृष्टिकोण के अनुसार संगणित किया जाता है। बैंक परिचालनगत जोखिम की संरचना को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि परिचालनगत ऋण जोखिम (ओआरएम) प्रणाली परिचालनगत जोखिम पूंजी की गणना के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने में समर्थ हो सके। बैंक के पास लॉस डाटा प्रबंधन करने के लिए बोर्ड अनुमोदित लॉस डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क है ताकि बैंक की सम्पूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति(ओआरएम) को लागू करने में प्रबंधन हेतु न्यूनतम मानक स्थापित किए जा सकें और विस्तृत तथा मजबूत परिचालन लॉस डाटाबेस को बनाया जा सके।

POLICY FRAMEWORK: The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and control various risks that the Bank is exposed to. The various policies are Integrated Risk Management Policy, Asset-Liability Management (ALM) Policy, Credit Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Management (DRM) Policy, Stress Testing Policy, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management, ICAAP Policy, Integrated Risk Management Policy, Policy on Management of Intra Group Transactions & Exposures and Loss Data Management Framework

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II & III: Bank has implemented Basel III Capital regulations in terms of Master Circular dated July 01, 2015. Based on these norms, Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Measurement Methodology for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk for computing the capital charge.

The Bank has also implemented Basel III Guidelines and has started computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) w.e.f June 2013. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on an ongoing basis. Bank has appointed a consultant for setting up Enterprise Wide Integrated Risk Management System (EIRMS) in the Bank for implementation of Basel III Guidelines.

ICAAP POLICY: In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 2- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Various residual risks are assessed and additional capital is provided for wherever required. The ICAAP outcome is prepared on half yearly basis and is reviewed by RMC.

DISCLOSURE: In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on quarterly / Half yearly / Annual basis, as per the policy, are displayed on the Bank's Website / Annual Report.

CREDIT RISK: Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures. Credit risk and its policy formulation is managed by Credit Risk Management Committee (CRMC). It regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers.

Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate Exposure, NBFC Exposure, Real Estate Exposure, Retail Exposure, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/ portfolio, migration of credit ratings is undertaken.

MARKET RISK: The Bank's portfolio is exposed to market risk on account of changes due to interest rates and currency rates.

The Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) is overseeing the functions relating to market risk. The Bank has put in place a variety of market risk measurement systems and tools. Strict adherence to various limits and proper escalation of breaches, if any, are followed. Moreover, a Mid Office is also in place.

The Liquidity Management Framework is well established, which safeguards the ability of the Bank to meet all payment obligations when they come due. It is designed to identify, measure and manage the liquidity risk position of the Bank.

The Bank is computing the market risk capital charge as per the Modified Duration approach, by using Modified duration method, as per the regulator's guidelines. The Bank also calculates Value at Risk (VaR) on its foreign exchange portfolio.

OPERATIONAL RISK: The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank is in the process of strengthening its ORM Framework and ORM systems so as to be able to migrate to advance approaches of calculation of Operational Risk Capital. The Bank has a Board approved Framework for Loss Data Management to set minimum standards for management of Bank's Operational Loss Data in order to comply with the overall Operational Risk Management (ORM) Policy of the Bank and facilitate creation of a robust and comprehensive Operational Loss Database.

बैंक के क्रेडिट/जोखिम-भारित आस्तियों की स्थिति इस प्रकार हैं:

(राशि करोड़ में)

	मार्च 18	वित्तीय वर्ष 2018-19			
		ति1	ति2	ति3	ति4
वित्त पोषित	69822	69803	71896	71488	72747
गैर निधि	4015	3861	3950	4195	4034
कुल अग्रिम	73838	73664	75846	75684	76781
क्रेडिट जोखिम-भारित आस्तियां	54771	54039.	50606	49631	47441
बाजार जोखिम-भारित आस्तियां	7804	6982	6422	6174	6153
परिचालन जोखिम-भारित आस्तियां	4858	4858	4858	4858	4990
कुल जोखिम-भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	67433	65879	61886	60663	58584
सीआरएआर स्थिति (%)	11.25	10.46	10.66	10.78	10.93

मार्च-2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बैंक ने सचेत होकर कम जोखिम भार वाले उच्च निर्धारित खातों में हमारे उधार पोर्टफोलियो को बढ़ाकर पूंजी संरक्षण के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों को कम करने का निर्णय लिया है।

क्रेडिट पोर्टफोलियो के अंतर्गत पूंजी संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- मार्च 2018 की समाप्ति तक बैंक के पास रुपये 4871 करोड़ के जोखिम-भारित आस्तियां सहित रुपये 6102 करोड़ का निवेश था।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने रुपये 7660 करोड़ स्वीकृत किए जिसमें जोखिम-भारित आस्तियां रुपये 1436 करोड़ है।

रणनीति ने अच्छा कार्य किया और बैंक:

- रुपये 7363 करोड़ की दर से अपने जोखिम भारित आस्तियों को (आरडब्ल्यूए) को कम किया (यथा दिनांक 31.03.2018 को रुपये 54771 करोड़ से दिनांक 31.03.2019 को रुपये 47408 करोड़) हालांकि अग्रिम रुपये 73838 करोड़ रुपये 76827 करोड़ बढ़ गया।
- उपरोक्त (आरडब्ल्यूए) कुल अग्रिम में मार्च 2018 को 74.17 प्रतिशत से मार्च 2019 को 61.70 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण कमी प्रतिशत को दर्शाता है।
- मार्च 2018 में रुपये 7804 करोड़ से मार्च 19 में रुपये 6140 करोड़ तक अपने बाजार जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) को रुपये 1664 करोड़ तक कम किया।
- कैपिटल पर अतिरिक्त बोझ के बिना दिनांक 31.03.2018 को रुपये 73838 करोड़ से दिनांक 31.03.2019 को रुपये 76827 करोड़ तक क्रेडिट पोर्टफोलियो में रुपये 2989 करोड़ की वृद्धि की।
- वर्ष के दौरान होने वाले नुकसान के कारण पूंजी खातों में कमी के बावजूद जून 18 (ति 1 वित्तीय वर्ष 2018-19) से इसके सीआरएआर अनुपात में सुधार हुआ है।

मानव संसाधन प्रबंधन

दिनांक 31.03.2019 तक कैडर के अनुसार स्टाफ की संख्या निम्नानुसार है:

संवर्ग	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
अधिकारी	6545	6293
लिपिक	2346	2292
अधीनस्थ स्टाफ	429	363
कुल	9320	8948

रोजगार में महिलाएं: 31.03.2019 को हमारे कुल 8948 स्टाफ सदस्यों में से 2543 महिलाएं हैं जो कुल योग का 28.41% बनती हैं। बैंक ने अपनी महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने और उनके करियर के विकास की योजना के लिए विशिष्ट कदम उठाए हैं। प्र.का. में मा.सं.वि महिला सेल बैंक के महिला कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया / सुझाव, अनुरोध और शिकायत / परिवेदना को देखती है।

Credit/ RWAs position of the bank is as under:

(Amt in Cr)

	Mar' 18	FY 2018-19			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Funded	69822	69803	71896	71488	72747
Non Fund	4015	3861	3950	4195	4034
Total Advances	73838	73664	75846	75684	76781
Credit Risk Weighted Assets	54771	54039.	50606	49631	47441
Market Risk Weighted Assets	7804	6982	6422	6174	6153
Operational Risk Weighted Assets	4858	4858	4858	4858	4990
Total Risk Weighted Assets (RWA)	67433	65879	61886	60663	58584
CRAR Position (%)	11.25	10.46	10.66	10.78	10.93

During the year ending March 2019 bank consciously decided to reduce the risk weighted assets to conserve the capital by enhancing our lending portfolio in high rated accounts having low risk weights.

To conserve the capital following steps were taken under the credit portfolio:

- Bank had Rs. 6102 Cr exposure with RWAs of Rs. 4871 Cr at the end of March' 18.
- Bank has sanctioned Rs. 7660 Cr during FY 2018-19 which has RWA of Rs. 1436Cr.

The strategy worked well and bank:

- Reduced its Credit Risk Weighted Assets (RWAs) to the tune of Rs7363 Cr. (i.e. Rs.47408 Cr as on 31.03.2019 as against Rs.54771 Cr as on 31.03.2018) though advances increased from Rs. 73838 Cr to Rs. 76827 Cr.
- The above represents significant reduction in % Credit RWAs to Total Advances from 74.17% as on Mar' 18 to 61.70% as on Mar' 19.
- Reduced its Market Risk Weighted Assets (RWAs) by Rs. 1664 Cr from Rs.7804 Cr as on Mar' 18 to Rs.6140 Cr as on Mar' 19.
- Enhanced its credit portfolio by Rs.2989 Cr from Rs.73838 Cr as on 31.03.2018 to Rs.76827 Cr as on 31.03.2019, without any additional burden on capital.
- Improved its CRAR ratio from June' 18 (Qtr1 – FY 2018-19) despite the erosion of sum capital on account of losses incurred during the year.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The cadre wise staff strength as on 31.03.2019 is as under:

Category	31 st March 2018	31 st March 2019
Officers	6545	6293
Clerks	2346	2292
Sub-staff	429	363
Total	9320	8948

Women in employment: Out of the total strength of 8948 as on 31.03.2019, the women employees are 2543 constituting 28.41% of the total strength. The Bank has taken specific steps to empower its women employees and to plan their career growth. HRD Women Cell at Head Office looks after feedback/ suggestions, requests and complaints/grievances, received from women staff of the Bank.

पदोन्नतिया: पदोन्नतिया: बैंक वर्ष दर वर्ष लगभग सभी श्रेणियों के स्टाफ सदस्यों की अच्छा काम (Top performers) करने वालों को पुरस्कार के रूप में तथा उन्हें और जिम्मेवार पदों को संभालने के उद्देश्य से पदोन्नत नियमित रूप से करता रहता है। वर्ष 2018-19 के दौरान निम्न पदोन्नतियों की गई हैं:-

से पदोन्नतियां	उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक	सहा. महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक	मुख्य प्रबंधक से सहा. महाप्रबंधक	वरि.प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक	प्रबंधक से वरि.प्रबंधक	अधिकारी से प्रबंधक	लिपिक से अधिकारी	अधीनस्थ से लिपिक	योग
सामान्य	4	11	30	52	116	126	193	35	567
विशेषज्ञ	-	-	6	24	15	12	-	-	57
योग	4	11	36	76	131	138	193	35	624

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास: बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अपने 50% कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया। इसे देखते हुए, निब्सकॉम नोएडा और एसटीसी दिल्ली में सामान्य बैंकिंग और कंप्यूटर ज्ञान में 378 कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न संवर्गों के 8255 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। शीर्ष स्तर पर 145 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

नौकरी परिवारों के माध्यम से विशेषज्ञता : बैंक ने 7 नौकरी परिवारों की पहचान करके रोजगार परिवारों के माध्यम से विशेषज्ञता शुरू की है जिसमें स्टाफ सदस्यों से विकल्प मांगे गए थे। पहचान किए गए और चयन किए गए स्टाफ के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया और तदनुसार नियोजन के लिए विचार किया जा रहा है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के साथ समझौता ज्ञापन: विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और शामिल करने के प्रयास में, बैंक ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE), एसबीआई फाउंडेशन- भारतीय स्टेट बैंक के सीएसआर शाखा के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। इस पहल के साथ, बैंक का उद्देश्य विकलांग कर्मचारियों के संस्थागत सशक्तीकरण और कर्मचारियों को मुख्य धारा में शामिल करना है। बैंक सबसे अच्छी कार्यप्रणाली और समाधानों को एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए नई अंतर्दृष्टि लाकर दिव्यांगजन के लिए कार्यस्थल में एक अंतर ला सके और जिससे कार्यस्थल पर वास्तविक प्रभाव पड़े। कर्मचारी का कार्य क्षमता निर्माण और कर्मचारी संवेदीकरण कार्यशालाओं के माध्यम से होगा।

ई-लर्निंग: सभी कर्मचारियों के बीच नौकरी के ज्ञान को प्रेरित करने और समृद्ध करने के लिए, विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में ऑनलाइन परीक्षणों के माध्यम से ई-लर्निंग का आयोजन किया जा रहा है। यह हमारे बैंक परिपत्रों के आधार पर व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्यालयों और नियंत्रण कार्यालयों के लिए उपयोगी होगा। बैंक ने ई-ज्ञान हस्तांतरण के लिए ई-लर्निंग आधारित ज्ञान के साथ बैंक की इंटरनेट वेबसाइट पर ऑनलाइन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत की है। विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में प्रत्येक महीने सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाता है। बैंक ने सफलतापूर्वक बारह ई-लर्निंग ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किए हैं।

बैंक ने स्टाफ सदस्यों के उनके पेशागत कौशल को निरंतर विकसित करने के लिए आईआईबीएफ द्वारा प्रस्तावित 19 प्रमाणित एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिपूर्ति की है। बैंक ने जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी के ई-लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए आईआईबीएफ से करार भी किया है जिसको इंटरनेट पर "एचआरडी पहल: ई-लर्निंग" के शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

प्रत्यक्ष भर्ती: वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, निरन्तर व्यावसाय में वृद्धि और विस्तार, सेवानिवृत्ति की चुनौतियों से निपटने के लिए, बैंक ने प्रयास किए हैं। इस चुनौती को पूरा करने के लिए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 234 एसडब्ल्यूओ और 20 एमएमजीएस में 20 लॉ मैनेजर की भर्ती की है।

इसके अलावा, बैंक अपने संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों की एक मध्य और शीर्ष पंक्ति तैयार करने के लिए टीईजीएस VI में एक मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (उप महाप्रबंधक) और एसएमजीएस- IV में एक मुख्य प्रबंधक- आर्थिक अनुसंधान की भर्ती किया है।

औद्योगिक संबंध : बैंक में संपूर्ण वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। कामगार एवं अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विकास तथा अन्य विषयों पर प्रबंधन के साथ विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श में सहभागिता की और उनको सुलझाने के प्रयास किए गए। स्टाफ सदस्यों द्वारा उठाए गए परिवादों के निवारण के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार परिवाद निवारण समिति का गठन भी किया गया है। बैंक हितों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न अदालतों/ट्रीब्यूनलों में लंबित सेवा से संबंधित मामलों की उचित निगरानी भी की गई। कर्मचारी कल्याण उपाय के रूप में, बैंक अमृतसर, कटरा, मुंबई और हरिद्वार में अवकाश गृह की सुविधा प्रदान करता है।

आरक्षित श्रेणी के कर्मिकों को रोजगार: बैंक समाज के अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति संबंधित व्यक्तियों के हित एवं विकास के प्रति सांविधानिक सुरक्षा तथा सामाजिक लक्ष्य के प्रति बचनबद्ध है। बैंक भर्ती/ पदोन्नति में आवश्यकतानुसार पदों के आरक्षण के मामलों में आरक्षण नीति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

Promotions: Bank is regularly promoting people almost in all cadres year after year to keep on rewarding its top performers and enabling them to assume higher responsibilities. Following promotions have been effected during the year 2018-19:-

Promotions from	DGM to GM	AGM to DGM	CM to AGM	SRM to CM	MGR to SRM	OFF to MGR	CLK to OFF	SUBSTF to CLK	Total
General	4	11	30	52	116	126	193	35	567
Specialist	-	-	6	24	15	12	-	-	57
Total	4	11	36	76	131	138	193	35	624

Training & Human Resources Development: The Bank endeavored to provide training to 50% of its employees during the Financial Year 2018-19. With this in view, 378 programmes were conducted in General Banking & Computer knowledge at NIBSCOM Noida & STC Delhi. Locational Trainings were also conducted at Zonal Offices in various fields from 1st April 2018 to 31st March 2019, in which training was imparted to 8255 employees of different cadres. 145 Officers were imparted training at Apex Level institutions.

Specialization through Job Families: Bank has introduced specialization through Job families by identifying 7 job families in which options were sought from staff members. Identified and shortlisted staff members were imparted training and accordingly are being considered for placement.

MoU with Centre of Excellence (CoE): In an effort to empower and inclusion of Persons with Disabilities, Bank has executed MoU with Centre of Excellence (CoE), SBI Foundation- the CSR arm of the State Bank of India. With this initiative, Bank aims to institutionalize empowerment and inclusion of employees with disabilities along with the main stream. Bank will focus on aggregating the best practices and solutions so as to make a difference in the workplace for PwD by bringing in the new insights to the problems faced by them and thereby making a real impact at workplace. Employee engagement will be through capacity building and employee sensitization workshops.

E-Learning: In order to motivate and enrich job knowledge amongst all staff members, e-learning through online tests is being conducted in various banking fields. It focuses on practical aspects based on our Bank Circulars that shall be useful for all staffs working in field and controlling offices. The Bank has introduced E-Learning based Lessons with introduction of Online Knowledge Portal on Bank's Intranet website for e-knowledge transfer. Online Test are being conducted for all staff members pan India each month in various banking fields. Bank has successfully conducted twelve E-Learning Online Tests.

To encourage staff members to upgrade their professional skills, Bank has incentivized re-imbursements of the full course fee of 19 Certified and Diploma Courses offered by IIBF. Bank has also tied up with IIBF for e-learning material for JAIIB & CAIIB which has been placed on Bank's intranet under the head **"HRD Initiative: E-Learning"**.

Direct Recruitment: Bank has consistently looked to address the challenges of superannuation, business growth and expansion during financial year 2018-19. To meet this challenge, Bank has recruited 234 SWOs in Financial year 2018-19 and 20 Law Managers in MMGS II through Lateral recruitment.

Further, the Bank in order to prepare a middle and top line of executives who are specialized in their respective fields recruited one Chief Technology Officer (DGM) in TEGS VI and one Chief Manager- Economic Research in SMGS IV.

Industrial Relations: The Industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. The representatives from Workmen and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels and efforts were made to resolve the same. A Grievance Redressal Committee has been constituted as per the guidelines received from Ministry of Finance to redress the grievances raised by staff members. Proper monitoring of service matter cases pending in various courts/tribunals was done to safeguard Bank's interest. As a staff welfare measure, Bank provides holiday homes facilities at Amritsar, Katra, Mumbai and Haridwar.

Employment to Reserved Category Employees: Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for the development and welfare of persons belonging to SC, ST and Other Backward Classes of the society. The Bank observes all guidelines stipulated by the Govt. of India in respect of Reservation Policy for reservation of posts in recruitments/promotions wherever required.

बैंक में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मिकों के आरक्षण एवं अन्य प्रावधानों की निगरानी करने हेतु एक विशेष एससी/एसटी कक्ष की स्थापना की गई है। बैंक के एससी/एसटी कर्मिकों की सभी संबंधित मामलों में शिकायत निवारण के लिए तथा विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकारी जोकि महाप्रबंधक की रैंक का है, को मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है और महाप्रबंधक के पद पर एक कार्यकारी को ओबीसी कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो उन्हें संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए है। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महाप्रबंधक को मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में भी नामित किया है जो दिव्यांगों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। दिव्यांगों के लिए एक अलग नीति 05.04.2019 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रावधानों, 2016 और नियम 2017 के अनुसार सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में बनाई गई है।

दिनांक 31.03.2019 को अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मिकों की क्रमशः संख्या 1881 और 587 है। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के कर्मिक संख्या निम्न है:-

श्रेणी	अनु.जाति	अनु जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सेवाकर्मी	दिव्यांग
अधिकारी	1194	497	1405	50	143
लिपिक	560	75	570	192	43
अधीनस्थ स्टाफ	127	15	25	32	8
कुल	1881	587	2000	274	194

कार्मिक कल्याण: वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक की कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक पीएसबी जीवन सहारा, पीएसबी उज्ज्वल नेत्र योजना के रूप में लागू किया गया था।

दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि कार्य वातावरण दिव्यांगजन के खिलाफ किसी भी भेदभाव से मुक्त हो। इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यवाई करेगा कि दिव्यांगजन को एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए ताकि वे अपनी भूमिका निभा सकें और उस में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें।

हॉकी

हमारे बैंक की हॉकी टीम और जूनियर हॉकी अकादमी ने कई टूर्नामेंट में भाग लिया है। वर्ष 2018-19 के लिए प्रमुख प्रदर्शन इस प्रकार हैं:

- बैंक की हॉकी टीम ने बॉम्बे गोल्ड कप टूर्नामेंट में रनर अप का स्थान हासिल किया।
- बैंक की जूनियर हॉकी अकादमी ने नाभा, पटियाला में आयोजित लिबरल्स हॉकी टूर्नामेंट जीता है ।
- बैंक की जूनियर हॉकी अकादमी ने अमृतसर में आयोजित महाराजा रणजीत सिंह टूर्नामेंट में रनर अप का स्थान हासिल किया है।
- बैंक की जूनियर हॉकी अकादमी ने दशमेश हॉक्स हॉकी टूर्नामेंट में रनर अप का स्थान हासिल किया है ।
- बैंक की हॉकी टीम ने ग्वालियर में हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

सूचना प्रौद्योगिकी

वैकल्पिक वितरण प्रणाली

- ई-बैंकिंग में पासवर्ड जनरेशन का ऑटोमेशन / नए उपयोगकर्ताओं हेतु ई-बैंकिंग का ऑटोमेशन डाउनलोड एवं अपलोड । इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सुकन्या समृद्धि खातों को ऑनलाइन खोलने को लागू करना / ऑनलाइन जमा और नया खाता खोलने के लिए आवेदन करना। इंटरनेट बैंकिंग मॉड्यूल में मोबाइल बैंकिंग का पंजीकरण।
- वेबसाइट पर उपलब्ध कृषि ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन करें और ट्रैक करें। स्वयं सहायता समूह ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन करें और ट्रैक करें तथा लॉकर के लिए ऑनलाइन आवेदन करें एवं ट्रैक करें।

एस.एम.एस .सुविधा

- दो दिन की कालातीत अवधि के बाद अतिदेय ऋण की किश्त हेतु एस.एम.एस. और किश्त के अतिदेय होने के 13वें दिन अगला स्मरण एस.एम.एस ./ ब्याज की प्रविष्टि के अतिरिक्त, ग्राहक को ऋण खातों में जमा एवं नामें संबंधित दोनों प्रविष्टियों हेतु एस.एम.एस. प्राप्त होगा।
- सभी ग्राहकों को जिनका मोबाइल नंबर शाखा में पंजीकृत है ,जन्म-दिन शुभकामना संदेश प्रेषित करना।

Special cells for SC/ ST/ OBC has been set up in the Bank to monitor the Reservation and other for SC/ ST/ OBC employees. An executive in the rank of General Manager has been designated at Chief Liaison Officer for SC/ ST employees and one executive in the rank of General Manager has been designated at Chief Liaison Officer for OBC employees for ensuring compliance of various guidelines pertaining to them and redressal of their grievances. In addition to this in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and Rules 2017, the Bank has also nominated one General Manager as Chief Liaison Officer for Persons with Disabilities who will also act as Grievance Redressal Officer for PWD. A separate policy for PwD has been framed on 05.04.2019 in compliance with government guidelines in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and Rules 2017.

The staff strength of SC/ST employees stood at 1881 and 587 respectively on 31.03.2019. The staff strength under various reserved categories is as under:-

CATEGORY	SC	ST	OBC	EX-SM	PWD
OFFICERS	1194	497	1405	50	143
CLERKS	560	75	570	192	43
SUB-STAFF	127	15	25	32	8
TOTAL	1881	587	2000	274	194

Staff Welfare: During the financial year 2018-19, welfares schemes of the Bank were successfully implemented such as PSB Jeewan Sahara, PSB-Ujjwal Netra Scheme.

Equal Opportunity Policy for Divyangjan: In accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and Rules 2017, the Bank strives to ensure that the work environment is free from any discrimination against Divyangjan. Further, the Bank will take all actions to ensure that a conducive environment is provided to Divyangjan to enable them to perform their role and excel in the same.

Hockey

Our Bank's Hockey Team and Junior Hockey Academy has participated in a number of tournaments. The major performances are as under for the year 2018-19:

- Bank's Hockey Team has won secured Runners Up position in Bombay Gold Cup tournament
- Bank's Junior Hockey Academy has won the Liberals Hockey Tournament, held at Nabha, Patiala
- Bank's Junior Hockey Academy has secured Runner Up position in Maharaja Ranjit Singh Tournament held at Amritsar
- Bank's Junior Hockey Academy has secured runner up position in Dashmesh Hawks Hockey Tournament
- Bank's Hockey Team entered Semi-finals of Hockey India Senior National Hockey Championship in Gwalior.

INFORMATION TECHNOLOGY

Alternate Delivery Channels

- Automation of Password Generation in E-banking/ Automation of E-banking Download & upload for new users. Implementation of Online Opening of Sukanya Samridhi Accounts through Internet Banking / Online credit and applying for account opening. Registration of Mobile Banking in Internet Banking Module.
- On Line Applications available on website for Agriculture Loan Apply & Track, SHG Loan Apply & Track and Locker Online Apply & Check.

SMS facilities

- SMS for overdue Loan installment after two days of overdue date and the next reminder on 13th day of the installment overdue / Customer will receive SMS for both transactions debit & credit in Loan account except interest entry.
- Sending Birthday Greeting Message to all customers , whose mobile number is registered in Bank's branch.

- अंग्रेजी और हिंदी ,दोनों भाषाओं में लेन-देन के एस.एम.एस .भेजना।
- ग्राहकों को सावधि जमा के बन्द होने और परिपक्वता से पूर्व बन्द होने के समय एस.एम.एस .भेजना।
- ग्राहकों को एस.पी.जी.आर.एस .पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने पर शिकायतों के पंजीकरण होने के समय / शिकायतों के निराकरण के बाद एस.एम.एस .प्रेषित करना।

वरिष्ठ नागरिकों हेतु सुविधाएं

- वरिष्ठ नागरिकों को चैक बुक जारी करने के प्रभार की छूट ।
- पेंशनभोगी ,जिनका हमारे बैंक में बचत खाता है ,की पास-बुक के प्रथम पृष्ठ पर पी.पी.ओ .नंबर का उल्लेख करना।
- वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं देना।
- फिनेकल में नए कर स्लैब TXSCZ का कार्यान्वयन। (किसी एक वित्तीय वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों को रु. 50000/- तक भुगतान किए गए सावधि जमा के ब्याज (आवर्ती जमाओं /उपचय/ भुगतान किए गए ब्याज पर सिस्टम टीडीएस नहीं काटेगा) वरिष्ठ नागरिक योजना के अंतर्गत खोले गए सभी खातों की ग्राहक आईडी में वर्तमान कर स्लैब को परिवर्तित कर दिया गया है।

अन्य पहल

- के.सी.सी .खातों/ऋण खातों में अतिदेय ब्याज के स्वतः अद्यतन का कार्यान्वयन ।
- डिमांड ड्राफ्ट में क्रेता के नाम को मुद्रित करना।
- प्रतिष्ठित ग्राहकों को ई-मेल द्वारा ई-स्टेटमेंट।

सूचना प्रौद्योगिकी (सी.बी.एस.)

- सभी प्रकार के जमा खातों के नामांकन के लिए पावती जनरेट करने के लिए फिनेकल में एक नई रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है।
- प्र.का. केवाईसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार फिनेकल में परिचय फील्ड को वैकल्पिक बनाया गया है। प्र.का.केवाईसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार आधार कार्ड को वैकल्पिक रखा गया है। हमारे बैंक में सीकेवाईसी फंक्शनैलिटी का कार्यान्वयन।
- शाखा स्तर पर सभी नकद प्राप्तियों / नकद भुगतान / विनिमय के समय मूल्यवर्ग विवरण दर्ज करने के लिए फिनेकल में एक नया मेनू शुरू किया गया है।
- जब एक नाबालिग खाता धारक बालिग हो जाता है ,तो सिस्टम ऐसे खातों में किसी भी लेनदेन को निष्पादित करते समय शाखा उपयोगकर्ता के लिए एक चेतावनी देगा।
- फंड ट्रांसफर और सरल समायोजन प्रक्रिया के लिए एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस के प्रीमियम के विवरण में प्रवेश के लिए एक नये मेनू का कार्यान्वयन।
- मासिक आधार पर सास्कल) SASCAL (का निष्पादन।
- आधार सीडिंग, एस.एम.एस .पंजीकरण तथा मोबाईल पंजीकरण हेतु एकल मेनू का शुभारंभ ।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक में प्रत्येक स्तर पर सुपरिभाषित दायित्वों के साथ आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली है। यह आंतरिक लेखा परीक्षण निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग के माध्यम से परिचालित करती है। कार्यकारियों की लेखा परीक्षा समिति, जोकि प्रथम स्तरीय समिति है, निरीक्षण और लेखा परीक्षण कार्य देखती है।

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रणाली पहचान, नियंत्रण प्रबंधन जोखिमों की आंतरिक लेखा परीक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बैंक लेखा परीक्षण करता है जैसे जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण (आरबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षण (सीसीए) आईएस लेखा परीक्षण, प्रबंधन लेखा परीक्षण और निरीक्षण (एमएआई) और ऋण लेखा परीक्षण जिसके द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकताओं को कवर किया जाता है। बैंक की व्यवसायिक ईकाइयां/ कार्यालय जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण (आरबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षण (सीसीए) आईएस लेखा परीक्षण के अधीन है और प्रबंधन लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण के क्षेत्र में 25 आंचलिक कार्यालय एवं 37 प्रशासनिक कार्यालय आते हैं और नीतियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, के अतिरिक्त उसके निष्पादन की गुणवत्ता और रु. 3.00 करोड़ एवं उससे अधिक के ऋण जोखिम बाह्य सनदी लेखाकारों के लेखा परीक्षण के अधीन आते हैं। बैंक पंजीकृत कानूनी सलाहकारों के माध्यम से लीगल लेखा परीक्षण करता है। निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग के पास विशेष कक्ष है जो आंकड़ों की निगरानी ऑफसाइट निगरानी यूनिट (ओ.एम.यू.) द्वारा करता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक की 1042 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया, 429 शाखाओं/कार्यालयों को समवर्ती लेखा परीक्षण प्रणाली के अधीन लाया गया, 126 शाखाओं/कार्यालयों में सूचना प्रणाली लेखा परीक्षण किया गया और समवर्ती लेखाकारों/ लेखाकार फर्मों एवं आंतरिक स्टाफ की सेवाएं लेते हुए 904 शाखाओं के राजस्व लेखा परीक्षण किए गए।

- Sending transactional SMS both in English as well as in Hindi.
- SMS to customer at the time of closer & pre Mature closer of FDR.
- SMS to customer registering complaints through SPGRS portal at the time of registration of complaints / after closer of the complaints.

Facilities for Senior Citizens

- Waiver of Cheque Book issue charges to Senior Citizens.
- Display of PPO Number on the front page of the passbook of pensioners having saving account with our Bank.
- Implementation of Door Step Banking Services for Senior Citizens and differently abled persons .
- Implementation of New tax slab **TXSCZ** has been created in finacle. System will not deduct TDS on interest on FDR (including Recurring Deposits Credited/ Accrued/ Paid upto Rs.50000/ to senior citizen for a particular financial year). Existing tax slab has been changed in Cust ID for all accounts opened under the Senior Citizen Schemes.

Others initiatives

- Implementation of Auto Updation of Overdue interest in KCC account / Loan accounts.
- Printing of purchaser name in Demand Draft.
- E- Statement to Valuable Customer through Email.

Information Technology (CBS)

- A new report made available in Finacle for generating Acknowledgement for Nomination of all kind of deposit accounts.
- Introduction field made optional in Finacle as per HO KYC guidelines. **Aadhaar Card made optional in finacle as per HO KYC guidelines.** Implementation Of CKYC functionality in our Bank.
- A new menu has been deployed in Finacle for entering denomination details at the time of all Cash Receipts/ Cash Payments/ Exchange at branch level.
- When a Minor Account Holder turns into Major, system will raise an alert to the branch user while executing any transactions in such accounts.
- Implementation of A new menu for entering the premium details of SBI Life Insurance in order to facilitate fund transfer and smooth reconciliation process.
- Execution of SASCAL on monthly basis.
- Introduction of Single Menu for AADHAAR SEEDING , SMS REGISTRATION and MOBILE REGISTRATION.

INTERNAL CONTROLS

The Bank has in-built control systems with well-defined responsibilities at each level. It conducts internal audit through its Inspection & Audit Department. Audit Committee of Executives, being first tier Committee oversees the Inspection & Audit function.

The inspection & audit system plays an important role in identification, control and management risks through internal audit functions. The Bank carries out audits-like Risk Based Internal Audit (RBIA), Concurrent Audit (CCA), IS Audit, Management Audit & Inspection (MAI) and Credit Audit through which different facets of Internal Audit requirements are covered. The Bank's business units/offices are subjected to RBIA, CCA & IS Audit and Bank's Management Audit & Inspection covers 25 Zonal Offices & 37 Administrative Offices and examines policies and procedures, besides quality of execution thereof and credit exposures of Rs. 3.00 crore & above are subjected to Credit Audit by external Auditors. The Bank conducts the legal audit through empaneled legal advisors. The Inspection and Audit Department has special cell for monitoring data through Offsite Monitoring Unit (OMU).

During FY 2018-19, Risk Based Internal Audit was concluded in 1042 branches of the Bank, 429 branches/offices were brought under Concurrent audit system, Information System Audit was conducted in 126 branches/offices and 904 Branches were subjected to Revenue audit by engaging services of CAs/CA firms and internal staff.

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग लोक उत्पीड़न/शिकायतों के निवारण की निगरानी करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 9213 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 0 शिकायतें निवारण हेतु प्रक्रिया में है। बैंकिंग लोकपाल ने वर्ष के दौरान बैंक के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं दिया।

बैंक के निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग को सारांशित करने के लिए अपने बोर्ड, नियामक और भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रणाली और प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभावी रूप से निगरानी कर रहा है।

अनुपालन कार्य

अनुपालन विभाग मुख्य अनुपालन अधिकारी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति के अनुसार अनुपालन विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अनुपालन विभाग संबंधित व्यावसायिक विभागों को नियामक दिशानिर्देशों का प्रसार करता है और बोर्ड / एसीबी के समक्ष उनके अनुपालन की स्थिति रखता है। अनुपालन विभाग स्व-प्रमाणन और अनुपालन परीक्षण के माध्यम से विभिन्न विनियामक / वैधानिक दिशानिर्देशों और कोडों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, आरबीआई एसएसएम टीम ने 11 जून से 06 अगस्त, 2018 तक पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए ऑन-साइट निरीक्षण किया, 31.03.2018 को जोखिम मूल्यांकन योजना (आरएमपी) के साथ जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) प्रस्तुत की गई। जोखिम अल्पीकरण योजना (RMP) को लागू करने के लिए बैंक SSM, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ समन्वय में काम कर रहा है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने SWIFT से संबंधित परिचालन नियंत्रणों पर RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक पर 1 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।

जन संपर्क

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से अपनी छवि बनाने के लिए बैंक ने एक मल्टी-मीडिया रणनीति अपनाई। प्रचार बजट और इसके उपयोग को स्थानीय क्षेत्र की व्यावसायिक क्षमता के आधार पर प्रचार के साधनों को सही और प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्णय लेने के लिए आंचलिक अध्यक्ष को सशक्त बनाने व अपने विवेकाधीन शक्तियों के तहत मंजूरी देने के लिए विकेन्द्रीकृत किया गया था।

बैंक ने उच्च प्रचारित मूल्य के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रायोजित / सह-प्रायोजित किया, जैसा कि नीचे दिया गया है

- स्टेट्समैन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित विंटेज एंड क्लासिक कार रैली 2019 |
- मुंबई में आयोजित 4 वीं वैश्विक सेवाओं 2018 पर प्रदर्शनी |
- इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक संघ का वार्षिक सम्मेलन।
- इंदिरा गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित TEDx कार्यक्रम |
- दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पर सम्मेलन |
- एसजीटीबी खालसा कॉलेज द्वारा आयोजित गुरु नानक के दर्शन और विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
- जालंधर में आयोजित सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट |
- पी एण्ड एसबी महाराजा रणजीत सिंह हॉकी टूर्नामेंट अमृतसर में आयोजित हुआ। विभाग द्वारा की गई पहल पर, टूर्नामेंट का शीर्षक बदल दिया गया और बैंक का नाम शीर्षक के आगे जोड़ दिया गया |
- बैंक ने अपने पारंपरिक वॉल कैलेंडर 2019 के मुख्य विषय श्री गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती के माध्यम से भी व्यापक प्रचार प्राप्त किया।
- बैंक के बड़े ग्राहकों और जनता को बधाई देने के लिए, श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव और लोहड़ी / मकर संक्रांति / बिहू / पोंगल त्योहारों के अवसर पर भारत के प्रमुख अखबारों में बधाई विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।
- आंचलिक स्तर पर, बैंक का प्रचार-प्रसार कोलकाता में बसों, मेट्रो स्टेशनों और खाला स्थानों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, पंजाब के विभिन्न स्थानों पर, मुख्यतया: लुधियाना, संगरूर, पटियाला, अमृतसर, जालंधर, और बठिंडा के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डों में बैंक के ऑडियो-विजुअल को भी प्रदर्शित किया गया। बैंक के विज्ञापनों को टी.वी. चैनलों तथा एफएम रेडियो पर भी प्रसारित किया गया। आउटडोर मीडिया प्रचार-प्रसार हेतु जम्मू हवाई अड्डे के प्रस्थान स्थल पर और चण्डीगढ़ के सैक्टर 41, 42 तथा 37 में बैंक का होर्डिंगों को लगाया गया है।

The Inspection & Audit Department is monitoring redressal of public grievances/complaints. During FY 2018-19, 9213 complaints were received of which Nil complains are in process for redressal. The Banking ombudsman no awards was passed against the Bank during the year.

To summarize Bank's Inspection & Audit Department has been effectively monitoring the compliance of the system & procedures laid down by its own Board, the Regulator and Government of India.

COMPLIANCE FUNCTION

Compliance Department is working under the guidance and supervision of Chief Compliance Officer. The independent Compliance Department works as per Board approved Compliance Policy. Compliance Department disseminates the regulatory guidelines to respective business departments and places the status of compliance before Board/ ACB. Compliance Department ensures the compliance of various regulatory/statutory guidelines & codes by the way of self-certification and compliance testing.

During the FY 2018-19, RBI SSM team conducted on-site Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) from June 11 to August 06, 2018, submitted it's Risk Assessment Report (RAR) as on 31.03.2018 along with Risk Mitigation Plan (RMP). Bank is working in co-ordination with the SSM, Reserve Bank of India (RBI) to implement the Risk Mitigation Plan (RMP).

During the FY 2018-19, RBI imposed monetary penalty of Rs. 1 crore on bank for non-compliance of RBI's directions on SWIFT related operational controls.

PUBLIC RELATION AND PUBLICITY

During the financial year 2018-19, the Bank adopted a multi-media strategy to build up its image in public at corporate and regional level. The publicity budget and its utilization was decentralized empowering the Zonal Heads to decide the means of the publicity depending upon the business potential of the local area, to sanction the deserving cases under their discretionary powers for proper and effective control.

The Bank sponsored various events of high publicity value, as under:-

- The Statesman Vintage and Classic Car Rally 2019 held in New Delhi.
- 4th Global Exhibition on Services 2018 held in Mumbai.
- Annual Conference of Indian Economic Association organized by Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi.
- TEDx event organized by Indira Gandhi Technical University, New Delhi.
- Convention on Transforming India organized by Department of Commerce, Delhi School of Economics.
- International Conference on Guru Nanak's philosophy and legacy organized by SGTB Khalsa College.
- Surjit Hockey Tournament held in Jalandhar.
- P&SB Maharaja Ranjit Singh Hockey Tournament held in Amritsar. On initiative taken by the Department, the title of above tournament was changed and Bank's name was prefixed to the title.
- The Bank also received immense publicity through its traditional Wall Calander 2019 on the theme 550th Birth Anniversary of Sh. Guru Nanak Dev Ji.
- (j) To felicitate Bank's large clientele and the public, greetings ad was published in leading newspapers of India on the occasion of Prakash Utsav of Shri Guru Nanak Dev Ji and Lohri/Makar Sankranti/Bihu/Pongal festivals.
- (k) **At zonal level**, Bank's branding was also done across buses, metro stations and ferry vessel, in Kolkata. Besides, Bank's audio-visual advertisement was also displayed at Interstate Bus Stand at various places of Punjab, namely, Ludhiana, Sangrur, Patiala, Amritsar, Jalandhar, and Bathinda. Bank's advertisement was also broadcasted in TV Channels and FM Radio. Resorting to outdoor media publicity, Bank's hoarding was put up at departure lounge of Jammu Airport and Round about at Chandigarh Sector 41, 42 and 37.

सतर्कता विभाग

निवारक सतर्कता

हमारा केंद्र-बिंदु बैंकिंग लेन-देन और बैंक के समग्र कार्यों में पारदर्शिता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है। हम नियमित रूप से बैंक के सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमेशा सतर्क रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाई के मामलों की शुरुआत के लिए समय में कटौती करने के प्रयास के साथ समय-समय पर आवश्यक निर्देश / दिशानिर्देश प्रसारित किए गए हैं। अंतर्निहित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करने, नीतियों को तैयार करने और संशोधित करने और सभी स्तरों पर नैतिक बैंकिंग की आवश्यकता पर जोर देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्य सतर्कता अधिकारी और अन्य शीर्ष स्तर के अधिकारियों के बीच सुझावों / विचारों का बार-बार आदान-प्रदान हुआ है। संस्थान में सभी स्तरों पर संदेश को फैलाने का प्रयास किया गया है।

हमारी निवारक सतर्कता रणनीति के अनुरूप, सतर्कता अधिकारियों (VOs) को विभिन्न आंचलिक कार्यालयों में नियुक्त किया गया है। शाखाओं के औचक दौरे के अलावा, वे सम्बंधित आंचलिक कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन शाखाओं में नॉमिनल खातों, विभिन्न कार्यालय खातों और स्टाफ खातों में किसी भी अनाधिकृत / असामान्य लेनदेन की जांच कर रहे हैं, जो बाद में व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने का भी हमारा प्रयास रहा है कि हितधारकों की सभी शिकायतों का बैंक द्वारा तुरंत निवारण किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि प्राप्त शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए निवारण किया जाए। बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति को सार्वजनिक करने और लोकप्रिय बनाने को उचित महत्व दिया जा रहा है।

निवारक सतर्कता उपाय के रूप में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के विभिन्न संदर्भों को ध्यान में रखा गया है और प्र.का. मा.सं.वि विभाग को इनपुट प्रदान किए गए हैं, जिसके आधार पर प्र.का. मा.सं.वि विभाग ने काम करनेवाले अधिकारियों के हितलाभ के लिए विभिन्न परिपत्र / दिशानिर्देश जारी किए हैं।

व्यवस्था और प्रक्रियाओं में सुधार के तरीकों पर चर्चा करने के लिए सामान्य प्रशासन, आईटी, विधि एवं वसूली, ऋण निगरानी आदि जैसे अन्य विभागों के साथ संपर्क और समन्वय बनाए रखा जाता है।

सतर्कता विभाग के नियंत्रण क्षेत्र में काम कर रहे सतर्कता अधिकारियों द्वारा देखी गई/ दी गई टिप्पणियों के आधार पर निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार लागू किए गए हैं-

- 1) विविध खाते: विविध लेनदारों के खाते से प्रविष्टियों का उत्क्रमण प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि लेन-देन की राशि एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो सिस्टम शाखाओं में किसी भी प्रविष्टि को डेबिट करने की अनुमति नहीं देता है। ऐसे मामलों में जहां राशि निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, सक्षम प्राधिकारी से सहमति / अनुमति आवश्यक है।
- 2) प्रोक्सी खाते: प्रॉक्सी खातों का उपयोग, इसके दुरुपयोग को मिटाने के लिए सीमित कर दिया गया है।
- 3) आवर्ती जमा (RD) खाते: फिनाकल में उचित प्रवाह आईडी के माध्यम से आवर्ती जमा खातों को बंद करना लागू किया गया है। शाखा के डे-एंड के दौरान शून्य शेष आवर्ती जमा खाते स्वचालित रूप से बैकएंड पर बंद हो जाते हैं।

बैंक ने वर्ष 2018-19 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह को इस वर्ष के केंद्रीय विषय "भ्रष्टाचार मिटाओ - नया भारत बनाओ" के साथ 29.10.2018 से 03.11.2018 तक सच्ची भावना से मनाया।

इस अवधि के दौरान, बैंक ने बड़े पैमाने पर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करके देश भर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। सप्ताह के दौरान, 220 ग्राम सभाएं, स्कूलों में 521 कार्यक्रम, कॉलेजों में 100 कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाद-विवाद, एलोक्यूशन, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, रैलियां, सेमिनार / कार्यशालाएं, वॉक्थॉन, साइक्लोथॉन, रोड शो, मोबाइल वैन के माध्यम से जागरूकता, स्वास्थ्य शिविर, पम्फलेट्स / बैनरों का वितरण, जर्नल / न्यूजलेटर का मुद्रा, नारा प्रतियोगिता, निबंध लेखन सहित कई अन्य गतिविधियाँ प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। समाज की प्रख्यात हस्तियों ने बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई। बैंक के स्टाफ सदस्यों / बैंक के ग्राहकों / आम जनता को बैंक की वेब साइट पर प्रदान किए गए यूआरएल के माध्यम से ई-प्रतिज्ञा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में 15000 से अधिक लोगो ने भाग लिया और ई-प्लेज सुविधा का लाभ उठाया।

मुख्य समारोह 01.11.2018 को रोहिणी, दिल्ली के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में आयोजित किया गया। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. हरिशंकर और कार्यकारी निदेशकों ने इस अवसर की सराहना की और 300 से अधिक प्रतिभागियों, जिसमें मुख्य रूप से नागरिक, स्कूली छात्र और बैंक अधिकारी शामिल थे, की सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान, सतर्कता नियमावली का अद्यतन संस्करण भी जारी किया गया।

VIGILANCE

PREVENTIVE VIGILANCE

Our focus is to achieve highest level of transparency in transactions and overall operations of the Bank. We have been regularly sensitizing all employees of the Bank to ever remain vigilant while carrying out their duties. Necessary instructions/guidelines have been circulated from time to time with an endeavor to cut down the time taken for initiation of Disciplinary action cases. Frequent exchange of ideas/opinions have taken place between CVO and other Top level Executives focusing on steps to be taken for adhering to underlying systems and procedures, framing and revising policies and emphasizing the need for ethical banking at all levels. Efforts have been made to percolate the message at all levels in the Institution.

As part of our preventive vigilance strategy, Vigilance Officers (VOs) have been posted at various Zonal Offices. Besides undertaking surprise field visits they are also scrutinizing transactions offsite in Nominal Head accounts, various Office accounts and Staff accounts at branches under the jurisdiction of concerned Zonal Office to check for any unauthorized / abnormal transactions which can have wider implications later.

It has also been our endeavor to ensure that all grievances of stakeholders are promptly redressed by the Bank and steps have been taken to ensure that the complaints received are redressed to the satisfaction of complainant. Due importance is being given to publicize and make popular the Whistle Blower Policy of the Bank.

As preventive vigilance measure, various CVC references have been taken into consideration and the inputs were provided to HO HRD Department, based on which the HO HRD Department has issued various circulars / guidelines for the benefit of operating functionaries.

Close interaction and coordination is maintained with other Departments also like General Administration, IT, Law & Recovery, Credit Monitoring etc. to discuss ways to improve systems and procedures.

Following Systemic improvements have been implemented on the basis of observations made / feedback given by vigilance officers who are working in the field under control of Vigilance department:

- 1) Sundry accounts: Reversal of entries from Sundry Creditors Account has been restricted. Now the system does not permit branches to debit any entry in Sundry Creditors account if the transaction amount is more than a specified limit. In cases where the amount exceeds the specified limits, consent / permission from competent authority is required.
- 2) Proxy accounts: Usage of proxy accounts has been limited to evade its mistreatment.
- 3) Recurring Deposit (RD) accounts: Closure of RD accounts through proper flow ID has been implemented in Finacle. Zero balance RD accounts are automatically closed at backend during end of the day.

The Bank observed Vigilance Awareness Week in the year 2018-19 with this year's central theme "Eradicate Corruption – Build a New India" from 29.10.2018 to 03.11.2018 in true spirit.

During this period, the Bank has organized various programmes at different locations across the country by including participation of general public at large. During the week, 220 Gram Sabhas, 521 programmes in the schools, 100 programmes in the colleges were held. Various other activities including -Debates, Elocution, Quiz programmes, Rallies, Seminars / Workshops, Walkathons, Cyclothons, Road shows, Awareness through Mobile Vans, health camps, Distribution of Pamphlets/Banners, Issue of Journal/ Newsletter, Slogan Competition, Essay Writing Competition etc. were organized. These programmes were graced by eminent personalities of the society. The staff members / customers of the Bank/ general public were encouraged to have E-Pledge through URL provided on Bank's web site, which resulted in participation of more than 15000 people and availed E-Pledge facility across the nation.

The main function was held at Staff Training College, Rohini, Delhi on 01.11.2018. The MD & CEO Sh. S. Harisankar and Executive Directors graced the occasion and addressed the gathering of more than 300 participants, mainly consisting of citizens, school students and Bank Officers. During the programme, latest updated version of Vigilance Manual was also released.

दंडात्मक सतर्कता

अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित मामलों को कम करने के लिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डीए) / नियंत्रकों की सक्रिय भागीदारी और माननीय सीबीसी के समन्वय के साथ, विशेष प्रयास किए गए हैं।

6 महीने से अधिक लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाई सम्बंधित पूछताछ के मामलों को कम करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किए गए।, अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों को जल्दी से निपटाने का भी प्रयास किया गया ताकि संगठन में मजबूत संदेश जाए कि “गलत काम और गलत इरादे से गंभीर रूप से निपटा जाएगा”।

अनुशासनात्मक मामलों पर निवारक सतर्कता और कौशल बढ़ाने व कार्य के ज्ञान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को विशेष महत्व दिया जाता है।

सुरक्षा

बैंक की संस्थागत संरचना के अंतर्गत बैंक का एक सुस्थापित सुरक्षा कवच है। प्र.का. सुरक्षा विभाग सभी मुद्रा पेटिकाओं और शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है तथा तदनुसार सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत बना रहा है ताकि प्रभावी, नई एवं अभेद्य सुरक्षा प्रणाली द्वारा वर्तमान सुरक्षा की चुनौतियों से निपटा जा सके। भा.रि. बैंक/भारतीय बैंक संघ के दिशा-निर्देशों के अनुसार लगभग सभी शाखाओं में सभी आवश्यक एवं अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है।

आंचलिक सुरक्षा अधिकारी प्रचलन में सुरक्षा व्यवस्थाओं का आंकलन करने के लिए शाखाओं का आवधिक सुरक्षा परीक्षण करते हैं और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अतिरिक्त निरोधात्मक सुरक्षा उपायों को लागू करने की अनुशंसा करते हैं। वे प्रशासनिक और कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों के साथ नजदीकी संबंध बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा प्रधान कार्यालय के अन्य अधिकारीगण भी मुद्रा पेटिकाओं के सुरक्षा परीक्षण कर रहे हैं और बैंक की अति संवेदनशील शाखाओं का औचक दौरा भी कर रहे हैं।

भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक की सभी मुद्रा पेटिकाओं में अधिगम (Access) नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया गया है। मुद्रा पेटिका के स्ट्रांग कक्ष तक पहुँच (एक्सेस) को नियंत्रित करने हेतु एक उचित प्रणाली तथा पेटिका के वाल्ट कक्ष में प्रवेश/निकास संबंधी प्रविष्टि के उचित अभिलेखों का रखरखाव किया जा रहा है।

सभी शाखाओं और मुद्रा पेटिकाओं में सुरक्षा अलार्म प्रणाली स्थापित है। अधिकांश शाखाओं में भा.रि. बैंक के विनिर्दिष्टों के अनुरूप स्ट्रांग कक्ष उपलब्ध कराए गए हैं।

बैंक की कुल 12 (बारह) मुद्रा पेटिकाएँ हैं और सभी को राज्य के पुलिस गार्डों द्वारा अभिरक्षा प्रदान की जा रही है। कम जोखिम वाली शाखाओं को छोड़कर बैंक की सभी शाखाओं में सशस्त्र गार्ड प्रदान की गई हैं।

सभी सुरक्षा अधिकारियों को वर्ष में एक बार सुरक्षा पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

खतरे की चेतावनी, नकदी की मात्रा, मूल्यवान वस्तुओं और निरंतर नगरानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सभी मुद्रा पेटिकाओं, शाखाओं और ए.टी.एम. में सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।

राजभाषा कार्यान्वयन:

वर्ष 2018-19 राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से उपलब्धियों भरा वर्ष रहा। इस वर्ष हमारे बैंक को क क्षेत्र के लिए राजभाषा का सर्वोच्च पुरस्कार (कीर्ति शिल्ड (द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार कार्यकारी निदेशक डॉ.फरीद अहमद जी ने माननीय उप राष्ट्रपति महोदय श्री एन. वेंकेया नायडू जी के कर कमलों से दिनांक 14.09.2018 को विज्ञान भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्राप्त किया। इसके साथ ही बैंक की हिंदी पत्रिका ‘राजभाषा अंकुर को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक से प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार कार्यकारी निदेशक श्री गोविंद एन. डोंगे जी ने भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री वी.वी.आचार्य के करकमलों से प्राप्त किया। राजभाषा अंकुर पत्रिका को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिल्ली बैंक नराकास द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न अंतरबैंक प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक को कुल 17 पुरस्कार प्राप्त हुए जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा हिंदी में बेहतर काम करने के लिए बैंक को पटियाला, सूरत, जोधपुर, फरीदाबाद, करनाल, इटारसी, लुधियाना, दिल्ली तथा ग्वालियर में भी संबंधित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। मध्य प्रदेश राजभाषा प्रचार समिति, भोपाल द्वारा आंचलिक कार्यालय में कार्यरत श्री जी.वी.रमन(तेलुगु भाषी) को पुरस्कार प्राप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार-प्रसार में आशातीत प्रगति की गई। हिंदी को अनुवाद के कटघरे से बाहर निकालकर राजभाषा कार्यान्वयन को परियोजना कार्यान्वयन के सिद्धांतों के आधार पर प्रचलित और प्रसारित किया गया। कुल 83 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 1464 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 446 शाखाओं में आयोजित डैस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1693 कर्मिकों को हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर पर यूनिकोड प्रशिक्षण भी दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से कुल 416 शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण किए गए।

PUNITIVE VIGILANCE

Special efforts have been made to reduce the pendency of disciplinary action cases, with the active involvement of the Disciplinary Authorities (DAs) / Controllers and with coordination with the Hon'ble CVC.

Earnest efforts are made to bring down the pendency of enquiries of more than 6 months. Efforts are also made to conclude Disciplinary action cases quickly to convey strong message in the Organization that wrong doing and malafide intent will be dealt with severely.

Special emphasis is laid on conducting training programmes on preventive vigilance and enhancement of skills and job knowledge on Disciplinary matters.

SECURITY

The Bank has a well established Security set-up within the Bank's organizational structure. The H.O. Security department has been regularly reviewing the security arrangements at all Currency Chests and branches and accordingly strengthening the security arrangements to meet prevailing security scenario with effective, modern and unobstructed Security Systems. All the essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/ IBA guidelines are provided at almost all branches.

The Zonal Security Officers periodically carry-out Security audit of branches to assess the security arrangements in vogue and recommend implementation of additional preventive security measures wherever desired. They maintain close liaison with the law enforcing and administrative authorities. Besides, the Chief Security Officer and other officials from Head Office are also carrying out the security audit of the Currency Chests and also undertake random visits of the vulnerable branches of the Bank.

The Access Control System at all Currency Chests of the Bank has been strengthened in terms of RBI guidelines. A proper system of regulating access to Currency Chest Strong Rooms and proper records of entry into / exit from the Vault Room of the chest is being maintained.

Security Alarm Systems are installed at all branches and currency chests. Strong Room conforming to RBI specification are provided at majority of branches.

The Bank has a total of 12 (twelve) currency chests and all of them are being guarded by the State Police guards. All branches of the Bank except the low risk branches are provided with armed guards.

All the Security Officers undergo refresher training on security, once in a year.

Keeping in view the threat perception, volume of cash and valuables handled and need for continuous surveillance, CCTV Surveillance System have been installed at all the Currency chests, Branches & ATMS.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The year 2018-19 was a year of achievements in view of implementation of official language. This year, our bank received the highest award Kirti Shield (second prize) for implementation of official language in A region. On 14.09.2018 at Vigyan Bhawan in the grand ceremony, our bank's Executive Director, Dr. Fareed Ahmed Ji received the award from Hon'ble Deputy President Shri N. Venkaiyya Naidu Ji. In addition to this, the bank's Hindi magazine 'Rajbhasha Ankur' was awarded an incentive award from Reserve Bank of India at national level. This award was given by Deputy Governor of RBI, Mr. V. V. Acharya Ji to Executive Director of our bank Mr. Govind N. Dongre Ji. Simultaneously, the bank's Hindi magazine 'Rajbhasha Ankur' was awarded second prize by Delhi Bank Nagar Official Language Implementation Committee. During the year, our bank received a total no. of 17 awards in different interbank competitions organized by different banks under Delhi Bank Nagar Official Language Implementation Committee, is a record. Besides this, Bank was also awarded Rajbhasha Shields in Patiala, Surat, Jodhpur, Faridabad, Karnal, Itarsi, Ludhiana, Delhi and Gwalior by respective Town Official Language Implementation Committees for better Implementation of Official Language in banking sector. Mr. G.V. Raman (Telugu speaking) working in the Zonal Office, Bhopal awarded by Madhya Pradesh National Language Publicity Committee, Bhopal.

During the financial year 2018-19, Bank made significant progress in implementation of official language Policy of Govt. of India for promoting and propagating the use of Official Language in the Bank. The implementation of official language was prevalent and extended on the basis of the principles of project implementation by taking out Hindi from the balustrade of translation. A total of **83** workshops were organized, in which **1464** staff members were trained. Besides this, in **446** Hindi Desk Training Programmes, **1693** staff members were imparted training for using official language and Unicode training on Computers. With the aim of reviewing the progress of Official Language, inspections were conducted in **416** Branches / offices.

वित्तीय वर्ष 2018-19 की विशेष उपलब्धि यह भी रही है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से अंकुर पत्रिका के रचनाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में आशातीत वृद्धि की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रधान कार्यालय में हिंदी दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता स्टाफ-सदस्यों को आकर्षक नकद पुरस्कार दिए गए।

समान्य प्रशासन विभाग

- प्रधान कार्यालय 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली के सभी 8 फ्लोर और बिल्डिंग के बेसमेंट का नवीनीकरण और साज-सज्जा का कार्य पूरा किया।
- पिछले 29 वर्षों से सफदरजंग एन्क्लेव में बैंक के स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए मदन एंड को के विरुद्ध डीड टाइटल हमने जीत लिया है। डीडए द्वारा लीज डीड को बैंक के पक्ष में पंजीकृत किया गया है।
- बैंक ने डीडए के खिलाफ उस मामले में सफलतापूर्वक 2.9 करोड़ रुपये की बचत की, जहां डीडए ने रोहिणी में बैंकों के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के निर्माण के लिए विस्तार शुल्क के रूप में 3.20 करोड़ का दावा किया था। अदालत के आदेश के अनुसार बैंक ने केवल 30 लाख रुपये का भुगतान किया।
- बैंक ने पूरे देश में शाखाओं हेतु नोट छँटाई मशीन के लिए 675 नं. 1 + 1 की खरीद के लिए विक्रेताओं के पैनल हेतु सफलतापूर्वक टेंडर पूरा किया।
- बैंक ने अपने सुधार एजेंडा के अंतर्गत अनुपयोगी गैर-प्रमुख संपत्तियों की सफलतापूर्वक बिक्री पूरी की है :
 - i) मुंबई में 11 फ्लैट, कुल 8.91 करोड़ रुपये में।
 - ii) सनजौली में वाणिज्यिक संपत्ति 1 करोड़ रुपये में।
- शाखाओं का परिवेश बैठने की उचित सुविधा, साफ सुथरा वातावरण, साफ-सफाई, उचित सफेदी और पेंटिंग इत्यादि सहित ग्राहक सेवा क्षेत्र के लिए रमणीय वातावरण हेतु आंचलिक कार्यालयों/शाखाओं को शाखा परिवेश मानकीकरण मैनुअल -2018 परिचालित किया गया है। बैंक ने जनता को बुनियादी ग्राहक सुविधाएं जैसे स्वच्छ शौचालय तक पहुंच और अच्छी स्वच्छता के साथ सुरक्षित पेयजल प्रदान की हैं।
- बैंक ने कुल 1201 एटीएम में से 1048 एटीएम पर रैंप की सुविधा प्रदान की है। 6 एटीएम में रैंप का निर्माण प्रगति पर है। शेष 147 एटीएम में विभिन्न कारणों जैसे ऊपरी भू/प्रथम तल पर स्थित एटीएम, स्टेटर ढलान, अपर्याप्त स्थान, स्थानीय प्राधिकारी से आपत्ति आदि कारणों से रैंप बनाना संभव नहीं हैं।

शिकायतों का समाधान

जनता की शिकायतों को बैंक के तीन स्तरों यानी शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय में नियंत्रित किया जाता है। इनमें से किसी भी कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है, समय-सीमा के भीतर शिकायतक का निवारण कर शिकायतकर्ताओं को जबाब दिया जाता है।

इसके बाद, प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग, जो सार्वजनिक शिकायतों के लिए एक नोडल कार्यालय है, लोक शिकायत और बैंकिंग लोकपाल के साथ शिकायतों के बारे में दिशानिर्देश और परिचालन निर्देश जारी करता है। बैंकिंग लोकपाल शिकायतों से निपटने के लिए 7 नोडल कार्यालय हैं। आंचलिक कार्यालय निम्न हैं दिल्ली 1, चंडीगढ़, मुंबई, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ।

बैंक के स्वयं के डिज़ाइन किए गए एसपीजीआरएस पोर्टल के अलावा, सीपीजीआरएएमएस (वित्त मंत्रालय) और आईएनजीआरएएम (उपभोक्ता मामले मंत्रालय) विभाग के दो अन्य पोर्टल्स का उपयोग जन शिकायतों की प्राप्ति और बाद में निवारण / समाधान करने की रिपोर्ट के लिए कर रहा है।

समय-सीमा

प्र.का. निरीक्षण विभाग द्वारा शाखा कार्यालय/आंचलिक कार्यालय/प्रधान कार्यालय के विभागों से संबंधित प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों पर कारवा की जाती है। सौंपे गए दायित्व के बाद, प्रणाली शाखा कार्यालय/आंचलिक कार्यालय/प्रधान कार्यालय के विभागों को 10 दिन का समय शिकायत के निवारण हेतु देती है। 11वें दिन की समाप्ति पर, यदि शिकायत अनसुलझी रहती है, यह शाखाओं के संबंध में आंचलिक कार्यालयों को तथा आंचलिक कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालयों से संबंधित विभागों की शिकायतों को प्र.का. निरीक्षण विभाग को स्वतः भेज देती है।

टीएटी टाइम

शिकायतों के निवारण के लिए टीएटी हर वित्तीय वर्ष में शिकायतों के मूल कारण विश्लेषण के कारण कम करने की ओर है। शिकायत निवारण प्रणाली उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में की गई शिकायतों / शिकायतों के एबीसी विश्लेषण के कारण लगातार सुधार कर रही है।

From financial year 2018-19, the honorarium amount given to the writers for writing in Rajbhasha Ankur Magazine has been enhanced. And, at Head office level, attractive cash prizes were also given to the winners participated in different competitions.

General Administration Department

- Completed the Furnishing and renovation work of all 8 Floors and Basement of HO building at 21, Rajendra Place, New Delhi.
- Won the title deed case which was pending since 29 years against Madan and Co. for Bank owned property at Safdarjung Enclave. Lease deed has been registered in favor of the Bank by DDA.
- Bank successfully saved Rs 2.9 crore against DDA in a case where DDA claimed 3.20 crore as composition fee for Extension of Time charges for construction of Banks' Staff Training college at Rohini. As per court order bank paid Rs.30 lacs only.
- Successfully completed the tender for Empanelment of vendors for procurement of 675 No.s 1+1 Pocket Note Sorting Machine for Branches all over the country.
- Successfully completed the sale of following unutilized non-core assets of Bank under Reform Agenda:
 - i) 11 No.s Flats at Mumbai for Total Rs.8.91 crore.
 - ii) Commercial property at Sanjaouli for Rs.1 crore.
- Branch Ambience Standardization Manual-2018 has been circulated to Zonal Offices/Branches to have pleasing ambience of customer service area, with proper seating, uncluttered surroundings, cleanliness, proper whitewashing and painting, etc. Bank has provided Basic customer amenities to public such as access to clean toilets and safe drinking water with good hygiene.
- Bank has provided the Ramp facility in 1048 ATMs out of Total 1201 ATMs. Construction of ramps in 6 ATMs is under progress. Ramps are not feasible in remaining 147 ATMs due to various reasons like ATM located at Upper Ground/1st Floor, steeper slope, insufficient space, objection from local authority etc.

HANDLING OF COMPLAINTS

The public grievances are handled at three levels in the Bank i.e. Branch, Zonal Office and Head Office. Complaints received at any of these Offices is immediately acknowledged, redressed and final reply is given to the complainants within the timeframe.

Henceforth, HO. Inspection Dept., which is a Nodal Office for Public grievances, issue guidelines & operational instructions w.r.t. Public grievances & about complaints with Banking Ombudsman. There are 7 Nodal Offices for Handling Banking Ombudsman Complaints (ZO. Delhi 1, Chandigarh, Mumbai, Bhopal, Chennai, Kolkata & Lucknow)

Besides Bank's own designed SPGRS portal, the department is using two other portals; namely CPGRAMS (Ministry of Finance) and INGRAM (Ministry of Consumer Affairs), for receipt of public grievances and subsequent reporting of redressal/ closure.

TIMELINE

For the Public grievances received, the Grievance is assigned to the BO/ ZO / HO Deptt. by the HO Inspection Deptt. After the assignment, the system allows 10 days to BO/ZO/ HO Deptt. to resolve the grievance. On expiry of the 11th day, if grievance remains unresolved, it automatically escalated to the respective ZOs in case of Branches and to HO Inspection Deptt. in case of ZOs and HOs deptt.

TAT TIME

Tat for the redressal of complaints is on the reducing side every Financial year owing to the Root Cause analysis of the complaints. Grievances Redressal System is continuously improving on account of ABC analysis of the complaints/ grievances conducted every quarter by the department under the guidance of higher authorities.

फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विनियमन 24A के उद्देश्य में
(सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियम 2015]

वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2019 को समाप्त

सदस्य,
पंजाब एंड सिंध बैंक
21, राजेंद्र प्लेस
नई दिल्ली 8

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और पंजाब एंड सिंध बैंक (बाद में "बैंक" कहा जाता है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया है। सचिवीय अंकेक्षण एक तरीके से आयोजित किया गया था, जो हमें कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

बैंक की पुस्तकों, पत्रों, कार्यवृत्त की पुस्तकों, सांविधिक रजिस्ट्रारों, बैंक द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों और बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं, उनके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक के पास 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी बताया गया है कि बैंक के पास रिपोर्टिंग के तरीके और विषय के अनुसार उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन व्यवस्था है।

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा बनाए गए पुस्तकों, कागजों, मिनटों की पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- (i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (A SCRA ') और इसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियमों और उपनियमों के तहत;
- (iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और नियम और कानून विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक किए गए;
- (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -
 - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992;
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009;
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का मुद्दा और सूचीकरण) रेगुलैटो एनएस, 2008;
 - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
 - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009;
 - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998;

cs Suchitta Koley FCS, FICA
Company Secretary



62/12, II Floor, Old Rajendra Nagar, New Delhi 110 060

Tel :- 91-11-42432630;

Mobile: 98-100-82385

e-mail: skoley_in@yahoo.co.in, koley.s@gmail.com

FORM No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

[In Pursuance of Regulation 24A of Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015]

For The Financial Year Ended 31st March 2019

The Members,
Punjab & Sind Bank
21, Rajendra Place
New Delhi 8

We have conducted the Secretarial Audit of the compliances of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Punjab & Sind Bank (hereinafter called "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, statutory registers, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2019, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board Processes and Compliance Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2019 according to the provisions of:

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993;
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
 - (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

- (झ) सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;
- (व) निम्नलिखित अधिनियम, योजना, लागू होने और अन्य कानूनों के रूप में विनियम, विशेष रूप से बैंक के लिए हैं।
- (क) बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980
- (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970
- (ग) पंजाब और सिंध बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2008

हमारी रिपोर्ट को पढ़ने के साथ-साथ यहाँ उल्लेख किया गया है कि:

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं, हम मानते हैं कि प्रक्रियाओं और प्रथाओं के बारे में हमने अपनी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।
3. हमने बैंक के खातों के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कभी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन, प्रबंधन की जिम्मेदारी है; परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. हमने विशेष रूप से बैंक पर लागू विभिन्न राज्य कानूनों के तहत अनुपालन का सत्यापन नहीं किया है।
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार हैं:

1. बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
2. बोर्ड की बैठक के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए हैं और तदनुसार, एजेंडा और विस्तृत नोट्स सभी निदेशकों को भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर स्पष्टीकरण और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
3. अधिकांश निर्णयों को आम सहमति के माध्यम से किया जाता है, जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचार, यदि कोई हो, को कलमबद्ध किया जाता है और मिनटों के रूप में दर्ज किया जाता है।
4. लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के साथ बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने आम तौर पर विभिन्न अधिनियमों, नियमों और विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है जो बैंक पर लागू होते हैं।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2019

सुचिता कोले
कंपनी सचिव
एफसीएस 1647; सीपी नं. : 714

- (i) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- (v) The following Act, Scheme, Regulations as applicable and other laws as are specifically to the Bank viz. -
 - (a) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980
 - (b) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
 - (c) Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008

Our report is to be read along with the noting as mentioned here-in-under:

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records, we believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial records and books of accounts of the Bank.
4. Where ever required, we have obtained the management representation about the Compliances of the laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of the corporate and other applicable laws, rules and regulations, standards is the responsibility of the Management; ur examination was limited to the verification of the procedures on test basis.
6. We have not verified the compliance under various State laws specifically applicable to the Bank.
7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above we report:

1. The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.
2. Adequate notices are given to all directors for the Board Meetings and accordingly, agenda and detailed notes on agenda were sent to all directors, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful Participation at the meeting.
3. Majority decisions are carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.
4. There are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines.

We further report that during the audit period the Bank has generally complied with the requirements of various Act, Rules and Regulations, guidelines and standards as are applicable to the Bank.

Place: New Delhi
Date: 17.05.2019

Suchitta Koley
Company Secretary
FCS 1647; CP No.: 714

कंपनी प्रबंधन रिपोर्ट 2018-19

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक - दर्शन

बैंक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करने के साथ शेयर-धारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत् प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक कड़ी कंपनी प्रबंधन पद्धतियों को निष्पादित करते हुए, उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली को अपनाने के लिए वचनबद्ध है। बैंक अपने सभी साझेदारों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर आमजन भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत कंपनी निकाय है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार और सेबी के अनुसार (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अनिवार्यता अधिनियम 2015) के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा जहां तक बैंककारी कंपनी उपक्रमों का (अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2019 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों में सदस्यता की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या अर्थात् बैंक के अतिरिक्त	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक में नियुक्ति का स्वरूप)
1.	डॉ. चरन सिंह	अध्यक्ष (गैर – कार्यकारी)	शून्य	06	1. नैशनल हाउसिंग बैंक दिल्ली 2. नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बेंगलोर 3. शोध सलाहकार समिति (बर्ड) ग्रामीण विकास हेतु बैंकों की संस्था 4. नाबार्ड	01	*
2.	श्री एस. हरिशंकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	शून्य	12	शून्य	शून्य	**
3.	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	शून्य	13	शून्य	शून्य	***
4.	श्री गोविंद एन डोंगे	कार्यकारी निदेशक	शून्य	12	शून्य	शून्य	****

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (2018-19)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE :

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1. Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2019 is as under:

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2019	No. of membership in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank)
1.	Dr Charan Singh	Chairman (Non – Executive)	NIL	6	1. National Housing Bank, Delhi 2. NABARD Financial Service Limited, Bengaluru 3. Research Advisory Committee, BIRD (Bankers Institute of Rural Development) 4. NABARD	1	*
2	Sh. S Harisankar	Managing Director & Chief Executive Officer	NIL	12	NIL	NIL	**
3.	Sh. Fareed Ahmed	Executive Director	NIL	13	NIL	NIL	***
4.	Sh. Govind N Dongre	Executive Director	NIL	12	NIL	NIL	****

क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2019 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों में सदस्यता की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या अर्थात बैंक के अतिरिक्त	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक में नियुक्ति का स्वरूप)
5.	श्री सेवा राम मेहर	निदेशक-वित्त मंत्रालय द्वारा नामित	शून्य	09	शून्य	शून्य	@
6.	श्री प्रदीप .के. जेना	निदेशक-भा.रि.बैं. द्वारा नामित	शून्य	04	शून्य	शून्य	@ @
7.	श्री शैलेश रामजी घेडिया	गैर-आधिकारिक वर्ग -सीए वर्ग	शून्य	06	05	01	#
8.	श्री मधु सूदन दादू	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	08	1. एपसोम इनफोटेक लिमिटेड 2. कनवरजेंस मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	02	# #
9	श्री हर्ष बीर सिंह	गैर-आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	1057	05	शून्य	शून्य	\$
10	श्री तीर्थ राज मेंदिराता	गैर-आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	100	07	शून्य	शून्य	\$\$

* वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23 मई, 2018 सं. एफ.नं.6/3/2017-बीओ-1 की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक (गैर-कार्यकारी अध्यक्ष) के रूप में 3 वर्ष की अवधि हेतु पदग्रहण करने की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो नियुक्त किया गया है ।

** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 19 सितंबर , 2018 सं. एफ.नं.4/2/2018-बीओ-1 की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पदग्रहण करने की तिथि से लेकर अपने सेवा निवृत्त (31.05.2021) अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो नियुक्त किया गया है ।

*** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2017 सं. एफ.नं.4/5(6)/2016-बीओ-1 की शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्ष की अवधि हेतु पदग्रहण करने की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो नियुक्त किया गया है।

**** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2017 सं. एफ.नं.4/5(6)/2016-बीओ-1 की शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशक पदग्रहण करने की तिथि से लेकर अपने सेवा निवृत्त (31.03.2020) अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो नियुक्त किया गया है ।

@ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2018 सं. एफ.नं.6/3/2012-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।

@ @ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 मई, 2013 सं. एफ.नं.6/34/2013-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (सी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 दिसंबर , 2017 सं. एफ.नं.6/1/2015-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) एवं (जी) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-आधिकारिक सनदी लेखाकार वर्ग में निदेशक नियुक्त।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 दिसंबर , 2017 सं. एफ.नं.6/1/2015-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) एवं (3-ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त।

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2019	No. of membership in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank)
5.	Sh. S R Mehar	Director – MOF Nominee	NIL	9	NIL	NIL	@
6.	Sh. P K Jena	Director – RBI Nominee	NIL	4	NIL	NIL	@@
7.	Sh. S R Ghedia	Non Official Category - CA Category	NIL	6	NIL	1	#
8.	Sh. Madhu Sudan Dadu	Non-Official Director	NIL	8	1. Apsom Infotex Ltd. 2. Convergence Multimedia Technologies Pvt Ltd.	2	##
9.	Sh. Harsh Bir Singh	Non-Official Director (Shareholder Director)	1057	5	NIL	NIL	\$
10.	Sh. T R Mendiratta	Non-Official Director (Shareholder Director)	100	7	NIL	NIL	\$\$

* Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2017-BO.I dated 23rd May 2018 as Non-Executive Chairman for a period of three years from the date of notification of appointment, or until further orders, whichever is earlier.

** Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/2/2018-BO.I dated 19th September 2018 as Managing Director & Chief Executive Officer with effective from the date of assumption of office and upto the date of his attaining the age of superannuation (i.e, 31.05.2021), or until further orders, whichever is earlier.

*** Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5(6)/2016-BO.I dated 16th February 2017 as Executive Director for a period of three years from the date of his taking over charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.

**** Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5/(2)/2017-BO.I dated 9th October 2017 as Executive Director w.e.f. the date of his taking over charge of the post upto 31.03.2020 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

@ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 13th July 2018 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 with immediate effect and until further orders.

@@ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/34/2013-BO-I dated 31st May 2013 under clause (c) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.

Appointed as non official Part Time Director under Chartered Accountant category in terms of GOI MOF letter No. F. No. 6/1/2015- BO.I dated 27th December, 2017 under clause (g) of sub section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

Appointed as non official Part Time Director in terms of GOI MOF letter No. F. No. 6/1/2015- BO.I dated 27th December, 2017 under clause (h) of sub section (3) and sub section (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

- § शेयरधारको के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2017 से निदेशक नियुक्त।
- §§ शेयरधारको के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2017 से निदेशक नियुक्त।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशको की नियुक्ति/कार्य-समाप्ति

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए:

[क] नियुक्ति -

- डॉ. चरण सिंह को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 23 मई 2018 संख्या एफ.नं. 6/3/2017-बी.ओ.-1 द्वारा बैंक के अध्यक्ष (गैर – कार्यकारी) के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री एस.हरिशंकर को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 19 सितंबर 2018 संख्या एफ.नं. 4/2/2018-बी.ओ.-1 द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री सेवा राम मेहर को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2018 संख्या एफ.नं. 6/3/2012-बी.ओ.-1 द्वारा वित्त मंत्रालय के बैंक हेतु नामित सदस्य नियुक्त किया है।

[ख] वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशक

- श्री एस. सेल्वाकुमार ने वित्त मंत्रालय के बैंक बोर्ड हेतु नामित सदस्य के रूप में दिनांक 13.07.2018 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री अतनु सेन ने निदेशक के रूप में दिनांक 27.01.2019 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

2.3 वर्ष 2018-19 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय:

डॉ. चरण सिंह

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	डॉ. चरण सिंह
2.	पिता का नाम	श्री अमरीक सिंह
3.	जन्म तिथि एवं आयु	30.09.1960 तथा 59 वर्ष
4.	वर्तमान पता	4/एस/1202 एडबल्यूएचओ गुर्जिंदर विहार सेक्टर सी1 पॉकेट पी5, ग्रेटर नोएडा, यूपी -201310
5.	ईमेल पता	charansingh60@gmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, एम.फिल
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	गैर आधिकारिक निदेशक अध्यक्ष (गैर – कार्यकारी)
8.	अनुभव	अनुसंधान विद्वान
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	नेशनल हाउसिंग बैंक दिल्ली नाबाई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बेंगलूर

श्री एस. हरिशंकर

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री एस. हरिशंकर
2.	पिता का नाम	श्री श्रीधरन नायर
3.	जन्म तिथि एवं आयु	19.05.1961 तथा 58 वर्ष
4.	वर्तमान पता	अपार्टमेंट 101 टावर 6 कॉमन वेल्थ खेल गाँव ,दिल्ली
5.	ईमेल पता	cmd@psb.co.in
6.	शैक्षिक योग्यता	बीएससी (कृषि)

\$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2017.

\$\$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2017.

2.2. Appointment / Cessation of Directors during the year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2018-2019:

[A] Appointment:

- Dr. Charan Singh was appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2017-BO.I dated 23rd May 2018 as Non-Executive Chairman.
- Sh. S Harisankar was appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/2/2018-BO.I dated 19th September 2018 as Managing Director & Chief Executive Officer.
- Sh S R Mehar was nominated as MOF Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/3/2012-BO.I dated 13.07.2018.

[B] Outgoing Directors during the year:

- Sh. S Selvakumar, MOF Nominee Director was on the Board of the Bank upto 13.07.2018.
- Sh. Atanu Sen completed his term as Director of the Bank on 27.01.2019.

2.3. Profile of Director appointed during 2018-19:

Dr. CHARAN SINGH

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Dr CHARAN SINGH
2.	FATHER'S NAME	Sh. AMRIK SINGH
3.	DATE OF BIRTH & AGE	30.09.1960 & 59 Years
4.	PRESENT ADDRESS	4/S/1202 AWHO. Gurjinder Vihar Sector CHI 1, Pocket P5, Greater Noida UP - 201310
5.	EMAIL ADDRESS	charansingh60@gmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	Doctorate in Economics, M Phill
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Non Executive Chairman
8.	EXPERIENCE	Research
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	National Housing Bank, Delhi NABARD Financial Services Ltd, Bengaluru

Sh. S HARISANKAR

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. S HARISANKAR
2.	FATHER'S NAME	Sh. SREEDHARAN NAIR
3.	DATE OF BIRTH & AGE	19.05.1961 & 58 Years
4.	PRESENT ADDRESS	MD & CEO Office, Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi
5.	EMAIL ADDRESS	cmd@psb.co.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	BSC (Agriculture)

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8.	अनुभव	कार्यकारी निदेशक (इलाहाबाद बैंक)
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	-----

श्री सेवा राम मेहर

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री सेवा राम मेहर
2.	पिता का नाम	श्री राम लाल जी मीना
3.	जन्म तिथि एवं आयु	02.03.1962 तथा 57 वर्ष
4.	वर्तमान पता	773 सेक्टर 3 आर. के. पुरम , नई दिल्ली 110022
5.	ईमेल पता	Sewa.mehar66@gmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	एमए
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्त मंत्रालय के बैंक हेतु नामित सदस्य
8.	अनुभव	32 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	-----

2.4 बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड की निम्न तिथियों पर कुल 13 बैठकें हुईं जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 में निर्धारित खण्ड 12 की न्यूनतम 06 बैठकों के विरुद्ध है।

16.04.2018	16.05.2018	30.06.2018	08.08.2018	27.08.2018
10.09.2018	24.09.2018	13.11.2018	12.12.2018	27.12.2018
21.01.2019	12.02.2019	15.03.2019		

उक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न है जो उनके कार्यकाल से संबंध है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की	दिनांक 2018 की ए.जी.एम. में उपस्थिति
डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	23.05.2018 से 31.03.2019	11	11	उपस्थित
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	19.09.2018 से 31.03.2019	07	07	--
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	13	13	अनुपस्थित
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	13	13	उपस्थित
श्री एस.आर. मेहर - भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	13.07.2018 से 31.03.2019	10	07	--
श्री एस.सेल्वा कुमार -भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	03	02	अनुपस्थित
श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	13	12	अनुपस्थित
श्री एस. आर. घेडिया -गैर आधिकारिक निदेशक (सीए वर्ग)	01.04.2018 से 31.03.2019	13	13	उपस्थित
श्री अतनु सेन - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	11	10	उपस्थित
श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	13	12	अनुपस्थित
श्री हर्ष वीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	13	13	उपस्थित
श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	13	11	अनुपस्थित

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Managing Director & Chief Executive Officer
8.	EXPERIENCE	Executive Director (Allahabad Bank)
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-----

Sh. S R MEHAR

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. S R MEHAR
2.	FATHER'S NAME	Sh. RAM LAL JI MEENA
3.	DATE OF BIRTH & AGE	02.03.1962 & 57 Years
4.	PRESENT ADDRESS	773 Sector 3, R.K. Puram, New Delhi - 110022
5.	EMAIL ADDRESS	sewa.mehar66@gmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M.A.
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	MOF Director
8.	EXPERIENCE	32 YEARS (Administrative Service)
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-----

2.4. BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2018-19, total 13 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

16.04.2018	16.05.2018	30.06.2018	08.08.2018	27.08.2018
10.09.2018	24.09.2018	13.11.2018	12.12.2018	27.12.2018
21.01.2019	12.02.2019	15.03.2019		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendance of AGM held on 29.06.2018
Dr. Charan Singh (Non-executive chairman)	23.05.2018 to 31.03.2019	11	11	Attended
Sh. S Harisankar Managing Director & Chief Executive Officer	19.09.2018 to 31.03.2019	7	7	--
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	13	13	Not Present
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	13	13	Attended
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	13.07.2018 to 31.03.2019	10	7	--
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 13.07.2018	3	2	Not Present
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	13	12	Not Present
Sh. S R Ghedia- Non Official Director (CA Category)	01.04.2018 to 31.03.2019	13	13	Attended
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2018 to 27.01.2019	11	10	Attended
Sh. M S Dadu -- Non Official Director	01.04.2018 to 31.03.2019	13	12	Not Present
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholders Director	01.04.2018 to 31.03.2019	13	13	Attended
Sh. T R Mendiratta – Shareholders Director	01.04.2018 to 31.03.2019	13	11	Not Present

2.5 आचार संहिता:

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों एवं निदेशक से एक रैंक नीचे जिनमें सभी महाप्रबंधक सम्मिलित हैं, हेतु सेबी की (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के विनियमन 17(5) की अनुपालना में आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त आचार संहिता का बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3. सामान्य वार्षिक बैठक:

शेयरधारकों की आयोजित की गई अंतिम तीन सामान्य आम बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है:

स्वरूप	दिन तथा दिनांक	समय	स्थल
ए.जी.एम.	मंगलवार 28.06.2016	प्रातः 10.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003
ए.जी.एम.	बृहस्पतिवार 29.06.2017	प्रातः 10.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003
ए.जी.एम.	शुक्रवार 29.06.2018	प्रातः 10.00 बजे	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, प्लॉट-3 व्यवसायिक क्षेत्र सेक्टर-3, जयपुर गोल्डन अस्पताल रोहिणी, दिल्ली 110085

कोई भी विशेष प्रस्ताव विगत तीन ए.जी.एम. में स्वीकृत नहीं किया गया।

4. निदेशकों की समिति:

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड कमेटी की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग ने मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के परिचालन, निष्पादन विकास पर विचार-विमर्श के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास, उत्पादन के कार्य निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर बल दिया है। निदेशक मंडल की महत्वपूर्ण समितियां निम्न प्रकार हैं-

क्र.सं.	समिति का नाम
1.	निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखाधड़ी निगरानी संबंधी समिति
4.	सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	पारिश्रमिक समिति
8.	अंशधारक संपर्क समिति
9.	मानव संसाधन समिति
10.	सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति
11.	कार्यपालकों की पद्धति पर निदेशकों की समिति
12.	अपील/समीक्षा प्राधिकारी पर निदेशकों की समिति
13.	वसूली की निगरानी समिति
14.	शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मतदान
15.	इरादतन चूककर्ता हेतु समीक्षा समिति
16.	नामांकन समिति

2.5. Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Regulation 17(5) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. Annual General Meeting :

Details of last three Annual General Meetings of the shareholders held are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue
AGM	Tuesday 28.06.2016	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Thursday 29.06.2017	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Muller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Friday 29.06.2018	10.00 a.m.	Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085

No Special Resolution was passed in the previous three AGMs.

4. COMMITTEES OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

SNo	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee of the Board
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Stakeholders Relationship Committee
8.	HR Committee
9.	IT Strategy Committee
10.	Committee of the Board on Executives' Promotions
11.	Committee for dealing with the case of appeals and review
12.	Committee for Monitoring of Recovery
13.	Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank
14.	Review Committee for Willful Defaulter
15.	Nomination Committee
16.	Capital Issue Committee

4.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड - 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और धारा 9(3)(सी) एवं 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) की उपधारा (ई)(एफ)(एच) व (आई) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना इस प्रकार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तिथियों पर 14 बैठक का आयोजन हुआ:

17.04.2018	16.05.2018	25.05.2018	30.06.2018	09.08.2018
27.08.2018	24.09.2018	24.10.2018	12.11.2018	13.12.2018
27.12.2018	21.01.2019	13.02.2019	15.03.2019	

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है-

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	19.09.2018 से 31.03.2019	08	08
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	14	14
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	14	14
श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	14	13
श्री अतनु सेन - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 30.06.2018 18.01.2019 से 28.01.2019	05	05
श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 30.06.2018 18.01.2019 से 31.03.2019	07	06
श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	09.08.2018 से 27.12.2018	07	07
श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	09.08.2018 से 31.03.2019	07	05

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति (एसीबी)

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है। एक गैर कार्यकारी निदेशक जोकि सनदी लेखाकार है, समिति का अध्यक्ष है।

लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consist of Chairman and Managing Director, Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the Management Committee as on 31st March 2019 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. Pradipta K Jena-Director (RBI Nominee)
5.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director

During the Financial Year 2018-19, the Management Committee of the Board met on 14 occasions on the following dates:

17.04.2018	16.05.2018	25.05.2018	30.06.2018	09.08.2018
27.08.2018	24.09.2018	24.10.2018	12.11.2018	13.12.2018
27.12.2018	21.01.2019	13.02.2019	15.03.2019	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	19.09.2018 to 31.03.2019	8	8
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	14	14
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	14	14
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	14	13
Sh. Atanu Sen -- Non Official Director	01.04.2018 to 30.06.2018 18.01.2019 to 27.01.2019	5	5
Sh. M S Dadu -- Non Official Director	01.04.2018 to 30.06.2018 18.01.2019 to 31.03.2019	7	6
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholders Director	09.08.2018 to 27.12.2018	7	7
Sh. T R Mendiratta – Shareholders Director	09.08.2018 to 31.03.2019	7	5

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा-निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक/ बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण सम्मिलित है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम देने से पूर्व, केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. आर. घेड़िया –गैर आधिकारिक निदेशक(सीए वर्ग)
2.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष
3.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति (एसीबी) की 07 अवसरों पर बैठके निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गई:

16.05.2018	30.06.2018	08.08.2018	24.10.2018	13.11.2018	12.02.2019	15.03.2019
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	श्री एस. आर. घेड़िया –गैर आधिकारिक निदेशक(सीए वर्ग)	01.04.2018 से 31.03.2019	07	07
2.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	15.03.2019 से 31.03.2019	01	01
3.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	07	07
4.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	08.08.2018 to 31.03.2019	05	03
5.	श्री एस.सेल्वा कुमार भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	02	01
6.	श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	07	06
7	श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	02	02
8	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	12.02.2019 से 12.02.2019	01	01
9	श्री एम. एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक	08.08.2018 से 13.11.2018	03	03

4.3 बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2004 सं. आरबीआई/2004.5. डीबीएस.एफजीवी(एफ) नं.1004/23.04.01ए/2003-04 के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरुद्ध कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं में विलम्ब के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ के रूपए और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य ही करेगी। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी।

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ 1 करोड़ रूपए और उसके ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है ताकि

(क) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सकें।

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The composition of the Audit Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of the Director
1.	Sh. Shailesh R Ghedia -CA Director - Chairperson
2.	Sh. Charan Singh – (Non-Executive Chairman)
3.	Sh. Fareed Ahmed - Executive Director
4.	Sh. Pradipta K Jena- Director (RBI Nominee)
5.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF Nominee)

During the Financial Year 2018-19, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 7 occasions on the dates given below:

16.05.2018	30.06.2018	08.08.2018	24.10.2018	13.11.2018	12.02.2019	15.03.2019
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Sr. No	Name of the Director	Period	Meeting held during their tenure	Meeting attended
1	Sh. S R Ghedia – Non Official Director-CA Category - Chairperson	01-04-2018 to 31.03.2019	7	7
2	Dr Charan Singh– Chairman	15.03.2019 to 31.03.2019	1	1
3	Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01-04-2018 to 31.03.2019	7	7
4	Sh. S R Mehar- MOF Nominee Director	08.08.2018 to 31.03.2019	5	3
5	Sh. S Selvakumar - MOF Nominee Director	01.04.2018 to 30.06.2018	2	1
6	Sh. P K Jena - RBI Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	7	6
7	Sh. Harsh Bir Singh – Share Holder Director	01.04.2018 to 30.06.2018	2	2
8	Sh. T R Mendiratta – Share Holder Director	12.02.2019 to 12.02.2019	1	1
9	Sh. M S Dadu – Director	08.08.2018 to 13.11.2018	3	3

4.3. Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same

- (ख) धोखाधड़ी के पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग।
- (ग) सीबीआई/पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति।
- (घ) सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई यदि अपेक्षित हो तो अविलंब हो।
- (ण) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना।
- (च) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने हेतु यथावश्यक अन्य उपायों को करना।

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
6.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की बैठके आयोजित की गई जिनका विवरण निम्न है:

15.05.2018	09.08.2018	12.12.2018	15.03.2019
------------	------------	------------	------------

निदेशकों का उनकी अवधि के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

नाम	कार्यकाल	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	09.08.2018 से 31.03.2019	3	3
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	19.09.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.08.2018 से 31.03.2019	3	2
श्री एस.सेल्वा कुमार भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 15.05.2018	1	1
श्री अतनु सेन गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 12.12.2018	3	2
श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	15.03.2019 से 31.03.2019	1	1

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2009 सं. डीबीएस.सीओ.एफ.आर.एम.सी. नं. 7/23.04.001/2009-10 द्वारा सूचित किया है कि धोखाधड़ी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी जांच की जाए और इसकी तुरंत सूचना सही प्राधिकारी को दी जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर, बैंक ने प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए और उससे ऊपर के मामलों का विशेष कार्य करने हेतु केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

दिनांक 12.12.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 20214 के अनुसार, एक स्वतंत्र नए विभाग "धोखाधड़ी निगरानी विभाग" की दिनांक 07.02.2013 को एक ही स्थान पर स्थापना की गई है ताकि किए गए प्रयासों में किसी प्रकार की कोताही और कमी न हो सके। पूर्व में धोखाधड़ी के मामलों की दो स्थानों पर देखभाल की जाती थी अर्थात् रु.1 करोड़ एवं उससे ऊपर के मामलों को प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग जबकि रु.1 करोड़ से कम राशि के मामलों की देखभाल प्र.का. सतर्कता विभाग द्वारा की जाती थी। नए प्रावधान से धोखाधड़ी के मामलों की नजदीक से निगरानी, पुराने धोखाधड़ी के मामलों पर तुरंत कार्रवाई और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ बार-बार होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय किए जा सकेंगे और जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक को समय से धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकेगी।

- (b) Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI
- (c) Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- (d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time
- (e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and
- (f) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Charan Singh (Chairman)
2.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
3.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
4.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
5.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
6.	Sh. M.S. Dadu – Non-Official Director

The Committee met four times during the Financial Year 2018-19 as per the details below:

15.05.2018	09.08.2018	12.12.2018	15.03.2019
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. Charan Singh (Chairman)	09.08.2018 to 31.03.2019	3	3
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	19.09.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.08.2018 to 31.03.2019	3	2
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 15.05.2018	1	1
Sh. Atanu Sen -- Non official Director	01.04.2018 to 12.12.2018	3	2
Sh. M S Dadu - Director	15.03.2019 to 31.03.2019	1	1

RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 had advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and prompt reporting to appropriate authority. The Bank has since then set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

In terms of Board Resolution no. 20214 dated 12.12.2012, a new independent Department named 'Fraud Monitoring Department' has been working since 07.02.2013 at one place, leaving no scope to overlapping and duplicity of effort. Earlier, fraud cases were dealt at two places viz the large value fraud of Rs. One crore & above at HO Inspection Department, where as frauds below the amount of Rupees One crore were being dealt by HO. Vigilance Department. The new set up resulted in close monitoring of fraud cases, faster closure of old fraud cases and effective follow up and implementation of preventive measures to check the recurrence of frauds & improvement in timely reporting of frauds to RBI.

4.4 सतर्कता समिति:

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 सं. 10/12/90/सतर्कता/सीवीओ की शर्तों के अनुरूप, बैंक ने सतर्कता संबंधी कार्यों की समीक्षा के दृष्टिकोण से, सतर्कता अनुशासन संबंधी मामलों के तुरंत निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बोर्ड की एक सतर्कता समिति का निम्न सदस्यों के साथ गठन किया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंगे- कार्यकारी निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार चार अवसरों पर बैठक की:

16.05.2018	09.08.2018	13.12.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न प्रकार है-

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	13.12.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री गोविंद एन डोंगे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	09.08.2018 से 31.03.2019	3	3
श्री एस.सेल्वा कुमार - भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 16.05.2018	1	1
श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4

4.5 जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक ने समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति मुख्य तीन जोखिम क्रियाओं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समुचित विचार करती है एवं यदि आवश्यक हो तो सही निर्देश जारी करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री गोविंद एन डोंगे - कार्यकारी निदेशक
5.	श्री टी.आर. मेंदिरता - शेयरधारक निदेशक
6.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक
7.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार पांच अवसरों पर बैठक की:

16.04.2018	15.05.2018	08.08.2018	12.11.2018	21.01.2019
------------	------------	------------	------------	------------

4.4. Vigilance Committee of the Board

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 with following members:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. Pradipta K Jena-Director (RBI Nominee)
5	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF Nominee)

The Committee met four times during the Financial Year 2018-19 as per the details below:

16.05.2018	09.08.2018	13.12.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	13.12.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	09.08.2018 to 31.03.2019	3	3
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 16.05.2018	1	1
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required. The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Charan Singh (Chairman)
2.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
3.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
4.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
5.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director
6.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director
7.	Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director

The Committee met five times during the Financial Year 2018-19 as per the details below:

16.04.2018	15.05.2018	08.08.2018	12.11.2018	21.01.2019
------------	------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है-

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष	08.08.2018 से 31.03.2019	3	3
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.11.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	5
श्री अतनु सेन - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 21.01.2019	5	5
श्री एम. एस. दादू - निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	4
श्री टी.आर. मेंदिरता - शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	3
श्री हर्ष वीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	14.02.2019 से 31.03.2019	0	0

बैंक ने एक वास्तविक जोखिम प्रबंधन के ढांचे का गठन किया है जिसमें जोखिम प्रबंधन संगठन ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम नियंत्रण एवं जोखिम लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं जो कि सभी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम आदि को पहचानने, प्रबंधन, निगरानी करने के दृष्टिकोण से है। इसके पीछे मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में स्थायित्व एवं कार्यक्षमता बनी रहे और बैंक की सुरक्षा की भी देखभाल होती रहे।

4.6 ग्राहक सेवा समिति:

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति:

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जो कि 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है।

31 मार्च, 2019 को समिति के निम्न सदस्य हैं -

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
4.	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
6.	श्री एस. आर. घेडिया -निदेशक(सीए वर्ग)

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है:

- ग्राहक सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करती है और सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं लेखा परीक्षा कार्यनिष्पादन संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति (सी.पी.पी.ए.पी.एस.) की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि के गुजर जाने पर भी लागू न किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पायी गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
- ग्राहक सेवा में गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठके हुई:

15.05.2018	09.08.2018	12.11.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Dr. Charan Singh – Chairman	08.08.2018 to 31.03.2019	3	3
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	12.11.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	5
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2018 to 21.01.2019	5	5
Sh. M S Dadu– Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	4
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	3
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	14.02.2019 to 31.03.2019	0	0

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6. Customer Service Committee:

Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2019:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. T R Mendiratta-Shareholder Director
5.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
6.	Sh. S R Ghedia -CA Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2018-19, the Committee met on the following dates:

15.05.2018	09.08.2018	12.11.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उपस्थिति का व्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.11.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	09.08.2018 से 31.03.2019	3	2
श्री एस.सेल्वा कुमार - भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 15.05.2018	1	1
श्री टी.आर. मेंदिरता - शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	3
श्री एस. आर. घेडिया - निदेशक (सीए वर्ग)	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4

4.7 शेयरधारक संबंध समिति:

अंशधारकों, डिबेंचरधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों के परिवादों के निवारण करने की प्रक्रिया के लिए शेयरधारक संबंध समिति सेबी के विनियमन 20 (एलओडीआर) 2015, की शर्तों के अनुसार का गठन किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	
1.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	सदस्य
4.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	सदस्य
5.	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2018-19 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई।

15.05.2018	09.08.2018	12.11.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.11.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	3

समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/ निवेदनों की संख्या का सारांश निम्न प्रकार है:

01.04.2018 का शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2019 को बकाया
शून्य	5	5	शून्य

दिनांक 31.03.2019 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी। श्री विनय खंडेलवाल, कंपनी सचिव को सेबी के विनियमन 6 की शर्तों के अनुसार (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के तहत बैंक के "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है।

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	12.11.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	09.08.2018 to 31.03.2019	3	2
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 15.05.2018	1	1
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
Sh. S R Ghedia -CA Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4

4.7. Stakeholders Relationship Committee:

The Stakeholders Relationship Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR), 2015 to look into the mechanism of redressal of grievances of Shareholders, Debenture holders and other security holders. The composition of the Committee as on 31st March 2019 is as under:

S. No.	Name of Director	
1.	Sh. Harsh Bir Singh-Share holder Director	Chairperson
2.	Sh. S Harisankar - MD & CEO	Member
3.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director	Member
4.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director	Member
5.	Sh. T R Mendiratta - Share holder Director	Member

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2018-19

15.05.2018	09.08.2018	12.11.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	12.11.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2018	Received during the year	Resolved during the Year	Pending as on 31.03.2019
NIL	5	5	NIL

No complaint was pending as on 31.03.2019. Shri Vinay Khandelwal, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

4.8 मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन विकास समिति का गठन दिनांक 05.05.2012 को बोर्ड प्रस्ताव संख्या 19841 के द्वारा मानव संसाधन की विकासशील योजनाओं को गति प्रदान करने और विभिन्न यूनियनों तथा एशोसिएट्स के साथ विचार-विमर्श करने हेतु किया गया है। बैठक कभी भी आवश्यक हो, की जा सकती है लेकिन तिमाही में कम से कम एकवार की जानी आवश्यक है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
6.	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

15.05.2018	08.08.2018	12.11.2018	21.01.2019
------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	08.08.2018 से 31.03.2019	3	3
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.11.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	3
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	08.08.2018 से 31.03.2019	3	0
श्री एस. सेल्वा कुमार भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 15.05.2018	1	1
श्री अतनु सेन - गैर आधिकारिक निदेशक	08.08.2018 से 21.01.2019	3	2
श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 15.05.2018	1	0
श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	2

4.9 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति:

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल में तीव्रता लाने और तकनीक के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से, निम्न सदस्यों के साथ बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति कार्यरत है।

दिनांक 31.03.2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
6.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक
7.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक

4.8. HR Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter. The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Charan Singh (Chairman)
2.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
3.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
4.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
5.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
6.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2018-19

15.05.2018	08.08.2018	12.11.2018	21.01.2019
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Dr Charan Singh – Chairman	08.08.2018 to 31.03.2019	3	3
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	12.11.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. S R Mehar -- MOF Nominee Director	08.08.2018 to 31.03.2019	3	0
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 15.05.2018	1	1
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	08.08.2018 to 21.01.2019	3	2
Sh. M S Dadu –Non Official Director	01.04.2018 to 15.05.2018	1	0
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	2

4.9. IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place.

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	1. Sh. Charan Singh - Chairman
2.	2. Sh. S Harisankar - MD & CEO
3.	3. Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
4.	4. Sh. Govind N Dongre - Executive Director
5.	5. Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
6.	6. Sh. Harsh Bir Singh- Shareholder Director
7.	7.Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुईं:

15.05.2018	08.08.2018	12.11.2018	12.12.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------	------------

निदेशकों की समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	08.08.2018 से 13.02.2019	4	4
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.11.2018 से 31.03.2019	3	3
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	5
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	5
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	08.08.2018 से 31.03.2019	4	2
श्री एस. सेल्वा कुमार भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 15.05.2018	1	1
श्री अतनु सेन - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 12.12.2018	4	3
श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 15.05.2018	1	0
श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	5

4.10 कार्यपालकों की पदोन्नतियों पर बोर्ड की समिति:

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों का कार्य देखने के लिए, निदेशकों की समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन. डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री प्रदीप .के. जेना - निदेशक-भा.रि.बैं. द्वारा नामित

4.11 अपीलों तथा समीक्षाओं के मामलों पर कार्यवाई करने हेतु निदेशक मंडल की समिति:

अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा याचिका तथा अपीलों पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 10.08.2016 के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 22389 द्वारा बोर्ड की समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 31.03.2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार हैं -

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
2.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक
3.	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुईं:

10.09.2018	12.12.2018
------------	------------

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2018-19

15.05.2018	08.08.2018	12.11.2018	12.12.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Dr Charan Singh – Chairman	08.08.2018 to 13.02.2019	4	4
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	12.11.2018 to 31.03.2019	3	3
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	5
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	5
Sh. S R Mehar -- MOF Nominee Director	08.08.2018 to 31.03.2019	4	2
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 15.05.2018	1	1
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2018 to 12.12.2018	4	3
Sh. M S Dadu –Non Official Director	01.04.2018 to 15.05.2018	1	0
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	5

4.10. Committee of the Board on Executives' Promotions:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level.

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
5.	Sh. Pradipta K Jena (RBI Nominee)

4.11. Committee for dealing with the case of appeals and review:

A committee for dealing with the case of appeals and review has been constituted vide Board Resolution No. 22389 dated 10.08.2016 for deciding appeals and review petitions of Disciplinary cases.

The composition of the committee as on 31.03.2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)(Chairperson)
2.	Sh. M. S. Dadu – Non Official Director
3.	Sh. T R Mendiratta -Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2018-19

10.09.2018	12.12.2018
------------	------------

निदेशकों की समिति की उक्त बैठक में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	2	2
2.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	2	2
3.	श्री टी.आर. मेंदिरता - शेयरधारक निदेशक	2	2
4.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	0	0

4.12 वसूली की निगरानी करने हेतु समिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र दिनांक 21.11.2012 संख्या एफ.नं. 7/112/2012-बी.ओ.ए. के निर्देशानुसार, निदेशकों की एक समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक सम्मिलित हैं, बैंक में वसूली की प्रगति की निगरानी करने के लिए का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक
6.	श्री एस.आर. घेड़िया निदेशक(सीए)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

16.05.2018	09.08.2018	12.11.2018	15.03.2019
------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.11.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	09.08.2018 से 31.03.2019	3	2
श्री एस. सेल्वा कुमार भा.वि.मं. द्वारा नामित	01.04.2018 से 16.05.2018	1	1
श्री एस.आर. घेड़िया निदेशक(सीए)	01.04.2018 से 31.03.2019	4	3
श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4

4.13 शेयरधारक निदेशकों की चुनाव समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मतदान:

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 03.04.2012 की शर्तों के अनुसार विभिन्न कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में एक उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने हेतु बोर्ड की समिति का गठन बोर्ड संकल्प दिनांक 05.05.2012 संख्या 19840 द्वारा किया गया।

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No.	Name of Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)(Chairperson)	2	2
2.	Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	2	2
3.	Sh. T R Mendiratta -Shareholder Director	2	2
4.	Sh. M. S. Dadu – Non Official Director	0	0

4.12. Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Chairman & Managing Director, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no. F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
5.	Sh. Harsh Bir Singh- Shareholder Director
6.	Sh. S.R. Ghedia - CA Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2018-19

16.05.2018	09.08.2018	12.11.2018	15.03.2019
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar - MD & CEO	12.11.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	09.08.2018 to 31.03.2019	3	2
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 16.05.2018	1	1
Sh. S R Ghedia – Non Official Director (CA Category)	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4

4.13. Election of Shareholder Directors Committee-Voting by Public Sector Bank:

In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services letter date 03.04.2012 a committee of Board for taking decision on supporting the candidates in election as Shareholder Directors in various Companies, Financial institutions and PSU Banks was constituted as per Board resolution number 19840 dated 05.05.2012.

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. घेड़िया निदेशक(सीए)
5	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक

4.14 इरादतन चूककर्ता हेतु समीक्षा समिति

कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में पार्टी को इरादतन चूककर्ता घोषित करने के आदेश की समीक्षा करने हेतु समिति का गठन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दो स्वतन्त्र निदेशकों के साथ किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
4	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक

4.15 नामांकन समिति

भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड 'फिट एवं प्रोपर' के अनुसार जाँच, नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक सावधानी बरतने हेतु दिनांक 29.03.2017 के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 22749 द्वारा तीन सदस्यों के साथ नामांकन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	1	1
2.	श्री एस.आर. घेड़िया निदेशक(सीए)	1	1
3.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	1	1

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की बैठक 08.08.2018 को हुई है

4.16 कैपिटल जारी करने वाली कमेटी

बैंक बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 24217 दिनांक 12.02.2019 के अंतर्गत स्टाफ सदस्यों हेतु शेयर की खरीद योजना (ईएसपीसी) के लिए चार सदस्यी कमेटी का गठन किया गया है जो शेयर के दाम, उस पर छुट / प्रीमियम और अन्य मामलों में निर्णय ले सकती है। उक्त कार्य के निष्पादन के उपरांत कमेटी को भंग कर दिया जाएगा।

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक
2.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक
3.	श्री एस.आर. घेड़िया निदेशक(सीए)
4	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. S R Ghedia- CA Director
5.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director

4.14. Review Committee for Willful Defaulter

Review Committee for willful Defaulter has been constituted for review of the orders of the Committee by ED for declaration of the party as Willful Defaulter, consisting of two Independent Directors, headed by Chairman & Managing Director.

The composition of the Committee as on 31st March 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
5.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director

4.15. Nomination Committee

Nomination Committee with minimum three members has been constituted vide Board Resolution No. 22749 Dated 29.03.2017 to under- take due diligence for necessary process of Nomination, screening as per 'fit and proper' criteria given by RBI

The composition of the Committee as on 31st March 2019 is as under:

S. No.	Name of Director	Meetings held during the year	Meetings attended
1.	Sh. Charan Singh – Chairman	1	1
2.	Sh. S R Ghedia- CA Director	1	1
3.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director	1	1

The committee met on 08.08.2018 during the Financial Year 2018-19.

4.16. Capital Issue Committee

Capital Issue Committee of the Board was constituted with four members for ESPS (Employee Share Purchase Scheme) vide Board Resolution No. 24217 dated 12.02.2019, for taking all decisions related to pricing, discount/premium and other related matters. The Committee shall stand dissolved after completion of issue(s).

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director - Chairperson
2.	Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director
3.	Sh. S R Ghedia- CA Director
4.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director

4.17 शेयर अंतरण समिति:

चार कार्यपालकों की समिति जिसमें तीन महाप्रबंधक, एक सहायक महाप्रबंधक हैं, एक पखवाड़े में शेयरों का विप्रेषण/अंतरण/प्रेषण का अनुमोदन करने के लिए बैठक करती है। बोर्ड की होने वाली बैठक में शेयर अंतरण समिति का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान शेयर अंतरण समिति की सप्ताईस बैठकें आयोजित की गईं। शेयर अंतरण समिति की कार्यवाही बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों के प्रस्तुतीकरण की दिनांक से 15 दिन के अंदर सभी शेयरों का अंतरण कर दिया जाए।

4.18 अन्य प्रकटन

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। अन्य बातों के साथ-साथ निदेशकों के मध्य आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है।
- स्वतंत्र निदेशकों को दी गई कार्य पद्धति कार्यक्रम का विवरण "निवेशकों की सूचना" के शीर्ष के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट <https://www.psbindia.com/content/investors-information> पर प्रकट किया गया है।

5. हमारा बैंक बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के प्रावधानों लागू होते हैं परंतु कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान हमारे लिए लागू नहीं हैं। तदनुसार, निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता को निर्दिष्ट करते हुए एक चार्ट या मैट्रिक्स निर्धारित करने की आवश्यकता हमारे लिए लागू नहीं है।

6. निदेशकों का पारिश्रमिक:

गैर-कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप, समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबंध प्रोत्साहन का व्यौरा निम्न प्रकार है:

क. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वेतन एवं बकायों का भुगतान:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (रु.)
1.	श्री एस. हरिशंकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1425407.53
2.	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	2399853.00
3.	श्री गोविंद एन डोंगे	कार्यकारी निदेशक	2364537.00

ख. वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है (पूर्ण कालिक निदेशकों एवं भारत सरकार तथा भा.रि. बैंक द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है परंतु भा.रि.बैं के पत्र संख्या डीबीआर एपीपीटी न. 6014/08.21.006/2018-19 दिनांक 21.01.2019 के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक को बैठने की फीस दी जाएगी।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (रु.)
1.	डॉ. चरन सिंह	480000
2.	श्री पी.के. जेना	180000
3.	श्री टी.आर. मेंदिरता	480000
4.	श्री अतनु सेन	430000
5.	श्री हर्ष बीर सिंह	595000
6.	श्री एम. एस. दादू	500000
7.	श्री एस.आर. घेड़िया	500000
	कुल योग	3165000

4.17. Share Transfer Committee:

A committee of four officials comprising of three GMs, one DGM/ AGM with Company Secretary as Convener meets at least once in a fortnight to approve demat/remat/transfer/transmission of shares. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty seven meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2018-19. The Bank ensures that all the transfer of shares is affected within a period of fifteen days from the date of their lodgment.

4.18. Other Disclosures:

- The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between directors inter-se.
- The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website <https://www.psbindia.com/content/investors-information> under head of "Investors Information".

- Our Bank is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the provisions of the Companies Act 2013 are not applicable to us. Accordingly, the requirement to set out a chart or matrix specifying the skill / expertise / competence of the Board of Directors is not applicable to us.

6. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2018-19:

(Amount in Rupees)

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri S Harisankar	Managing Director & Chief Executive Officer	1425407.53
2	Shri Fareed Ahmed	Executive Director	2399853.00
3	Sh. Govind N Dongre	Executive Director	2364537.00

- The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2018-19 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India and Reserve Bank of India except to Sh P K Jena, who has been paid sitting fees after retirement in terms of RBI Letter No DBR.Appt.No. 6014/08.21.006/2018-19 dated 21.01.2019):

Sr.No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Dr Charan Singh	480000
2	Sh. P K Jena	180000
3	Sh. T R Mendiratta	480000
4	Sh. Atanu Sen	430000
5	Sh. Harsh Bir Singh	595000
6	Sh. M S Dadu	500000
7	Sh. S R Ghedia	500000
	TOTAL	3165000

7. बेदावा लाभांश :

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 के संदर्भ में, जिस दिन उन्हें संबंधित बेदावा लाभांश स्थानांतरित किया गया, उस तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए बेदावा / बिना चुकाए रहती है तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) के खाता में बैंक को उस लाभांश की राशि को हस्तांतरित करना आवश्यक है

31.03.2019 को बकाया ऐसे अवैतनिक लाभांश खातों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं	बेदावा लाभांश विवरण	31.03.2019 तक शेष राशि
1	लाभांश 2011-12	11,33,674.00
2	लाभांश 2012-13	1,640,955.96
3	लाभांश 2013-14 (अंतरिम)	1406713.60
4	लाभांश 2013-14 (अंतिम)	656,053.80
5	लाभांश 2014-15	517,130.40
6	लाभांश 2015-16	1,436,202.90

8. प्रकटीकरण:

- क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जहाँ बैंक के व्यापक हितों में टकराव की संभावना बनती हो।
- ख) बैंक की वेबसाइट <https://www.psbindia.com> पर PSBPOLICY_Related_partyTransactions.pdf में संबंधित पार्टी प्रविष्टियां नीति उपलब्ध है।
- ग) बैंक पर विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए, न तो कोई दंड लगाया गया है और नहीं ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।
- घ) बैंक की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' परिचालित है और किसी भी व्यक्ति को इसे देखने से रोका नहीं गया है।
- ड) बैंक की वेबसाइट at www.psbindia.com पर पार्टी लेन-देनों नीति संबंधित व्यवसायिक उत्तदायित्व रिपोर्ट उपलब्ध है।
- च) बेसल II और बेसल III बैंक के वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है
- छ) लाभांश आवंटन नीति बैंक वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है

9. अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं:

बैंक ने सेबी की (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के अनुसार लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। सेबी की अनुसूची-II के पार्ट-ई {विनियमन 27(1)} (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विवेकाधीन आवश्यकताओं को लागू करने का परिमाण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	विवेकाधीन आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव करने का पात्र है। अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी गई है।	भारत सरकार ने डॉ. चरण सिंह को दिनांक 23.05.2018 से बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है
2.	अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा शेयर धारकों को भेजी जा सकती है।	शेयरधारकों की सूचना हेतु तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज भेजा जाता है, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है और शेयरधारकों की जानकारी हेतु /बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
3.	कंपनी को अपरिशोधित वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जा सकती है।	बैंक की वित्तीय विवरणियां अनक्वालिफाइड होती है।
4.	आंतरिक लेखाकार सीधे तौर से लेखा परीक्षण समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखाकारों की रिपोर्टों को सीधे तौर पर लेखा परीक्षण समिति के समक्ष रखा जाता है।

7. UNCLAIMED DIVIDEND:

In terms of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980, the Bank is required to transfer the amount of Dividends that remain unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date on which they were transferred to the respective Unpaid Dividend Account, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Companies Act, 2013

The details of such unpaid dividend accounts outstanding as on 31.03.2019 are as under:

Sr No	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2019
1	Dividend 2011-12	11,33,674.00
2	Dividend 2012-13	16,40,251.36
3	Dividend 2013-14 (Interim)	14,06,873.60
4	Dividend 2013-14 (Final)	6,56,053.80
5	Dividend 2014-15	5,17,131.00
6	Dividend 2015-16	14,36,202.90

8. DISCLOSURES:

- There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at <https://www.psbindia.com/content/psb-policy>
- No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access.
- Business Responsibility Report is available on the website of the Bank at <https://www.psbindia.com/content/investors-information>
- Basel II and Basel III is available in the website of the Bank at <https://www.psbindia.com/content/investors-information>
- Dividend Distribution Policy is available on the website of the Bank at <https://www.psbindia.com/content/investors-information>

9. MANDATORY AND DISCRETIONARY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II {Regulation 27(1)} of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No	Discretionary Requirements	Status of Implementation
1.	A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Government of India has appointed Dr Charan Singh as Non-Executive Chairman of the Bank w.e.f 23.05.2018 The guidelines issued by GOI are complied with.
2.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	Quarterly/Half Yearly/Yearly financial results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on Bank's website www.psbindia.com for information of the shareholders.
3.	Company may move towards regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The financial statements of the Bank are unqualified.
4.	The internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.

10. संप्रेषण के साधन:

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारीयों के विषय में सूचित करने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात, बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। यह परिणाम न्यूनतम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं (एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी), जैसा भी आवश्यक हो।

बैंक के तिमाही/वर्ष दर वर्ष/वार्षिक परिणामों की प्रति बैंक की वेबसाइट - <http://www.psbndia.com> पर उपलब्ध है।

बैंक के भारत में इक्विटी शेयर निम्न प्रमुख दो स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं:

1) बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लि.

फिरोज जीजाभाय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001

बीएसई कोड: 533295

2) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

“एक्सचेंज प्लाजा” बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्वी) मुम्बई-400051

एनएसई कोड: पीएसबी-ईक्यू

एनएसडीएल, सीडीएसएल को अभिरक्षा शुल्क और बीएसई, एनएसई को एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सूचीकरण शुल्क का आज तक का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक द्वारा जारी टीयर-II बॉन्डों के संबंध में डेबिट सूचीयन करार के खंड 2A तथा दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के सेबी परिपत्र संख्या परि/आईएमडी/डीएफ/18/2013 की शर्तों के अनुसार डेबेंचर ट्रस्टी का प्रकटन

बांड धारकों हेतु ट्रस्टी



आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.

पंजीकृत कार्यालय

भूतल, एशियन बिल्डिंग, 17, आर. कमानी मार्ग, बलाई एस्टेट,

मुम्बई - 400001

दूरभाष संख्या: (022) 40807000,

फैक्स संख्या: 91-22-66311776/40807080

ई-मेल: [itsl\[at\]idbitrustee.com](mailto:itsl[at]idbitrustee.com)

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड

द्वितीय तल 'E', एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल परिसर,

पन्डूरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई - 400025

दूरभाष: (022) +91 22 6226 0054/6226 0050

ई-मेल: debenturetrustee@taxistrustee.com

विस्तरा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड

आईएल & एफएस वित्तीय केंद्र, प्लॉट संख्या C-22, जी ब्लॉक 7 वां तल

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व मुंबई 400051

दूरभाष संख्या: +91 22 2659 3535

फैक्स संख्या: +91 22 2653 3297

ई-मेल: [mumbai\[at\]vistra.com](mailto:mumbai[at]vistra.com)

10. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its shareholders and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are published in minimum two newspapers (one English and one Hindi) as required.

The quarterly / year to year / Annual Financial Results of the Bank & Press Release are hosted on the Bank's website: <http://www.psbindia.com>.

The Bank's equity shares are listed on the following major Stock Exchanges in India :

1) Bombay Stock Exchange Ltd.

Phiroze jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort Mumbai-400 001

BSE Code: 533295

2) National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

NSE CODE : PSB-EQ

Custodial fee to NSDL, CDSL and listing fees to BSE, NSE in respect of all securities listed with the exchange(s) has been paid.

Disclosure of Debenture Trustees in Terms of SEBI Circular no. CIR/IMD/DF/18/2013 dated 29th October, 2013 and clause 2A of Debt Listing Agreement in respect of TIER – II Bonds issued by the Bank

TRUSTEE FOR THE BONDHOLDERS



IDBI Trusteeship Services Ltd.

Registered Office

Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg

Ballard Estate, Mumbai – 400 001

Tel No. (022) 40807000

Fax No. 91-22-66311776 / 40807080

E-mail: itsl[at]idbitrustee.com

Axis Trustee Services Limited

Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound,
Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025

Phone: +91 22 6226 0054/ 6226 0050

Email: debenturetrustee[at]axis trustee.com

Vistra ITCL (India) Limited

The IL&FS Financial Center, Plot No. C-22, G Block, 7th Floor
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051

Tel: +91 22 2659 3535

Fax : +91 22 2653 3297

Email: mumbai[at]vistra.com

10.1 प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण:

सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण हेतु नेशनल सिक्क्योरिटी सर्विसेज (इंडिया) लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च, 2019 को बैंक के पास 56,49,12,284 ईक्विटी शेयर हैं जिनमें से 56,48,27,104 शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	85,180.00	0.0151
अभौतिक		
एन.एस.डी.एल.	7,10,76,718	12.5819
सी.एस.डी.एल.*	49,37,50,386	87.4030
उप-योग		
कुल योग	56,49,12,284	100.0000

* इनमें भारत सरकार द्वारा धारित ईक्विटी शेयर सम्मिलित हैं।

10.2 ईलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.)

ईलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.) भुगतान की आधुनिक प्रणाली है जिसमें संबंधित निवेशक के खाते में लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे तौर पर जमा की जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को सभी केंद्रों पर जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन राष्ट्रीय ई.सी.एस./ई.सी.एस. सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर सेवा का लाभ उठाने का विकल्प दिया है।

10.3 इलेक्ट्रॉनिक शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर विधिवत रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायत निवारण करने की प्रणाली हेतु अंशधारकों संबंधों पर समिति का गठन किया है। समिति नियमित अंतराल पर बैठके आयोजित करती हैं और निवेशक-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं। बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन भी किया है जो शेयरों के ट्रांसमिशन/ट्रांसफर/रिमिट/डीमेट का अनुमोदन करने के लिए न्यूनतम एक पखवाड़े में बैठक करती है।

बैंक ने लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान के अलावा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों को सुनिश्चित करना है।

निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतों को निम्न पते पर रजिस्ट्रार को प्रेषित कर सकता है:

लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि.

(इकाई: पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

नोबल हाइट, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी

सावित्री बाजार के नजदीक, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

दूरभाष: (011) 41410592 से 0594

फैक्स: (011) 41410591

ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

बैंक ने शेयर कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008 में की है, जहां शेयरधारक अपने अंतरण विलेख/अनुरोधों/शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं -

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष)

21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110008

दूरभाष: (011) 25782926, 25728930, 25812922

फैक्स: (011) 25781639

ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

10.1. Dematerialisation of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2019 the Bank has 56,49,12,284 Number of Equity Shares of which 56,48,27,104 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	85,180.00	0.0151
Dematerialized		
NSDL	7,10,76,718	12.5819
CDSL *	49,37,50,386	87.4030
Grand Total	56,49,12,284	100.0000

* includes 48,33,24,032 equity shares held by the Government of India.

10.2. Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its ECS/NECS facility.

10.3. Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank ensures that all transfer of Shares are duly affected within a period of fifteen days from the date of their lodgment. The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances. The Board has also constituted Share Transfer Committee which meets at least once in a fortnight to approve demat/remat/transfer/transmission of shares.

The Bank has appointed Link Intime India Pvt Ltd as its Share Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares, dividend etc.

The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Share Transfer Agent at following address:

Link Intime India Pvt Ltd

(Unit: Punjab & Sind Bank)

Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC,
Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058
Phone : (011) 41410592 to 0594
Fax : (011) 41410591
E Mail : delhi@linkintime.co.in

The Bank has established Shares Cell at Head Office, 21,Rajendra Place,New Delhi-110008 wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution, at the address given below:

Punjab & Sind Bank

Head Office : Accounts & Audit Deptt.(Shares Cell),
21-Rajendra Place, 1st Floor, New Delhi-110 008.
Telephone : (011) 25782926, 25728930, 25812922
Fax : (011) 25781639
E-mail : complianceofficer@psb.co.in

(उक्त ई-मेल आईडी सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 6(2)(d) के अनुसार निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है)

11. बैंक को प्राप्त क्रेडिट रेटिंग

रेटिंग एजेंसी	टायर II बॉन्ड हेतु रेटिंग	एटी -1 बॉन्ड के लिए रेटिंग
सीएआरई	केयर ए (स्थिर)	केयर ए + (स्थिर)
क्रिसिल	क्रिसिल ए (स्थिर)	-
आईसीआरए	स्थिर नकारात्मक से संशोधित आईसीआरए ए (नकारात्मक)	स्थिर से नकारात्मक में संशोधित आईसीआरए ए+ (एचवाईडी) नकारात्मक
ब्रिकवर्क	बीडबल्यूआर ए (स्थिर)	-

12. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस का विवरण:

प्रकृति	राशि
सांविधिक लेखा परीक्षकों (शाखा)	7,68,71,750
सांविधिक लेखा परीक्षकों (केंद्रीय)	1,16,72,382

13. निलंब खाते में आबंटियों के अदावा शेयरों के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट(31.03.2018)

क्र. संख्या	विवरण	एनएसडीएल इन301330 -21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के आरंभ में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1172	1230
2.	शेयर अंतरण के लिए आए शेयर धारकों की संख्या और शेयर धारकों की संख्या जिनके शेयरों को उचंत खाते से अंतरित किया गया	--	--
3.	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1172*	1230*

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों के वोटिंग अधिकारों पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता है।

14. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासे

01.04.2018 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दर्ज की गई कोई शिकायत नहीं	7
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या	7
31.03.2019 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2

15. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखाकर्मों द्वारा अपनाई जाती है, को परिलक्षित करती है।

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015.

11. Credit ratings obtained by the Bank

Rating Agency	Rating for Tier II Bonds	Rating for AT-1 Bonds
CARE	CARE AA (Stable)	CARE A+ (Stable)
CRISIL	CRISIL AA (Stable)	-
ICRA	ICRA AA (Negative) Revised from Stable to Negative)	ICRA A+ (hyb) (Negative) Revised from Stable to Negative)
Brickwork	BWR AA (Stable)	-

12. Details of fees paid to Statutory Auditors during the year:

Nature	Amount
Statutory Branch Auditors	7,68,71,750
Statutory Central Auditors	1,16,72,382

13. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.03.2019):

S. No.	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1172	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	--	--
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1172*	1230*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

14. Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

Number of complaints pending as on 01.04.2018	2
No of complaints filed during the Financial Year under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 2018-19	7
Number of complaints disposed of during the year	7
Number of complaints pending as on 31.03.2019	2

15. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Department and independent audit firms.

16. वित्तीय कैलेंडर (संभावित)

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019	
नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	11.07.2019 (बृहस्पतिवार)
नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक का समय	10 बजे प्रातः काल
नौवीं सामान्य बैठक का स्थल	पंजाब एण्ड सिंध बैंक ,स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज ,प्लॉट-3 व्यवसायिक क्षेत्र सेक्टर-3 ,जयपुर गोल्डन अस्पताल रोहिणी ,दिल्ली 110085
बहियों को बंद करने की तारीख	05.07.2019 से 11.07.2019
प्रॉक्सि फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	06.07.2019 (सांय 5.00 बजे तक)

17. 31 मार्च, 2019 को शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	ईक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत सरकार (प्रवर्तक)	1	483324032	85.56
2.	वित्तीय संस्थान/बीमा कंपनियां/बैंक	19	42801221	7.58
3.	विदेशी संस्थागत निवेशक	-	-	-
4.	कॉरपोरेट निकाय	476	4204859	0.74
5.	व्यैक्तिक निवासी	109185	25315499	4.48
6.	हिन्दू अविभाजित परिवार	6092	1317765	0.23
7.	अनिवासी भारतीय	1033	1207981	0.21
8.	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	8	6063132	1.07
9.	ट्रस्ट	8	280722	0.05
10.	समाशोधन सदस्य	194	397073	0.07
	कुल योग	117016	564912284	100.00

18. 31 मार्च, 2019 को शेयर धारकों का श्रेणी-वार वितरण

संवर्ग	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	कुल शेयर	कुल का प्रतिशत
1 - 500	109155	93.2821	9529131	1.6868
501 - 1000	4072	3.4799	3220654	0.5701
1001 - 2000	1981	1.6929	2956745	0.5234
2001 - 3000	621	0.5307	1580052	0.2797
3001 - 4000	278	0.2376	992443	0.1757
4001 - 5000	241	0.2060	1141256	0.2020
5001 - 10000	348	0.2974	2536810	0.4491
10001 और अधिक	320	0.2735	542955193	96.1132
कुल योग	117016	100	564912284	100

16. Financial Calendar (tentative):

Financial Year 1st April, 2018 to 31st March, 2019	
Date of Ninth Annual General Meeting.	11.07.2019 (Thursday)
Time of Ninth Annual General Meeting	10.00 A.M.
Venue of Ninth Annual General Meeting	Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085
Book Closure dates	05.07.2019 to 11.07.2019
Last Date for receipt of Proxy Forms	06.07.2019 (upto 5.00 pm)

17. Shareholding Pattern as on 31st March 2019

S. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Govt. of India (Promoters)	1	483324032	85.56
2.	Financial Institutions/Ins Cos/ Banks	19	42801221	7.58
3.	Foreign Institutional Investors	-	-	-
4.	Bodies Corporate	476	4204859	0.74
5.	Resident Individuals	109185	25315499	4.48
6.	Hindu Undivided Family	6092	1317765	0.24
7.	Non Resident Indians	1033	1207981	0.21
8.	Foreign Portfolio Investor(Corporate)	8	6063132	1.07
9.	Trusts	8	280722	0.05
10.	Clearing Members	194	397073	0.07
	Total	117016	564912284	100.00

18. Distribution of Shareholding (Shares) – Category-wise as on 31st March 2019

Shareholding of Shares	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	% of Total
1 – 500	109155	93.2821	9529131	1.6868
501 – 1000	4072	3.4799	3220654	0.5701
1001 – 2000	1981	1.6929	2956745	0.5234
2001 – 3000	621	0.5307	1580052	0.2797
3001 – 4000	278	0.2376	992443	0.1757
4001 – 5000	241	0.2060	1141256	0.2020
5001 – 10000	348	0.2974	2536810	0.4491
10001 & Above	320	0.2735	542955193	96.1132
TOTAL	117016	100	564912284	100

19. स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मूल्य, शेयरों में खरीद-फरोख्त की मात्रा (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक)

माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एन.एस.ई.)					बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बी.एस.ई.)				
	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम (रु.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	निफ्टी बंद	बंद	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम (रु.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	बी.एस.ई. बंद	बंद
अप्रैल, 2018	40.30	34.25	20,49,774	10739.35	35.55	40.25	34.70	2,61,917	35160.36	35.35
मई, 2018	38.15	27.70	15,71,089	10736.15	32.90	40.00	28.75	2,46,145	35322.38	32.80
जून, 2018	35.20	29.50	10,29,722	10714.3	30.20	33.60	29.40	1,30,361	35423.48	30.15
जुलाई, 2018	31.80	27.50	20,45,304	11356.5	31.10	32.00	27.00	1,38,442	37606.58	31.15
अगस्त, 2018	33.70	28.20	37,10,645	11680.5	32.70	34.00	28.45	3,62,660	38645.07	32.75
सितम्बर, 2018	33.00	25.50	20,57,608	10930.45	25.90	33.95	24.00	2,71,540	36227.14	25.90
अक्टूबर, 2018	30.30	25.00	22,96,208	10386.6	29.20	30.30	25.00	1,74,923	34442.05	29.40
नवम्बर, 2018	31.05	27.55	11,31,925	10876.75	28.20	31.00	27.55	96,806	36194.3	28.00
दिसम्बर, 2018	35.35	25.75	50,15,558	10862.55	32.90	35.25	26.00	5,87,415	36068.33	32.90
जनवरी, 2019	34.90	27.40	20,87,957	10830.95	28.15	35.00	27.30	2,96,650	36256.69	28.10
फरवरी, 2019	28.35	24.65	13,35,676	10792.5	25.70	28.40	24.60	1,79,938	35867.44	25.65
मार्च, 2019	34.00	25.55	37,81,097	11623.9	31.25	34.00	25.75	9,24,136	38672.91	31.15

20. 31 मार्च, 2019 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	शेयरों की संख्या %
1.	अंडमान एवं निकोबार	10	653	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	4599	1856997	0.33
3.	अरुणाचल प्रदेश	83	17353	0.00
4.	असम	452	117472	0.02
5.	बिहार	1212	294567	0.05
6.	चंडीगढ़	698	246468	0.04
7.	छत्तीसगढ़	568	273072	0.05
8.	दमन एवं दीप	6	496	0.00
9.	दिल्ली	11428	487957029	86.38
10.	गोवा	169	27383	0.00
11.	गुजरात	21525	3465214	0.61
12.	हरियाणा	3980	812713	0.14
13.	हिमाचल प्रदेश	255	77610	0.01
14.	जम्मू एण्ड कश्मीर	199	78626	0.01
15.	झारखंड	1048	254483	0.05
16.	कर्नाटक	5166	1281954	0.23
17.	केरल	1264	533788	0.09
18.	मध्यप्रदेश	3307	820428	0.15

19. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2018 to 31.03.2019)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)					Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)				
	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume Traded (Nos.)	NIFTY Close	Close	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume Traded (Nos.)	Sensex Close	Close
Apr 2018	40.30	34.25	20,49,774	10739.35	35.55	40.25	34.70	2,61,917	35160.36	35.35
May 2018	38.15	27.70	15,71,089	10736.15	32.90	40.00	28.75	2,46,145	35322.38	32.80
Jun 2018	35.20	29.50	10,29,722	10714.3	30.20	33.60	29.40	1,30,361	35423.48	30.15
Jul 2018	31.80	27.50	20,45,304	11356.5	31.10	32.00	27.00	1,38,442	37606.58	31.15
Aug 2018	33.70	28.20	37,10,645	11680.5	32.70	34.00	28.45	3,62,660	38645.07	32.75
Sep 2018	33.00	25.50	20,57,608	10930.45	25.90	33.95	24.00	2,71,540	36227.14	25.90
Oct 2018	30.30	25.00	22,96,208	10386.6	29.20	30.30	25.00	1,74,923	34442.05	29.40
Nov 2018	31.05	27.55	11,31,925	10876.75	28.20	31.00	27.55	96,806	36194.3	28.00
Dec 2018	35.35	25.75	50,15,558	10862.55	32.90	35.25	26.00	5,87,415	36068.33	32.90
Jan 2019	34.90	27.40	20,87,957	10830.95	28.15	35.00	27.30	2,96,650	36256.69	28.10
Feb 2019	28.35	24.65	13,35,676	10792.5	25.70	28.40	24.60	1,79,938	35867.44	25.65
Mar 2019	34.00	25.55	37,81,097	11623.9	31.25	34.00	25.75	9,24,136	38672.91	31.15

20. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2019

Sr No	State	Share Holders	Shares	Percentage
1	Andaman and Nicobar Islands	10	653	0.00
2	Andhra Pradesh	4599	1856997	0.34
3	Arunachal Pradesh	83	17353	0.00
4	Assam	452	117472	0.02
5	Bihar	1212	294567	0.05
6	Chandigarh	698	246468	0.04
7	Chhattisgarh	568	273072	0.05
8	Daman and Diu	6	496	0.00
9	Delhi	11428	487957029	86.38
10	Goa	169	27383	0.00
11	Gujarat	21525	3465214	0.62
12	Haryana	3980	812713	0.15
13	Himachal Pradesh	255	77610	0.01
14	Jammu and Kashmir	199	78626	0.01
15	Jharkhand	1048	254483	0.05
16	Karnataka	5166	1281954	0.23
17	Kerala	1264	533788	0.09
18	Madhya Pradesh	3307	820428	0.15

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	शेयरों की संख्या %
19.	महाराष्ट्र	22498	56710746	10.04
20.	मणिपुर	5	950	0.00
21.	मेघालय	15	3776	0.00
22.	मिजोरम	1	98	0.00
23.	नागालैंड	18	4085	0.00
24.	उड़ीसा	750	193890	0.03
25.	पांडिचेरी	55	11247	0.00
26.	पंजाब	4205	1229528	0.22
27.	राजस्थान	10865	1882890	0.33
28.	सिक्किम	1	50	0.00
29.	तामिलनाडू	5736	1571408	0.28
30.	त्रिपुरा	24	5830	0.00
31.	उत्तर प्रदेश	6658	1876115	0.33
32.	उत्तराखण्ड	569	124071	0.02
33.	पश्चिम बंगाल	8312	2485391	0.44
34.	ए.पी.ओ./अन्य	1335	695903	0.12
	कुल योग	117016	564912284	100.00

21. कंपनी सचिव के प्रमाण के अनुसार किसी कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक बोर्ड / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से अयोग्य या अयोग्य नहीं किया जा सकता है। जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

Sr No	State	Share Holders	Shares	Percentage
19	Maharashtra	22498	56710746	10.04
20	Manipur	5	950	0.00
21	Meghalaya	15	3776	0.00
22	Mizoram	1	98	0.00
23	Nagaland	18	4085	0.00
24	Orissa	750	193890	0.03
25	OTHERS	1335	695903	0.12
26	Pondicherry	55	11247	0.00
27	Punjab	4205	1229528	0.22
28	Rajasthan	10865	1882890	0.33
29	Sikkim	1	50	0.00
30	Tamil Nadu	5736	1571408	0.28
31	Tripura	24	5830	0.00
32	Uttar Pradesh	6658	1876115	0.33
33	Uttarakhand	569	124071	0.02
34	West Bengal	8312	2485391	0.44
	TOTAL :	117016	564912284	100.00

21. A certificate from a company secretary in practice that none of the Directors on the Board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority has been obtained is provided below:



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

CS **Suchitta Koley** FCS, FICA
Company Secretary



62/12, II Floor, Old Rajendra Nagar, New Delhi 110 060

Tel :- 91-11-42432630;

Mobile: 98-100-82385

e-mail: skoley_in@yahoo.co.in, koley.s@gmail.com

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 की अनुसूची V(C) (10) (i) के अंतर्गत प्रमाणपत्र

मैंने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 की अनुसूची V(C) (10) (i) के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी करने के प्रायोजन से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु निदेशकों की नियुक्ति तथा अहर्ताओं के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा रखरखाव किए जा रहे विभिन्न अभिलेखों, बहियों, कागजातों और अन्य प्रलेखों की जांच की है और पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, विवरण तथा जांच के आधार पर, मैं प्रमाणित करती हूँ कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मण्डल में किसी भी निदेशक को बोर्ड/कंपनी मामलों के मंत्रालय या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में बने रहने अथवा नियुक्त करने से अपात्र या अयोग्य घोषित नहीं किया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 मई, 2019

सुचिता कोले
कंपनी सचिव
सीपी नंबर: 714

cs **Suchitta Koley** FCS, FICA
Company Secretary



62/12, II Floor, Old Rajendra Nagar, New Delhi 110 060

Tel :- 91-11-42432630;

Mobile: 98-100-82385

e-mail: skoley_in@yahoo.co.in, koley.s@gmail.com

CERTIFICATE UNDER SCHEDULE V(C)(10)(i) OF OF THE SEBI
(LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

I have examined the various records, books and papers and other documents maintained by **Punjab & Sind Bank** pertaining to the appointment & qualifications of directors for the financial year ended 31st March 2019 for the purpose of issuing Certificate as per Schedule V(C)(10)(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and based on the above examination, information & explanation provided by Punjab & Sind Bank, I hereby certify that none of the directors on the board of the Punjab & Sind Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Place: New Delhi
Date: 17th May 2019

Suchitta Koley
Company Secretary
CP No.: 714



कंपनी प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सूचीबद्ध करने संबंधी करार और सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी प्रबंधन संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कंपनी प्रबंधन संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कंपनी प्रबंधन संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार और सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के विषय में है।

कृते एस मान एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

सुभाष मान

पार्टनर

एम.नं. 080500

एफआरएन 000075 एन

बलदेव गर्ग

पार्टनर

एम.नं. 092225

एफआरएन:013148 एन

कृते सुरेश चंद्र & एसोसिएट

सनदी लेखाकार

कृते राज गुप्ता & कंपनी

सनदी लेखाकार

मधु गुप्ता

पार्टनर

एम.नं. 090205

एफआरएन 001359एन

संदीप गुप्ता

पार्टनर

एम.नं. 529774

एफआरएन:000203एन

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 24 मई, 2019

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance
To: The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2019 in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For S.Mann & Co.

Chartered Accountants

(Subhash Mann)

Partner

M. No. 080500

FRN : 000075N

For Baldev Kumar & Co.

Chartered Accountants

(Baldev Garg)

Partner

M. No. 092225

FRN : 013148N

For Suresh Chandra & Associates

Chartered Accountants

(Madhur Gupta)

Partner

M. No. 090205

FRN : 001359N

For Raj Gupta & Co.

Chartered Accountants

(Sandeep Gupta)

Partner

M. No. 529774

FRN : 000203N

Place : New Delhi

Dated: 24 May, 2019



निदेशक मंडल
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

महोदय,

विषय: वर्ष 2018-19 हेतु सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 की अनुसूची - V के अंतर्गत घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 की अनुसूची - V के प्रसंग में विनिर्दिष्ट आचार संहिता की बैंक द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी दर्शाया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2019

एस. हरिशंकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली।

महोदय,

विषय: वर्ष 2018-19 के लिए सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

सेबी (LODR), 2015 के कंपनी प्रबंधन की अनुसूची - II के अनुपालन प्रमाणपत्र के पार्ट-बी की अनुपालना में, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि:

- क. हमने वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:
 - 1) इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है।
 - 2) ये अभिकथन/विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
- ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिस हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।
- ग. हम वित्तीय सूचना देने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय सूचना देने की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आंकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबंधित कमियाँ यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।
- घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है:
 - 1) वर्ष के दौरान वित्तीय सूचना देने के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - 2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स/टिप्पणियों में कर दिया गया है; और
 - 3) हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(हरविन्द्र सचदेव)
मुख्य वित्त अधिकारी (महाप्रबंधक-लेखा)

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(एस. हरिशंकर)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2019

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

**Re: Declaration for 2018-19 as per Schedule-V of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2019 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website www.psbindia.com.

For Punjab & Sind Bank

Place : New Delhi
Dated : 24 May, 2019

(S Harisankar)
Managing Director & Chief Executive Officer

CEO/CFO Certification

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

REG: CFO/CEO Certification for the year 2018-19

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
 - 1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - 2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee.
 - 1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - 2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - 3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Punjab & Sind Bank
(Harvinder Sachdev)
Chief Financial Officer (General Manager-Accounts)

For Punjab & Sind Bank
(S Harisankar)
Managing Director & Chief Executive Officer

Place : New Delhi
Dated : 24 May, 2019

बासल II के लिए प्रकटीकरण 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ-1 अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
(क) इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है।	
(ख) नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों के समेकन में भिन्नताओं का सारांश वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा (i) जिनका पूर्ण रूप से समेकन किया गया है, (ii) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया गया है, (iii) जिन्हें छूट दी गई है, तथा (iv) जिन्हें न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी गई है। (जैसे कोई जोखिम भारित निवेश)	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण	
(क) सभी सहायक कंपनियों की पूंजी में कमियों की कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात् जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके नाम ऐसी सहायक कंपनियों से हटाए गए हैं।	लागू नहीं
(ख) बैंक की कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जो बीमा कंपनियों में लगी है, उनमें से जो जोखिम भारित है, उनके नाम, उनके निगमन का संस्थान या आवास, स्वामित्व का अंश तथा यदि भिन्न है तो इन संस्थानों में उनके मताधिकार शक्ति का अंश। इसके अतिरिक्त नियामक पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2 - पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

लोअर टीयर II पूंजी हेतु नियम एवं शर्तें :

बैंक ने लोअर टीयर II के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन-पत्र के कूपन जारी किए हैं, जिनका भुगतान वार्षिक/ अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्ड्स को देसी दर-निर्धारण एजेंसियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्ड्स राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:

- बॉण्ड्स की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 118 माह से 127 माह के बीच होती है।
- ये प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खण्ड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।
- ये प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पाँच वर्षों के दौरान 20% प्रतिवर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टीयर II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।

इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टीयर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।

गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टीयर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टीयर II पूंजी के अन्य संगठक टीयर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

बैंक ने 1000.00 करोड़ रुपये के बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टायर I बॉन्ड 08.05.2017 को जारी किए हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

क) टीयर I पूंजी की राशि, निम्न का अलग से प्रकटीकरण	राशि- रु / करोड़
- प्रदत्त अंश पूंजी;	564.91
- आरक्षितियाँ;	4186.81
- न्वोन्मेषी प्रपत्र ;	1000.00
- अन्य पूंजी प्रपत्र ;	0.00
- उप योग	4632.39

BASEL II DISCLOSURES – YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures	The Bank does not belong to any group
(a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures	
(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable

Table DF 2 – CAPITAL STRUCTURE

Qualitative disclosures

TERMS & CONDITIONS OF LOWER TIER II CAPITAL:

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes / Debentures at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding bonds are listed at the National Stock Exchange Ltd., Mumbai. The other important features of these bonds are:

- The Bonds have a tenor ranging from 118 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20 % per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II Capital for Capital Adequacy purposes.

The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I Capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

The Bank has issued Basel III compliant Additional tier I Bonds amounting to Rs. 1000.00 Cr on 08.05.2017.

Amt. - Rs/ Crores

(a) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
- Paid-up share capital;	564.91
- Reserves;	4186.81
- Innovative instruments;	1000.00
- Other capital instruments;	0.00
- SUB-TOTAL	5751.72

- घटाएं:टीयर I पूंजी से कम की गई राशियाँ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं	1119.33
कुल टीयर I पूंजी	4632.39
ख) टीयर II पूंजी की कुल राशि (टीयर II पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियाँ)	1368.09
ग) उच्च टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रपत्र	शून्य
- कुल बकाया राशि	लागू नहीं
- इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
- पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	लागू नहीं
घ) न्यून टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
- कुल बकाया राशि	1575
- इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	-
- पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	660
ड) पूंजी से अन्य कटौतिया, यदि कोई हैं तो	शून्य
च) कुल पात्र पूंजी	6000.49

तालिका डी एफ 3 - पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का कार्यान्वयन करते समय उच्च-कोटि की वैश्विक कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन का गठन किया गया है। जोखिम भारित आस्तियों, बाज़ार जोखिम तथा परिचालन जोखिम में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आँकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोजर , कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोखिम के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर /संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई-सीएएपी) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तम्भ 1 पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नए पूंजी पर्याप्तता ढांचा - बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :-

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाज़ार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त अवधारणाओं को अपनाया है पर इनके आगे की अवधारणाओं की तरफ अग्रसर होने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि- रु./करोड़
- 9 % की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	4152.20
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

- LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill & investments.	1119.33
TOTAL TIER I CAPITAL	4632.39
(b) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	1368.09
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital.	NIL
- Total amount outstanding.	NA
- Of which amount raised during the current year	NA
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	NA
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
- Total amount outstanding	1575
- Of which amount raised during the current year.	-
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	660
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL
(g) Total eligible capital.	6000.49

Table DF 3 - CAPITAL ADEQUACY**Qualitative disclosures**

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches.

Quantitative Disclosures**Capital requirements for credit risk:**

	Amt. - Rs/ Crores
- Portfolios subject to standardised approach @ 9%	4152.20
- Securitisation exposures	Nil

बाज़ार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाज़ार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि-रु./करोड़
- ब्याज दर जोखिम	532.30
- विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	2.00
- इक्विटी जोखिम	58.29

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि-रूपए/करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	399.20

बैंक हेतु कुल तथा टीयर I पूंजी अनुपात:

बासल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	10.71%
बासल II के अनुसार टीयर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.27%

तालिका डीएफ 4 ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा (वार्षिक समापन 2018-19 के लिए लागू)

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

- जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती हो।
- यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से 90 दिन से अधिक समय तक निरंतर अधिक रहती हैं तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी./सी.सी. के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।
- बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।
- अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।
- व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्ति या जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकोती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहती हैं।

यहां 'अनियमित' से अभिप्राय: एक खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर अधिक रहती है। उन मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत लिमिट/आहरण शक्ति से कम रहता है लेकिन उसमें तुलन पत्र की तिथि के 90 दिनों तक कोई जमाएं नहीं की जाती हैं या इस अवधि में जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज को वसूल करने के लिए कम हैं तो इन खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

यहां 'अतिदेय' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, जिसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर, भुगतान नहीं होता है।

उक्त के अतिरिक्त, एक खाते को निम्न शर्तों के अनुसार भी अनर्जक (एन.पी.ए.) वर्गीकृत किया जा सकता है:-

अस्थायी अनियमितताओं (लेव ऐयमकि/खाते) संदर्भ आरबीआई एमसी बिंदु 4.2.4)

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और उससे बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital requirements for Market Risk	Amt. - Rs/ Crores
- Interest rate risk	532.30
- Foreign exchange risk (including gold)	2.00
- Equity risk	58.29

Capital requirements for operational risk:

	Amt. - Rs/ Crores
Basic indicator approach	399.20

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	10.71%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	8.27%

Table DF 4 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES**Qualitative Disclosures****A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED (applicable for annual closing 2018-19) :**

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

- Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Out of Order means : An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

In addition to above, an account may also be classified as NPA in terms of the following:

Account with temporary deficiencies/irregularities (Refer RBI MC point 4.2.4)

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

एक आस्ति का गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को एक अग्रिम खाते का वर्गीकरण केवल कुछ विसंगतियों के होने पर नहीं करना चाहिए जोकि स्वरूप में अस्थायी होती हैं जैसे अंतिम उपलब्ध स्टॉक विवरणी के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति का उपलब्ध नहीं होना, अस्थायी रूप से लिमिट से अधिक बकाया बैलेंस होना, स्टॉक विवरणी को प्रस्तुत नहीं करना तथा देय तिथि पर लिमिट का गैर-नवीनीकरण आदि। खातों की ऐसी विसंगतियों के साथ वर्गीकरण के मामले में, बैंक निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं:

- i) बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण को चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किया जाए जैसा कि आपदा के समय चालू आस्तियों को पहले समायोजित किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरणी पर आहरण शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणियों की कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आहरण शक्ति का निर्धारण करते समय, स्टॉक विवरणियां तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तीन महीने से अधिक पुरानी स्टॉक विवरणी पर निर्धारित आहरण शक्ति पर आधारित बकाया राशि के निर्धारण को अनियमित माना जायगा।

एक कार्यशील पूंजी खाता गैर-निष्पादक हो जायगा यदि खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनियमित आहरण शक्ति की स्वीकृति दी जाती है चाहे इकाई कार्य कर रही हो अथवा ऋणी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

- ii) नियमित तथा एकमुश्त ऋण सीमाओं को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने पहले पुनर्समीक्षा/नियमित किया जाना आवश्यक है। व्यवधानों के मामले में जैसे ऋणियों से वित्तीय विवरणियों की और अन्य आंकड़ों की अनुपलब्धता पर शाखा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण लिमिटों का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जायगा। किसी भी मामले में, सामान्य अनुशासन के तौर पर, छः महीने से अधिक का विलंब अपेक्षित नहीं है। अतः, एक खाते में जहाँ नियमित/एकमुश्त लिमिटों को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के अंदर पुनर्समीक्षा/नवीनीकरण नहीं किया गया है, को गैर-निष्पादक आस्ति माना जायगा।

उक्त के अतिरिक्त, बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संचित खाते (ख) कालातीत अवधि की कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय-विक्रय (ड) खातों का उन्नयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमापन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हित धारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

ऋण जोखिम बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण-नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण-नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:-

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंधित जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

The classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies banks may follow the following guidelines:

- i) Banks should ensure that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is required to be arrived at based on the stock statement which is current. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than three months. The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than three months, would be deemed as irregular.

A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

- ii) Regular and ad hoc credit limits need to be reviewed/ regularised not later than three months from the due date/date of ad hoc sanction. In case of constraints such as non-availability of financial statements and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewal/ review of credit limits is already on and would be completed soon. In any case, delay beyond six months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit, d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

The main objective of Credit Risk Management Department is to effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimizing risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

ऋण-जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचा :

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढाँचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक-मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण-उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल /जोखिम प्रबंधन समिति/ ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष , तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ-साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन / अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग/मूल्यांकन-बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन - शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।
- बैंक ऋण जोखिमों, जिनके विरुद्ध वे अनावृत हैं, को कम करने के लिए कई प्रकार की संपार्श्विकों और तकनीकों को स्वीकार करता है, बशर्ते संपार्श्विक कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं तथा बाध्यताधारी की चूक या ऋण विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने के मामले में संपार्श्विक आस्तियों को बेचने के बाद प्राप्त होने वाली प्राप्ति पर बैंक को दावा करने की प्राथमिकता है।

जोखिम आकलन :-

वर्तमान में ऋण जोखिम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

कुल निवल ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

	श्रेणी	राशि- रूपए / करोड़
1.	निधि-आधारित ऋण राशि	72747.47
2.	गैर-निधि आधारित ऋण राशि	4033.83

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General manager / Deputy General Manager monitors the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.
- The Bank accepts a range of collaterals and techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed to, provided the collaterals are legally enforceable and the Bank has a priority claim on the sale proceeds of the collateralised assets in the case of obligor's default or occurrence of adverse credit events.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Quantitative Disclosures

Total gross credit risk exposures

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Fund Based Credit Exposures	72747.47
2	Non Fund Based Credit Exposures	4033.83

ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि- रूपए / करोड़
1	विदेशी	
	- निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
	- गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
2	देशी	
	- निधि आधारित ऋण जोखिम	72747.47
	- गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	4033.83

एक्सपोजर का उद्योग वार वितरण

राशि - रु /करोड़

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक	कुल
क. खाद्यान्न तथा उत्खनन	144.97	145.70	290.67
क.1 कोयला/हार्ड लिगनाईट/पीट	0.22	93.41	93.62
क.2 अन्य खाद्यान्न	144.75	52.30	197.05
ख. खाद्य प्रसंस्करण	964.86	21.94	986.80
ख.1 चीनी	162.33	1.00	163.33
ख.2 खाद्य तेल और वनस्पति	163.90	1.16	165.06
ख.3 चाय	15.02	0.20	15.22
ख.4 कॉफी	0.01	0.00	0.01
ख.5 अन्य खाद्य प्रसंस्करण	623.60	19.58	643.18
ग. बेवरेज एवं तंबाकू	293.80	17.91	311.71
ग.1 तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	0.75	0.00	0.75
ग.2 बेवरेज एवं तंबाकू अन्य	293.05	17.91	310.96
घ. कपड़ा उद्योग	1393.13	58.95	1452.08
घ.1 कॉटन	814.18	50.84	865.02
घ.1.1 स्पिनिंग	629.92	50.08	680.00
घ.2 जूट	2.04	0.00	2.04
घ.2.1 स्पिनिंग	0.02	0.00	0.02
घ.3 हैंडीक्राफ्ट/खादी (एनपीएस)	23.33	0.16	23.49
घ.3.1 स्पिनिंग	9.45	0.13	9.58
घ.4 सिल्क	47.59	4.20	51.79
घ.4.1 स्पिनिंग	19.45	0.24	19.69
घ.5 वूलन	8.52	0.00	8.52
घ.5.1 स्पिनिंग	0.29	0.00	0.29
घ.6 कपड़ा उद्योग अन्य	497.48	3.50	500.98
इ. चमड़ा-चमड़ा उत्पाद	206.63	1.07	207.71
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	107.81	7.17	114.98
छ. कागज तथा कागज उत्पाद	38.12	1.49	39.61
ज. पेट्रो/ कोयला/नाभकीय ईंधन	438.23	0.17	438.41

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Overseas	
	- Fund Based Credit Exposures	NIL
	- Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	Domestic	
	- Fund Based Credit Exposures	72747.47
	- Non Fund Based Credit Exposures	4033.83

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. - Rs/ Crores

INDUSTRY NAME	FUNDED	NON FUND	TOTAL
A.MINING & QUARRYING	144.97	145.70	290.67
A.1 COAL/HARD LIGNITE/PEAT	0.22	93.41	93.62
A.2 MINING OTHERS	144.75	52.30	197.05
B.FOOD PROCESSING	964.86	21.94	986.80
B.1 SUGAR	162.33	1.00	163.33
B.2 EDIBLE OILS & VANASPATI	163.90	1.16	165.06
B.3 TEA	15.02	0.20	15.22
B.4 COFFEE	0.01	0.00	0.01
B.5 FOOD PROC.- OTHERS	623.60	19.58	643.18
C.BEVERAGES & TOBACCO	293.80	17.91	311.71
C.1 TABACCO & TOBACCO PROD.	0.75	0.00	0.75
C.2 BEVERAGES & TOBACCO-OTHERS	293.05	17.91	310.96
D.TEXTILES	1393.13	58.95	1452.08
D.1 COTTON	814.18	50.84	865.02
D.1.1 SPINNING	629.92	50.08	680.00
D.2 JUTE	2.04	0.00	2.04
D.2.1 SPINNING	0.02	0.00	0.02
D.3 HANDICRAFT/KHADI (NPS)	23.33	0.16	23.49
D.3.1 SPINNING	9.45	0.13	9.58
D.4 SILK	47.59	4.20	51.79
D.4.1 SPINNING	19.45	0.24	19.69
D.5 WOOLEN	8.52	0.00	8.52
D.5.1 SPINNING	0.29	0.00	0.29
D.6 TEXTILE-OTHERS	497.48	3.50	500.98
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	206.63	1.07	207.71
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	107.81	7.17	114.98
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	38.12	1.49	39.61
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	438.23	0.17	438.41

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक	कुल
झ.रसायन एवं रसायन उत्पाद	84.63	5.79	90.42
झ.1 फर्टीलाइजर	0.05	0.00	0.05
झ.2 इंग्स एवं फार्मा	16.72	0.07	16.78
झ.3 पैट्रो -रसायन	10.78	0.50	11.28
झ.4 रसायन एवं रसायन उत्पाद	57.09	5.22	62.30
ट. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद	180.42	9.19	189.62
ठ. कांच एवं इसके बने उत्पाद	17.82	0.20	18.02
ड. सीमेंट-सीमेंट उत्पाद	41.06	71.25	112.31
ढ. मूल धातू-धातू उत्पाद	1442.43	35.26	1477.69
ढ.1 लोहा और स्टील	1139.06	3.63	1142.69
ढ.2 अन्य धातू तथा धातू उत्पाद	303.36	31.63	335.00
ण. समस्त इंजीनियरिंग	439.89	57.48	497.38
ण.1 इलैक्ट्रानिक्स	13.39	1.72	15.11
ण.2 समस्त इंजीनियरिंग -अन्य	426.50	55.77	482.27
त. वाहन/वाहन कलपुर्जे/टीपीटी औजार	324.63	40.10	364.73
थ. रतन और आभूषण	41.42	0.01	41.43
द. निर्माण	579.20	374.28	953.48
ध. मूलभूत आवश्यक तत्व	16068.33	1502.77	17571.11
ध.1 ट्रांसपोर्ट	3142.38	1217.24	4359.62
ध.1.1 रेलवे	312.30	241.34	553.63
ध.1.2 रोडवेज	2636.05	775.94	3411.99
ध.1.3 अन्य	57.62	3.40	61.02
ध.1.4 वाटरवेज	0.27	194.97	195.24
ध.1.5 अन्य	136.15	1.59	137.74
ध.2 ऊर्जा	6830.42	176.47	7006.89
ध.2.1 इलैक्ट्रानिक्स (सामा./टीआरएमएन/डीटीबी)	6829.24	168.17	6997.41
ध.2.2 तेल (एसटीआरजी/पाइपलाईन)	1.01	8.30	9.31
ध.2.3 गैस/ अल.अन. गी/पाइपलाईन)	0.18	0.00	0.18
ध.3 टेली कम्यूनिकेशन	1002.78	1.89	1004.67
ध.4 मूलभूत आवश्यक तत्व-अन्य	5092.75	107.18	5199.92
ध.4.1 वाटर सैनिटेशन	3532.22	19.37	3551.59
ध.4.2 सामाजिक और कम्यूनिकेशन	1560.53	87.80	1648.34
न. अन्य उद्योग	172.11	11.48	183.59
प. अवशिष्ट	49767.96	1671.61	51439.57
प. क शिक्ष ऋण	243.16	0.65	243.81
प.ख.उड्डयन क्षेत्र	320.48	0.05	320.52
कुल योग	72747.47	4033.83	76781.30

INDUSTRY NAME	FUNDED	NON FUND	TOTAL
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	84.63	5.79	90.42
I.1 FERTILISERS	0.05	0.00	0.05
I.2 DRUGS AND PHARMA.	16.72	0.07	16.78
I.3 PETRO-CHEMICALS	10.78	0.50	11.28
I.4 CHEMICALS & CHEMICAL	57.09	5.22	62.30
J.RUBBER,PLASTIC & ITS PROD.	180.42	9.19	189.62
K.GLASS & GLASSWARE	17.82	0.20	18.02
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	41.06	71.25	112.31
M.BASIC METAL & METAL PROD.	1442.43	35.26	1477.69
M.1 IRON & STEEL	1139.06	3.63	1142.69
M.2 OTHER METAL & METAL PROD.	303.36	31.63	335.00
N.ALL ENGINEERING	439.89	57.48	497.38
N.1 ELECTRONICS	13.39	1.72	15.11
N.2 ALL ENGG. - OTHERS	426.50	55.77	482.27
O.VEHCLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	324.63	40.10	364.73
P.GEMS & JEWELLARY	41.42	0.01	41.43
Q.CONSTRUCTIONS	579.20	374.28	953.48
R.INFRASTRUCTURE	16068.33	1502.77	17571.11
R.1 TRANSPORT	3142.38	1217.24	4359.62
R.1.1 -RAILWAYS	312.30	241.34	553.63
R.1.2 -ROADWAYS	2636.05	775.94	3411.99
R.1.3 -OTHERS	57.62	3.40	61.02
R.1.4 -WATERWAYS	0.27	194.97	195.24
R.1.5 -OTHERS	136.15	1.59	137.74
R.2 ENERGY	6830.42	176.47	7006.89
R.2.1 -ELEC(GEN/TRMN/DTB)	6829.24	168.17	6997.41
R.2.2 -OIL (STRG/PIPELINES)	1.01	8.30	9.31
R.2.3 -GAS/LNG	0.18	0.00	0.18
R.3 TELECOMMUNICATION	1002.78	1.89	1004.67
R.4 INFRA-OTHERS	5092.75	107.18	5199.92
R.4.1 -WATER SANITATION	3532.22	19.37	3551.59
R.4.2 -SOCIAL & COMM.	1560.53	87.80	1648.34
S.OTHER INDUSTRIES	172.11	11.48	183.59
T.Residuary	49767.96	1671.61	51439.57
a.Education	243.16	0.65	243.81
b.Aviation	320.48	0.05	320.52
TOTAL :	72747.47	4033.83	76781.30

उल्लेखनीय एक्सपोज़र

उद्योग जहां कुल एक्सपोज़र, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण के 5 % से अधिक हैं:

राशि - ₹/करोड़

क्र. सं.	उद्योग	प्रकटीकरण
1.	बुनियादी सुविधायें	17571.11
2.	अवशिष्ट	51439.57

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार :

राशि - ₹/करोड़

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप;समयावधि	ऋण एवं जोखिम (स्टैंडर्ड टीएल+पीसीए+बिल)	निवेश (बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमा राशियां (टीडी+ एसबी + सीए)	उधार
अगला 1 दिन	1006.39	0.00	15.61	109.78	1087.52	0.00
2 दिन से 7 दिन	1045.32	97.99	1.42	11.59	1684.10	0.00
8 दिन से 14 दिन	771.07	0.00	1.43	25.30	904.35	0.00
15 दिन से 30 दिन	1426.87	308.81	9.34	79.39	4098.18	0.00
31 दिनों से 2 माह	2150.43	494.87	9.94	79.67	7861.60	0.00
2 माह से अधिक 3 माह तक	1091.49	90.27	11.44	85.06	4029.41	0.00
3 माह से अधिक 6 माह तक	2884.09	450.15	26.69	59.63	12786.39	0.00
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	2678.55	1218.39	204.29	0.00	28460.52	65.00
1 वर्ष से अधिक 3वर्षों तक	11731.37	2098.35	74.65	126.62	19411.26	74.00
3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	16139.33	3730.09	9.72	0.00	9469.24	0.00
5 वर्षों से अधिक	28250.64	17684.01	0.00	0.00	8765.04	0.00
कुल योग	69175.53	26172.93	364.53	577.04	98557.60	139.00

एन.पी.ए. की राशि (सकल)

	श्रेणी	राशि - ₹ / करोड़
1	अवस्तरीय	3437.29
2	संदिग्ध 1	969.15
3	संदिग्ध 2	3121.25
4	संदिग्ध 3	1047.47
5.	हानि	30.71
	कुल	8605.87

निवल एन.पी.ए

राशि-₹./करोड़

निवल.एन.पी.ए	4994.22
--------------	---------

एन.पी.ए. अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1.	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	11.83%
2	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए	7.22%

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. - Rs/ Crores

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	17571.11
2	Residuary	51439.57

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. - Rs/ Crores

Maturity Pattern's	LOANS & ADVANCES (Standard loan+PCA+Bill)	INVESTMENTS	FOREIGN CURRENCY			
(Time Buckets)		(Book Value)	LIABILITIES	ASSETS	DEPOSITS	BORROWINGS
Next 1 Day	1006.39	0.00	15.61	109.78	1087.52	0.00
2 Days To 7 Days	1045.32	97.99	1.42	11.59	1684.10	0.00
8 Days To 14 Days	771.07	0.00	1.43	25.30	904.35	0.00
15 Days To 30 Days	1426.87	308.81	9.34	79.39	4098.18	0.00
31 Days To 2 Months	2150.43	494.87	9.94	79.67	7861.60	0.00
Over 2 Months To 3 Months	1091.49	90.27	11.44	85.06	4029.41	0.00
Over 3 Months To 6 Months	2884.09	450.15	26.69	59.63	12786.39	0.00
Over 6 Months To 1 Year	2678.55	1218.39	204.29	0.00	28460.52	65.00
Over 1 Year To 3 Years	11731.37	2098.35	74.65	126.62	19411.26	74.00
Over 3 Years To 5 Years	16139.33	3730.09	9.72	0.00	9469.24	0.00
Over 5 Years	28250.64	17684.01	0.00	0.00	8765.04	0.00
GRAND TOTAL	69175.53	26172.93	364.53	577.04	98557.60	139.00

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Substandard	3437.29
2	Doubtful 1	969.15
3	Doubtful 2	3121.25
4	Doubtful 3	1047.47
5	Loss	30.71
	Total	8605.87

Net NPAs

Amt. - Rs/ Crores

Net NPAs	4994.22
----------	---------

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	11.83%
2	Net NPAs to Net advances	7.22%

एन.पी.ए (सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि-रु. /करोड़
अथशेष	7801.65
जमा	3666.37
कमी	2862.15
इति शेष	8605.87

एन.पी.ए हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

राशि-रु. /करोड़

क्रम संख्या	प्रावधान	अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान
	अथ शेष	3154.18
जमा	अवधि (अ) के दौरान किए गए प्रावधान	2193.90
घटाएं :	अपग्रेड किए गए खाते	74.17
	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे में डालना/प्रतिलेखन	1574.45
	बंद (एनपीए) खातों में उत्क्रमण	135.86
	उप-योग (ब)	1784.47
	अंतिम शेष	3563.60

गैर निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि-रु./करोड़
गैर निष्पादित निवेशों की राशि	382.68

गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि-रु / करोड़
गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	208.47

निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव

	राशि-रु./करोड़
अथशेष	115.05
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(18.95)
बट्टे खाते डालना	-
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	(16.18)
इतिशेष	79.92

तालिका डी.एफ. 5 - ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है तैशब ,बासेल-II के अंतर्गत सी.रआ.ए.रआ. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	7801.65
Additions	3666.37
Reductions	2862.15
Closing Balance	8605.87

Movement of Provisions for NPAs

Amt. in crores

Sl.No	Provision	Provisions for NPAs
	Opening Balance	3154.18
Add	Provisions made during the period (A)	2193.90
Less:	Upgraded Accounts	74.17
	Write-off/ Write-back of excess provisions	1574.45
	Reversal in closed (NPA) accounts	135.86
	Sub- Total (B)	1784.47
	Closing Balance	3563.60

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. - Rs/ Crores
Amount of Non-Performing Investments	382.68

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. - Rs/ Crores
Provisions held for non-performing investments	208.47

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	115.05
Provisions made during the period	(18.95)
Write-off	-
Write-back of excess provisions	(16.18)
Closing Balance	79.92

Table DF 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

- The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II & Basel III as defined by RBI.

2. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
3. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
4. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
5. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोखिम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अल्पावधि श्रेणी के साथ (1 वर्ष तक) के अल्पावधि ऋण के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र है, हमारे बैंक में प्रचलन में पहले से ही है।
8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलगगलअ- जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोखिम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इन दोनों जोखिम भारों में उच्चतर जोखिम भार को लागू किया गया है, अर्थात् दूसरा सबसे न्यूनतम जोखिम भार।
9. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
 - i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर -निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
 - ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

मानकीकृत दृष्टिकोण की शर्तें पर जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर की राशि

राशि-रु./करोड़

जोखिम भार श्रेणी	ऋण जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर
100 % जोखिम भार से कम	58305.77
100 %जोखिम भार	12462.47
100% जोखिम भार से अधिक	6086.98
कटौती	18149.41
कुल	58705.81

2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
7. The Short-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for short-term exposures.

A mechanism for mapping of internal ratings of short term loans (up to 1 year) with Short Term ratings of External Credit Rating Agencies, on similar lines as risk weight mapping given by RBI, is already in vogue in our bank.

8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *pari passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari passu* or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. - Rs/ Crores

Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	58305.77
100 % risk weight	12462.47
More than 100 % risk weight	6086.98
Deducted	18149.41
TOTAL	58705.81

तालिका डी.एफ. 6. ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन का घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल-II) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :-

- संपार्श्विक संचालन
- ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
- गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपार्श्विक निम्नलिखित हैं:-

- 1.) नकदी और जमाराशियाँ जिनमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित है।
- 2.) सोना : 99.99% की शुद्धता प्रमाणित करना।
- 3.) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
- 4.) किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।
- 5.) जीवन-बीमा पॉलिसियाँ।
- 6.) ऋण-प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
- 7.) बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।
- 8.) शर्तों के अनुसार म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स।
- 9.) पुनः प्रत्याभूतन (रीसिक्यूरिटाइजेशन), क्रेडिट रेटिंग हो या न हो, वित्तीय संपार्श्विक के पात्र नहीं।

संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर संपार्श्विक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (संपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जाँच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है।

पात्र गारंटियों/प्रति गारंटियों के वर्ग में सम्मिलित हैं :

- i) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी.एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.आई., सी.आर.जी.एफ.टी.एल.आई. एच. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राइमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारत जोखिम युक्त हैं।
- ii) किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।
- iii) ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित है बी.बी.बी.- अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए- अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।

Table DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES**Qualitative Disclosures**

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) & Basel III are as follows:

- Collateralised transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- i. Cash and Certain Deposits.
- ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii. Securities issued by Central and State Governments
- iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v. Life insurance policies
- vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii. Units of mutual funds subject to conditions
- ix. Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. **Guarantees** Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:
 - i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;
 - ii. Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.
 - iii. When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

बैंक एक्सपोजर के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल-III के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन से पूर्व, पात्र सम्पार्थिकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटियों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया कुल ऋण जोखिम: पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरांत- ₹ 3993.86 करोड़

तालिका डी.एफ. 7. प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों के प्रकटीकरण की नीति के उद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

- 1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।
- 1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।
- 1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करना ।
- 1.4 पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन करना।
- 1.5 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।
- 1.6 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय-विक्रय ।
- 1.7 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

2. अधिशेष निधियों का अभिनियोजन : पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

हालाँकि, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मानकीकृत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

मानक समूह आस्तियों का समनुदेशन. : ₹ 14.59 करोड़

तालिका डी.एफ. 8. ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखिम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों तथा बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखिम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts –Rs. **3993.86 Crores**

Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

1. For Raising Resources

- 1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.
- 1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, in case of need, to reduce the maturity mismatches.
- 1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.
- 1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.
- 1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.
- 1.6 To maximize the returns by churning assets fast.
- 1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities.

Bank has Assignment of Standard Pool Assets- Rs. 14.59 Crores (balance o/s)

Table DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	राशि - ₹/करोड़
ब्याज दर जोखिम	442.01
शेयर स्थिति जोखिम	48.24
विदेशी विनिमय जोखिम	शून्य

तालिका डी.एफ. 9. परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने "परिचालन जोखिम प्रबंधन "और" व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी प्रबंधन" पर नीतियां तैयार की हैं। बैंक का निदेशक मण्डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोनल ऑफिस / हेड ऑफिस से " हानि आंकड़ों "एकत्र कर रहा है और यह तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है।

बैंक के पास बैंक के समग्र परिचालन जोखिम के प्रबंधन को लागू करने के लिए लॉस डाटा प्रबंधन ढांचा है।

बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरसीएसए ढांचे के अनुसार किसी विशेष उत्पाद या गतिविधि से उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) कार्यशाला आयोजित कर रहा है। आरसीएसए कार्यशाला का परिणाम समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है। आगे बैंक शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए तिमाही आधार पर पहचाने गए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की निगरानी कर रहा है और इसलिए अंतर्निहित मुद्दों और संभावित हानियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित / कम करने की कोशिश कर रहा है जो केआरआई ढांचे के उद्देश्यों में से एक है।

परिचालनात्मक जोखिम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) गठित की गई है।ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साइट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग सम्पन्न करता है।

हाउस कीपिंग, समायोजन एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग,समायोजन विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरतायोजना से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक बेसिक इंडिकेटर एप्रोच का अनुपालन कर रहा है। तथापि परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजीप्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ-साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ. 10. बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय-क्षेत्र तथा जोखिम सूचना-तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.-7 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य-पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt. - Rs/ Crores
Interest rate risk;	442.01
Equity position risk;	48.24
Foreign exchange risk;	NIL

Table DF 9 - OPERATIONAL RISK

The Bank has formulated Policies on “Operational Risk Management” and “Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management”. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is collecting “Loss Data” from Zonal Offices/Head Offices and the same is being placed before ORMC for review on quarterly Basis. The Bank has loss data management framework to comply with overall operational risk management of the Bank.

Bank is conducting Risk and Control Self-Assessment (RCSA) workshop to assess the risk emanating from a particular product or activity as per RCSA framework approved by the Board. The result of RCSA workshop is being placed before ORMC for review. Further Bank is monitoring identified Key Risk Indicators (KRI) on quarterly basis to identify the early warning signals and hence trying to proactively manage/ mitigate the underlying issues and potential losses which is one of the objectives of KRI framework.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Department of the bank undertakes onsite “Risk Based Internal Audit” (RBIA) of the branches.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following ‘Basic Indicator Approach’ for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF-8. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

- 1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।
- 1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विच्छ्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल-चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।
- 1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क. जोखिम पर आय

एक साल अन्तराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का परभाव	रु 0.76 करोड़
---	---------------

ख. आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि अंतर (एम.वी.ई.) - 1.35 %

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.
- 1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.
- 1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	Rs. 0.76 Crores
---	------------------------

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) –1.35 %

बासल- III के लिए प्रकटीकरण-31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ 1- अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक-प्रकटीकरण क) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो लेखा और समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र दोनों में समेकन के लिए विचारणीय नहीं है।	लागू नहीं
मात्रात्मक-प्रकटीकरण ग) ऐसी ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है	लागू नहीं
घ) सभी सहायक संस्थाओं की पूंजी की कमी की कुल राशि जिन्हें समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात जिन्हें घटाया गया है	लागू नहीं
ड.) बीमा संस्थाओं में लगी बैंक के समस्त हितों की वह कुल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य, जो जोखिम भारित हैं)	लागू नहीं
च) बैंकिंग समूह के भीतर फंड या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा	लागू नहीं

तालिका डी.एफ 2- पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय वैश्विक उच्च-कोटि की कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II तथा बासल III की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II तथा बासल III से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए जोखिम प्रबंधन की व्यापक संरचना कार्यरत है। जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम तथा प्रचालन जोखिम में वृद्धि के आधार के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोजर कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोखिम के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइकेप) का एक अच्छा ढांचा विकसित कर लिया है तथा स्तम्भ 1 के अंतर्गत पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 एवं बासल III के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा - बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :-

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त मानकीकृत अवधारणाओं को अपनाया है तथापि बैंक आंतरिक श्रेणी निर्धारण आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में अग्रसर रहेगा।

बैंक ने लोअर टियर II के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन-पत्र के कूपन जारी किए हैं, जिनका भुगतान वार्षिक/ अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्ड्स को देसी दर-निर्धारण एजेंसियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्ड्स राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:

- बॉण्ड्स की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 118 माह से 127 माह के बीच होती है।
- ये प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खण्ड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।

BASEL- III DISCLOSURES – QUARTER ENDED 31st MARCH 2019

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

<u>Qualitative Disclosures</u>	The Bank does not belong to any group
(a) List of group entities considered for consolidation	
(b) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation	Not Applicable
<u>Quantitative Disclosures</u>	
(c) List of group entities considered for consolidation	Not Applicable
(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted	Not Applicable
(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted.	Not Applicable
(f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group	Not Applicable

Table DF 2 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches.

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes / Debentures at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding bonds are listed at the National Stock Exchange Ltd., Mumbai. The other important features of these bonds are:

- The Bonds have a tenor ranging from 118 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.

- ये प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पाँच वर्षों के दौरान 20% प्रतिवर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टीयर II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।

इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टीयर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।

गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टीयर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टीयर II पूंजी के अन्य संगठक टीयर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि-रु/ लाखों में
- 9 % की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	426969.27
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

बाजार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं- मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि रु.लाखों में
- ब्याज दर जोखिम	44201.00
- विदेशी विनिमय जोखिम (सोने सहित)	200.00
- इक्विटी जोखिम	4824.09

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि रु. लाखों में
मूल सूचक दृष्टिकोण	39919.63

बैंक हेतु कुल तथा टीयर-1 पूंजी अनुपात :

बासल - III के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	10.93%
बासल - III के अनुसार कामन इक्विटी के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	7.80%
बासल - III के अनुसार टीयर.1 पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	9.50%

तालिका डी एफ 3 - ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा (वार्षिक समापन 2016-17 के लिए लागू)

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

- जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती हो।
- यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से 90 दिन से अधिक समय तक निरंतर अधिक रहती हैं तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी./सी.सी. के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।
- बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।
- अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।

- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20 % per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II Capital for Capital Adequacy purposes.

The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I Capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

Capital requirements for credit risk:

	Amt. in Lakhs
- Portfolios subject to standardized approach @ 9%	426969.27
- Securitization exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

	Amt. in Lakhs
Capital Charge on account of General Market Risk	
- Interest rate risk	44201.00
- Foreign exchange risk (including gold)	200.00
- Equity risk	4824.09

Capital requirements for operational risk:

	Amt. in Lakhs
Basic indicator approach	39919.63

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	10.93%
Common Equity Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	7.80%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	9.50%

Table DF 3 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under:

- Interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.

छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहती हैं।

यहां 'अनियमित' से अभिप्राय: एक खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर अधिक रहती है। उन मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत लिमिट/आहरण शक्ति से कम रहता है लेकिन उसमें तुलन पत्र की तिथि के 90 दिनों तक कोई जमाएं नहीं की जाती हैं या इस अवधि में जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज को वसूल करने के लिए कम हैं तो इन खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

यहां 'अतिदेय' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, जिसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर, भुगतान नहीं होता है।

उक्त के अतिरिक्त, एक खाते को निम्न शर्तों के अनुसार भी अनर्जक (एन.पी.ए.) वर्गीकृत किया जा सकता है:-

अस्थायी अनियमितताओं (लोव यमकि / खाते) संदर्भ आरबीआई एमसी बिंदु 4.2.4)

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और उससे बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एक आस्ति का गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को एक अग्रिम खाते का वर्गीकरण केवल कुछ विसंगतियों के होने पर नहीं करना चाहिए जोकि स्वरूप में अस्थायी होती हैं जैसे अंतिम उपलब्ध स्टॉक विवरणी के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति का उपलब्ध नहीं होना, अस्थायी रूप से लिमिट से अधिक बकाया बैलेंस होना, स्टॉक विवरणी को प्रस्तुत नहीं करना तथा देय तिथि पर लिमिट का गैर-नवीनीकरण आदि। खातों की ऐसी विसंगतियों के साथ वर्गीकरण के मामले में, बैंक निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं:

- बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण को चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किया जाए जैसा कि आपदा के समय चालू आस्तियों को पहले समायोजित किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरणी पर आहरण शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणियों की कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आहरण शक्ति का निर्धारण करते समय, स्टॉक विवरणियां तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तीन महीने से अधिक पुरानी स्टॉक विवरणी पर निर्धारित आहरण शक्ति पर आधारित बकाया राशि के निर्धारण को अनियमित माना जायगा।
- एक कार्यशील पूंजी खाता गैर-निष्पादक हो जायगा यदि खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनियमित आहरण शक्ति की स्वीकृति दी जाती है चाहे इकाई कार्य कर रही हो अथवा ऋणी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

नियमित तथा एकमुश्त ऋण सीमाओं को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने पहले पुनर्समीक्षा/नियमित किया जाना आवश्यक है। व्यवधानों के मामले में जैसे ऋणियों से वित्तीय विवरणियों की और अन्य आंकड़ों की अनुपलब्धता पर शाखा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण लिमिटों का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जायगा। किसी भी मामले में, सामान्य अनुशासन के तौर पर, छः महीने से अधिक का विलंब अपेक्षित नहीं है। अतः, एक खाते में जहाँ नियमित/एकमुश्त लिमिटों को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के अंदर पुनर्समीक्षा/नवीनीकरण नहीं किया गया है, को गैर-निष्पादक आस्ति माना जायगा।

उक्त के अतिरिक्त, बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संचित खाते (ख) कालातीत अवधि की कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय-विक्रय (ड) खातों का उन्नयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमाणन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हित धारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

- g) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Out of Order means : An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

Here, 'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

In addition to above, an account may also be classified as NPA in terms of the following:

Account with temporary deficiencies/irregularities (Refer RBI MC point 4.2.4)

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

The classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies banks may follow the following guidelines:

- i) Banks should ensure that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is required to be arrived at based on the stock statement which is current. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than three months. The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than three months, would be deemed as irregular.

A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

- ii) Regular and ad hoc credit limits need to be reviewed/ regularised not later than three months from the due date/date of ad hoc sanction. In case of constraints such as non-availability of financial statements and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewal/ review of credit limits is already on and would be completed soon. In any case, delay beyond six months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit, d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g)

Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

The main objective of Credit Risk Management Department is to effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimizing risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

ऋण जोखिम बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण-नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण-नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:-

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंधित जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचा :

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढाँचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक-मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण-उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल /जोखिम प्रबंधन समिति/ ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष , तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ-साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन / अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग/मूल्यांकन-बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन - शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell, Mid office and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager/ Deputy General Manager monitor the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.

- बैंक ऋण जोखिमों, जिनके विरुद्ध वे अनावृत हैं, को कम करने के लिए कई प्रकार की संपार्श्विकों और तकनीकों को स्वीकार करता है, बशर्ते संपार्श्विक कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं तथा बाध्यताधारी की चूक या ऋण विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने के मामले में संपार्श्विक आस्तियों को बेचने के बाद प्राप्त होने वाली प्राप्तियों पर बैंक को दावा करने की प्राथमिकता है।

जोखिम आंकलन :-

वर्तमान में ऋण जोखिम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

कुल सकल ऋण जोखिम का एक्सपोजर

	श्रेणी	राशि रु. / लाखों में
1	निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोजर	7274747.00
2	गैर निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोजर	403383.09

ऋण राशि का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि रु./लाखों में
1	विदेशी	शून्य
	- निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
	- गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
2	देशी	7274747.00
	- निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	403383.09
	- गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	403383.09

एक्सपोजर का उद्योगवार वितरण

राशि रु./लाखों में

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक	कुल
क. खाद्यान्न तथा उत्खनन	14496.52	14570.47	29066.99
क.1 कोयला/हार्ड लिगनाईट/पीट	21.67	9340.76	9362.43
क.2 अन्य खाद्यान्न	14474.86	5229.71	19704.57
ख. खाद्य प्रसंस्करण	96485.84	2193.88	98679.72
ख.1 चीनी	16232.89	100	16332.89
ख.2 खाद्य तेल और वनस्पति	16390.28	115.85	16506.13
ख.3 चाय	1501.85	20	1521.85
ख.4 कॉफी	1.17	0.15	1.32
ख.5 अन्य खाद्य प्रसंस्करण	62359.65	1957.88	64317.53
ग. बेवरेज एवं तंबाकू	29379.99	1790.92	31170.91
ग.1 तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	74.88	0	74.88
ग.2 बेवरेज एवं तंबाकू अन्य	29305.11	1790.92	31096.03
घ. कपड़ा उद्योग	139313.48	5894.82	145208.3
घ.1 कॉटन	81417.75	5084.36	86502.11
घ.1.1 स्पिनिंग	62991.75	5007.86	67999.61
घ.2 जूट	203.76	0	203.76
घ.2.1 स्पिनिंग	1.61	0	1.61
घ.3 हैंडीक्राफ्ट/खादी (एनपीएस)	2332.74	15.99	2348.73
घ.3.1 स्पिनिंग	944.73	13.31	958.04

- The Bank accepts a range of collaterals and techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed to, provided the collaterals are legally enforceable and the Bank has a priority claim on the sale proceeds of the collateralised assets in the case of obligor's default or occurrence of adverse credit events.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

	Category	Amt. in Lakhs
1	Fund Based Credit Exposures	7274747.00
2	Non Fund Based Credit Exposures	403383.09

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. in Lakhs
1	Overseas	NIL
	- Fund Based Credit Exposures	
	- Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	Domestic	
	- Fund Based Credit Exposures	7274747.00
	- Non Fund Based Credit Exposures	403383.09

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. in Lakhs

INDUSTRY NAME	FUNDED	NON FUND	TOTAL
A.MINING & QUARRYING	14496.52	14570.47	29066.99
A.1 COAL/HARD LIGNITE/PEAT	21.67	9340.76	9362.43
A.2 MINING OTHERS	14474.86	5229.71	19704.57
B.FOOD PROCESSING	96485.84	2193.88	98679.72
B.1 SUGAR	16232.89	100	16332.89
B.2 EDIBLE OILS & VANASPATI	16390.28	115.85	16506.13
B.3 TEA	1501.85	20	1521.85
B.4 COFFEE	1.17	0.15	1.32
B.5 FOOD PROC.- OTHERS	62359.65	1957.88	64317.53
C.BEVERAGES & TOBACCO	29379.99	1790.92	31170.91
C.1 TABACCO & TOBACCO PROD.	74.88	0	74.88
C.2 BEVERAGES & TOBACCO-OTHERS	29305.11	1790.92	31096.03
D.TEXTILES	139313.48	5894.82	145208.3
D.1 COTTON	81417.75	5084.36	86502.11
D.1.1 SPINNING	62991.75	5007.86	67999.61
D.2 JUTE	203.76	0	203.76
D.2.1 SPINNING	1.61	0	1.61
D.3 HANDICRAFT/KHADI (NPS)	2332.74	15.99	2348.73
D.3.1 SPINNING	944.73	13.31	958.04

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक	कुल
घ.4 सिल्क	4758.95	420.43	5179.38
घ.4.1 स्पिनिंग	1944.65	24.42	1969.07
घ.5 वूलन	852.1	0.13	852.23
घ.5.1 स्पिनिंग	28.57	0	28.57
घ.6 कपड़ा उद्योग अन्य	49748.19	349.62	50097.81
ड. चमड़ा-चमड़ा उत्पाद	20663.13	107.49	20770.62
च.लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	10780.56	717.46	11498.02
छ. कागज तथा कागज उत्पाद	3812.37	148.84	3961.21
ज. पेट्रो/ कोयला/नाभकीय ईंधन	43823.49	17.43	43840.92
झ.रसायन एवं रसायन उत्पाद	8462.76	578.75	9041.51
झ.1 फर्टीलाइजर	4.81	0	4.81
झ.2 इगस एवं फार्मा	1671.78	6.6	1678.38
झ.3 पेट्रो -रसायन	1077.66	50.41	1128.07
झ.4 रसायन एवं रसायन उत्पाद	5708.51	521.74	6230.25
ट. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद	18042.3	919.21	18961.51
ठ. कांच एवं इसके बने उत्पाद	1782.34	19.5	1801.84
ड. सीमेंट-सीमेंट उत्पाद	4106.4	7125.09	11231.49
ढ. मूल धातू-धातू उत्पाद	144242.62	3525.94	147768.56
ढ.1 लोहा और स्टील	113906.24	362.81	114269.05
ढ.2 अन्य धातू तथा धातू उत्पाद	30336.37	3163.14	33499.51
ण. समस्त इंजीनियरिंग	43989.25	5748.47	49737.72
ण.1 इलैक्ट्रानिक्स	1339.12	171.61	1510.73
ण.2 समस्त इंजीनियरिंग -अन्य	42650.12	5576.87	48226.99
त. वाहन/वाहन कलपुर्जे/टीपीटी औजार	32463.45	4010.03	36473.48
थ. रतन और आभूषण	4141.64	1	4142.64
द. निर्माण	57919.83	37427.7	95347.53
ध. मूलभूत आवश्यक तत्व	1606833.4	150277.11	1757110.51
ध.1 ट्रांसपोर्ट	314238.02	121724.19	435962.21
ध.1.1 रेलवे	31229.66	24133.7	55363.36
ध.1.2 रोडवेज	263604.66	77594.13	341198.79
ध.1.3 अन्य	5762.33	339.9	6102.23
ध.1.4 वाटरवेज	26.68	19497.4	19524.08
ध.1.5 अन्य	13614.69	159.06	13773.75
ध.2 ऊर्जा	683042.17	17646.77	700688.94
ध.2.1 इलैक्ट्रानिक्स (सामा./टीआरएमएन/डीटीबी)	682924.06	16816.56	699740.62
ध.2.2 तेल (एसटीआरजी/पाइपलाइन)	100.61	830.22	930.83
ध.2.3 गैस/ अल.अन. गी/पाइपलाइन)	17.5	0	17.5
ध.3 टेली कम्युनिकेशन	100278.4	188.58	100466.98
ध.4 मूलभूत आवश्यक तत्व-अन्य	509274.84	10717.58	519992.42
ध.4.1 वाटर सैनिटेशन	353221.63	1937.11	355158.74

INDUSTRY NAME	FUNDED	NON FUND	TOTAL
D.4 SILK	4758.95	420.43	5179.38
D.4.1 SPINNING	1944.65	24.42	1969.07
D.5 WOOLEN	852.1	0.13	852.23
D.5.1 SPINNING	28.57	0	28.57
D.6 TEXTILE-OTHERS	49748.19	349.62	50097.81
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	20663.13	107.49	20770.62
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	10780.56	717.46	11498.02
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	3812.37	148.84	3961.21
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	43823.49	17.43	43840.92
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	8462.76	578.75	9041.51
I.1 FERTILISERS	4.81	0	4.81
I.2 DRUGS AND PHARMA.	1671.78	6.6	1678.38
I.3 PETRO-CHEMICALS	1077.66	50.41	1128.07
I.4 CHEMICALS & CHEMICAL	5708.51	521.74	6230.25
J.RUBBER,PLASTIC & ITS PROD.	18042.3	919.21	18961.51
K.GLASS & GLASSWARE	1782.34	19.5	1801.84
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	4106.4	7125.09	11231.49
M.BASIC METAL & METAL PROD.	144242.62	3525.94	147768.56
M.1 IRON & STEEL	113906.24	362.81	114269.05
M.2 OTHER METAL & METAL PROD.	30336.37	3163.14	33499.51
N.ALL ENGINEERING	43989.25	5748.47	49737.72
N.1 ELECTRONICS	1339.12	171.61	1510.73
N.2 ALL ENGG. - OTHERS	42650.12	5576.87	48226.99
O.VEHCLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	32463.45	4010.03	36473.48
P.GEMS & JEWELLARY	4141.64	1	4142.64
Q.CONSTRUCTIONS	57919.83	37427.7	95347.53
R.INFRASTRUCTURE	1606833.4	150277.11	1757110.51
R.1 TRANSPORT	314238.02	121724.19	435962.21
R.1.1 -RAILWAYS	31229.66	24133.7	55363.36
R.1.2 -ROADWAYS	263604.66	77594.13	341198.79
R.1.3 -OTHERS	5762.33	339.9	6102.23
R.1.4 -WATERWAYS	26.68	19497.4	19524.08
R.1.5 -OTHERS	13614.69	159.06	13773.75
R.2 ENERGY	683042.17	17646.77	700688.94
R.2.1 -ELEC(GEN/TRMN/DTB)	682924.06	16816.56	699740.62
R.2.2 -OIL (STRG/PIPELINES)	100.61	830.22	930.83
R.2.3 -GAS/LNG	17.5	0	17.5
R.3 TELECOMMUNICATION	100278.4	188.58	100466.98
R.4 INFRA-OTHERS	509274.84	10717.58	519992.42
R.4.1 -WATER SANITATION	353221.63	1937.11	355158.74

उद्योग	निधि	गैर-निधि	कुल
ध.4.2 सामाजिक और कम्यूनिकेशन	156053.21	8780.46	164833.67
न. अन्य उद्योग	17211.4	1147.68	18359.08
प. अवशिष्ट	4976796.2	167161.28	5143957.48
प. क शिक्ष ऋण	24315.65	65.41	24381.06
प.ख.उड्डयन क्षेत्र	32047.68	4.69	32052.37
कुल योग	7274747.00	403383.09	7678130.09

उल्लेखनीय एक्सपोजर

उद्योग जहां कुल आधारित एक्सपोजर, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के 5% से अधिक है।

राशि- रु/लाखों में

क्र. सं.	उद्योग	एक्सपोजर
1	बुनियादी सुविधाएं	1757110.51
2	अवशिष्ट	5143957.48

आस्तियों का अविशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार

राशि- रु/ लाखों में

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप;समयावधि	ऋण एवं जोखिम	निवेश (बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमा राशियां	उधार
			देयताएं	आस्तियां		
अगला 1 दिन	100639.05	0.00	1561.00	10978.00	108752.01	0.00
2 दिन से 7 दिन	104532.18	9799.00	142.00	1159.35	168410.00	0.00
8 दिन से 14 दिन	77106.59	0.00	143.00	2530.00	90434.89	0.00
15 दिन से 30 दिन	142686.62	30881.00	934.00	7939.00	409817.60	0.00
31 दिनों से 2 माह	215042.96	49487.00	994.00	7966.67	786160.39	0.00
2 माह से अधिक 3 माह तक	109148.59	9027.00	1144.00	8506.00	402940.82	0.00
3 माह से अधिक 6 माह तक	288408.53	45015.00	2669.00	5963.00	1278639.25	0.00
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	267854.84	121839.00	20429.00	0.00	2846051.50	6500.00
1 वर्ष से अधिक 3वर्षों तक	1173137.33	209835.00	7465.00	12662.00	1941125.95	7400.00
3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	1613933.12	373009.00	972.00	0.00	946924.22	0.00
5 वर्षों से अधिक	2825063.51	1768401.00	0.00	0.00	876503.81	0.00
कुल योग	6917553.33	2617293.00	36453.00	57704.01	9855760.45	13900.00

एन-पी-ए- की राशि(सकल)

	श्रेणी	राशि-रूपए/-लाखों में
1.	अवस्तरीय	343728.99
2.	संदिग्ध 1	96915.12
3.	संदिग्ध 2	312124.72
4.	संदिग्ध 3	104746.90
5.	हानि	3071.05
	कुल	860586.78

INDUSTRY NAME	FUNDED	NON FUND	TOTAL
R.4.2 -SOCIAL & COMM.	156053.21	8780.46	164833.67
S.OTHER INDUSTRIES	17211.4	1147.68	18359.08
T.Residuary	4976796.2	167161.28	5143957.48
a.Education	24315.65	65.41	24381.06
b.Aviation	32047.68	4.69	32052.37
TOTAL :	7274747.00	403383.09	7678130.09

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. in Lakhs

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	1757110.51
2	Residuary	5143957.48

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. In Lakhs

Maturity Pattern's (Time Buckets)	LOANS & ADVANCES (Standard loan+PCA+Bill)	INVESTMENTS (Book Value)	FOREIGN CURRENCY		DEPOSITS	BORROWINGS
			LIABILITIES	ASSETS		
Next 1 Day	100639.05	0.00	1561.00	10978.00	108752.01	0.00
2 Days To 7 Days	104532.18	9799.00	142.00	1159.35	168410.00	0.00
8 Days To 14 Days	77106.59	0.00	143.00	2530.00	90434.89	0.00
15 Days To 30 Days	142686.62	30881.00	934.00	7939.00	409817.60	0.00
31 Days To 2 Months	215042.96	49487.00	994.00	7966.67	786160.39	0.00
Over 2 Months To 3 Months	109148.59	9027.00	1144.00	8506.00	402940.82	0.00
Over 3 Months To 6 Months	288408.53	45015.00	2669.00	5963.00	1278639.25	0.00
Over 6 Months To 1 Year	267854.84	121839.00	20429.00	0.00	2846051.50	6500.00
Over 1 Year To 3 Years	1173137.33	209835.00	7465.00	12662.00	1941125.95	7400.00
Over 3 Years To 5 Years	1613933.12	373009.00	972.00	0.00	946924.22	0.00
Over 5 Years	2825063.51	1768401.00	0.00	0.00	876503.81	0.00
GRAND TOTAL	6917553.33	2617293.00	36453.00	57704.01	9855760.45	13900.00

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. in Lakhs
1	Substandard	343728.99
2	Doubtful 1	96915.12
3	Doubtful 2	312124.72
4	Doubtful 3	104746.90
5	Loss	3071.05
	Total	860586.78



निवल:- एन.पी.ए.

राशि- रु./लाखों में

निवल:- एन.पी.ए.	499422.08
-----------------	-----------

एन-पी-ए-अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1.	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए.	11.83%
2.	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए.	7.22%

एन-पी-ए-(सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि. रु./लाखों में
अथशेष	780164.73
जमा	366637.41
कमी	286215.36
इतिशेष	860586.78

एन-पी-ए- हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

राशि. रु./लाखों में

क्रम संख्या	प्रावधान	अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान
	अथ शेष	315417.75
जमा	अवधि (अ) के दौरान किए गए प्रावधान	219389.98
घटाएं :	अपग्रेड किए गए खाते	7416.90
	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे में डालना/प्रतिलेखन	157444.81
	बंद (एनपीए) खातों में उत्क्रमण	13585.71
	उप-योग (ब)	178447.42
	अंतिम शेष	356360.31

बट्टे खाते में डाले गए तथा वसूलियों का विवरण जो आय विवरणी में सीधे बुक किए गए

रुपए लाखों में

तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज	2629.03
विविध आय - तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	15972.47
कुल	18601.50

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि- रु./लाखों में
गैर-निष्पादित निवेशों की राशि	38267.53

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि- रु./लाखों में
गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	20846.80

Net NPAs**Amt. in Lakhs**

Net NPAs	499422.08
----------	-----------

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	11.83%
2	Net NPAs to Net advances	7.22%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. in Lakhs
Opening Balance	780164.73
Additions	366637.41
Reductions	286215.36
Closing Balance	860586.78

Movement of Provisions for NPAs**Amt. in Lakhs**

Sl.No	Provision	Provisions for NPAs
	Opening Balance	315417.75
Add	Provisions made during the period (A)	219389.98
Less:	Upgraded Accounts	7416.90
	Write-off/ Write-back of excess provisions	157444.81
	Reversal in closed (NPA) accounts	13585.71
	Sub- Total (B)	178447.42
	Closing Balance	356360.31

Details of write offs & recoveries that have been booked directly to the Income statement**Amt. in Lakhs**

Interest Income Recovered- Technically Written Off Cases	2629.03
Miscellaneous Income-Recovery In Technical Write Off A/Cs	15972.47
TOTAL	18601.50

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. in Lakhs
Amount of Non-Performing Investments	38267.53

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. in Lakhs
Provisions held for non-performing investments	20846.80

निवेश पर मूल्य हास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि. रु/लाखों में
अथ शेष	11505.42
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(1895.01)
बट्टे खाते खोलना	0.00
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	(1618.43)
इतिशेष	7991.98

शीर्ष उद्योगों में गैर-निष्पादित आस्तियों का विश्लेषण

राशि- रु/लाखों में

उद्योग	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां	गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान
5 शीर्ष उद्योगों में गैर-निष्पादित आस्तियां	382200.64	191452.18

गैर-निष्पादित आस्तियों तथा प्रावधान का भूगोल वार वितरण

राशि- रु/लाखों में

उद्योग	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां	गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान
घरेलू	860586.78	356360.31	26980.62
विदेशी	0.00	0.00	0.00

तालिका डी.एफ.- 4 - ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है तैशब ,बासेल-II के अंतर्गत सी.रआ.ए.रआ. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।
- बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
- जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
- जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
- आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. in Lakhs
Opening Balance	11505.42
Provisions made during the period	(1895.01)
Write-off	0.00
Write-back of excess provisions	(1618.43)
Closing Balance	7991.98

Major Industry Breakup of NPA

	Amt. in Lakhs	
Industry	Gross NPA	Provision for NPA
NPA in Top 5 Industries	382200.64	191452.18

Geography wise Distribution of NPA & Provision

	Amt. in Lakhs		
Industry	Gross NPA	Provision for NPA	Provision for Standard Advances
Domestic	860586.78	356360.31	26980.62
Overseas	0.00	0.00	0.00

Table DF 4 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH**Qualitative Disclosures**

- The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II & Basel III as defined by RBI.
- The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
- For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
- To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
- For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोखिम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अल्पावधि श्रेणी के साथ (1 वर्ष तक) के अल्पावधि ऋण के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र है, हमारे बैंक में प्रचलन में पहले से ही है।
8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलगगलअ- जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोखिम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इन दोनों जोखिम भारों में उच्चतर जोखिम भार को लागू किया गया है, अर्थात् दूसरा सबसे न्यूनतम जोखिम भार।
9. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेंसी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
 - i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर -निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
 - ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद भार राशि

राशि. ₹/लाखों में

जोखिम भार श्रेणी	ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार
100 % जोखिम भार से कम	5830577.40
100 %जोखिम भार	1246247.08
100% जोखिम भार से अधिक	608697.53
कटौती	1814940.72
कुल	5870581.29

तालिका डी.एफ. 5.

ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमोंको कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाने हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात्, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल-II तथा बेसल-III) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :-

- सम्पाशिवक संचालन
- ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
- गारंटियाँ

6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
7. The **Short**-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for short-term exposures.
A mechanism for mapping of internal ratings of short term loans (up to 1 year) with Short Term ratings of External Credit Rating Agencies, on similar lines as risk weight mapping given by RBI, is already in vogue in our bank.
8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *paripassuor* senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *paripassuor* junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. in Lakhs

Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	5830577.40
100 % risk weight	1246247.08
More than 100 % risk weight	608697.53
Deducted	1814940.72
TOTAL	5870581.29

Table DF 5 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) & Basel III are as follows:
 - Collateralised transactions
 - On-balance-sheet-netting
 - Guarantees

2. पात्र वित्तीय सम्पार्थिक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी सम्पार्थिकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय सम्पार्थिक निम्नलिखित हैं:-

- 1.) नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।
- 2.) सोना : 99.99 प्रतिशत की शुद्धता प्रमाणित करना।
- 3.) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
- 4.) किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।
- 5.) जीवन-बीमा पॉलिसियाँ।
- 6.) ऋण-प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
- 7.) बैंक द्वारा शर्तों के अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।
- 8.) शर्तों के अनुसार म्यूच्युअल फंडों के यूनिट्स।
- 9.) पुनः प्रत्याभूतन (रीसिक्यूरिटाइजेशन), क्रेडिट रेटिंग हो या न हो, वित्तीय संपार्थिक के पात्र नहीं।

सांपार्थिक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर सम्पार्थिक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और सम्पार्थिक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (सांपार्थिक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है, जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ : जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। बासल-II तथा बासल-III के अनुसार पात्र गारंटियों/प्रति गारंटियों के वर्ग में ये शामिल हैं :

- i) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी.एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.आई., सी.आर.जी.एफ.टी.एल.आई. एच. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राइमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारत जोखिम युक्त हैं।
- ii) किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।
- iii) ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित है बी.बी.बी.- अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए- अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।

बैंक एक्सपोजर के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल-III के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमोंका समंजन से पूर्व, पात्र सम्पार्थिकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटियों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण कवर किया गया। कुल ऋण जोखिम: पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरान्त रु. Rs. 399385.74 लाख

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- i. Cash and Certain Deposits.
- ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii. Securities issued by Central and State Governments
- iv. KisanVikas Patra and National Savings Certificates
- v. Life insurance policies
- vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii. Units of mutual funds subject to conditions
- ix. Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

- i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;
- ii. Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- iii. When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – **Rs.399385.74 lakhs**

तालिका डी.एफ.- 6- प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकरण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों के प्रकटीकरण की नीति के उद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

- 1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।
- 1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।
- 1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करना ।
- 1.4 पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन करना।
- 1.5 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।
- 1.6 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय-विक्रय ।
- 1.7 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

2. अधिशेष निधियों का अभिनियोजन: पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

हालाँकि, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मानकीकृत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

मानक समूह आस्तियों के प्रतिभूतिकरण (समनुदेशन) के अंतर्गत ऋण जोखिम (बकाया शेष) रु.1459.24 लाखों में ।

तालिका डी.एफ.- 7- ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखिम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों तथा बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखिम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

पूंजी आवश्यकता	राशि. रु/लाखों में
ब्याज दर जोखिम	44201.00
ईक्विटी स्थिति जोखिम	4824.09
विदेशी विनिमय जोखिम	शून्य

Table DF 6 - SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH**1. For Raising Resources**

- 1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.
- 1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, in case of need, to reduce the maturity mismatches.
- 1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.
- 1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.
- 1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.
- 1.6 To maximize the returns by churning assets fast.
- 1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities.

Exposure (balance outstanding) under Assignment of Standard Pool Assets - **Rs 1459.24Lakhs**

Table DF 7 - MARKET RISK IN TRADING BOOK**Qualitative disclosures**

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt. in Lakhs
Interest rate risk;	44201.00
Equity position risk;	4824.09
Foreign exchange risk;	NIL

तालिका डी.एफ.- 8- परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने “ परिचालन जोखिम प्रबंधन “ और “ व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी प्रबंधन” पर नीतियां तैयार की हैं। बैंक का निदेशक मण्डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोनल ऑफिस / हेड ऑफिस से “ हानि आंकड़ों “ एकत्र कर रहा है और यह तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है।

बैंक के पास बैंक के समग्र परिचालन जोखिम के प्रबंधन को लागू करने के लिए लॉस डाटा प्रबंधन ढांचा है। बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरसीएसए ढांचे के अनुसार किसी विशेष उत्पाद या गतिविधि से उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) कार्यशाला आयोजित कर रहा है। आरसीएसए कार्यशाला का परिणाम समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है। आगे बैंक शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए तिमाही आधार पर पहचाने गए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की निगरानी कर रहा है और इसलिए अंतर्निहित मुद्दों और संभावित हानियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित / कम करने की कोशिश कर रहा है जो केआरआई ढांचे के उद्देश्यों में से एक है।

परिचालनात्मक जोखिम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग सम्पन्न करता है।

हाउस कीपिंग, समायोजन एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समायोजन विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरतायोजना से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक बेसिक इंडिकेटर एप्रोच का अनुपालन कर रहा है।

तालिका डी.एफ.- 9- बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम (आई.आर.आर.बी.बी.)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय-क्षेत्र तथा जोखिम सूचना-तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.-7 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य-पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

- 1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।
- 1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विच्छ्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल-चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।
- 1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क. जोखिम पर आय

राशि- रु./लाखों में

एक वर्ष अंतराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव

75.54

ख. आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि (एम.वी.ई.)- 1.35 %

Table DF 8 - OPERATIONAL RISK**Qualitative disclosures**

The Bank has formulated Policies on “Operational Risk Management” and “Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management”. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is collecting “Loss Data” from Zonal Offices/Head Offices and the same is being placed before ORMC for review on quarterly Basis. The Bank has loss data management framework to comply with overall operational risk management of the Bank.

Bank is conducting Risk and Control Self-Assessment (RCSA) workshop to assess the risk emanating from a particular product or activity as per RCSA framework approved by the Board. The result of RCSA workshop is being placed before ORMC for review. Further Bank is monitoring identified Key Risk Indicators (KRI) on quarterly basis to identify the early warning signals and hence trying to proactively manage/ mitigate the underlying issues and potential losses which is one of the objectives of KRI framework.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Department of the bank undertakes onsite “Risk Based Internal Audit” (RBIA) of the branches.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following ‘Basic Indicator Approach’ for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 9 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)**Qualitative disclosures**

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF – 7. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.
- 1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.
- 1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures**a) Earning at Risk****Amt. in Lakhs**

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	75.54
---	-------

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) – 1.35 %

तालिका डी.एफ.10 प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम संबंधी अवस्थिति के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण

प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम (सी.सी.आर) भुगतान से पूर्व अथवा भुगतान की तिथि को लेन-देन के निपटान के समय प्रतिपक्ष द्वारा की गई चूक वाला जोखिम है। प्रतिपक्ष की ऋण सीमाएं (अंतर बैंक सीमाएं) एएलएम नीति के अंतर्गत तय की जाती हैं और एएलएम नीति के माध्यम से ही निगरानी रखी जाती है। प्रतिपक्ष के साथ किए गए सभी व्युत्पाद लेन-देन का मूल्यांकन बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पाद नीति (डेरिवेटिव पालिसी) के माध्यम से किया जाता है। हालांकि बैंक ने कोई व्युत्पाद लेन-देन नहीं किया।

गलत तरीके से हुए ऋण जोखिम के लिए बैंक की कोई नीति नहीं है।

बैंक को अभी किसी ऋण सहायक अनुबंध (सी.एस.ए.) समझौता प्रतिपक्षों के साथ करना है और इसका प्रभाव वर्तमान में अपरिमाण्य है।

मात्रात्मक

बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता है।

(रूपए/-लाखों में)

विवरण	सांकेतिक राशि	वर्तमान अवस्थिति
विदेशी मुद्रा संविदाएं	429150.10	13246.90

बैंक के पास कोई व्युत्पाद अवस्थिति(एक्सपोजर)/लेन -देन नहीं है।

तालिका डी.एफ.11. पूंजी की रचना

(रूपए/-लाखों में)

विनियामक समायोजनों के संक्रमण के 31 मार्च 2017 से			संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत व आरक्षित		
1	प्रत्यक्षतः जारी सामान्य अर्हता शेयर पूंजी एवं तत्संबंधी अधिशेष स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	250246.66	
2	प्रतिधारित उपार्जन	32310.63	
3	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	234456.35	
4	सीईटी 1 से प्रत्यक्षतः जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कम्पनियों 1 पर लागू) 1.1.2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र को पैतृक रूप से उपलब्ध कराई गई पूंजी	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी व तीसरे पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह हेतु स्वीकृत राशि)	0	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	517013.64	
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	
8	साख (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0	
9	बंधक सर्विसिंग अधिकार के अतिरिक्त अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	625	
10	आस्थगित कर आस्तियां	0	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	0.00	
12	अनुमानित हानि हेतु किए गए प्रावधानों में कमी	0.00	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देनदारियों पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण हुआ लाभ एवं हानि	0.00	
15	निर्धारित लाभ पेशन फंड निवल सम्पत्तियां	0.00	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि पूर्व में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र में प्रदत्त पूंजी में निर्धारण न किया गया हो)	0.00	

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk**Qualitative Disclosures**

Counter Party Credit Risk (CCR) is the risk of default by the Counterparty towards settlement of transaction before or at the maturity. Counter party credit limits (Inter Bank limits) are set up and monitored through ALM Policy. All the Derivative Transactions with the Counterparty are to be evaluated through Board approved Derivative Policy of the Bank. However, Bank is not having any Derivative Transactions at present.

Bank does not have any policy related to Wrong Way Risk exposure.

Bank is yet to enter into any Credit Support Annex (CSA) Agreement with its Counterparties and such impact is currently not quantifiable.

Quantitative Disclosures

Bank does not recognize bilateral netting. For reporting purpose total exposure is considered.

Amt. in Lakhs

Particulars	Notional Amount	Current Exposure
Foreign Exchange Contracts	429150.10	13246.90

Bank is not having any derivative exposure/transactions.

Table DF 11 – Composition of Capital**Amt. in Lakhs**

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017			Ref No.
S.No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	250246.66	
2	Retained earnings	32310.63	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	234456.35	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies ¹) Public sector capital injections grandfathered until 1/1/2018	n.a.	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	n.a.	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	517013.64	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	
9	Intangibles (net of related tax liability)	625	
10	Deferred tax assets (associated with accumulated losses (net of eligible DTL) to be deducted in full from CET1)	0.00	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	

17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर प्रतिधारिता	0.00	
18	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, जो विनियामक समेकन में सम्मिलित नहीं की जा सकती, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00	
19	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार (आरम्भिक 10प्रतिशत से अधिक राशि की सीमा)	0.00	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	संबंधित नहीं	
21	अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियाँ (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल),	59669.14	यह जोखिम भारित किया गया है।
22	आरम्भिक 15प्रतिशत से अधिक की राशि	संबंधित नहीं	
23	जिसका: वित्त के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	संबंधित नहीं	
24	जिसका: बंधक सर्विसिंग अधिकार	संबंधित नहीं	
25	जिसका: अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	
26	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी)	0.00	
26ए	असमेकित बीमा सहायिकाएं की इक्विटी पूँजी में निवेश		
26बी	असमेकित गैर-वित्तीय सहायिकाएं की इक्विटी पूँजी में निवेश	संबंधित नहीं	
26सी	बहुसंख्यक स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूँजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई	संबंधित नहीं	
26डी	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	संबंधित नहीं	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु टियर 1 के सामान्य ईक्विटी पर लागू विनियामक समायोजन	0	
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर कुल विनियामक समाशोधन	60294.14	
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीडीटी1)	456719.50	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत		
30	प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस (31++32)	0.00	
31	जिसका: निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन ईक्विटी के रूप में परिभाषित (स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर)	0.00	
32	जिसका: निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन देयताओं के रूप में परिभाषित (स्थायी ऋण लिखत)	0.00	
33	अतिरिक्त टियर 1 में असम्मिलित प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	0.00	
34	अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीडीटी1 लिखत, जिसे पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है।), जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह एटी1 हेतु स्वीकृत है।)	0.00	
35	जिसका: सहायक कम्पनियों द्वारा जारी लिखत, जिसे निकाल दिया गया हो	0.00	
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	0.00	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन		
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर1 के लिखत में निवेश	0.00	

17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0.00	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold) ³	0.00	
20	Mortgage servicing rights ⁴ (amount above 10% threshold)	Not Relevant	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	59669.14	Amount upto 10% has been Risk Weighted
22	Amount exceeding the 15% threshold	n.a.	
23	of which: significant investments in the common stock of financials	n.a.	
24	of which: mortgage servicing rights	n.a.	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c)	n.a.	
26a	Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries ⁸		
26b	Investments in the equity capital of unconsolidated nonfinancial subsidiaries ⁸	n.a.	
26c	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank ⁹	n.a.	
26d	Unamortised pension funds expenditures	n.a.	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.0	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	60294.14	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	456719.50	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0.00	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	

38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0.00	
39	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 100% से अधिक शेयरधारिता ना होए की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00	
40	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश, (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	0.00	
41ए	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायिकाएं का अतिरिक्त टियर I पूँजी में निवेश।	0.00	
41बी	जिसमें से: सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गईं, के अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी	0.00	
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु अतिरिक्त टियर-1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी पर लागू कुल विनियामक समायोजन	0.00	
44	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी (एटी1)	100000.00	
45	(टियर-1 पूँजी (टी1 +सीईटी1+ एटी1) (पंक्ति 29++ पंक्ति 44ए)	556719.50	
टियर-2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्षतः जारी पात्र टियर 2 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस	0.00	
47	टियर-2 में से प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	54800.00	सबार्डीनेट ऋण
48	टियर-2 लिखत (एवं पंक्ति 5 अथवा 34 में सम्मिलित नहीं किए गए सीईटी1 और एटी1 लिखत) जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह टियर-2 हेतु स्वीकृत की गयी हो।)	0.00	
49	जिसका: निकाले गए लिखत जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों	0.00	
50	प्रावधान	28977.72	
51	विनियामक समायोजन से पूर्व टियर-2 पूँजी	83777.72	
टियर-2 पूँजी: विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर-2 लिखत में निवेश	0.00	
53	टियर-2 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0.00	
54	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 10प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00	
55	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00	
56	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (56 ए + 56 बी)	0.00	
56 ए	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायिकाओं की टियर II पूँजी में निवेश।		
56बी	सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनियों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गईं, के टियर-2 पूँजी में कमी	0.00	
57	टियर-2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	0.00	

38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions ¹⁰)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments	0.00	
41a	Of which : Investment in the Additional Tier I capital of unconsolidated insurance subsidiaries.	0.00	
41b	Of which : Shortfall in the Additional Tier I capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank..		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0.00	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	100000.00	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)	556719.50	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	54800.00	Subordinate Debt
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	n.a.	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	n.a.	
50	Provisions	28977.72	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	83777.72	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	Of which : Investment in the Tier II capital of unconsolidated insurance subsidiaries.		
56b	Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	0.00	

58	टियर-2 पूँजी (टी2)	83777.72	
59	कुल पूँजी (टीसी =टी1+टी2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58)	640497.23	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (पंक्ति 60ए+पंक्ति 60बी+पंक्ति 60सी)	5858411.92	
60ए	जिसका: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	4744102.96	
60बी	जिसका: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	615313.62	
60सी	जिसका: कुल परिचालित जोखिम भारित आस्तियां	498995.34	
	पूँजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.80%	
62	टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.50%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.93%	
64	संस्था विषयक बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता सह पूँजी अभिरूपता एवं प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.375%	
65	जिसका: पूँजी अभिरूपता बफर आवश्यकता	1.875%	
66	जिसका: बैंक विषयक प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	-	
67	जिसका: जी.एसआईबी बफर आवश्यकता	-	
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	2.30%	
	राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासल III से भिन्न है)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	7.00%	
71	राष्ट्रीय सकल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	9.00 %	
	कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारित से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	30262.95	
73	वित्तीय कम्पनियों की सामान्य पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश)	0.00	
75	अस्थायी भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	51638.86	
	टियर-2 में प्रावधानों के समेकन पर लागू उच्चतम सीमा		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण से एक्सपोजर के संदर्भ में टियर-2 में समेकन हेतु प्रात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	28977.72	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर-2 में प्रावधानों के समेकन की उच्चतम सीमा	59301.29	
78	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण आधार पर एक्सपोजर के संदर्भ में टियर 2 में समेकन हेतु प्रात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण से टियर 2 में प्रावधानों के समेकन हेतु उच्चतम सीमा	लागू नहीं	
	फ्रेज आउट की व्यवस्था पर पूँजी लिखत (केवल 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच लागू)		

58	Tier 2 capital (T2)	83777.72	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58)	640497.23	
60	Total risk weighted assets (row 60a +row 60b +row 60c)	5858411.92	
60a	of which: total credit risk weighted assets	4744102.96	
60b	of which: total market risk weighted assets	615313.62	
60c	of which: total operational risk weighted assets	498995.34	
	Capital ratios and buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.80%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.50%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.93%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	-	
67	of which: G-SIB buffer requirement	-	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.30%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00 %	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financials	30262.95	
73	Significant investments in the common stock of financials	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	51638.86	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	28977.72	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	59301.29	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	n.a.	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	n.a.	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)		

80	फ्रेज आउट की व्यवस्था पर सीईटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा	भारत में लागू नहीं	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)		
82	फ्रेज आउट की व्यवस्था पर एटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा		
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)		
84	फ्रेज आउट की व्यवस्था पर टी 2 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा		
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)		

तालिका डी.एफ.-12 - पूँजी का संयोजन -समाधान अपेक्षाएं

लागू नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरण में दिया गया बैंक का तुलन पत्र और विनियामक दायरे के अंतर्गत आने वाला तुलनपत्र एक से हैं।

80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Not applicable in India	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		

Table DF 12 –Composition of Capital- Reconciliation Requirements-

Not applicable as the Bank's Balance sheet as in Financial Statement is same as Balance sheet under regulatory scope of consolidation

डी-एफ-13-विनियामक पंजी लिखतों मुख्य विशेषताएं

	टियर-2 बाण्डस (सबाईनोट ऋण लिखत)	सीरीज-X=400करोड	सीरीज-XI=175करोड	सीरीज-XII=200करोड	सीरीज-XIII=300करोड	सीरीज-XIII=500करोड	
क्रम सं.	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकीर्ण टेम्पलेट (डिस्कलोजर टेम्पलेट)	सीरीज-X=400करोड	सीरीज-XI=175करोड	सीरीज-XII=200करोड	सीरीज-XIII=300करोड	सीरीज-XIII=500करोड	रेटी 1 बॉन्डों :-श्रृंखला 1 =1000 करोड़
1.	जारीकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
2.	यूनिक पहचानकर्ता(अर्थात् सी-यूएस-आई-पी-, आई-एफ-आई-एन- अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए दस्तावेज़ी पहचानकर्ता)	आई-एन-ई-608ए09098	आई-एन-ई-608ए09114	आई-एन-ई-608ए09122	आई-एन-ई-608,09130	आई-एन-ई-608,08017	INE608A08025
3.	लिखत के शर्तों विधान	प्रतिभूति संधिदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपकरण) अधिनियम का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टोक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम एवं प्राप्ति, 1956 के अनुबंध-ग एवं / अथवा अनुबंध-घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संधिदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपकरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टोक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम एवं प्राप्ति, 1956 के अनुबंध-ग एवं / अथवा अनुबंध-घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संधिदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपकरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टोक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम एवं प्राप्ति, 1956 के अनुबंध-ग एवं / अथवा अनुबंध-घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संधिदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपकरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टोक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम एवं प्राप्ति, 1956 के अनुबंध-ग एवं / अथवा अनुबंध-घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संधिदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपकरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टोक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम एवं प्राप्ति, 1956 के अनुबंध-ग एवं / अथवा अनुबंध-घ में यथा उल्लिखित उपबंध	दिनांक 06 जून, 2008 के परिपत्र संख्या एनएडी-एनआरओ/जीएन/2008/13/127878 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिकृतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2012 के परिपत्र संख्या CIR/IMD/DF/18/2013) तथा परिपत्र दिनांक 31 जनवरी, 2014 संख्या Lad-Nro/Gn/2013-14/43/207 द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिकृतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2014 संख्या Lad-Nro/Gn/2013-14/43/207 द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिकृतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2014 संख्या Lad-Nro/Gn/2014-15/25/539 यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिकृतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2015 और भा.रि. बैंक दिनांक 01-07-2015 संख्या RBI/2015-16/58 DBR, No.BP.BC/1/21.06.201/2015-16, अधिसूचना दिनांक 14.01.2016 संख्या RBI/2015-16/285 DBR, No.BP.BC.71/21.06.201/2015-16, अधिसूचना दिनांक 01.03.2016 संख्या RBI/2015-16/331 DBR.NO.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 तथा अधिसूचना दिनांक 02.02.2017 संख्या NO.DBR BP, BC NO./ 50/ 21.06.201/2016-17
4.	विनियामक व्यवहार	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर 1
5.	पोस्ट ट्रांजिशनल बेसल-III नियम	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर 1

Table DF 13 – Main features of Regulatory Capital Instruments

S. N	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	Series- X =400 crore	Series- XI = 175 crore	Series - XII =200 crore	Series- XIII =300 crore	Series- XIV =500 crore	PSB AT-1 BONDS:SERIES 1
1	Issuer	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE608A09098	INE608A09114	INE608A09122	INE608A09130	INE608A08017	INE608A08025
3	Governing law(s) of the instrument	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008, AS AMENDED BY SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012 AND CIR/IMD/DF/18/2013 DATED OCTOBER 29, 2013) AND THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207 DATED JANUARY 31, 2014 AS AMENDED SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2015 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2014-15/25/539 DATED MARCH 24, 2015 AND RBI CIRCULAR NO.RBI/2015-16/58 DBR. No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 DATED 01.07.2015, NOTIFICATION NO. RBI/2015-16/285 DBR.NO.BP. BC.71/21.06.201/2015-16 DATED 14.01.2016, RBI/2015-16/331 DBR.NO.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 DATED 01.03.2016 AND NOTIFICATION NO. DBR. BP.BC.NO.50/21.06.201/2016-17 DATED 02.02.2017.	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008, AS AMENDED BY SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012 AND CIR/IMD/DF/18/2013 DATED OCTOBER 29, 2013) AND THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207 DATED JANUARY 31, 2014 AS AMENDED SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2015 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2014-15/25/539 DATED MARCH 24, 2015 AND RBI CIRCULAR NO.RBI/2015-16/58 DBR. No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 DATED 01.07.2015, NOTIFICATION NO. RBI/2015-16/285 DBR.NO.BP. BC.71/21.06.201/2015-16 DATED 14.01.2016, RBI/2015-16/331 DBR.NO.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 DATED 01.03.2016 AND NOTIFICATION NO. DBR. BP.BC.NO.50/21.06.201/2016-17 DATED 02.02.2017.
	Regulatory treatment						
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier I

6.	एकल/समूह/ समूह तथा एकल स्तर पर पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7.	लिखित स्वरूप	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर I लिखित	एकल
8.	विनियामक पूंजी के अंतर्गत मान्य राशि- (करोड़ रुपया में)	रुपए 0 करोड़	रुपए- 0 करोड़	रुपए-28 करोड़	रुपए 72 करोड़	रुपए 500 करोड़	रुपए 1000 करोड़
9.	लिखित का सममूल्य	रुपए 1000000	रुपए 1000000	रुपए 1000000	रुपए 1000000	रुपए 1000000	रुपए 1000000
10.	लेखांकन के अनुसार वगीकरण	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)
11.	जारी करने की मूल तिथि	22-09-2008	26-06-2009	11-01-2010	24-06-2011	19-10-2016	08.05.2017
12.	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	सतत
13.	मूल परिपक्वता तिथि	22-04-2019	26-04-2019	11-04-2020	24-10-2021	19-10-2026	लागू नहीं
14.	जारी कर्तों की कॉल, पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन की शर्त पर।	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी हाँ	जी नहीं	जी हाँ - लिखित के न्यूनतम 5 वर्ष तक चलने के बाद लिखित पर कॉल का विकल्प स्वीकार्य है जोकि भा.रि. बैंक की पूर्व अनुमति की शर्त के अधीन है।
15.	ऑप्शनल काल की तिथि, आकस्मिक कल तिथि एवं मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	24-06-2017, सम मूल्य पर मोचन	लागू नहीं	लिखित के न्यूनतम 5 वर्ष तक चलने के बाद लिखित पर कॉल का विकल्प स्वीकार्य है। वैकल्पिक कॉल तिथि 07.05.2022 है। कर आकस्मिकता तथा नियामक आकस्मिकता कॉलों की अनुमति प्रकटन प्रलेख में निर्धारित शर्तों के अधीन है। सम-मूल्य पर मोचन।
16.	आगामी काल की तिथियाँ, (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हाँ, देय तिथि कॉल विकल्प पर कॉल का उपयोग नहीं किया जाता है तब आगामी किसी भी रूपन तिथि पर उसके पश्चात।
	रूपन/ लाभांश						
17.	निर्धारित अथवा परिवर्तनीय लाभांश /रूपन	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित
18.	रूपन दर एवं अन्य संबंधित सूचकांक	11.05 %	8.70%	8.70%	9.73%	7.99%	10.90%
19.	लाभांश रोधक की व्याप्ति	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी हाँ
20.	पूर्णतः विवेकानुसार, आंशिक विवेकानुसार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	पूर्णतः विवेकानुसार
21.	स्टेप-अप की व्याप्ति अथवा मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	नहीं
22.	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर-संचयी
23.	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन हेतु टिगर(एस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन अनिवार्य है अथवा वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28.	यदि परिवर्तनीय है तो किस लिखत में परिवर्तनीय है उसका प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier I instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	Nil	Nil	Rs 28 Crores	Rs 72 Crores	Rs 500 Crores	Rs 1000 Crores	Rs 1000 Crores	Rs 1000 Crores
9	Par value of instrument	Rs. 10000000	Rs. 10000000	Rs. 10000000	Rs. 10000000	Rs. 10000000	Rs. 10000000	Rs. 10000000	Rs. 10000000
10	Accounting classification	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)
11	Original date of issuance	22.09.2008	26.06.2009	11.01.2010	24.06.2011	19.10.2016	08.05.2017	08.05.2017	08.05.2017
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	22.04.2019	26.04.2019	11.04.2020	24.10.2021	19.10.2026	NA	NA	NA
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	Yes	No	Yes - The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years subject to prior approval of RBI	Yes - The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years subject to prior approval of RBI	Yes - The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years subject to prior approval of RBI
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Every coupon date thereafter.
	Coupons / dividends								
17	Fixed or floating dividend/ coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	11.05%	8.70%	8.70%	9.73%	7.99%	10.90%	10.90%	10.90%
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

29.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन किए जाने वाले लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	अवलेखन के लक्षण	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
31.	अवलेखन की दशा में अवलेखन के ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32.	अवलेखन की दशा में पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33.	अवलेखन की दशा में स्थायी है अथवा अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34.	यदि अस्थायी अवलेखन है तो अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35.	परिसमापन की दशा में प्रतिस्थापन पदक्रम की स्थिति (लिखत का प्रकार (इस लिखत के एकदम आगे के लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें।)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों	दावों के अधीन (क) सभी जमाकर्ता (ख) आम ऋणी और (ग) बैंक के ट्रिगर 1 पूंजी के तौर पर अहता प्राप्त गौण ऋणों के अतिरिक्त गौण ऋण (जैसा कि बांसल III के दिशा-निर्देशों में परिभाषित है); (घ) बैंक द्वारा जारी तथा भविष्य में जारी किए जाने वाली ट्रिगर 2 पूंजी में सम्मिलित होने हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखित; (ङ) बेमियादी संचयी अधिमान शेयर; (च) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर; (छ) ट्रिगर 2 पूंजी में सम्मिलित करने हेतु पात्र बैंक द्वारा जारी और भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर।
36.	संकमणकालीन अनुपालन स्वरूप	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	लागू नहीं	नहीं
37.	यदि हैं तो अनुपालन का स्वरूप विहित करें।	अव्यवहार्यता की सीमा अत्यवहार्यता की सीमा तथा उक्त उल्लिखित बाण्ड की परिपक्वता 10 वर्षों से कम	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं

29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Write-off feature is applicable	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PONV Trigger as per RBI Guidelines	The Bonds issued before March 31, 2019 i.e. before the full implementation of Basel III shall have two pre-specified triggers. A lower pre-specified trigger at CET1 of 5.5% of RWAs shall apply and remain effective before March 31, 2019. From this date the Trigger shall be raised to CET1 OF 6.125% of RWAs for all such Bonds. PONV Trigger as per RBI Guidelines.
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	full or partial	full or partial
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Permanent	The write down mechanism may be Temporary or Permanent at Bank's Discretion.
34	If temporary write-up, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A temporary writedown is different from a conversion and a permanent writedown i.e. the original instrument may not be fully extinguished. Generally, the par value of the instrument is written-down (decrease) on the occurrence of the trigger event and which may be written-up (increase) back to its original value in future in conformity with the provisions of the RBI Basel III Guidelines. The amount shown on the balance sheet subsequent to temporary write-down may depend on the precise features of the Bonds and the prevailing accounting standards.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	claims of all depositors and general creditors of the bank	subordinated to the claims of (a) all depositors, (b) general creditors and (c) subordinated debt of the bank other than subordinated debt qualifying as 30 Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines) ; (d) Debt Capital Instruments eligible For inclusion in Tier 2 capital issued and to be issued in future by the Bank; (e) perpetual cumulative preference shares; (f) redeemable non-cumulative preference shares; (g) redeemable cumulative preference shares eligible for inclusion in Tier 2 capital issued and to be issued in future by the Bank
36	Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NA	NO
37	If yes, specify non-compliant features	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability and maturity of the above mentioned bond is less than 10 years.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	NA	NA

तालिका डी-एफ-14 - विनियामक पूंजी लिखत के पूर्ण नियम एवं शर्तें

1- बाण्ड निर्गमन - X 400 करोड़ रुपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रुपए 400 करोड़
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबॉर्डिनेटेड टियर-II बाण्ड (सीरीज़ X)
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए एए / स्थिर" और केयर द्वारा "केयर एए \ स्थिर"
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेयता मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	127 महीने (10 वर्ष तथा 7 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्वता	सम मूल्य पर - आवंटन की मानी गई तिथि से 127 महीनों (10 वर्ष तथा 7 माह) की समाप्ति पर (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	22 अप्रैल, 2019
कूपन दर*	11.05 % वार्षिक
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई
लिस्टिंग	प्रस्तावित - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	बैंक की ओर से आइएडी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोजि+टरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 11.05 % वार्षिक दर से) - चैक/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आवंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) /डिमांड ड्राफ्ट/ आर-टी-जी-एस- प्रणाली के माध्यम से
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित चैक(कों) / डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिकस अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि	10-09-2008
इश्यू के बंद होने की तिथि	12-09-2008
पे-इन डेटस	10-09-2008 से 12-09-2008
आवंटन की मानी गई तिथि	15-09-2008

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन ।

*बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आवंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

Table DF 14 –Full Terms & Conditions of Regulatory Capital Instruments**1. BOND ISSUE – X Rs. 400 CRORE****SUMMARY TERM SHEET**

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 400 crores
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds (Series-X) in the nature of Promissory Notes (“Bonds”)
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	“ICRA AA/Stable” by ICRA and “CARE AA\Stable” by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	127 Months (10 Year 7 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 127 Months (10 Year 7 Months) from the Deemed Date of Allotment (with prior approval from the Reserve Bank of India)
Redemption Date	April 22, 2019
Coupon Rate *	11.05% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	15th May of each year
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd. has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intimeindia Private Ltd.
Interest on Application Money *	At coupon rate (i.e. @ 11.05% p.a.) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to one day prior to the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of “Punjab & Sind Bank” and crossed “Account Payee Only” payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of “Punjab & Sind Bank RTGS Account” IFSC Code: “PSIB 0000385” for Mumbai and “PSIB 0000001” for New Delhi
Issue Opens on ^	September 10, 2008
Issue Closes on ^	September 12, 2008
Pay-In Dates ^	September 10, 2008 to September 12, 2008
Deemed Date of Allotment ^	September 15, 2008

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-poner/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

2- बाण्ड निर्गमन-XI 175 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 175 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड्स) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबॉर्डिनेटेड टियर-II बाण्ड्स (सरीज XI)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा.रि.बैं.की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए एए \ स्थिर" और केयर द्वारा "केयर एए \ स्थिर"
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
परिपक्वता मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	118 महीने (9 वर्ष तथा 10 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्वता	सम मूल्य पर - आवंटन की मानी गई तिथि से 9 वां तथा 10 माह (118 महीनों)के अंत में (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	26 अप्रैल, 2019
कूपन दर*	8-70: वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन.एस.ई.)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई-डी-बी-आई- ट्रस्टिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपॉस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपॉस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 8.70: वार्षिक दर से) - बैंक/ डिमांड ड्राफ्ट/ आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आवंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी बैंक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(ओ)/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस-/ ई-सी-एस-प्रणाली के माध्यम से क्रेडिट की जाएगी।
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित बैंक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	15-06-2009
इश्यू के बंद होने की तिथि^	19-06-2009
पे-इन डेट्स^	15-06-2009 से 19-06-2009
आवंटन की मानी गई तिथि^	26-06-2009

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

^बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आवंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

2. **BOND ISSUE – XI Rs. 175 CRORE**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 175 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XI) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"ICRA AA\Stable" by ICRA and "CARE AA\Stable" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	9 Year 10 Months (118 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 9 Year 10 Months (118 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 26, 2019 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intimeindia Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of "Punjab & Sind Bank" and crossed "Account Payee Only" payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "Punjab & Sind Bank RTGS Account" IFSC Code: "PSIB 0000385" for Mumbai and "PSIB 0000001" for New Delhi
Issue Opens on ^	June 15, 2009
Issue Closes on ^	June 19, 2009
Pay-In Date ^	June 15, 2009 to June 19, 2009
Deemed Date of Allotment ^	June 26, 2009

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-poned/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

3-बाण्ड निर्गमन-XII - 200 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 200 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबॉर्डिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा-रि-बैं-की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए एए \ स्थिर" और क्रिसिल द्वारा "क्रिसिल एए \ स्थिर"
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	10000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 10000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 10000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	123 महीने (10 वर्ष 3 महीने)
पुट विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्वता	आवंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष 3 महीने (123 महीने) के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
परिपक्वता तिथि	11.04.2020 (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर*	8.70: वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपॉस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपॉस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 8.70 % सर्विसेज दर से) - चैक/ डिमांड ड्राफ्ट/ आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आवंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) / डिमांड ड्राफ्ट/ आर-टी-जी-एस- प्रणाली/ ई.सी.एस. प्रणाली के माध्यम से।
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित चैक(कों)/ डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि	06.01.2010
इश्यू के बंद होने की तिथि	13.01.2010
पे-इन डेट्स	06.01.2010 से 13.01.2010
आवंटन की मानी गई तिथि	15.01.2010

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने / बंद करने / भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आवंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथियाँ निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

3. **BOND ISSUE – XII Rs. 200 CRORE**

VII. **SUMMARY TERM SHEET**

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 200 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"ICRA AA\Stable" by ICRA and "CRISIL AA\Stable" by CRISIL
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year 3 Months (123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 10 Years 3 Months (123 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 11, 2020 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intimeindia Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of "Punjab & Sind Bank" and crossed "Account Payee Only" payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "Punjab & Sind Bank RTGS Account" IFSC Code: "PSIB 0000385" for Mumbai and "PSIB 0000001" for New Delhi
Issue Opens on ^	January 6, 2010
Issue Closes on ^	January 13, 2010
Pay-In Date ^	January 6, 2010 to January 13, 2009
Deemed Date of Allotment ^	January 15, 2010

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

4-बाण्ड निर्गमन-XIII 300 करोड़ रुपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रुपए 300 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबॉर्डिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XIII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा.रि.बैं. की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "एए \ स्थिर" और केयर द्वारा "केयर एए \ स्थिर"
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	124 महीने
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	छठे वर्ष के अंत में (भा.रि.बैं. की स्वीकृति के आधार पर)
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	तिथि से 124 महीनों के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	24-10-2021 (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर*	9-73% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित-नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डबल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टिपि सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्युरिटी डिपोजिटरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर - आबंटन की मानी गई तिथि को छोड़कर चैक(कों) डिमांड ड्राफ्ट(टों)/ आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से (अर्थात् 9-73 % वार्षिक दर से)
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) / डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- प्रणाली/ई-सी-एस- प्रणाली के माध्यम से।
अंशदान का माध्यम	आर.टी.जी.एस.तंत्र के माध्यम से राशि को इलैक्ट्रॉनिक्स अंतरण के तरीके से "पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर-टी-जी-एस- खाता" में दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" में किया जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	20.06.2011
इश्यू के बंद होने की तिथि^	24.06.2011
पे-इन डेट्स^	20.06.2011 से 24.06.2011
आबंटन की मानी गई तिथि^	24.06.2011

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

^बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि(यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

4. **BOND ISSUE – XIII Rs. 300 CRORE**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 300 crore
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XIII) in the nature of Promissory Notes (“Bonds”)
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	“AA\Stable” by ICRA and “CARE AA\Stable” by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	124 Months
Put Option	None
Call Option	At the end of 6 th Year (Subject to Approval from RBI)
Redemption/ Maturity	At par at the end of 124 Months from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	24 th October 2021 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	9.73% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intimeindia Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 9.73% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	By way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of “ Punjab & Sind Bank RTGS Account ” IFSC Code: “ PSIB0000001 ” for New Delhi
Issue Opens on ^	20 th June 2011
Issue Closes on ^	24 th June 2011
Pay-In Date ^	20 th June 2011 to 24 th June 2011
Deemed Date of Allotment ^	24 th June 2011

* Subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-poner/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

5-बाण्ड निर्गमन- XIV 500 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 500 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बेसल III के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को मज़बूत बनाने के लिए, भविष्य की प्रगति तथा दीर्घावधि स्रोतों को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा अपनी समग्र पूंजी को
लिखत	सूचीबद्ध, रेटेड, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय पूर्णतः चुकता बेसल III कॉप्लान्ट टीयर 2 बांड (सीरीज XIV) टीयर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए डिबेंचर की प्रकृति में ("बांड")
लिखत की प्रकृति	ये बांड पूरी तरह से पेड अप, असुरक्षित होंगे। बांडधारकों के दावों में यह होगा कि : (क) बैंक की टीयर 1 पूंजी में शामिल करने योग्य लिखतों में निवेशकों के दावों के लिए प्राथमिकता (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणदाताओं के दावों हेतु गौण तथा (ग) न तो सुरक्षित है और न ही इसे बैंक की गारंटी द्वारा कवर किया गया है अथवा संबंधित संस्था या अन्य कोई व्यवस्था है जो कि कानूनी तौर पर या आर्थिक रूप से लेनदारों की तुलना में दावों को प्राथमिकता देता है।
जारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा "क्रिसिल एए \ स्थिर" और केयर द्वारा "केयर एए \ स्थिर"।
प्रतिभूति	प्रतिभूतिरहित और गौण
अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000 / - प्रति बांड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (10,00,000 रुपये /- प्रति बांड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (रु 10,00,000 / - प्रति बांड)
न्यूनतम आवेदन	1 (एक) बांड तथा उसके बाद 1 (एक) बांड के गुणकों में
कार्यकाल	आबंटन की डीमड दिनांक से 10 साल
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	आबंटन की अनुमानित दिनांक से 10 वर्ष के अंत में
प्रतिदेयता तिथि	19 अक्टूबर 2026
कूपन दर*	7.99% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	बांड की परिपक्वता तक प्रति वर्ष 19 अक्टूबर वार्षिक
न्यासी	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	इश्यू में जिन आवेदकों को बांड आबंटित किए गए हैं, एप्लीकेशन मनी पर ब्याज का भुगतान कुल कूपन मूल्य दर पर दिया जाएगा (आयकर अधिनियम, 1961, या किसी अन्य सांविधिक संशोधन या उसके पुनर्धिनियमन के प्रावधानों के तहत आयकर की कटौती के अधीन लागू हो) जो कि जारीकर्ता के खाते में जारी होने की तिथि से लेकर आवेदन धन की प्राप्ति की तिथि की अवधि के लिए बांड की कुल अंकित मूल्य राशि पर होगा किंतु आबंटन की डीमड दिनांक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आबंटितों को जारीकर्ता द्वारा आवेदन राशि पर इस तरह के ब्याज का भुगतान आबंटन की अनुमानित दिनांक से 15 (पंद्रह) दिन के भीतर किया जाएगा।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की अदायगी बैंक द्वारा चैक/ ब्याज या प्रतिदेयता वारंट/ मांग ड्राफ्ट/ खाते में सीधे जमा/ एनईसीएस/आरटीजीएस/ एनईएफटी तंत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य किसी भी के ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
अंशदान का माध्यम	चेक/ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण "पंजाब एण्ड सिंध बैंक एकाउंट" के पक्ष में "केवल अदाता के खाते में" रेखांकित किया गया हो और जिस स्थान/ केंद्र में आवेदन पत्र जमा करवाया गया हो वहाँ पर सममूल्य पर देय अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक IFSC कोड PSIB0000606, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली के खाते में जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे फंड ट्रांसफर/ आरटीजीएस प्रणाली का प्रयोग किया जाए।
इश्यू के खुलने की तिथि	05.10.2016
इश्यू के बंद होने की तिथि	05.10.2016
पे-इन डेट्स	19.10.2016
आबंटन की मानी गई तिथि	19.10.2016

5. **BOND ISSUE – XIV Rs 500 Crore**

SUMMARY TERM SHEET

<u>Issuer</u>	Punjab & Sind Bank
<u>Issue Size</u>	Rs 500 Crore
<u>Issue Objects</u>	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
<u>Instrument</u>	Listed, Rated, Unsecured, Redeemable, Non-Convertible Fully Paid Up Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XIV) in the nature of Debentures for inclusion in Tier 2 Capital ("Bonds")
<u>Nature of Instrument</u>	These Bonds shall be fully paid up, Unsecured. The claims of the Bondholders shall be: (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
<u>Issuance/ Trading</u>	In demat mode only
<u>Credit Rating</u>	"CRISIL AA\Stable" by CRISIL and "CARE AA\Stable" by CARE.
<u>Security</u>	Unsecured and Subordinated
<u>Face Value</u>	Rs 10,00,000/- per Bond
<u>Issue Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Redemption Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Minimum Subscription</u>	1 (one) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
<u>Tenure</u>	10 years from the Deemed Date of Allotment
<u>Put Option</u>	None
<u>Call Option</u>	None
<u>Redemption/ Maturity</u>	At the end of 10 years from the Deemed Date of Allotment
<u>Redemption Date</u>	October 19, 2026
<u>Coupon Rate</u>	7.99% p.a.
<u>Interest Payment</u>	Annual
<u>Interest Payment Date</u>	Annually on October 19, of each year till maturity of Bonds
<u>Trustee</u>	Axis Trustee Services Limited
<u>Depository</u>	National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL")
<u>Registrar</u>	Link Intime India Private Limited
<u>Interest on Application Money</u>	In respect of applicants who get allotment of Bonds in the Issue, interest on application money shall be paid at the Coupon Rate (subject to deduction of income tax under the provisions of the Income Tax Act, 1961, or any other statutory modification or re- enactment thereof, as applicable) on the aggregate face value amount of Bonds for the period starting from and including the date of realization of application money in Issuer's account upto but excluding the Deemed Date of Allotment. Such interest on application money shall be paid by the Issuer to the allottees within 15 (fifteen) days from the Deemed Date of Allotment.
<u>Settlement</u>	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made by the Bank by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
<u>Mode of Subscription</u>	Remittances either through cheque(s)/ demand draft(s) drawn in favour of "Punjab & Sind Bank A/c" and crossed "Account Payee Only" payable at par at place/ centre where the application form is deposited or by way of electronic transfer of funds through funds transfer/ RTGS mechanism for credit in the account of Punjab & Sind Bank IFSC Code PSIB0000606, Rajendra place New Delhi.
<u>Issue Opens on</u>	05.10.2016
<u>Issue Closes on</u>	05.10.2016
<u>Pay in Date</u>	19.10.2016
<u>Deemed Date of Allotment</u>	19.10.2016

6 ऐटी 1 बॉन्डों 1000 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 1000 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	दीर्घ अवधि के स्रोत में वृद्धि करने तथा भविष्य के विकास हेतु बॉसलि III के अनुसार इसकी अपनी पूंजी पर्याप्तता को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक की समग्र पूंजी में वृद्धि करना।
लिखत	डिबेंचर के रूप में वचनपत्र ("बाण्ड") असुरक्षित, अपरिपत्तीय, सुबोर्दिनते बेमियादी कर योग्य बाण्ड जो टीयर 1 पूंजी के रूप में मान्य होंगे (जैसा वक भारतीय रिज़र्व बैंक के बॉसलि III की शर्तों में परिभाषित है)
लिखत की प्रकृति	बॉन्ड न तो सुरक्षित हैं, ना ही निगामकर्ता की गारंटी के अधीन हैं, ना ही सम्भंदित संस्था या व्यवस्था जो कानूनी रूप या आर्थिक तौर पर बॉन्ड धारको के दावों की विररष्ठता में वृद्धि करता है ("बॉन्ड धारको") अर्थात् निगामकर्ता के अन्य ऋणदाता। बॉन्ड धारको के दावों होंगे : (i) ईकक्विटी शेयरों में निवेशको तथा बैंक के बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयरों, यदि कोई हैं, के दावों पर तरजीह पाएंगे; (ii) जमाकर्तारों के दावों, आम ऋणदाताओं तथा टीयर 1 पूंजी के तौर पर गौण ऋणों (जैसा वक बॉसलि III की शर्तों में परिभाषित है) के अतिरिक्त बैंक के गौण ऋणों से गौण होंगे; (iii) ना तो सुरक्षित हैं, ना ही निगामकर्ता की गारंटी के अधीन हैं, ना ही सम्भंदित संस्था या व्यवस्था जो कानूनी रूप या आर्थिक तौर पर दावों की वीरिष्ठता में वृद्धि करता है अर्थात् बैंक के अन्य ऋणदाता। (iv) अधिमान के बगैर समान रूप रखते हैं; (v) यदि बैंक द्वारा तत्पत्चात जारी वकए गए बॉन्डों/दीबेंचरों (ए.टी.आई. लिखित की प्रकृति अनुसार) की शर्तों में उल्लेखित नहीं किया जाता है वक ऐसे बॉन्ड धारको के दावों को तरजीह दी जाएगी या इस प्रकटन प्रलेख के अंतर्गत जारी वकए बॉन्डों से गौण होंगे अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अपने दशा-निर्देशों में अन्यथा निर्धारित नहीं करता है, बैंक के ऐसे दीबेंचरों/बॉन्डों के धारको के दावों के समरूप बॉन्ड धारको के दावों होंगे।;
जारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए ए \ स्थिर" और केयर द्वारा "केयर ए \ स्थिर"।
प्रतिभूति	प्रतिभूति रहित
अंकित मूल्य	रूपये 10,00,000 / - प्रति बाँड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (10,00,000/- प्रवत बॉन्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सममूल्य पर (10,00,000/- प्रवत बॉन्ड)
न्यूनतम आवेदन	दस (10) बॉन्ड और उसके बाद 1(एक) के गुणांक में बॉन्ड
अविधध	बेमियादी
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	लिखित की कम से कम पाच वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर काल विकल्प की अनुमति है।
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	सम मूल्य पर
प्रतिदेयता तिथि	बेमियादी
कूपन दर	10.90% वार्षिक
व्याज भुगतान	वार्षिक
व्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष 08 मई को वार्षिक
न्यासी	विस्त्रा आई.टी.सी.एलि. (इंधडया) लिमिटेड

6. **PSB AT-1 BONDS SERIES I- Rs 1000 Crore**

SUMMARY TERM SHEET

<u>Issuer</u>	Punjab & Sind Bank
<u>Issue Size</u>	Rs 1000 Crore
<u>Issue Objects</u>	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
<u>Instrument</u>	Unsecured, subordinated, non-convertible, perpetual taxable bonds which will qualify as Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines of the Reserve Bank of India) in the nature of Debentures (the "Bonds")
<u>Nature of Instrument</u>	<p>The Bonds are neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim of the holders of the Bonds (the "Bondholders") vis-à-vis other creditors of the Issuer.</p> <p>The claims of the Bondholders shall be :</p> <p>(i) superior to the claims of investors in equity shares and perpetual noncumulative preference shares of the Bank, if any;</p> <p>(ii) subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank other than any subordinated debt qualifying as Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines);</p> <p>(iii) neither secured nor covered by a guarantee of the issuer nor related entity or any other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis bank creditors.</p> <p>(iv) rank paripassu without preference amongst;</p> <p>(v) unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures (in the nature of AT1 instruments) by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the bond issued under this Disclosure Document or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bond holders shall be paripassu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances of the Bank;</p>
<u>Issuance/ Trading</u>	In demat mode only
<u>Credit Rating</u>	"ICRA A\Stable" by ICRA and "CARE A\Stable" by CARE.
<u>Security</u>	Unsecured
<u>Face Value</u>	Rs 10,00,000/- per Bond
<u>Issue Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Redemption Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Minimum Subscription</u>	10 (Ten) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
<u>Tenure</u>	Perpetual
<u>Put Option</u>	None
<u>Call Option</u>	The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years
<u>Redemption/ Maturity</u>	At PAR
<u>Redemption Date</u>	Perpetual
<u>Coupon Rate</u>	10.90% p.a.
<u>Interest Payment</u>	Annual
<u>Interest Payment Date</u>	Annual on May 08, of each year
<u>Trustee</u>	Vistra ITCL (India) Limited

डिपोजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
रजजस्ट्रार	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर ब्याज (आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की शर्तों के अंतर्गत आय कर की कटौती या कोई संविधानिक संशोधन अथवा पुनः क्रियाशील करना जैसा भी लागू हो) का भुगतान सभी आवेदकों को बॉन्डों की आवेदन राशि पर चैक (ओ)/डिमांड ड्राफ्ट(ओ) के पास होने की तिथि से किया जाएगा और आर.टी.जी.एस./अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरण के मामले में, निधियों की प्राप्ति होने पर आवेदन की अनुमानित तिथि से एक दिन पहले ऐसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। वास्तविक दिन के गणना की परमपरा/ वास्तविकता के अनुसार आवेदन राशि पर गणना की जाएगी। सभी वेध्य आवेदनो पर जिसमें रिफंड भी शामिल हैं , ऐसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। आवेदन राशि जिसको विपस लोटाया गया है, आवेदन राशि पर ब्याज का भुगतान रिफंड आदेश के साथ लोटाया जाएगा और आवेदन राशि जिसके विरुद्ध बॉन्डों को आबंटित किया गया है, आबंटन की अनुमानित तिथि से आवेदन राशि पर ब्याज 10 कार्य दिवसों के अंदर अदा किया जाएगा। जहाँ एक आवेदक को आवेदित बॉन्डों से कम संख्या में बॉन्डों का आबंटन किया जाता है, आवेदक को आवेदन पर अदा की गई फालतू राशि के साथ विपस की गई राशि पर ब्याज का भुगतान भी वकया जाएगा। आवेदन राशि पर ब्याज पर लागू दर पर स्रोत पर आय कर कटौती (टी.डी.एस.) की जाएगी।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की अदायगी बैंक द्वारा चैक/ ब्याज/ प्रतिदेयता वारंट/ मांग ड्राफ्ट/ खाते में सीधे जमा/ एनईसीएस/आरटीजीएस/ एनईएफटी तंत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य किसी भी के ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
अंशदान का माध्यम	विप्रेषण को या तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहरित "केवल अदाता के खाते में" क्रास चैक(ओ)/ मांग पत्र(ओ) जो की सम मूल्य पर देय हो जिन स्थानों/केन्द्रों पर आवेदन पत्र जमा किया गया हो और निधि अंतरण/आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अंतरण "पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 21, राजेद्र प्लेस, नई दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB0000606" में किया जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	02.05.2017
इश्यू के बंद होने की तिथि^	02.05.2017
पे-इन डेटस^	08.05.2017
आबंटन की मानी गई तिथि^	08.05.2017

तालिका डी-एफ-15- पारिश्रमिक के लिए आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए लागू नहीं हैं।

तालिका डीएफ- 16: इक्विटी - बैंकिंग बही खातों की स्थिति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

<ul style="list-style-type: none"> धारिताओं में भेदभाव, जिस पर पूँजीगत लाभ अपेक्षित हैं और जिसे संबंधों तथा नीतिगत कारणों सहित लक्ष्यों के अंतर्गत लिया गया है। 	<p>बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नीतिगत उद्देश्य से आरआरबी में रखा गया है। बैंक पूँजीगत लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नहीं रखता है।</p>
<ul style="list-style-type: none"> बैंकिंग बही में इक्विटी धारिताओं के मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें महत्वपूर्ण पूर्व-धारणाओं तथा मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली प्रथाओं तथा इन प्रथाओं में हुए महत्वपूर्ण बदलावों सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीकें और मूल्यांकन प्रणालियां शामिल होनी चाहिए। 	<p>ऐसे निवेश, जिसे परिक्रयता तक रखा जाना अभिप्रेत है, एचटीएम प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत हैं। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया गया है तथा उपार्जन लागत पर रखा गया है। निवेश मूल्य में असथाई ह्रास के अलावा किसी भी प्रकार के ह्रास का प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री संबंधी किसी भी हानि की पहचान लाभ-हानि खाता में की जाती है तथा उसे भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में निवल कर एवं सांविधिक आरक्षितियों के पश्चात् "आरक्षित पूँजी" से समायोजित किया जाता है।</p>

<u>Depository</u>	National Securities Depository Limited (“NSDL”) and Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”)
<u>Registrar</u>	Link Intime India Private Limited
<u>Interest on Application Money</u>	Interest at the Coupon Rate (subject to deduction of Income-tax under the provisions of the Income-tax Act 1961, or any statutory modification or reenactment as applicable) will be paid to all the applicants on the application money for the Bonds. Such interest shall be paid from the date of realization of cheque (s)/demand draft (s) and in case of RTGS/other means of electronic transfer interest shall be paid from the date of receipt of funds to one day prior to the Deemed Date of Allotment. The Interest on application money will be computed as per Actual/Actual Day count convention. Such interest would be paid on all the valid applications including the refunds. For the application amount that has been refunded, the Interest on application money will be paid along with the refund orders and for the application amount against which Bonds have been allotted, the Interest on application money will be paid within ten working days from the Deemed Date of Allotment. Where an applicant is allotted lesser number of Bonds than applied for, the excess amount paid on application will be refunded to the applicant along with the interest on refunded money. Income Tax at Source (TDS) will be deducted at the applicable rate on Interest on application money.
<u>Settlement</u>	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made by the Bank by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
<u>Mode of Subscription</u>	Remittances either through cheque(s)/ demand draft(s) drawn in favour of “Punjab & Sind Bank A/c” and crossed “Account Payee Only” payable at par at place/ centre where the application form is deposited or by way of electronic transfer of funds through funds transfer/ RTGS mechanism for credit in the account of Punjab & Sind Bank IFSC Code PSIB0000606, Rajendra place New Delhi
<u>Issue Opens on</u>	02.05.2017
<u>Issue Closes on</u>	02.05.2017
<u>Pay in Date</u>	08.05.2017
<u>Deemed Date of Allotment</u>	08.05.2017

Table DF 15 –Disclosure Requirements for Remuneration-

Not applicable to PSU Banks

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions**Qualitative Disclosures**

<ul style="list-style-type: none"> Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under objectives including for relationship and strategic reasons. 	<p>Equity investment in the banking book is in RRB, held for strategic purpose.</p> <p>Bank does not hold any equity investment in banking book with intention to make capital gain.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the Banking Book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices. 	<p>Investment which is intended to be held till maturity are classified as HTM securities. Investments classified under HTM category are not marked to market and carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of investments is provided for. Any Loss on sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss. Any gain from sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserves, to “Capital Reserves” in accordance with RBI guidelines.</p>

राशि लाखों में

मात्रात्मक प्रकटीकरण		
1	तुलन-पत्र में निवेशों का प्रकटित मूल्य, इसके अतिरिक्त निवेशों के उचित मूल्य, प्रस्तुत प्रतिभूतियों हेतु सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत शेयर मूल्य से तुलना, जहाँ शेयर मूल्य, वास्तविक मूल्य से वस्तुतः भिन्न है।	शून्य
2	निवेशों के प्रकार और स्वरूप, जिसमें निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि शामिल है: • सार्वजनिक रूप से लेनदेन किए गए; तथा • नीजी रूप से धारित।	शून्य
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री तथा परिसमापन से उत्पन्न संचयी लाभ प्राप्ति (हानियाँ)	शून्य
4	कुल अप्राप्त लाभ(हानियाँ)	शून्य
5	कुल प्रच्छन्न पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	शून्य
6	उपर्युक्त में से टीयर-I तथा/या टीयर-II में शामिल की गयी राशियाँ	शून्य
7	बैंक की कार्यपद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूहों द्वारा विभाजित पूंजी अपेक्षाएँ और सकल राशियाँ तथा इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो विनियामक पूंजी अपेक्षाओं के संबंध में किन्हीं पर्यवेक्षी सक्रमण या ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन हो	आरआरबी में एचटीएम इक्विटी निवेश, को मास्टर परिपत्र बासल-III पूँजी विनियमनों के पैरा 4.4.9.2 के अनुसार उपचारित किया गया है।

तालिका डी-एफ- 17- लेखा आस्तियाँ बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों की तुलनात्मक संक्षिप्ति		
मदें		(रु. लाखों में))
1.	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	10898204.58
2.	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या व्यापारिक संस्थाओं में निवेश हेतु समायोजन जो कि लेखांकन उद्देश्यों से परंतु विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर समेकित की गई हैं।	-
3.	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों के अतिरिक्त प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन-पत्र में मान्य प्रत्ययी आस्तियों का समायोजन।	-
4.	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का समायोजन	-
5.	प्रतिभूति वित्तीय लेन-देनों का समायोजन (यथा रेपो तथा समान प्रतिभूतिकृत ऋण)	170936.83
6.	तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली मदों का समायोजन (यथा तुलन-पत्र के अलावा एक्सपोजर के समतुल्य राशि जमा करने हेतु रूपांतरण)	488131.34
7.	अन्य समायोजन	
8.	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	11386335.92

तालिका डी-एफ-18- लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टैपलेट		
	लीवरेज अनुपात मद संरचना	(रु. लाखों में)
तुलन-पत्र एक्सपोजर		
1.	तुलन-पत्र की मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त परंतु संपार्श्विक सहित)	10727267.75
2.	(निर्धारक बेसल III टियर 1 पूँजी में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(60294.14)
3.	कुल तुलन-पत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त) (पंक्ति 1 व 2 का जोड़)	10666973.62
डेरिवेटिव एक्सपोजर		
4.	सभी डेरिवेटिव लेन-देनों में शामिल प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी परिवर्तन मार्जिन का कुल जोड़)	-
5.	सभी डेरिवेटिव लेन-देन में शामिल पीएफई हेतु पूरक राशि	-

Amount in Lacs

Quantitative Disclosures		
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	Nil
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: <ul style="list-style-type: none"> • Publicly traded; and • Privately held. 	Nil
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	Nil
4	Total unrealised gains (losses)	Nil
5	Total latent revaluation gains (losses)	Nil
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	Nil
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	The HTM equity investment in RRB is given treatment as per para 4.4.9.2 of Master circular Basel III Capital Regulations.

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

	Item	(Rs. in Lakhs)
1.	Total consolidated assets as per published financial statements	10898204.58
2.	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3.	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4.	Adjustments for derivative financial instruments	-
5.	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	170936.83
6.	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	488131.34
7.	Other adjustments	-
8.	Leverage ratio exposure	11386335.92

Table DF-18: Leverage ratio common disclosure template

	Leverage ratio Item framework	(Rs. in Lakhs)
On-balance sheet exposures		
1.	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	10727267.75
2.	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(60294.14)
3.	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	10666973.62
Derivative exposures		
4.	Replacement cost associated with all <i>derivatives</i> transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	-
5.	Add-on amounts transactions for PFE associated with <i>all</i> derivatives	-

6.	सकल डेरिवेटिव संपार्श्विक बशर्ते जिसमें प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन-पत्र आस्तियों से कटौतों की गई है।	-
7.	(डेरिवेटिव लेन-देनों में दर्शाए गये नकदी घट-बढ़ मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौतियाँ)	-
8.	(ग्राहक- समाशोधित व्यापार एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग	-
9.	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	-
10.	लिखत ऋण डेरिवेटिव हेतु समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियाँ	-
11.	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का जोड़)	-
प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन एक्सपोजर		
12.	सकल एसएफटी आस्तियाँ (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखाकन लेन-देनों के समायोजन उपरांत	170936.83
13.	(सकल एसएफटी आस्तियों की देय नकदी तथा प्राप्य नकदी की निवल राशि)	-
14.	एसएफटी आस्तियाँ हेतु सीसीआर एक्सपोजर	-
15.	एजेंट लेन-देन एक्सपोजर	-
16.	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (प्रतिभूति पंक्तियों 12 से 15 का कुल जोड़)	170936.83
अन्य तुलनपत्रेतर से एक्सपोजर		
17.	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	1637140.73
18.	(ऋण समतुल्य राशि के रूपांतरण हेतु समायोजन)	(1149009.39)
19.	तुलनपत्रेतर मर्दे (पंक्ति 17 तथा 18 का जोड़)	488131.34
पूँजी तथा कुल एक्सपोजर		
20.	टीयर 1 पूँजी	556719.50
21.	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3,11,16 तथा 19 का जोड़)	11326041.78
लीवरेज अनुपात		
22.	बेसल III लीवरेज अनुपात	4.92%

नोट: यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिंदी अनुवाद है।

6.	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7.	(Deductions of margin provided receivables assets for cash variation in derivatives transactions)	-
8.	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9.	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10.	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11.	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	-
Securities financing transaction exposures		
12.	Gross SFT <i>assets</i> (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	170936.83
13.	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14.	CCR exposure for SFT assets	-
15.	Agent transaction exposures	-
16.	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	170936.83
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	1637140.73
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(1149009.39)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	488131.34
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	556719.50
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	11326041.78
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	4.92%

एस. मान एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार	बल्देव कुमार एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार
सुरेश चन्द्र एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार	राज गुप्ता एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक ('बैंक') की 31 मार्च, 2019 की वित्तीय विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2019 का तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित वित्तीय विवरणियों से संबंधित टिप्पणियों जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यतामक सूचना का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणियों में वर्ष की समाप्ति पर उस तिथि पर हमारे द्वारा लेखा परीक्षित रिटर्न, 20 शाखाएं तथा 1 एकीकृत ट्रेजरी शाखा तथा शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 634 शाखाएं हैं। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 864 शाखाओं से भेजी गई विवरणियाँ शामिल हैं जो लेखा परीक्षण के अधीन नहीं हैं। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 9.42 प्रतिशत, जमा राशियों का 25.69 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 6.66 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए गए ब्याज व्ययों का 20.73 प्रतिशत हिस्सा बनता है।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार बैंक हेतु आवश्यक जानकारी देती हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा मानकों की पुष्टि करते हुए, उक्त तिथि पर
 - क. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के तुलन-पत्र तथा लाभ/हानि के शेषों का सत्य एवं पारदर्शी दृष्टांत दर्शाती है;
 - ख. लाभ हानि खाता समाप्त वर्ष के लिए उस तिथि को वास्तविक हानि को दर्शाता है; और
 - ग. नकदी प्रवाह विवरणी उस तिथि पर समाप्त वर्ष को सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

अभिमत का आधार

- हमने अपना लेखा परीक्षण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को तदुपरांत वर्णित किया गया है। हम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोड ऑफ नैतिकता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, जो एक वित्तीय आवश्यकताओं के लेखा परीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं [क्षेत्राधिकार] में, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुरूप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखा परीक्षण विषय

- प्रमुख लेखा परीक्षण विषय वे विषय हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय हेतु वर्तमान अवधि की वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण थे। इन विषयों पर वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा परीक्षण में पूर्ण रूप से जांच की गई और उस पर हमने अपना अभिमत तैयार किया तथा इन विषयों पर हम अलग से अभिमत नहीं देते हैं। हमने निम्न उल्लेखित विषयों को हमारी लेखा परीक्षण रिपोर्ट में प्रमुख लेखा परीक्षण विषयों के रूप में संप्रेषण करना निर्धारित किया है:-

S. Mann & Co. Chartered Accountants	Baldev Kumar & Co. Chartered Accountants
Suresh Chandra & Associates Chartered Accountants	Raj Gupta & Co. Chartered Accountants

Independent Auditor's Report

To the Members of Punjab & Sind Bank

Report on Audit of the Financial Statements

Opinion

- We have audited the financial statements of Punjab & Sind Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2019, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches audited by us and 1 integrated treasury branch audited by us and 634 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 864 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.42 percent of advances, 25.69 per cent of deposits, 6.66 per cent of interest income and 20.73 per cent of interest expenses.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:
 - true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019;
 - true balance of loss in case of Profit / loss account for the year ended on that date; and
 - true and fair view in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in [jurisdiction], and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

- Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

प्रमुख लेखा परीक्षण विषय	हमारा उत्तर/प्रक्रियाएं
<p>अग्रिम - वर्गीकरण एवं प्रावधानन</p> <p>(वित्तीय विवरणियों की अनुसूची - 9 का संदर्भ लें)</p> <p>अग्रिमों को अर्जक तथा अनर्जक (एन.पी.ए.) अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा निर्धारित प्रमुख नियम एवं शर्तों के अनुसार, उन पर प्रावधानन किया जाता है। बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सी. बी.एस.) के एकीकृत सॉफ्टवेयर द्वारा वर्गीकरण एवं प्रावधानन किया जाता है। अनर्जक खातों की पहचान और ऐसी आस्तियों पर प्रावधानन करना, निष्पादन से संबंधित प्रबंधन के प्रमुख निर्णयों, बैंक के पास उपलब्ध बिक्री योग्य प्रतिभूतियों और उनके मूल्यांकन पर निर्भर है।</p>	<p>हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं</p> <p>हमने वर्गीकरण और प्रावधानन के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, दिशा-निर्देशों, भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशों तथा बैंक के आंतरिक निदेशों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। हमारे लेखा परीक्षण का दृष्टिकोण अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए प्रणाली के डिजाइन की जांच ताकि मामले में भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशों की पुष्टि करते हुए अनर्जक आस्तियों की पहचान तथा मूल्यांकन की टेस्ट चैकिंग की जा सके।</p> <ul style="list-style-type: none"> - हमने प्रलेखीकरण, परिचालनों/निष्पादनों की पुनर्समीक्षा की है और अग्रिम खातों की निगरानी, बड़े एवं दबावग्रस्त ऋणों की टेस्ट चैकिंग के आधार पर ताकि किसी ऋण खाते में अतिदेय गलत आचरण तथा कमजोरी को सुनिश्चित करने, यह सुनिश्चित करने कि इसका वर्गीकरण भा.रि. बैंक की नियम एवं शर्तों के अनुसार है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, शाखा सांविधिक लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हम उनकी रिपोर्टों पर विश्वास करते हैं और सुनिश्चित किया कि शाखा लेखाकारों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक था, किया गया। - लेखा परीक्षण के दौरान आवश्यक परिवर्तनों को किया गया और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों में इसका प्रभाव लेखांकन किया गया है। <p>हमारे परिणाम:</p> <p>लेन-देनों की वास्तविकता पर विचार करते हुए, हमारे लेखा परीक्षण की प्रक्रिया के परिणाम पर्याप्त और संतोषजनक पाए गए।</p>
<p>निवेश - अनर्जक निवेशों हेतु मूल्यांकन, पहचान और प्रावधानन</p> <p>(वित्तीय विवरणियों की अनुसूची - 8 का संदर्भ लें)</p> <p>बैंक के निवेश संविभाग सरकारी प्रतिभूतियों, बाण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति प्राप्तियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है जिनको तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे परिपक्वता तक रखना, बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु रखना।</p> <p>निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, उनसे संबंधित आय की पहचान नहीं करना और उन पर प्रावधानन को संबंधित परिपत्रों/दिशा-निर्देशों/भा.रि. बैंक के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।</p>	<p>हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं</p> <p>निवेशों के प्रति हमारे लेखा परीक्षण के दृष्टिकोण में भा.रि. बैंक के परिपत्रों/दिशानिर्देशों के संदर्भ में निवेशों से संबंधित मूल्यहास/प्रावधानन, अनर्जक निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन के संबंध में पर्याप्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावोत्ता सम्मिलित हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> - हमने बैंक द्वारा संबंधित भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने हेतु स्थापित प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन कर, इसको समझा है। विशेष रूप से, - हमने एन.पी.आई. की पहचान करने की प्रक्रिया, संबंधित आय का प्रत्यावर्तन और प्रावधान के सृजन का मूल्यांकन और आंकलन किया है। - हमने स्वतंत्र रूप से बनाए जाने वाले प्रावधान की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं कीं। ऑडिट के दौरान आवश्यक परिवर्तन किए गए थे और उसी के प्रभाव को 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणों में विधिवत रूप से दर्ज किया गया था। <p>हमारे परिणाम:</p> <p>लेनदेन की भौतिकता को देखते हुए हमारी ऑडिट प्रक्रिया के परिणाम पर्याप्त और संतोषजनक पाए गए।</p>

Key Audit Matters	Our Response/Procedures
<p><u>Advances - Classification and Provisioning</u> (Refer Schedule 9 to the financial statements)</p> <p>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank Of India (RBI). The classification and provisioning is done by the Bank's IT Software integrated with its Core Banking Solution (CBS). The identification of non-performing assets and creation of provisions on such assets involves key management judgments relating to performance, determination of realizable securities available to bank and their valuation.</p>	<p><u>Our Audit Procedures:</u></p> <p>We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the asset's classification and its provisioning. Our audit approach consisted of testing the design of system for identification of Non – Performing assets to ensure conformity with the guidelines of the RBI in the matter and test checking identification and valuation of Non-performing assets.</p> <ul style="list-style-type: none"> - We have reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to ensure that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI ,in respect of the branches audited by us. In respect of the branches, audited by the branch statutory auditors we have placed reliance on their reports and ensured that changes suggested by the Branch auditors were duly carried out wherever necessary. - Necessary changes were carried out during the course of audit and the effect of same was duly accounted for in the Financial statements for the year ended 31st March, 2019. <p><u>Our Results:</u></p> <p>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions,</p>
<p><u>Investments – Valuation, and identification and provisioning for Non-Performing Investments</u> (Refer Schedule 8 to the financial statements)</p> <p>Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for trade.</p> <p>Valuation of investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI.</p>	<p><u>Our Audit Procedures:</u></p> <p>Our Audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/ directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. In particular,</p> <ul style="list-style-type: none"> - We evaluated and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines. - We assessed and evaluated the process of identification of NPI's, and corresponding reversal of income and creation of provision. - We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created. Necessary changes were carried out during the course of audit and the effect of same was duly accounted for in the Financial statements for the year ended 31st March, 2019. <p><u>Our Results:</u></p> <p>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.</p>

<p>-आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान</p> <p>आस्थगति आयकर कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगति कर परिसंपत्ति की पहचान नहीं होगी जब तक कोई परोक्ष नशिचितता नहीं होगी कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसी परिसंपत्तियों से वसूली होगी।</p>	<p>हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं:</p> <p>हम भविष्य में कर योग्य आय के विरुद्ध सेटऑफ के लिए कर हानि की पात्रता के संबंध में प्रबंधन के अनुमानों पर भरोसा करते हैं और हमें उपलब्ध किए गए प्रबंधन के दावों, मान्यताओं और लाभप्रदता के पूर्वानुमान और दावे का मूल्यांकन करने में अपनी आंतरिक विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं, जो कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय होगी आगे किए गए कर हानि के विरुद्ध सेट ऑफ के लिए उपलब्ध होगी।</p>
<p>आकस्मिक देयताएं और दावे</p> <p>आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जिसके आकस्मिक रूप से घटने या नहीं घटने पर एक या अधिक अनश्चित घटनाएं घट सकती हैं। प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, बैंक के विरुद्ध कर मांगों सहित इस तरह के दावे और मुकदमे अंततः एक दायित्व नहीं बनेंगे। यद्यपि, एक प्रतिकूल परिणाम होता है तो बैंक ब्याज/जुर्माने के साथ विवादित मात्रा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि संक्षिप्त अधिकारियों द्वारा तय किया जा सकता है, जिसका प्रभाव इस स्तर पर अनश्चित/नगण्य है।</p>	<p>हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं:</p> <p>हमने बैंक द्वारा दावे और कर मुकदमों के संबंध में प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय की समीक्षा की है और इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनके स्थायित्व और दावों/मुकदमों की संभावना की समीक्षा करने के लिए अपनी आंतरिक टीम को शामिल किया है, अंतिम संकल्प में, आज तक की तथ्यांक तक उपलब्ध रिकॉर्ड और घटनाक्रम तक।</p>

प्रबंधन एवं वित्तीय विवरणियों के लिए एकल रूप से उत्तरदायी गवर्नंस प्रभारी

5. बैंक का निदेशक मण्डल उन वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है, जो सामान्यतया: भारत में स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन की उचित और निष्पक्ष जानकारी देते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('RBI') द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक के आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखों के अभिलेखों का रखरखाव करना भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उनको लागू करना; निर्णय लेना और आंकलन करना जो उचित एवं विवेकपूर्ण है; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहा है, और वित्तीय व्यवस्थाओं की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो एक उचित और निष्पक्ष जानकारी देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले वास्तविक गलत अभिकथन से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए, बैंक के एक अच्छी संस्था के रूप में कार्य करते रहने, प्रकटीकरण जैसा भी लागू हो, कार्यरत संस्था से संबंधित विषयों और कार्यरत संस्था के आधार पर लेखा परीक्षण के आंकलन के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होता है जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा रखता है, या उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हो।

वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

6. हमारा उद्देश्य इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे वित्तीय विवरणों की विषय-वस्तु, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत कथन से मुक्त है और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी की जाए जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई ऑडिट हमेशा एक गलत कथन का पता लगाएगा जब यह मौजूद है। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत जानकारी उत्पन्न हो सकती है और इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करने के लिए वे यथोचित हो सकते हैं।

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षण के रूप में, हम लेखा परीक्षण के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं और पेशेवर निर्णय लेते हैं। हम करते हैं:

<u>Recognition of Deferred Tax Assets</u> Deferred income tax reflects the impact of timing difference between taxable income and accounting income. Deferred tax asset is not recognized unless there is a virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such asset will be realized.	<u>Our Audit Procedures:</u> We have relied upon the management estimates regarding eligibility of carried forward tax losses for setoff against future taxable income and used our own internal expertise in evaluating the claims, assumptions and profitability forecasts and assertions of the management provided to us, that sufficient future taxable income will be available for set off against the tax losses carried forward.
<u>Contingent Liabilities and Claims</u> Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability. However, should there be an adverse outcome, the bank will be liable to pay the disputed amounts with interest/ penalty as may be decided by the competent authorities, the impact of which is uncertain/unascertainable at this stage.	<u>Our Audit Procedures:</u> We have reviewed the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their sustainability and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- वित्तीय विवरणियों की वास्तविक जानकारी छुपाने के जोखिम की पहचान और उसका आंकलन चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि कार्य-प्रणाली के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी होते हुए, लेखा परीक्षण की प्रक्रिया करें और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारे अभिमत हेतु आधार प्रदान करने के लिए उचित और पर्याप्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली गलत भौतिक जानकारी की पहचान नहीं करने के कारण त्रुटि के कारण होने वाली हानि के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझ कर की गई चूक, गलतबयानी, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की व्यावहारिकता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटीकरणों के औचित्यकरण का मूल्यांकन करें।
- रिपोर्ट करें कि शाखा में प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग में लाए जा रहे लेखांकन के आधार शाखा स्तर पर लेखा परीक्षण का समापन नहीं हो सका और शाखा स्तर पर गलत साक्ष्य प्राप्त होने के आधार पर, चाहे घटनाओं से संबंधित भौतिक अनिश्चितता हो अथवा एक कार्यशील संस्था के रूप में बैंक की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी विषय पर अनिश्चितता मौजूद है, तो हम को अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां बैंक की चिंता बन सकती हैं।
- वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण, स्ट्रक्चर और विषय-वस्तु का प्रकटन सहित मूल्यांकन करें, तथा क्या वित्तीय विवरणियां चिह्नित लेन-देनों और घटनाओं का इस प्रकार प्रतिनिधित्व करती हैं जो उचित प्रस्तुतिकरण दे सके।

हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बीच, शासन के साथ उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो आंतरिक लेखा परीक्षण में हमारे द्वारा पहचाने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को इंगित करते हैं।

हम उन लोगों को जो शासन करते हैं, एक विवरणी प्रदान करते हैं जिसका हमने स्वतंत्रतापूर्वक प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ पूरा किया है, और उन सभी रिश्तों के साथ संप्रेषण और अन्य मामलों के साथ समझौता करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता के लिए उचित रूप से विश्वास कर सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को लागू करते हैं।

शासन के साथ संबंधित मामलों से संप्रेषित मामलों में, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षण मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संप्रेषण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणामों हेतु यथोचित अपेक्षा की जाएगी। इस तरह के संप्रेषण से सार्वजनिक हित को हानि संभव होगी।

महत्वपूर्ण मामले

हम स्थावर आस्तियों पर मूल्यहास से संबंधित लेखांकन नीति में बदलाव के संबंध में नोट संख्या 10.3 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। यद्यपि, इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है।

अन्य मामले

7. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 634 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2019 तक रु. 23013.95 करोड़ के कुल अग्रिमों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष में कुल राजस्व रु.1920.11 करोड़ की कुल व्याज आय को दर्शाती है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हम को उपलब्ध की गई हैं, और अब तक की हमारी राय में, इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन-पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Matter of Emphasis

We draw attention to note no.10.3 regarding change in accounting policy relating to depreciation on Fixed Assets

However, our opinion is not modified in respect of these matter

Other Matter

7. We did not audit the financial statements / information of 634 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total advances of Rs. 23013.95 Crore as at 31st March 2019 and total interest income of Rs. 1920.11 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

9. उपरोक्त 5 से 7 तक परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, हमने वे सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं और इन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख) बैंक के ऐसे सभी लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।
- ग) बैंक के कार्यालयों/शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है।
10. आगे हम सूचित करते हैं कि:
- क) हमारी राय में, बैंक द्वारा लेखों का उचित रखरखाव किया गया है जैसा कि विधिक रूप से आवश्यक है और जैसा कि यह हमारे द्वारा की गई लेखों की जांच से पता चलता है।
- ख) रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं।
- ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित प्रकार से कार्रवाई की गई है; और
- घ) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के समरूप हैं।

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. मान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000075एन

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 013148एन

सीए सुभाष मान
एम.नं. 080500

सीए बलदेव गर्ग
एम.नं. 092225

सुरेश चन्द्र एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001359एन

राज गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000203एन

सीए मधुर गुप्ता
एम.नं. 090205

सीए संदीप गुप्ता
एम.नं. 529774

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.05.2019

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. We further report that:
- in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books
 - the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account
 - the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For S. Mann & Co.
Chartered Accountants
FRN – 000075N

For Baldev Kumar & Co.
Chartered Accountants
FRN – 013148N

CA. Subhash Mann
Partner
M.No. 080500

CA. Baldev Garg
Partner
M.No. 092225

For Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN – 001359N

For Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN- 000203N

CA. Madhur Gupta
(Partner)
M.No. 090205

CA Sandeep Gupta
Partner
M. No. 529774

Place: New Delhi
Date: 24 May, 2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2019 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

पूँजी तथा देयताएं	अनुसूची	Rs. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	Rs. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
पूँजी	1	5649123	5649123
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	51364900	56177727
जमाराशियाँ	3	985576045	1017261664
उधार	4	27140000	36829849
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	5	20090390	21674060
जोड़		1089820458	1137592423
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष	6	49410845	62563845
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	16771391	8763081
निवेश	8	261729278	329817572
अग्रिम	9	691755333	665694469
अचल आस्तियाँ	10	12303845	10825985
अन्य आस्तियाँ	11	57849766	59927471
जोड़		1089820458	1137592423
आकस्मिक देयताएं	12	72625233	61793992
वसूली के लिए बिल		7647029	5946070
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
अनुसूची 1 से 18 फॉर्म खातों का अभिन्न अंग हैं।			

PUNJAB & SIND BANK
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2019

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES SCHEDULE AS ON AS ON	SCHEDULE	AS ON 31.03.19 [Audited]	AS ON 31.03.18 [Audited]
Capital	1	5649123	5649123
Reserves & Surplus	2	51364900	56177727
Deposits	3	985576045	1017261664
Borrowings	4	27140000	36829849
Other liabilities & Provisions	5	20090390	21674060
TOTAL		1089820458	1137592423
ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	49410845	62563845
Balances with banks & money at call and short notice	7	16771391	8763081
Investments	8	261729278	329817572
Advances	9	691755333	665694469
Fixed Assets	10	12303845	10825985
Other Assets	11	57849766	59927471
TOTAL		1089820458	1137592423
Contingent Liabilities	12	72625233	61793992
Bills for Collection		7647029	5946070
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

(000 को छोड़कर)

			Rs.	Rs.
		अनुसूची	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I.	आय			
	अर्जित ब्याज	13	85586703	79487533
	अन्य आय	14	8282784	5812005
	जोड़		93869487	85299538
II.	व्यय			
	ब्याज पर किया गया व्यय	15	62789690	57135566
	परिचालन व्यय	16	17111220	16716836
	प्रावधान और आकस्मिक		19403356	18885113
	जोड़		99304266	92737515
III.	लाभ/हानि			
	अवधि के शुद्ध लाभ/हानि (-)		-5434779	-7437977
	अग्रानीत लाभ/हानि (-)		9869878	18572748
	सामान्य रिज़र्व से आहरण		0	0
	जोड़		4435099	11134771
	मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)		-9.62	-18.49
IV.	विनियोजन			
	अंतरण: सांविधिक आरक्षित निधियाँ		0	100000
	पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		868633	1013826
	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ		173560	151067
	आरक्षित निवेश		161843	0
	आस्थगित कर देयताएं		0	0
	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		0	0
	प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी)		0	0
	लाभांश वितरण कर		0	0
	शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया		3231063	9869878
	जोड़		4435099	11134771
	उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
	खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
	अनुसूची 1 से 18 फॉर्म खातों का अभिन्न अंग हैं।			

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2019

(000'S OMITTED)

			Rs.	Rs.
			YEAR ENDED 31.03.19 [Audited]	YEAR ENDED 31.03.18 [Audited]
I. INCOME				
	Interest earned	13	85586703	79487533
	Other income	14	8282784	5812005
	TOTAL		93869487	85299538
II. EXPENDITURE				
	Interest expended	15	62789690	57135566
	Operating expenses	16	17111220	16716836
	Provisions and contingencies		19403356	18885113
	TOTAL		99304266	92737515
III. PROFIT/LOSS				
	Net Profit/ Loss (-) for the period		-5434779	-7437977
	Profit/ Loss(-) brought forward		9869878	18572748
	Withdrawal from General Reserve		0	0
	TOTAL		4435099	11134771
	Basic & Diluted Earning per Share (EPS)		-9.62	-18.49
IV. APPROPRIATIONS				
	Transfer to: Statutory Reserve		0	100000
	Capital Reserve [Investment]		868633	1013826
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		173560	151067
	Investment Reserve		161843	0
	Deferred Tax Liability		0	0
	Corporate Social Responsibility			
	Fund		0	0
	Proposed Dividend (Equity)		0	0
	Dividend Distribution Tax		0	0
	Balance carried over to Balance Sheet		3231063	9869878
	TOTAL		4435099	11134771
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		
	Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			



चन्द्र मोहन सिंह
सहा. महाप्रबंधक

वी.के. मेहरोत्रा
उप महाप्रबंधक

दलजीत सिंह ग्योवर
महाप्रबंधक

राजीव रावत
महाप्रबंधक

जयंत कुमार नायक
महाप्रबंधक

नेत्रानन्द सेठी
महाप्रबंधक

हरविन्द्र सचदेव
महाप्रबंधक

हर्ष बीर सिंह
निदेशक

टी.आर. मेंदीरता
निदेशक

एम.एस. दादू
निदेशक

एस.आर. घेडीया
निदेशक

बी.पी. विजयेन्द्र
निदेशक

एस.आर. मेहर
निदेशक

गोविन्द एन डोंग्रे
कार्यकारी निदेशक

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

एस. हरिशंकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

चरन सिंह
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष

समिति पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. मान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(सुभाष मान)
एम. नं. 080500
एफआरएन: 000075 एन

(बलदेव गर्ग)
एम. नं. 092225
एफआरएन: 013148 एन

कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते राज गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(मधुर गुप्ता)
एम. नं. 090205
एफआरएन: 001359 एन

(संदीप गुप्ता)
एम. नं. 529774
एफआरएन: 000203 एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.05.2019

C.M. SINGH
ASSTT. GEN. MANAGER

V.K. MEHROTRA
DY.GEN. MANAGER

DALJIT SINGH GROVER
GENERAL MANAGER

RAJIV RAWAT
GENERAL MANAGER

JAYANTA KUMAR NAYAK
GENERAL MANAGER

NETRANAND SETHI
GENERAL MANAGER

HARVINDER SACHDEV
GENERAL MANAGER

HARSH BIR SINGH
DIRECTOR

T. R. MENDIRATTA
DIRECTOR

M. S. DADU
DIRECTOR

S. R. GHEDIA
DIRECTOR

B.P. VIJAYENDRA
DIRECTOR

S. R. MEHAR
DIRECTOR

GOVIND N DONGRE
EXECUTIVE DIRECTOR

FAREED AHMED
EXECUTIVE DIRECTOR

S. HARISANKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

CHARAN SINGH
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For S. Mann & Co.
Chartered Accountants

For Baldev Kumar & Co.
Chartered Accountants

(Subhash Mann)
Partner
M. No. 080500
FRN : 000075N

(Baldev Garg)
Partner
M. No. 092225
FRN : 013148N

For Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants

For Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants

(Madhur Gupta)
Partner
M. No. 090205
FRN : 001359N

(Sandeep Gupta)
Partner
M. No. 529774
FRN : 000203N

Place: New Delhi
Dated: May 24, 2019

(000 को छोड़कर)

		Rs.	Rs.
	अनुसूची 1 - पूँजी	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	प्राधिकृत पूँजी :		
I.	इक्विटी शेयर पूँजी 300,00,00,000 (विगत वर्ष 75,00,00,000) प्रत्येक रु. 10 का शेयर	300000000	75000000
II.	अधिमान शेयर पूँजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.) विगत वर्ष प्रत्येक रु. 10/. के 225,00,00,000 शेयर	0	225000000
		300000000	300000000
	निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी :		
I.	इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रु. 10/. के 56,49,12,284 शेयर (पिछले वर्ष 56,49,12,284) जिसमें केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु. 10/. के 48,33,24,032 शेयर (पिछले वर्ष 48,33,24,032) सम्मिलित हैं।	5649123	5649123
II.	अधिमान शेयर पूँजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.)	0	0
	कुल [I+II]	5649123	5649123

(000 को छोड़कर)

		Rs.	Rs.
	अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I.	सांविधिक आरक्षित निधि		
	अथशेष	10936906	10836906
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	100000
	उप-योग- I	10936906	10936906
II.	पूँजी आरक्षित निधि		
	क) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (स्थायी आस्तियाँ)		
	अथशेष	8470420	8733062
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	884594	0
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-56870	-262642
	उप-योग II क	9298144	8470420
	ख. पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		
	अथशेष	4285736	3271910
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	868633	1013826
	उप-योग II ख	5154369	4285736
III.	शेयर प्रीमियम		
	अथ शेष	19375543	13180418
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	6204987
	जमा: सार्वजनिक निर्गम व्यय	0	-9862
	उप-योग - III	19375543	19375543
IV.	राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ		
	क) सामान्य आरक्षित		
	अथ शेष	1089003	1089003
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
	उप-योग- IV. क	1089003	1089003

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	AS ON 31.03.19	AS ON 31.03.18
		[Audited]	[Audited]
	Authorised Capital :		
I.	300,00,00,000 (Previous Year 75,00,00,000) shares of Rs.10/- each	30000000	7500000
II.	(Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) Previous Year 225,00,00,000 shares of Rs.10/- each	0	22500000
		30000000	30000000
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
I.	Equity Share Capital 56,49,12,284 (Previous Year 56,49,12,284) shares of Rs.10/- each [including 48,33,24,032 (Previous Year 48,33,24,032) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	5649123	5649123
II.	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS)	0	0
	TOTAL [I+II]	5649123	5649123

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS	AS ON 31.03.19	AS ON 31.03.18
		[Audited]	[Audited]
I.	Statutory Reserves		
	Opening Balance	10936906	10836906
	Addition during the year	0	100000
	Sub Total I	10936906	10936906
II.	Capital Reserves:		
	a.Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	Opening Balance	8470420	8733062
	Add: Addition during the year	884594	0
	Less:Deduction during the year	-56870	-262642
	Sub Total II.a	9298144	8470420
	b.Capital Reserve [Investments]		
	Opening Balance	4285736	3271910
	Add: Addition during the year	868633	1013826
	Sub-Total II.b	5154369	4285736
III.	Share Premium:		
	Opening Balance	19375543	13180418
	Add: Addition during the year	0	6204987
	Less: Share Issue Expenses	0	-9862
	Sub-Total III	19375543	19375543
IV.	Revenue & Other Reserves		
	a). General Reserves		
	Opening Balance	1089003	1089003
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.a	1089003	1089003

	ख) राजस्व आरक्षित निधि :		
	अथशेष	368342	105700
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	56870	262642
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-262642	0
	उप-योग IV ख	162570	368342
	ग) विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत(-)		
	अथशेष	1745082	1594015
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	173560	151067
	उप-योग IV ग	1918642	1745082
	घ) आरक्षित निवेश		
	अथ शेष	36817	36817
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	161843	0
	उप-योग IV घ	198660	36817
V.	लाभ-हानि खाते में शेष	3231063	9869878
	कुल योग (I-V)	51364900	56177727

(000 को छोड़कर)

		Rs. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	Rs. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	अनुसूची 3 - जमा राशियाँ		
क.	I मांग जमा		
	i) बैंकों से	733548	600494
	ii) अन्य से	49026087	38717131
	II. बचत बैंक जमा राशियाँ	214311187	201286643
	III. मियादी जमा		
	i) बैंकों से	18901180	19798259
	ii) अन्य से	702604043	756859137
	जोड़ (I+II+III)	985576045	1017261664
ख)	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	985576045	1017261664

(000 को छोड़कर)

		Rs. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	Rs. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	अनुसूची 4 - उधार		
	1.) भारत में उधार		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0	7500000
	ii) अन्य बैंक	0	0
	iii) अन्य संस्थान और अभिकरण	1390000	2579849
	iv) अतिरिक्त टीयर 1 बॉण्ड	10000000	10000000
	v) गौण ऋण	15750000	16750000
	2.) भारत से बाहर उधार	0	0
	जोड़ (1+2)	27140000	36829849
ख)	उपरोक्त जोड़ (1) और (2) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	1390000	10079836

	b). Revenue Reserve:		
	Opening Balance	368342	105700
	Add: Addition during the year	56870	262642
	Less: Deduction during the year	-262642	0
	Sub-Total IV.b	162570	368342
	c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	Opening Balance	1745082	1594015
	Add: Addition during the year	173560	151067
	Sub-Total IV.c	1918642	1745082
	d). Investment Reserve		
	Opening Balance	36817	36817
	Add: Addition during the year	161843	0
	Sub-Total IV.d	198660	36817
V.	Balance in Profit & Loss Account	3231063	9869878
	Total [I to V]	51364900	56177727

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 3 - DEPOSITS	AS ON 31.03.19	AS ON 31.03.18
		[Audited]	[Audited]
A	I. Demand Deposits		
	i. From Banks	733548	600494
	ii. From others	49026087	38717131
	II. Savings Bank Deposits	214311187	201286643
	III. Term Deposits		
	i. From Banks	18901180	19798259
	ii. From others	702604043	756859137
	TOTAL [I+II+III]	985576045	1017261664
B	Deposits of branches in India	985576045	1017261664

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 4 - BORROWINGS	AS ON 31.03.19	AS ON 31.03.18
		[Audited]	[Audited]
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	0	7500000
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	1390000	2579849
	iv) Additional Tier - I Bonds	10000000	10000000
	v) Subordinated Debt	15750000	16750000
	II. Borrowings outside India	0	0
	TOTAL [I & II]	27140000	36829849
	Secured borrowings Included in I & II above	1390000	10079836

(000 को छोड़कर)

	Rs.	Rs.
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. देय बिल	2243306	2039691
II. अंतर्कार्यालय समायोजन (निवल)	0	642934
III. प्रोदभूत ब्याज	10197908	10380618
IV. आस्थगित कर देयता	0	0
VI. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	7649176	8610817
जोड़	20090390	21674060

(000 को छोड़कर)

	Rs.	Rs.
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और इतिशेष	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. हाथ में नकदी(इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	2080512	2679331
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
i) चालू खातों में	43830333	39884514
ii) अन्य खातों में	3500000	20000000
जोड़ (I तथा II)	49410845	62563845

(000 को छोड़कर)

	Rs.	Rs.
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
1.) भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क) चालू खातों में	327281	309424
ख) अन्य जमा खातों में	0	0
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
क) बैंकों से	5000000	5000000
ख) अन्य संस्थाओं से	10792541	1940000
उप योग- (1)	16119822	7249424
2.) भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	651569	1513657
ii) अन्य जमा खातों में	0	0
iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0	0
उप-योग (2)	651569	1513657
जोड़ (1+2)	16771391	8763081

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	AS ON 31.03.19	AS ON 31.03.18
	[Audited]	[Audited]
I. Bills Payable	2243306	2039691
II. Inter-office adjustments [net]	0	642934
III. Interest accrued	10197908	10380618
IV. Deferred Tax Liability	0	0
V. Others (including provisions)	7649176	8610817
TOTAL	20090390	21674060

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS ON 31.03.19	AS ON 31.03.18
	[Audited]	[Audited]
I. Cash in hand [including foreign currency notes]	2080512	2679331
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) in Current Account	43830333	39884514
ii) in Other Account	3500000	20000000
TOTAL [I & II]	49410845	62563845

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	AS ON 31.03.19	AS ON 31.03.18
	[Audited]	[Audited]
I. In India		
i) Balance with banks		
a) in Current Accounts	327281	309424
b) in other Deposit Accounts	0	0
ii) Money at call & Short notice		
a) with banks	5000000	5000000
b) with other institutions	10792541	1940000
SUB-TOTAL [I]	16119822	7249424
II. Outside India		
i) In Current Accounts	651569	1513657
ii) In Other Deposit Accounts	0	0
iii) Money at call & Short notice	0	0
SUB-TOTAL [II]	651569	1513657
TOTAL [I & II]	16771391	8763081

(000 को छोड़कर)

	Rs.	Rs.
अनुसूची 8 - निवेश	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
1.) भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ " **	206305705	240234958
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	84903	106863
iii) शेयर	1975232	2789405
iv) डिबेंचर तथा बांड्स	52465415	63535283
v) सहायक इकाइयां, तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान	0	6537
vi) अन्य		
क) वाणिज्यिक पत्र/सीडी/प्रतिभूति रसीदें/आरआईडीएफ	864567	23076728
ख) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्यूचुअल फंड	33456	67798
उप-योग (I)	261729278	329817572
II. भारत से बाहर निवेश	शून्य	शून्य
कुल योग (I+II)	261729278	329817572
कुल मूल्य	264613157	331500340
मूल्य ह्रास का प्रावधान (-)	2883879	1682768
निवल निवेश	261729278	329817572

** इनमें रु. 230.93 करोड़ की भारगस्त प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य रु. 231.60 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु. 1079.35 करोड़ (अंकित मूल्य रु.1077.26 करोड़) थी।

(000 को छोड़कर)

	Rs.	Rs.
अनुसूची 9 - अग्रिम	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
क) i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	4389918	3835201
ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार	304788136	253231341
iii) मीयादी ऋण	382577279	408627927
जोड़	691755333	665694469
ख) i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज सहित अग्रिम)	552980588	555468985
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	98086614	56518459
iii) प्रतिभूति रहित	40688131	53707025
जोड़	691755333	665694469
ग) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	240410834	240540521
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	142616281	124679101
iii) बैंक	10164478	23004084
iv) अन्य	298563740	277470763
जोड़	691755333	665694469

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	AS ON 31.03.19 [Audited]	AS ON 31.03.18 [Audited]
I. Investments in India in		
i) Government Securities **	206305705	240234958
ii) Other approved securities	84903	106863
iii) Shares	1975232	2789405
iv) Debentures & Bonds	52465415	63535283
v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	0	6537
vi) Others:		
a) Commercial Paper/CD/Securitised Receipts	864567	23076728
b) Units of UTI, other MF	33456	67798
SUB-TOTAL [I]	261729278	329817572
II. Investments outside India	NIL	NIL
TOTAL [I + II]	261729278	329817572
Gross Value	264613157	331500340
Provision for Depreciation [-]	2883879	1682768
Net Investments	261729278	329817572

** Includes encumbered securities of Rs.230.93 crore [Face Value Rs.231.60 crore] previous year Rs.1079.35 crore [Face Value Rs.1077.26 crore]

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 9 - ADVANCES	AS ON 31.03.19 [Audited]	AS ON 31.03.18 [Audited]
A i) Bills purchased & discounted	4389918	3835201
ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	304788136	253231341
iii) Term Loans	382577279	408627927
Total	691755333	665694469
B i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	552980588	555468985
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	98086614	56518459
iii) Unsecured	40688131	53707025
Total	691755333	665694469
C ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector	240410834	240540521
ii) Public Sector	142616281	124679101
iii) Banks	10164478	23004084
iv) Others	298563740	277470763
Total	691755333	665694469

(000 को छोड़कर)

	Rs.	Rs.
अनुसूची 10 - स्थायी आस्तियाँ	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
1.) परिसर		
परिसर का मूल्य (अथ शेष)	1226329	1156018
पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन	9190459	9190459
उप- योग	10416788	10346477
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वास्तविक लागत	271211	70311
पुनर्मूल्यन लागत पर	9355015	0
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
वास्तविक लागत पर	-7281	0
पुनर्मूल्यन लागत पर	-9190459	0
घटाएं- अद्यतित दिनांक को मूल्यहास		
वास्तविक लागत पर	-164057	-403463
पुनर्मूल्यन लागत पर	-56870	-720037
जोड़ 1	10624347	9293288
2.) अन्य स्थायी आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)		
मूल्य (अथ शेष)	4839442	4427825
वर्ष के दौरान परिवर्धन	453700	447992
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-99241	-36375
अद्यतन मूल्यहास	-3514403	-3306745
जोड़ 2	1679498	1532697
कुल जोड़ (1+2)	12303845	10825985

(000 को छोड़कर)

	Rs.	Rs.
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	649173	0
II. प्रोदभूत ब्याज	5327329	6882186
III. अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	44183	834783
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	39393	40435
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	0
VI. आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	11130753	5933319
VII. अन्य \$\$	40658935	46236748
जोड़	57849766	59927471

\$\$ आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत नाबार्ड के साथ संयुक्त रूप से जमा राशि रु. 2878.39 करोड़ (पिछले वर्ष यह रु. 3557.97 करोड़ थी) सम्मिलित है।

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	AS ON 31.03.19 [Audited]	AS ON 31.03.18 [Audited]
I. Premises		
Cost [Opening Balance]	1226329	1156018
Appreciation in cost on account of revaluation	9190459	9190459
Sub-Total	10416788	10346477
Additions during the year		
Original Cost	271211	70311
Revaluation Cost	9355015	0
Deductions during the year on		
Original Cost	-7281	0
Revaluation Cost	-9190459	0
Less Depreciation to date on		
Original cost	-164057	-403463
Revaluation cost	-56870	-720037
Total-I	10624347	9293288
II. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
Cost [Opening Balance]	4839442	4427825
Additions during the year	453700	447992
Deductions during the year	-99241	-36375
Depreciation to date	-3514403	-3306745
Total II	1679498	1532697
TOTAL I & II	12303845	10825985

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	AS ON 31.03.19 [Audited]	AS ON 31.03.18 [Audited]
I. Inter-office adjustments [net]	649173	0
II. Interest accrued	5327329	6882186
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source	44183	834783
IV. Stationery & Stamps	39393	40435
V. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI. Deferred Tax asset (Net)	11130753	5933319
VII. Others \$	40658935	46236748
TOTAL	57849766	59927471

\$ Includes deposits placed with NABARD under RIDF Rs.2878.39 crore [Previous Year Rs.3557.97 crore]

(000 को छोड़कर)

	Rs.	Rs.
अनुसूची- 12 - आकस्मिक देयताएं	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	47907	68790
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	0	0
III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता	42915007	31889962
IV संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियाँ		
क) भारत में	27284544	27295455
ख) भारत के बाहर		
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	1802955	1691231
VI अन्य मर्दे, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	574820	848554
जोड़	72625233	61793992

(000 को छोड़कर)

	Rs.	Rs.
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	60297191	52315249
II. निवेशों पर आय	22977517	24508344
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज	602627	1170404
IV अन्य	1709368	1493536
जोड़	85586703	79487533

(000 को छोड़कर)

	Rs.	Rs.
अनुसूची 14 - अन्य आय	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	947900	834725
II निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	3583587	2595223
III भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	97994	-1119
IV विनिमय लेन-देन पर लाभ (निवल)	198918	258888
V. विविध आय	3454385	2124288
जोड़	8282784	5812005

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	AS ON 31.03.19 [Audited]	AS ON 31.03.18 [Audited]
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	47907	68790
II. Liability for partly paid investments	0	0
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	42915007	31889962
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
a) In India	27284544	27295455
b) Outside India		
V. Acceptances, Endorsements and other obligations	1802955	1691231
VI. Other items for which the bank is contingently liable	574820	848554
TOTAL	72625233	61793992

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED	Year Ended 31.03.19 [Audited]	Year Ended 31.03.18 [Audited]
I. Interest/discount on advances/ bills	60297191	52315249
II. Income on investments	22977517	24508344
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	602627	1170404
IV. Others	1709368	1493536
TOTAL	85586703	79487533

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	Year Ended 31.03.19 [Audited]	Year Ended 31.03.18 [Audited]
I. Commission, exchange and brokerage	947900	834725
II. Profit on sale of Investments [net]	3583587	2595223
III. Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	97994	-1119
IV. Profit on exchange transactions [net]	198918	258888
V. Miscellaneous Income	3454385	2124288
TOTAL	8282784	5812005

(000 को छोड़कर)

		Rs.	Rs.
	अनुसूची 15 - अपचित ब्याज	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I	जमाराशियों पर ब्याज	59906866	54123415
II	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	208218	421760
III	अन्य	2674606	2590391
	जोड़	62789690	57135566

(000 को छोड़कर)

		Rs.	Rs.
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I	कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	11758113	11230044
II	किराया, कर और रोशनी	1335493	1279385
III	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	86862	86465
IV	विज्ञापन और प्रचार	30457	15740
V	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	-147207	641058
	घटा: पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अंतरण	0	0
		-147207	641058
VI	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	5170	2740
VII	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	116831	119806
VIII	विधि प्रभार	91413	102833
IX	डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	86575	95682
X	मरम्मत और अनुरक्षण	176323	154101
XI	बीमा	953525	846272
XII	अन्य व्यय	2617665	2142710
	जोड़	17111220	16716836

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	Year Ended 31.03.19 [Audited]	Year Ended 31.03.18 [Audited]
I. Interest on deposits	59906866	54123415
II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	208218	421760
III. Others	2674606	2590391
TOTAL	62789690	57135566

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES	Year Ended 31.03.19 [Audited]	Year Ended 31.03.18 [Audited]
I. Payments to and provisions for employees	11758113	11230044
II. Rent, taxes and lighting	1335493	1279385
III. Printing and stationery	86862	86465
IV. Advertisement & publicity	30457	15740
V. Depreciation on Bank's property	-147207	641058
Less: Transfer from Revaluation Reserve	0	0
	-147207	641058
VI. Directors' fees, allowances and expenses	5170	2740
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	116831	119806
VIII. Law Charges	91413	102833
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	86575	95682
X. Repairs & maintenance	176323	154101
XI. Insurance	953525	846272
XII. Other expenditure	2617665	2142710
TOTAL	17111220	16716836

अनुसूची - 17

प्रमुख लेखा नीतियां

1. सामान्य

मूल-भूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों तथा कंपनियों द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (लेखा मापदंडों) नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

प्राकलन का उपयोग

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी हेतु प्रबंधन को रिपोर्टिंग अवधि के लिए वित्तीय विवरणों की तिथि, सूचित आय और व्यय के अनुसार रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशियों में आंकलन करने व और विचार करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय वक्तव्यों बनाने में प्रयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं।

2. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- 2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फैंडाई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।
- 2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फैंडाई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फैंडाई के दिशा-निर्देशों तथा ए.एस. 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
- 2.3 विदेशी विनिमय लेन-देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- 2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकस्मिक देयताएं, विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख-पत्र का मूल्यांकन फैंडाई द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय अनुमानित दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

- 3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- 3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे 'परिपक्वता तक रखना' 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा "व्यापार हेतु रखना" जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छह वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है:
 - I. सरकारी प्रतिभूतियां
 - II. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - III. शेयर (अंश)
 - IV. ऋण-पत्र (डिबेन्चर्स) तथा बॉण्ड
 - V. सहायक ईकाइयां/संयुक्त उपक्रम तथा
 - VI. अन्य

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. GENERAL

BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. Foreign Exchange Transactions

- 2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.
- 2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.
- 2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.
- 2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees & letter of credits in foreign currencies are valued as per rates published by FEDAI except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. Investments

- 3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.
- 3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,
 - i. Government Securities
 - ii. Other approved securities
 - iii. Shares
 - iv. Debentures
 - v. Subsidiaries / Joint Ventures and
 - vi. Others

3.3 वर्गीकरण का आधार

- I. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो, उन्हें 'परिपक्वता तक रखना' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - II. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा हो, उन्हें 'व्यापार के लिए रखने' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - III. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हों, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - IV निवेशों को क्रय करते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।
- 3.4 प्रतिभूतियां, जिनमें "परिपक्वता तक रखना है" को अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद II में "निवेशों पर आय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। जहाँ लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहाँ अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयाँ तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायी तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग लिया गया है।
- 3.5 "बिक्री हेतु उपलब्ध" खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया गया है तथा ह्रास/वृद्धि को श्रेणी वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध ह्रास का प्रावधान किया गया है।
- 3.6 "व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों" का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यह्रास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।
- 3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।
- 3.8 लेखा पद्धति - लेखा निपटान तिथि
- लेखा निपटान तिथि का अभिप्राय (क) संस्था द्वारा प्राप्त की गई आस्ति जिस दिन इसकी पहचान हुई, और (ख) संस्था द्वारा इसके निस्तारण किए जाने वाले दिन पर होने वाले लाभ अथवा हानि की पहचान करना और आस्ति की पहचान समाप्त करना। तदनुसार, संपूर्ण संविभाग के लिए बैंक लेखा निपटान तिथि का, एस.एल.आर. अथवा गैर एस.एल.आर. हेतु अनुपालन करता है। निवेश की लागत भारित औसत लागत पद्धति वर्ग के अनुसार आधारित है।
- 3.9 "बिक्री हेतु उपलब्ध" एवं 'व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूति' श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य कोष "बाजार दर" निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव दरों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्डा) के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।

अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया निम्न है:

क.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां: और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।
ख.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान शेयरों, ऋण-पत्रों तथा पी.एस.यू बाण्ड्स पर लाभ:	फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता के आधार पर जोकि पीडीएआई/फिम्डा एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
ग.	ईक्विटी शेयर:	निर्दिष्ट भाव वाले शेयर के लिए बाजार मूल्य एनएसई तथा बीएसई से लिया गया है। नवीनतम तुलन-पत्र पर आधारित ब्रेक-अप मूल्य (आरक्षित पुनर्मूल्यांकन को बिना ध्यान में रखकर) आधार पर जो कि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य 1/- रुपये प्रति कम्पनी माना गया है।
घ.	म्यूचुअल फंड यूनिट्स :	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
ड.	ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र, पुनः पूँजीगत बांड्स, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान:	शुद्ध लागत पर।

3.3 Basis Of Classification:

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
 - ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
 - iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
 - iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.
- 3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments– Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually
- 3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.
- 3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.
- 3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.8 Method Of Accounting – Settlement Date Accounting

Settlement date accounting refers to (a) the recognition of an asset on the day it is received by the entity, and (b) the de-recognition of an asset and recognition of any gain or loss on disposal on the day it is delivered by the entity.

Accordingly, Bank follows settlement date accounting for the whole portfolio, SLR as well as Non SLR. Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

- 3.9 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

a.	Government of India Securities: and State Government securities.	At rates put out by FIMMDA/PDAI
b.	Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds:	On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI
c.	Equity Shares:	At market price taken from NSE and BSE for quoted share. For unquoted at Break-up Value (without considering revaluation reserve) based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation is considered. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company
d.	Mutual Fund Units:	At re-purchase price or Net Assets Value
e.	Treasury Bills, Cash Management Bill, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:	At carrying cost.

3.10 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण:

- क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
- ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली/कमीशन/स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
- ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।

3.11 निवेशों की बिक्री से लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, “परिपक्वता तक रखना” श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

3.12 अनर्जक निवेश:

गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मूल्यहास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

3.13 शेयरों तथा म्यूचुअल फंड पर लाभांश आय प्राप्ति के आधार पर आय की गणना की जाती है।

3.14 यदि किसी मामले में, ‘एफएएस’ और ‘एचएफटी’ श्रेणियों पर किसी भी वर्ष में मूल्य-हास के कारण किए गए प्रावधान आवश्यक राशि से अधिक पाया जाता है तो अतिरिक्त राशि को लाभ एवं हानि खातों में जमा कर दिया जाता है और उसके समान राशि को अनुसूची 2 में निवेश आरक्षित खातों – ‘राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां’ के शीर्ष के अंतर्गत ‘आरक्षित और अधिशेष’ में समायोजित कर दिया जाता है।

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है। बैंक ने गैर-निष्पादक आस्तियों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निम्न प्रकार प्रावधान किया है:

आस्तियों की श्रेणी	प्रावधान मानदंड
अवमानक	आरक्षित ऋणों पर 15% * गैर-आरक्षित ऋणों का 25% * गैर-आरक्षित ऋणों का 20% आधारभूत खातों के संबंध में, जहाँ निश्चित संरक्षण जैसे कि निलंब खाते उपलब्ध हैं
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 25% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 40% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100% गैर-जमानती ऋण पर 100%
हानि	बुक बकाया का 100%

* गैर-जमानती ऋणों को ऐसे ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ बैंक द्वारा/अनुमोदित मूल्यांकन/भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आरंभ से ही प्रतिभूति का मूल्य, ऋण के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अर्थात् बकाया जोखिम।

4.2 अग्रिमों को गैर-मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुप्रयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/तकनीकी बट्टे खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी/ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा.निर्देशों के अनुसार ‘अन्य दायित्वों तथा प्रावधान’ शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

4.4 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने/पुनः निर्धारित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

3.10 In determining acquisition cost of investments:

- Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;
- Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;
- Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.

3.11 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.12 Non Performing Investments

In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

3.13 Dividend Income on shares and units of mutual funds is booked on receipt basis.

3.14 In the event, provisions created on account of depreciation in the 'AFS' or 'HFT' categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the P.& L. Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account in Schedule 2 – "Reserve & Surplus" under the head "Revenue and Other Reserves".

4. Advances

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Bank has made provisions on Non-Performing Assets as per the prudential norms prescribed by the RBI as under:

Category of Assets	Provision norms
Sub-Standard	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available
Doubtful-I	25% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	40% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured
Loss	100% of Book Outstanding

* Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/ Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.

4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.

4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.

4.4 For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक खातों की बिक्री की जाती है:-

- जब बैंक प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचता है तो इसको बहियों से हटा दिया जाता है।
- यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में कम प्रावधान है) से कम है तो इस कमी को बिक्री किए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को डेबिट किया जाता है।
- यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जिसमें यह राशि प्राप्त हुई थी।

5. अस्थाई प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थाई प्रावधानों को अलग से निर्माण और उपयोग करने के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थाई प्रावधानों का आकलन किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से, अस्थाई प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में आकस्मिकताओं हेतु किया जाएगा।

6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पुनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।

6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है और परिशोधित नहीं किया गया है।

7. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास:

7.1 मूल्यह्रास निम्नानुसार लगाया गया है:

7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33% परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।

7.1.2 अचल परिसंपत्तियों के 5% पर अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए, परिसंपत्तियों को उपयोग की अवधि के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन मेथड (एसएलएम) के आधार पर बदल दिया जाता है। वर्ष के दौरान इसके पूरे होने की तारीख के बावजूद वर्ष के लिए अतिरिक्त मूल्यह्रास किया जाता है। उपयोग की अवधि और मूल्यह्रास दर नीचे दी गई है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोग की अवधि	मूल्यह्रास दर
1	परिसर	60	1.58%
2	फर्नीचर तथा फिक्चर	10	9.50%
3	प्लांट तथा मशीनरी	15	6.33%
4	वाहन	8	11.88%

7.1.3 जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ परिसरों का मूल्य सम्मिश्रित मूल्य पर लिया गया है।

7.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यह्रास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

8. राजस्व पहचान

8.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुप्रयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।

8.3 अनुप्रयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।

4.5 The sale of NPA is accounted for as per guidelines prescribed by RBI:-

- i). When the bank sells its financial assets to Securitization Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.
- ii). If the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account of the year of sale.
- iii). If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is reversed in the year the amounts are received.

5. Floating Provisions

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6. Fixed Assets

- 6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.
- 6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7. Depreciation on Fixed Assets

7.1 Depreciation is provided for on -

- 7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.
- 7.1.2 Depreciation on fixed Assets is charged on Straight Line Method (SLM) basis as per useful life of assets, considering residual value at 5% of original cost. Additions during the year are depreciated for the full year irrespective of its date of addition. The useful life and depreciation rate are given hereunder:

S. No.	Particulars	Useful life	Depreciation Rate
1	Premises	60	1.58%
2	Furniture and fixtures	10	9.50%
3	Plant & Machinery	15	6.33%
4	Vehicles	8	11.88%

- 7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.
- 7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.
- 7.3 Depreciation attributable to revalued portion of the assets is charged to Profit & Loss Account and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve Account to Revenue Reserve Account.

8. Revenue Recognition

- 8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
- 8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

- 8.4 भा.रि. बैंक द्वारा शुरू की गई विशेष योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए गए मामलों हेतु अर्थात् दबाव में आस्तियों की धारणीय भुगतान की अनुसूची पुनः बनाने की योजना (एस4ए), नीतिगत ऋण पुनःसंरचना, लंबी अवधि के परियोजना ऋणों की लचीली संरचना (5/25), उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (नीतिगत ऋण पुनःसंरचना योजना के बाहर), जहाँ उसके बाद खाता अनर्जक हो जाता है, तो किसी भी वसूली को पहले ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज में जमा किया जाएगा। उसके बाद वसूली को खाते में बकाया मूल धन में समायोजित किया जाएगा। उक्त योजनाओं के अंतर्गत आ रहे सभी खातों में लेखा प्रक्रिया एक समान एक सी बनी रहेगी।
- 8.5 गारंटियों तथा जारी साख-पत्रों से आय, लॉकर किराया, मर्चेट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा-अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन के संवितरण, म्यूचुअल फंड उत्पाद के यूनितों की आय तथा ए.टी.एम. परिचालन शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।
- 8.6 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने पर खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।
- 8.7 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।
- 8.8 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।
- 8.9 टीयर - II पूँजी में उल्लंघन के कारण बांड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पाँच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।
- 8.10 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

9. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ

- 9.1 ग्रेच्युटी निधि, पेंशन निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया है।
- 9.2 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

10. आस्तियों का हास

स्थायी आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि (यदि कोई है) की पहचान आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी ए.एस. 28 (आस्तियों का हास) के अनुसार की जाती है और लाभ एवं हानि खाते को नामे की जाती है।

11. आय पर कर:

- 11.1 चालू आय कर को लागू कर दरों तथा विधिक निर्णयों/परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।
- 11.2 ए.एस. 22 – आस्थगित-कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर-परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर-आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।

- 8.4 For cases covered under special schemes introduced by RBI viz. Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loans (5/25), Change in Ownership of Borrowing Entities (Outside Strategic Debt Restructuring Scheme), where subsequently the account turns NPA, any recovery shall be first credited to Interest on loans & Advances. Thereafter, the recovery shall be appropriated towards principal amount outstanding in the account. The accounting procedure shall be uniform and consistent in all accounts falling under above schemes.
- 8.5 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.
- 8.6 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.
- 8.7 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.
- 8.8 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.
- 8.9 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.
- 8.10 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9. Staff Retirement Benefits

- 9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund, Silver Jubilee Bonus and Retirement Gifts are provided for on the basis of an actuarial valuation.
- 9.2 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10. Impairment of Assets

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11 Taxes on Income

- 11.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.
- 11.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.

अनुसूची- 18

लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1 बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन

- 1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
- 1.2 अंतर्शाखा खातों (आईबीआर + डीडी) में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट-क्रेडिट का आरंभिक मिलान, सीबीएस सिस्टम से पूर्व किया गया है। समायोजन (जिसमें बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं) में शामिल करके इस कार्य को 31.03.2019 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।
- 1.3 ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/प्रदत्त लाभांश वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस (उचंत) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों के अनुसार प्रावधान कर दिया है। दिनांक 31.03.2019 तक के नोस्ट्रो खातों का समायोजन कर दिया गया है।

प्रबंधन की राय में, लाभ-हानि खाते व तुलन-पत्र पर उक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव यदि कोई है, तो नगण्य होगा।

- 1.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 30.09.2018 की अवधि तक तथा 31.03.2019 को बकाया अंतर शाखा के खातों की नामों तथा जमा प्रविष्टियों को अलग अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ शीर्षों में कुल डेबिट या अन्य शीर्षों में कुल जमा शेष है। छः महीनों से अधिक के अवधि की निवल नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

अंतर्शाखा खाता में निवल जमा है इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

- 1.5 नोस्ट्रो खातों में 31.12.2008 तक की क्रेडिट प्रविष्टियाँ बकाया हैं। दिसंबर, 2018 तिमाही के समापन के दौरान सॉरी क्रेडिटर्स लावारिस (ब्लॉक किए गए) खाते, ब्लॉक किए गए नोस्ट्रो विविध अकाउंट और ब्लॉक किए गए लावारिस जमा खाते (नए अवरुद्ध खाते) में दिखाए गए 7.95 करोड़ रुपये डीएएफ खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। 01.01.2009-31.03.2019 की अवधि के लिए अवरुद्ध लावारिस जमा खाते (नया अवरुद्ध खाता) में बकाया क्रेडिट प्रविष्टियाँ मार्च 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान डीएएफ खाते में स्थानांतरित की गई हैं। इसके अलावा विभाग संबंधित प्रविष्टियों को डीईएफ के खाते 10 वर्ष से अधिक तिमाही आधार पर स्थानांतरित कर रहा है।

29.03.2019 तक, रु.1.25 करोड़ के बिना क्रेडिट प्रविष्टियों के 01.04.2009 से 31.03.2016 तक की अवधि से संबंधित है और 3 साल से अधिक समय से बकाया है और इसलिए इसे ब्लॉक किए गए लावारिस जमा खाते (नए अवरुद्ध खाते) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

- 2.1 31.03.2019 तक 01.00 करोड़ की मूल लागत वाली 02 बैंक की संपत्तियों के संबंध में कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया जाना बाकी है (पिछले वर्ष 3 संपत्ति 1.13 करोड़ की लागत से)

3 पूंजी

- 3.1 वर्ष के दौरान, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, रु .3000 करोड़ की बैंक की मौजूदा अधिकृत शेयर पूंजी रु.10 / - रुपये के अंकित मूल्य के 75,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है और प्रत्येक मूल्य रु 10./- का 225,00,00,000 स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयरों का 3000 करोड़ के 300,00,000 इक्विटी शेयरों, मूल्य रु.10/प्रति शेयर में विभाजित है ।

3.2 जोखिम भारित संपत्ति पर पूंजी (सीआरएआर)

(रुपये करोड़ में)

मर्द		2018-19	2017-18
(i)	सी.आर.ए.आर. टीयर-I पूंजी (बासल-II)	8.27%	8.87%
(ii)	सी.आर.ए.आर. टीयर-II पूंजी (%) (बासल- II)	2.44%	2.40%
(iii)	कुल सी.आर.ए.आर. (बासल- II)	10.71%	11.27%
(iv)	सामान्य इक्विटी टीयर-I पूंजी अनुपात (बासल-III)	7.80%	8.37%
(v)	अतिरिक्त टीयर-I पूंजी अनुपात (बासल-III)	1.70%	1.48%

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

1 Balancing of Books and Reconciliation

- 1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding of old entries in Inter Branch Account (IBR+DD), prior to CBS System. Adjustments (including old outstanding entries) has been done up to 31.03.2019 and reconciliation is in progress.
- 1.3 Reconciliation of Drafts payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS/NEFT (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms. Reconciliation of Nostro accounts has been done as on 31.03.2019.

In the opinion of the management, the impact of the above para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.

- 1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2018 and remained outstanding as on 31.03.2019 has been done which has resulted in either net Debit in some heads or net credit in other heads. Provision is to be made in respect of Net Debit Entries outstanding for period exceeding 6 months. Similar guidelines have been followed for imprest clearing Account also.

In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

- 1.5 Credit entries outstanding in Nostro Accounts up to 31.12.2008 amounting to Rs. 7.95 crore shown in Sundry Creditors Unclaimed (Blocked) Account, Blocked Nostro Sundry Account and Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account) has been transferred to the DEAF account during Dec 2018 Quarter closing. Credit entries outstanding in Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account) for the period 01.01.2009-31.03.2019 amounting to Rs.0.02 crore has been transferred to DEAF account during quarter ended March 2019. Further the department is transferring unreconciled entries pertaining to more than 10 years to DEAF account on quarterly basis.

As on 29.03.2019, un-reconciled credit entries amounting to Rs. 1.25 Crore pertain to the period from 01.04.2009 to 31.03.2016 and are outstanding for more than 3 years and hence are transferred to Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked Account).

- 2.1 Legal formalities are yet to be completed in respect of 02 Bank's properties having original cost of Rs.1.00 crore as on 31.03.2019 (Previous year 3 properties costing Rs.1.13 crore).

3 Capital

- 3.1 During the year, pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and other applicable laws, the existing Authorised Share Capital of the Bank of Rs.3000 crore divided into 75,00,00,000 equity shares of face value of Rs.10/- each and 225,00,00,000 perpetual non-cumulative preference shares of face value of Rs.10/- each be reclassified to Rs.3000 crore divided into 300,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each.

3.2 Capital to Risk-Weighted Asset Ratio (CRAR)

(Rupees in crore)

Items		2018-19	2017-18
(i)	CRAR - Tier I capital (Basel-II)	8.27%	8.87%
(ii)	CRAR - Tier II capital (Basel-II)	2.44%	2.40%
(iii)	Total CRAR (Basel-II)	10.71%	11.27%
(iv)	Common Equity Tier I capital ratio (Basel-III)	7.80%	8.37%
(v)	Additional Tier I capital ratio (AT-I) (Basel-III)	1.70%	1.48%

(vi)	सी.आर.ए.आर. टियर-I पूंजी अनुपात (बासल III)	9.50%	9.85%
(vii)	सी.आर.ए.आर. टियर-II पूंजी अनुपात (बासल III)	1.43	1.40%
(viii)	कुल पूंजी अनुपात(सीआरएआर) (बासल-III)	10.93%	11.25%
(ix)	भारत सरकार के शेयर धारकों की प्रतिशतता	85.56%	85.56%
(x)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	शून्य	785.00
(xi)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर-I पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से पी.एन.सी.पी.एस.: आई.पी.डी.आई. :	शून्य शून्य शून्य	1000.00 शून्य शून्य
(xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर-II पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से ऋण पूंजी लिखत अधिमानी शेयर पूंजी लिखत [बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर(आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर(आरसीपीएस)	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य

4. निवेश

4.1 निवेशों का मूल्य

(रुपये करोड़ में)

मदे			2018-19	2017-18
(1)	(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
	(क)	भारत में	26461.32	33150.04
	(ख)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(ii)	मूल्यहास हेतु प्रावधान (एन.पी.ए. प्रावधान सहित)		
	(क)	भारत में	288.39	168.28
	(ख)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य		
	(क)	भारत में	26172.93	32981.76
	(ख)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(2)	निवेशों में मूल्यहास के प्रावधानों में घट-बढ़ (एन.पी.ए. के प्रावधानों सहित)			
	(i)	अथ शेष	168.28	49.11
	(ii)	जमा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	136.30	119.17
	(iii)	घटा: वर्ष के दौरान अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/पुनरांकन	16.19	-
	(iv)	शेष	288.39	168.28

4.2 एमटीएम हानियों का प्रसार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र डीबीआर.संख्या बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल 2018 के माध्यम से दिसंबर 31,2017 और मार्च 31,2018 को समाप्त तिमाही के लिए एएफएस और एचएफटी में किए गए निवेश पर एमटीएम घाटे के प्रावधान के विस्तार का विकल्प प्रदान किया है। तदनुसार, बैंक के मार्च 2019 को समाप्त तिमाही के अनुसार, दिसंबर 2017 तिमाही में रु.76.49 करोड़ तथा मार्च 2018 रु.47.97 करोड़ का प्रभार लगाया। इसलिए, दिसंबर 2017 और मार्च 2018 से संबंधित मूल्यहास मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से प्रदान किए गए हैं।

4.3 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों पर)

(vi)	CRAR – Tier I capital ratio (Basel-III)	9.50%	9.85%
(vii)	CRAR – Tier II capital ratio (Basel-III)	1.43	1.40%
(viii)	Total Capital ratio (CRAR) (Basel-III)	10.93%	11.25%
(ix)	Percentage of the shareholding of the Government of India	85.56%	85.56%
(x)	Amount of equity capital raised (including share premium)	NIL	785.00
(xi)	Amount of Additional Tier I capital raised of which PNCPS: IPDI:	NIL NIL NIL	1000.00 NIL NIL
(xii)	Amount of Tier II capital raised of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	NIL NIL NIL	NIL NIL NIL

4. Investments

4.1 Value of Investments

(Rupees in crore)

Items			2018-19	2017-18
(1)	(i)	Gross Value of Investments		
	(a)	In India	26461.32	33150.04
	(b)	Outside India	Nil	Nil
	(ii)	Provisions for Depreciation (including provision for NPA)		
	(a)	In India	288.39	168.28
	(b)	Outside India	Nil	Nil
	(iii)	Net Value of Investments		
	(a)	In India	26172.93	32981.76
	(b)	Outside India	Nil	Nil
(2)	Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)			
	(i)	Opening balance	168.28	49.11
	(ii)	Add: Provisions made during the year	136.30	119.17
	(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	16.19	-
	(iv)	Closing balance	288.39	168.28

4.2 Spreading of MTM Losses

RBI, vide its circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2,2018, grant an option to spread provisioning for mark to market (MTM) losses on investments held in AFS and HFT category for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018. Accordingly in the Year ended March 2019, the bank has charged Rs.76.49 crore related to quarter ended December 2017 and Rs.47.97 crore related to quarter ended March 2018. Hence, depreciation pertaining to December 2017 and March 2018 has been provided in full during the year ended March 2019.

4.3 Repo / Reverse Repo Transactions (in face value terms)

4.3.1 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन-देन प्रविष्टियाँ (सरकारी प्रतिभूतियाँ)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	31.03.2019 को शेष
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	-	250.00	42.01	-
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	-	4100.00	279.83	350.00

4.3.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन-देन प्रविष्टियाँ (कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	अथ शेष 31.03.2019
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

4.4 एस.जी.एल. अंतरण फार्म वापसी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की कुल राशि:

	2018-19	2017-18
i. निधि या प्रतिभूतियों की आवश्यकता के कारण एस.जी.एल. अंतरण फार्म वापसी की संख्या	शून्य	शून्य
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड राशि	शून्य	शून्य

4.5 गैर-सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची: 31.03.2019 को जारीकर्ता संगठन की स्थिति:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	जारी कर्ता	राशि	निजी स्थापन की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम	3030.54	2710.86	0.00	2743.07	1792.62
ii.	वित्तीय संस्थान	425.60	14.70	0.00	46.76	14.70
iii.	बैंक	89.97	0.00	0.00	24.97	0.00
iv.	निजी औद्योगिक	2172.79	289.70	382.67	306.90	270.66
v.	सहायक/संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	अन्य	41.26	41.26	0.00	41.26	41.26
vii.	मूल्यहास के लिए रखे प्रावधान (एनपीए सहित)	(226.29)				
	कुल	5533.87	3056.52	382.67	3162.96	2119.24

4.6 अनुप्रयोज्य और गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार-चढ़ाव

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
अथ शेष	170.91	30.85
वर्ष के दौरान परिवर्धन	211.76	140.54
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	0.48
इति शेष	382.67	170.91
कुल प्रावधान	208.46	53.22

4.3.1 Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)

(Rupees in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2019
Securities sold under Repos	-	250.00	42.01	-
Securities purchased under Reverse Repos	-	4100.00	279.83	350.00

4.3.2 Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2019
Securities sold under Repos	-	-	-	-
Securities purchased under Reverse Repos	-	-	-	-

4.4 Detail of bouncing of SGL Transfer Forms and Quantum of Penalty paid to Reserve Bank of India:

	2018-19	2017-18
i. Number of instances when the SGL transfer form bounced for want of either funds or the securities.	NIL	NIL
ii. Penalty paid to RBI on account of bouncing of SGL transfer form	NIL	NIL

4.5 Non-SLR Investments Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2019

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Un-rated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	3030.54	2710.86	0.00	2743.07	1792.62
ii.	FIs	425.60	14.70	0.00	46.76	14.70
iii.	Banks	89.97	0.00	0.00	24.97	0.00
iv.	Private Corporate	2172.79	289.70	382.67	306.90	270.66
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	Others	41.26	41.26	0.00	41.26	41.26
vii.	Provision held towards depreciation (including NPA)	(226.29)				
	Total	5533.87	3056.52	382.67	3162.96	2119.24

4.6 Movement of Non Performing Non SLR Investments

(Rupees in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening balance	170.91	30.85
Additions during the year	211.76	140.54
Reductions during the year	-	0.48
Closing balance	382.67	170.91
Total Provisions held	208.46	53.22

4.7 व्युत्पत्तियाँ

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने कोई भी नया व्युत्पत्ति लेन-देन (वायदा दर समझौता/ब्याज दर अदला-बदली/विनिमय व्यापार ब्याज-दर व्युत्पत्तियाँ) नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेन-देन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.8 वर्ष के दौरान पुनःसंरचित/पुनःअनुसूचित/पुनःपरक्रामित निवेश

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
मानक आस्तियाँ जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियाँ जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
संदिग्ध आस्तियाँ जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य

4.9 वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 2603.95 करोड़ की (अंकित मूल्य) 'परिपक्वता तक रखने' से 'बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी' में प्रतिभूतियों को अंतरित किया है और रु. 1626.43 करोड़ की (अंकित मूल्य) 'बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी' से 'परिपक्वता तक रखने' में प्रतिभूतियों को अंतरित किया है।

4.10.1 वर्ष के दौरान बिक्रियों का मूल्य और एचटीएम श्रेणी(पूर्व-घोषित ओएमओ नीलामी और भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के तहत एक बार के स्थानांतरण और बिक्री को छोड़कर) को/से प्रतिभूतियों का अंतरण, वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के वही मूल्य से 5% से अधिक नहीं है।

4.10.2 एचटीएम श्रेणियों के तहत प्रतिभूतियों की बिक्री पर सकल लाभ (करों के जाल के बिना) को कैपिटल रिजर्व खाते में स्थानांतरित किया जाता है।

4.10.3 'एएफएस 'या एचएफटी' श्रेणियों में मूल्यहास के कारण बनाए गए प्रावधान किसी भी वर्ष में आवश्यक राशि से अधिक पाए जाते हैं, इस लाभ को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है और एक बराबर राशि का निवेश रिजर्व खाते में किया जाता है।

5. आस्ति गुणवत्ता

5.1. गैर निष्पादित आस्तियां

(रुपये करोड़ में)

मर्दे		2018-19	2017-18
(i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	7.22	6.93
(ii)	प्रावधान समावेश अनुपात (पीसीआर)(%)	59.46	54.41
(iii)	सकल एनपीए में घट-बढ़		
	(क) अथ शेष	7801.65	6297.59
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3666.37	2591.75
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	2862.15	1087.69
	(घ) इति शेष	8605.87	7801.65
(iv)	निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथ शेष	4607.87	4375.08
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3048.58	1989.11
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	2662.22	1756.32
	(घ) इति शेष	4994.23	4607.87

4.7 Derivatives

Bank has not entered into any derivative transactions (Forward rate agreement/Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives) during the year 2018-19. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

4.8 Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year

(Rupees in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Total amount of assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil

4.9 During the year, the Bank shifted securities worth Rs.2603.95 crore (Face value) from “Held till Maturity (HTM)” to “Available for Sale (AFS)” category and securities worth Rs.1626.43 crore (Face Value) (B.V. Rs.1721.14 crore) from “Available for Sale” to “Held till Maturity”.

4.10.1 The value of shifting/ sales from HTM category(excluding one time transfer and sale under pre-announced OMO auctions and repurchase of Government securities by Government of India) during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

4.10.2 Gross profit (without netting of Taxes) on sale of securities under HTM categories are transferred to Capital Reserve Account.

4.10.3 Provisions created on account of depreciation in the ‘AFS’ or ‘HFT’ categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the Profit & Loss Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account.

5. Asset Quality

5.1. Non-Performing Assets

(Rupees in crore)

Items		2018-19	2017-18
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	7.22	6.93
(ii)	Provisioning Coverage Ratio (PCR) (%)	59.46	54.41
(iii)	Movement of Gross NPAs		
	(a) Opening Balance	7801.65	6297.59
	(b) Additions during the year	3666.37	2591.75
	(c) Reductions during the year	2862.15	1087.69
	(d) Closing balance	8605.87	7801.65
(iv)	Movement of Net NPAs		
	(a) Opening Balance	4607.87	4375.08
	(b) Additions during the year	3048.58	1989.11
	(c) Reductions during the year	2662.22	1756.32
	(d) Closing balance	4994.23	4607.87

(v)	एनपीए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)			
	(क)	अथ शेष	3154.18	1882.93
	(ख)	जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान	2193.89	1770.12
	(ग)	घटा: अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/पूर्णांकन	1784.47	498.87
	(घ)	इति शेष	3563.60	3154.18

5.2 डीआईसीजीसी/सीजीटीएमएसई/ईसीजीसी के उपयुक्त दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे जो वैध/वसूली योग्य हैं, को अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है।

5.3 आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए प्रावधानन में अंतर

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	दिनांक 31.03.2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	7801.65
2	दिनांक 31.03.2018 को भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारण किया गया सकल एनपीए	7888.45
3	सकल एनपीए में अंतर (2-1)	86.80
4	दिनांक 31.03.2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए	4607.87
5	दिनांक 31.03.2018 को भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारण किया गया निवल एनपीए	4524.57
6	निवल एनपीए में अंतर (5-4)	-83.30
7	दिनांक 31.03.2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए हेतु प्रावधान	3154.18
8	दिनांक 31.03.2018 को भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारण किए गए एनपीए हेतु प्रावधान	3324.28
9	प्रावधानन में अंतर (8-7)	170.10
10	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कर के बाद रिपोर्ट किया गया शुद्ध लाभ (पीएटी)	-743.80
11	प्रावधानन में अंतर को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु कर के बाद समायोजित (अनुमानिक) शुद्ध लाभ	-913.90
* 31 मार्च, 2018 संदर्भित अवधि की समाप्ति है जिसके संबंध में अंतरों का निर्धारण किया गया।		

(v)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a)	Opening Balance	3154.18	1882.93
(b)	Add: provisions made during the year	2193.89	1770.12
(c)	Less: write off, write back of excess provisions	1784.47	498.87
(d)	Closing balance	3563.60	3154.18

5.2 DICGC / CGTMSE/ ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

5.3 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

(Rupees in crores)

Sr.	Particulars	Amount
1	Gross NPAs as on March 31, 2018* as reported by the bank	7801.65
2	Gross NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	7888.45
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	86.80
4	Net NPAs as on March 31, 2018 as reported by the bank	4607.87
5	Net NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	4524.57
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	-83.30
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as reported by the bank	3154.18
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	3324.28
9	Divergence in provisioning (8-7)	170.10
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018	-743.80
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018 after taking into account the divergence in provisioning	-913.90
* March 31, 2018 is the close of the reference period in respect of which divergences were assessed		

5.4 पुनः संरचित किए गए खातों का विवरण :

31.03.2019 को पुनः संरचित खातों का विवरण

क्र. सं.	पुनः संरचना का प्रकार	अस्तित्व वर्गीकरण विवरण	सीडीआर के अंतर्गत व्यवस्था				एसएमई के अंतर्गत ऋण पुनः संरचना व्यवस्था				अन्य				(राशि करोड़ों में)				कुल			
			कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह
			कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह	कालाह
1.	वित्तीय-वर्ष की 1 अप्रैल को पुनः संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	ऋणियों की सं. बकाया राशि प्रावधान																				
2.	वर्ष के दौरान नए पुनः संरचित खाते	ऋणियों की सं. बकाया राशि प्रावधान																				
3.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनः संरचित मानक का उन्नयन	ऋणियों की सं. बकाया राशि प्रावधान																				
4.	अग्रिम पुनः संरचित मानक जो आकर्षक उच्च प्रावधानों को रोकते हैं तथा/या वित्त-वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार तथा यदि आगामी वित्त-वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम पुनः संरचित मानक को दिखाने की आवश्यकता नहीं है	ऋणियों की सं. बकाया राशि प्रावधान																				
5.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों का उन्नयन	ऋणियों की सं. (-) बकाया राशि (-) प्रावधान (-)																				
6.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की अपलिखित	ऋणियों की सं. बकाया राशि																				
7.	31 मार्च को समाप्त वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनः संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)*	ऋणियों की सं. बकाया राशि प्रावधान																				

मानक पुनः संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधानन या जोखिम भार को अंकित नहीं करते हैं (यदि लागू)

5.4 Details of Accounts Restructured:

STATEMENT OF DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2019

Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓		Under CDR Mechanism			Under SME Debt Restructuring Mechanism			Others			TOTAL		
		Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	No. of Borrower											
		Amt. O/s											
		Prov. thereon											
2	Fresh Restructuring during the year	No. of Borrower											
		Amt. O/s											
		Prov. thereon											
3	Upgradations to restructured Std. Category during the FY	No. of Borrower											
		Amt. O/s											
		Prov. thereon											
4	Restructured Std. Adv. which cease to attract higher prov. And/or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured Std. Advances at the beginning of the next FY	No. of Borrower											
		Amt. O/s											
		Prov. thereon											
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	No. of Borrower (-)											
		Amt. O/s (-)											
		Prov. Thereon (-)											
6	Write-offs of Restructured accounts during the FY	No. of Borrower											
		Amt. O/s (-)											
		No. of Borrower											
		Amt. O/s											
7	Restructured accounts as on Mar'31 of the FY (Closing figures*)	No. of Borrower											
		Amt. O/s											
		Prov. thereon											

*/ Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher Provisioning or Risk Weight (if Applicable)

5.5 वर्तमान ऋणों की लचीली संरचना को लागू करना

(रु. करोड़ में)

अवधि	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणियों की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की भारित औसत जोखिम अवधि	
		मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	लचीली संरचना को लागू करने से पूर्व	लचीली संरचना को लागू करने के बाद
विगत वित्तीय वर्ष (2017-18)	1	245.37		10.15	19.93
वर्तमान वित्तीय वर्ष (2018-19)	-	-	-	-	-

5.6 अनुकूल ऋण पुनःसंरचना योजना (खाते जो वर्तमान में जकड़ी हुई अवधि में हैं)

(रुपये करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एसडीआर को इनवोक किया गया	रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तित करना अनिर्णीत है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है।	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
-	-	-	-	-	-	-

5.7 एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है।	रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी/गिरवी ईक्विटी शेयरों को लागू करना अनिर्णीत है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी/गिरवी ईक्विटी शेयरों को लागू कर दिया गया है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ प्रवर्तकों की ईक्विटी की बिक्री या जारी किए गए नए शेयरों से स्वामित्व में परिवर्तन उल्लिखित है।	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.8 दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनःसंरचना हेतु योजना (एस4ए)

(रुपये करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है।	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		किया गया प्रावधान
		पार्ट A में	पार्ट B में	
मानक वर्गीकृत	-	-	-	-
एनपीए वर्गीकृत	-	-	-	-

5.5 Application of Flexible Structuring to Existing Loans

(Rupees in crore)

Period	No. of Borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year (2017-18)	1	245.37	-	10.15	19.93
Current Financial Year (2018-19)	-	-	-	-	-

5.6 Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(Rupees in crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
-	-	-	-	-	-	-

5.7 Change in Ownership outside SDR Scheme

(Rupees in crore)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.8 Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A).

(Rupees in crore)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard	-	-	-	-
Classified as NPA	-	-	-	-

5.9 vkfLr i p l j p u k g r q c f r H k f i r d j . k e i p f u e k z k d a f u ; k a d k s c p h x b z f o U k h ; I a f U k ; k a d k f o o j . k
d- f c d h d k f o o j . k

1/4#- d j k M + e k

	ena	2018-19	2017-18
1/4 1/2	[kkrka dh I d ; k	'kM;	'kM;
1/4 i 1/2	, I I h @ v k j I h d k s c p s x , [kkrka dk d y e W ; 1/4 k q c k o / k k u 1/2	'kM;	'kM;
1/4 i i 1/2	d y c f r Q y	'kM;	'kM;
1/4 v 1/2	i g y s d s o " k k a e a [kkrka d s g L r k a j . k I s o l y k x ; k v f r f j ä c f r Q y	'kM;	'kM;
1/4 1/2	'k q c g h e W ; d s A i j d y y k H k @ g k f u	'kM;	'kM;

[k- c f r H k f i r c k f l r ; k a e a f u o s k d s c g h e W ; d k f o o j . k

1/4#- d j k M + e k

	ena	2018-19	2017-18
1/4 1/2	c f d } k j k v u t d [kkrka e a c p h x b z v a r f u z g r c f r H k f i r ; k a	37.62	37.99
1/4 i 1/2	v U ; c f d k a f o U k h ; I a B u k a @ x j c f d a x f o U k h ; d a f u ; k a } k j k v u t d [kkrka e a c p h x b z v a r f u z g r c f r H k f i r ; k a	-	-
	d y	37.62	37.99

5.10 खरीदे/बेची गई गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

क) क्रय की गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु.करोड़ में)

		विवरण	2018-19	2017-18
1.	क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2.	क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु.करोड़ में)

		विवरण	2018-19	2017-18
1.		बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.		कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.		प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.11 मानक आस्तियों पर प्रावधान

	मर्दे	2018-19	2017-18
	मानक आस्तियों पर प्रावधान	269.81	287.22
	अंकित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान पुनर्गठित मानक अग्रिम	8.33	15.16

5.9 Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

A. Details of Sales

(Rupees in crore)

Item		2018-19	2017-18
(i)	Number of Accounts	NIL	NIL
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	NIL	NIL
(iii)	Aggregate consideration	NIL	NIL
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	NIL	NIL

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(Rupees in crore)

Item		2018-19	2017-18
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	37.62	37.99
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	-	-
Total		37.62	37.99

5.10 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees in crore)

Particulars			2018-19	2017-18
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b)	Aggregate outstanding	NIL	NIL
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b)	Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees in crore)

Particulars			2018-19	2017-18
1.	No. of accounts sold		NIL	NIL
2.	Aggregate outstanding		NIL	NIL
3.	Aggregate consideration received		NIL	NIL

5.11 Provisions on Standard Assets

(Rupees in crore)

Item		2018-19	2017-18
Provisions towards Standard Assets		269.81	287.22
Provision for Diminution in FV Restructured Standard Advances		8.33	15.16

5.12 धोखाधड़ी संबंधी खातों में प्रावधान

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले	सम्मिलित राशि	किया गया प्रावधान	अपरिशोधित राशि	आज की तिथि में अपरिशोधित राशि
2018-19	41	412.27	412.27	शून्य	शून्य
2017-18	23	136.60	136.28	शून्य	शून्य
2016-17	16	178.78	178.76	शून्य	शून्य

5.13.1 आरबीआई के परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी.बीसी.108/21.04.04812017-18 दिनांक 06.06.2018 के द्वारा बैंकों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए एमएसएमई उधारकर्ताओं के संपर्क को जारी रखने की अनुमति दी, जहां 01 सितंबर, 2017 और 31 दिसंबर, 2018 के बीच देय राशि का भुगतान उनके संबंधित मूल नियत तारीखों से 120 दिनों के बाद नहीं किया गया है। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2019 तक मानक संपत्ति के रूप में ₹.13.53 करोड़ की अग्रिम राशि को बरकरार रखा है। परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2019 तक ₹. 0.50 करोड़ की ब्याज आय को मान्यता नहीं दी है और ऐसे एमएसएमई उधारकर्ताओं के संबंध में 31 मार्च, 2019 तक ₹.0.67 करोड़ का मानक परिसंपत्ति प्रावधान बनाए रखा गया है।

इसके अलावा, डीबीआर सं. बीपी.बीसी.108/21.04.04812018-19 दिनांक 01.01.2019 के द्वारा "एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए वस्तु और सेवा कर (GST) के तहत पंजीकृत, एमएसएमई के पुनर्गठन खातों का विवरण 31 मार्च, 2019 को निम्नानुसार है:

पुनर्गठन किए गए खातों की संख्या	राशि (करोड़ में)
1214	72.77

5.13.2 बैंक 31 मार्च, 2019 तक बैंक प्रमुख बैंक एसबीआई को जारी किया गया 11 करोड़ ₹. का प्रावधान ले रहा है, जो पंजाब सरकार द्वारा प्राप्त बकाया खाद्य ऋण का 5% है। आरबीआई पत्र संख्या डीबीआर(बीपी) सं.7201. 21.04.132 / 2017 - 18 दिनांक 08.02.2018 के अनुसार को एसबीआई लीड बैंक को जारी किया गया।

6 कारोबार अनुपात

मर्दे		2018-19	2017-18
(i)	औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	7.42%	7.42%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	0.72%	0.54%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	1.21%	1.07%
(iv)	आस्तियों से आय	(-)0.47	(-)0.69%
(v)	प्रति कर्मचारी (रुपये करोड़ में) कारोबार (जमाराशियाँ +अग्रिम)	18.87	18.18
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रुपये करोड़ में)	(-)6.06	(-)0.08

7. आस्ति देयता प्रबंधन

31.03.2019 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप :

(रुपये करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमा राशियां	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियां
1 दिन	1087.52	1006.39	-	-	15.61	109.78
2 - 7 दिन	1684.10	1045.32	97.99	-	1.42	11.59
8 - 14 दिन	904.51	771.07	-	-	1.43	25.30
15 - 30 दिन	4098.34	1426.87	308.81	-	9.34	79.39

5.12 Provisioning pertaining to Fraud Accounts

(Rs in crores)

Year	No of Frauds Reported	Amount Involved	Provision made	Unamortized Amount	Unamortized Amount As on Date
2018-19	41	412.27	412.27	Nil	Nil
2017-18	23	136.60	136.28	Nil	Nil
2016-17	16	178.78	178.76	Nil	Nil

5.13.1 RBI vide Circular No. DBR.No.BP.BC.108/21.04.04812017-18 dated 06th June, 2018 permitted Banks to continue the exposure to MSME borrowers to be classified as Standard Assets where the dues between 01st September, 2017 and 31st December, 2018 are paid not later than 120 days from their respective original due dates. Accordingly, the Bank has retained advances of Rs.13.53 Crore as Standard Asset as on 31st March, 2019. In accordance with the provisions of the circular, the Bank has not recognized interest income of Rs.0.50 crore up to 31st March, 2019 and has maintained a Standard Asset provision of Rs.0.67 crore as on 31st March, 2019 in respect of such MSME borrowers.

Further, in accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP.BCj18\21.04.048t2018-19 dated 01st January, 2019 on "Relief for MSME borrowers registered under Goods and Service Tax (GST)", the details of MSME restructured accounts as on 31st March, 2019 are as under:

No. of Accounts Restructured	Amount (Rs. in crore)
1214	72.77

5.13.2 The Bank is carrying a provision of Rs.11.75 crore as at 31st March, 2019 being 5% of outstanding food credit availed by the State Government of Punjab as per the RBI letter No. DBR (BP) No! 7201! 21.04.132 /2017 - 18 dated 08.02.2018 issued to SBI the lead bank.

6. Business Ratios

Items		2018-19	2017-18
(i)	Interest Income as a percentage to average working funds	7.42%	7.42%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.72%	0.54%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average working funds	1.21%	1.07%
(iv)	Return on Assets	(-)0.47	(-)0.69%
(v)	Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in crore)	18.87	18.18
(vi)	Profit per employee (Rs. in crore)	(-)6.06	(-)0.08

7. Asset Liability Management

Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2019:

(Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings Excl. Bonds	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	1087.52	1006.39	-	-	15.61	109.78
2 – 7 days	1684.10	1045.32	97.99	-	1.42	11.59
8 – 14 days	904.51	771.07	-	-	1.43	25.30
15 - 30 days	4098.34	1426.87	308.81	-	9.34	79.39

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमा राशियां	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियां
31 दिन से 2 महीने	7861.60	2150.43	494.87	-	9.94	79.66
2 महीने से 3 महीने तक	4029.41	1091.49	90.27	-	11.44	85.06
3 महीने से 6 महीने तक	12786.39	2884.09	450.15	-	26.69	59.63
6 महीने से 1 साल तक	28460.51	2678.55	1218.39	65.00	204.29	0.00
1 साल से 3 साल तक	19411.26	11731.37	2098.35	74.00	74.65	126.62
3 साल से 5 साल तक	9469.24	16139.33	3730.09	-	9.72	0.00
5 साल से ज्यादा	8764.54	28250.64	17684.01	-	0.00	0.00
कुल	98557.44	69175.55	26172.93	139.00	364.53	577.03

8. ऋण जोखिम:

8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

(रुपये करोड़ में)

श्रेणी			31.03.2019	31.03.2018
1)	प्रत्यक्ष जोखिम			
	(क)	आवासीय बंधक		
	i.	आवासीय संपत्ति को बंधक रख ऋण देना पूर्णतया सुरक्षित है जोकि उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या वह किराए पर है	6000.25	5413.32
	ii.	प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम में समावेशन हेतु व्यक्तिगत आवासीय ऋण उपयुक्त है।	4342.82	3974.94
	(ख)	व्यावसायिक अचल संपत्ति		
		व्यावसायिक अचल संपत्ति(कार्यालय इमारतों,खुदरा क्षेत्र,बहु उद्देश्य व्यावसायिक परिसर, बहु परिवार आवासीय इमारतों, बहु किरायेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक गोदाम स्थल,होटल, जमीन अधिग्रहण,विकास एवं निर्माण,इत्यादि) को बंधक रख ऋण देना पूर्णतया सुरक्षित है। विवरण में गैर कोष आधारित सीमाओं को भी लिया गया है।	2227.04	2863.12
	(ग)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियां और अन्य प्रतिभूतिकृत विवरण में निवेश	शून्य	शून्य
		क. आवासीय	शून्य	शून्य
		ख. व्यावसायिक अचल संपत्ति	शून्य	शून्य
2)	अप्रत्यक्ष विवरण (राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त कंपनियों पर कोष एवं गैर कोष आधारित विवरण।)		4808.62*	4937.98*
वास्तविक संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागीदारी			13035.91	13214.42

* एनएचबी तथा हाउसिंग फाइनांस कंपनियों में किए गए रु. 1373.81 करोड़(विगत वर्ष में रु. 1521.83) के निवेश शामिल हैं।

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings Excl. Bonds	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
31 days to 2 months	7861.60	2150.43	494.87	-	9.94	79.66
Over 2 months & upto 3 months	4029.41	1091.49	90.27	-	11.44	85.06
Over 3 months & up to 6 months	12786.39	2884.09	450.15	-	26.69	59.63
Over 6 months & up to 1 year	28460.51	2678.55	1218.39	65.00	204.29	0.00
Over 1 year & up to 3 years	19411.26	11731.37	2098.35	74.00	74.65	126.62
Over 3 years & up to 5 years	9469.24	16139.33	3730.09	-	9.72	0.00
Over 5 years	8764.54	28250.64	17684.01	-	0.00	0.00
Total	98557.44	69175.55	26172.93	139.00	364.53	577.03

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rupees in crore)

Category				31.03.2019	31.03.2018
1)	Direct Exposure				
	(a)	Residential Mortgages			
	i.	Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented		6000.25	5413.32
	ii.	Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances		4342.82	3974.94
	(b)	Commercial Real Estate			
		Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;		2227.04	2863.12
	(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures		Nil	Nil
		a.	Residential	Nil	Nil
		b.	Commercial Real Estate	Nil	Nil
2)	Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]			4808.62*	4937.98*
Total Exposure to Real Estate Sector				13035.91	13214.42

* includes Rs.1373.81 crore (Previous year Rs.1521.83 crore) by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.

8.2 पूंजी बाजार में ऋण भागीदारी (एक्सपोजर)

(रुपये करोड़ में)

मदें		31.03.2019	31.03.2018
1.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के यूनितों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	344.79	334.24
2.	सामान्य अंशों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में विनियोग के लिए अंशों /बाण्डों /ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज़ में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	शून्य	1.20
3.	किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहाँ अंशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण-पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	शून्य	शून्य
4.	अंशों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात् जहाँ पर अंशों /परिवर्तनीय बाण्डों / परिवर्तनीय ऋण-पत्रों / इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया	शून्य	शून्य
5.	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती व गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्किट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां	8.54	6.89
6.	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्ड्स एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों /बाण्डों /ऋण-पत्रों या अन्य प्रतिभूतियां या निर्बंध आधार पर कंपनियों के संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
7.	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8.	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण-पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
9.	मार्जिन सौदों हेतु स्टॉक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
10.	पूंजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	3.63	6.95
पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी		356.96	349.28

8.3 जोखिम श्रेणीवार कटौती एक्सपोजर

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेन-देन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित है, बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 बैंक द्वारा अतिक्रमण की गई एकल उधारी सीमा (एसजीएल), समूह उधारी सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल उधारी/समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा का निम्न मामलों के अतिरिक्त, जिन पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, अतिक्रमण नहीं किया है:

क्र. सं	उधारियों के नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा	दिनांक 31.03.2019 के अनुसार ऋण जोखिम	ऋण सीमा/ देयताएं 31.03.19 को	एक्सपोजर (%) (कैपिटल राशि का रु.7739.36 करोड़.)
1	कलोश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट	1930.00	20%	1500.00	19.38%

8.2 Exposure to Capital Market

(Rupees in crore)

Items		31.03.2019	31.03.2018
1.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	344.79	334.24
2.	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	Nil	1.20
3.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	Nil	NIL
4.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	Nil	NIL
5.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	8.54	6.89
6.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	NIL
7.	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	Nil	NIL
8.	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	NIL
9.	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	NIL
10.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	3.63	6.95
Total Exposure to Capital Market		356.96	349.28

8.3 Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2018-19, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/ group borrower, except in the following case, which has been approved by the Board:

Sl. No.	Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Exposure (%) as on 31.03.2019	Limit / Liability as on 31.03.19	Exposure (%) (of capital fund of Rs. 7739.36 Cr.)
1	Kaleswaram Irrigation Project	1930.00	20%	1500.00	19.38%

8.5 अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर प्रतिभूति रहित अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसेस आदि पर ऋण भार	158.08	96.75
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसेस पर ऋण भार	158.08	149.19

8.6 अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी)

भा.रि. बैंक डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रु शून्य का जोखिम बाँटने के आधार पर अधिकतम 180 दिन के लिए अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) जारी किया गया है जिसके कारण कुछ सीमा तक दिनांक 31.03.2019 को बैंक के कुल अग्रिम उस सीमा तक कम हो गए हैं।

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्ड का प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

	2018-19	2017-18
क. वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया जुर्माना	1.00	शून्य
ख. प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियाँ	शून्य	शून्य

9.2 बैंक एश्योरेस व्यवसाय के संबंध प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

	2018-19	2017-18
क. जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	2.83	1.60
ख. साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
ग. एपीवाई पर कमीशन	0.38	0.69

10 मानक लेखांकन अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

10.1 एएस-5 अवधि के लिए निवल लाभ-हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

10.1.1 लाभ-हानि खाते में पूर्व अवधि मदों में से कोई भी तथ्य शेष नहीं है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एएस-5 में बताया जाना हो, सिवाय उनके जिन्हें नोट्स में कहीं और दर्शाया गया है।

10.2 अप्रैल 2017 से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड - 10, (संशोधित 2016) के लिए रु 5.68 करोड़ का मूल्यह्रास चालू वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों के पुनरीक्षित हिस्से पर 5.68 करोड़ रुपये रेवल्यूशन रिज़र्व से राजस्व रिज़र्व में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, लाभ और हानि खाते में जमा करने के बजाय लाभ में 5.68 करोड़ की कमी आई है।

10.2.1 तिमाही / वर्ष समाप्त होने के दौरान, बैंक ने अपनी अचल संपत्तियों के कुछ हिस्सों का निर्माण किया है। इस तरह के पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले अधिशेष को रु. 164.56 करोड़ रिज़र्वेशन एंड सरप्लस के तहत रिवाइवल रिज़र्वेशन को दिया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सीईटी- 1 की पूंजी के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को पुनरीक्षित किया गया है।

10.3 ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान, लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि अचल संपत्तियों के मूल्यह्रास को छोड़कर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में इसका अनुसरण किया जाता है। इससे पहले, बैंक बैंक द्वारा निर्धारित दर पर लिखित विधि के अनुसार सभी अचल संपत्तियों (कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अलावा) पर मूल्यह्रास चार्ज कर रहा था जिसे अब अचल संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर स्ट्रेट लाइन विधि में बदल दिया गया है। इस तरह के बदलाव के कारण, अतिरिक्त मूल्यह्रास, रु 79.99 करोड़ 31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही / वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में वापस लिखे गए हैं।

8.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals

(Rs. in crore)

Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc.	158.08	96.75
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	158.08	149.19

8.6 Inter-Bank-Participation Certificate (IBPC)

In terms of RBI Guidelines DBOD No. BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank-Participation Certificate (IBPC) of Rs. NIL has been issued on risk sharing basis for maximum period of 180 days, thereby reducing the Bank's Total Advances as on 31.03.2019 to same extent.

9.1 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India

(Rs. in crore)

	2018-19	2017-18
A. Penalty imposed by RBI on Bank	1.00	NIL
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	NIL	NIL

9.2 Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Rs. In crore)

	2018-19	2017-18
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	2.83	1.60
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	NIL	NIL
C. Commission on APY	0.38	0.69

10 Disclosure as per Accounting Standard (AS)

10.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

10.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

10.2 Pursuant to Accounting Standard – 10, (revised 2016) on Property Plant & Equipment, applicable from 1st April 2017, depreciation of Rs. 5.68 crore for the year on revalued portion of fixed assets has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve during the current year instead of crediting to Profit and Loss Account resulting decrease in profit by Rs. 5.68 Crores.

10.2.1 During the quarter / year ended, bank has revalued all premises forming parts of its fixed assets. Surplus arising on such revaluation aggregating to Rs. 164.56 crores is credited Revaluation Reserves under Reserves & Surplus. The revaluation reserve has been reckoned for CET-I capital as per extant RBI guidelines

10.3 During the year under audit, there is no change in accounting policies as those followed in the preceding financial year except in respect of depreciation on fixed assets. Earlier, the Bank was charging depreciation on all fixed assets (other than Computer & computer software) as per written down method at the rate determined by the bank which has now been changed to Straight Line Method based on the estimated useful life of fixed assets. Due to such change, the excess depreciation, amounting to Rs. 79.99 crores has been written back and credited to profit & loss account during the quarter / year ended as on 31st March 2019.

10.4 एस-9 राजस्व मान्यता

10.4.1 आय की कुछ मदों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति- अनुसूची-17 की मद संख्या 8 (राजस्व मान्यता) में प्रकट मदों को वसूली के आधार पर मान्यता दी गई है। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उक्त आय को ठोस न माना जाए।

10.5 एस 15 - कर्मचारी लाभ

10.5.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (ए.एस-15) के आधार पर किया गया है।

10.5.2 लाभ-हानि खाते तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

10.5.3 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य	3200.85	3041.10	298.90	230.25	139.43	105.87
ब्याज लागत	221.04	216.52	20.14	15.82	9.50	6.93
गत सेवा लागत	0	0	0	80.34	0	0
वर्तमान सेवा लागत	92.08	99.74	11.86	15.09	8.85	11.55
प्रदत्त लाभ	(345.89)	(300.73)	(75.24)	(50.09)	(32.56)	(31.89)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	238.76	144.24	13.48	74.92	23.37	46.97
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य	3406.85	3200.85	269.15	298.90	148.59	139.43

10.5.4 योजनागत आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल को मूल्य	3153.22	2981.00	224.78	208.64	103.80	104.86
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ	274.96	244.74	19.17	16.59	9.69	10.35
नियोक्ता अंशदान	288.52	263.81	119.32	49.79	65.82	21.13
प्रदत्त लाभ	(345.89)	(300.73)	(75.24)	(50.09)	(32.56)	(31.89)
बीमांकिक हानि/(लाभ)	13.71	(35.60)	4.91	(0.15)	2.49	(0.65)
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य	3384.52	3153.22	292.95	224.78	149.24	103.80
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	288.67	209.14	24.08	16.44	12.18	9.70

10.5.5 कुल वास्तविक हानि/ (लाभ)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
मूल्यांकिक हानि/(लाभ) दायित्व(ए)	238.76	144.24	13.48	74.92	23.37	46.97
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	(13.71)	35.6	(4.91)	0.15	(2.49)	(0.65)
शुद्ध मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	225.05	179.84	8.57	75.07	20.88	46.32
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि/(लाभ)	225.05	179.84	8.57	75.07	20.88	46.32
वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.4 AS-9 Revenue Recognition

10.4.1 Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. 8 – “Revenue Recognition” of **Schedule 17 – Significant Accounting Policies**. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

10.5 AS 15 - Employees Benefit

10.5.1 Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI.

10.5.2 The summarized position of post-employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet is as under:

10.5.3 Changes in the Present value of the Obligation

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Present Value of defined benefit obligation as at 1 st April	3200.85	3041.10	298.90	230.25	139.43	105.87
Interest cost	221.04	216.52	20.14	15.82	9.50	6.93
Past Service Cost	0	0	0	80.34	0	0
Current service cost	92.08	99.74	11.86	15.09	8.85	11.55
Benefits paid	(345.89)	(300.73)	(75.24)	(50.09)	(32.56)	(31.89)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	238.76	144.24	13.48	74.92	23.37	46.97
Present value of defined Benefit obligation at 31 st March	3406.85	3200.85	269.15	298.90	148.59	139.43

10.5.4 Changes in the Present Value of Plan Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Fair value of Plan Assets as at 1 st April	3153.22	2981.00	224.78	208.64	103.80	104.86
Expected return of Plan Assets	274.96	244.74	19.17	16.59	9.69	10.35
Contributions	288.52	263.81	119.32	49.79	65.82	21.13
Benefits paid	(345.89)	(300.73)	(75.24)	(50.09)	(32.56)	(31.89)
Actuarial gain/(loss)	13.71	(35.60)	4.91	(0.15)	2.49	(0.65)
Fair value of Plan Assets as at 31 st March	3384.52	3153.22	292.95	224.78	149.24	103.80
Actual return on Plan Assets	288.67	209.14	24.08	16.44	12.18	9.70

10.5.5 Net Actuarial Loss/ (Gain)

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	238.76	144.24	13.48	74.92	23.37	46.97
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets (B)	(13.71)	35.6	(4.91)	0.15	(2.49)	(0.65)
Net Actuarial loss/(gain)	225.05	179.84	8.57	75.07	20.88	46.32
Actuarial loss/(gain) recognized in the period	225.05	179.84	8.57	75.07	20.88	46.32
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

10.5.6 तुलन-पत्र में पहचानी गई राशि

(रुपये करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैरच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
31 मार्च को परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	3406.85	3200.85	269.15	298.90	148.59	139.43
घटाएं : 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	3384.52	3153.22	292.95	224.78	149.24	103.80
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(22.33)	(47.63)	23.80	(74.12)	0.65	(35.63)
किए गए उच्च प्रावधान	शून्य	(30.00)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य परिवर्ती देयता	---	--	--	54.00	--	--
अमान्य परिवर्ती देयता	---	--	--	--	--	--
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(22.33)	(77.63)	23.80	(20.12)	0.65	(35.63)

10.5.7 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

(रुपये करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैरच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
चालू सेवा लागत	92.08	99.74	11.86	15.09	8.85	11.55
बीती हुई सेवा लागत	--	--	--	80.34	--	--
ब्याज लागत	221.04	216.52	20.14	15.82	9.50	6.93
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न	(274.96)	(244.74)	(19.17)	(16.59)	(9.69)	(10.35)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ) हानि	225.05	179.84	8.57	7.63	20.88	42.72
शुद्ध लाभ व्यय	263.22	251.36	21.40	102.29	29.54	50.85

10.5.8 तुलन-पत्र में पहचानी गई देयताओं में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैरच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
प्रारंभिक शुद्ध देयता/ आस्तियां	47.63	60.10	74.12	21.61	35.63	1.01
शुद्ध लाभ व्यय	263.22	251.35	21.40	102.29	29.54	55.75
घटाएं -दिया गया अंश	288.52	263.81	119.32	49.79	65.82	21.13
अन्तिम देयता/आस्तियां	22.33	47.64	(23.80)	74.11	(0.65)	35.63
जोड़ें- किए गए उच्च प्रावधान	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
अन्तिम देयता/आस्तियां	22.33	47.64	(23.80)	74.11	(0.65)	35.63

10.5.6 Amount recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Present value of defined benefit obligation as at 31 st March	3406.85	3200.85	269.15	298.90	148.59	139.43
Less: Fair value of Plan Assets as at 31 st March	3384.52	3153.22	292.95	224.78	149.24	103.80
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(22.33)	(47.63)	23.80	(74.12)	0.65	(35.63)
Higher Provisioning kept	Nil	(30.00)	Nil	Nil	Nil	Nil
Transitional liability recognized during the year	---	--	--	54.00	--	--
Unrecognized transitional liability	---	--	--	--	--	--
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(22.33)	(77.63)	23.80	(20.12)	0.65	(35.63)

10.5.7 Expenses recognized in the Profit & Loss Account

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Current service cost	92.08	99.74	11.86	15.09	8.85	11.55
Past Service Cost	--	--	--	80.34	--	--
Interest cost	221.04	216.52	20.14	15.82	9.50	6.93
Expected return on plan assets	(274.96)	(244.74)	(19.17)	(16.59)	(9.69)	(10.35)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	225.05	179.84	8.57	7.63	20.88	42.72
Net (benefit)/ expense	263.22	251.36	21.40	102.29	29.54	50.85

10.5.8 Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Opening net Liability/(Asset)	47.63	60.10	74.12	21.61	35.63	1.01
Net benefit expense	263.22	251.35	21.40	102.29	29.54	55.75
Less: Contribution paid	288.52	263.81	119.32	49.79	65.82	21.13
Closing liability/(Asset)	22.33	47.64	(23.80)	74.11	(0.65)	35.63
Add: Higher Provisioning Kept	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Closing liability/(Asset)	22.33	47.64	(23.80)	74.11	(0.65)	35.63

10.5.9 न्यास द्वारा रखरखाव किए जाने वाला निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	12.20	13.29	---	1.44	शून्य	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	33.09	31.60	22.31	---	शून्य	शून्य
उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट बॉण्ड्स	33.51	30.55	36.30	26.59	100	शून्य
अन्य निवेश	20.98	24.57	41.38	71.98	शून्य	100

10.5.10 तुलन-पत्र की तिथि को मूल बीमांकिक मूल्यांकन

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
बट्टा दर	7.30	7.49	7.71	7.71	7.71	7.71
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर	8.72	8.21	8.53	7.95	9.34	9.87
वेतन में वृद्धि की दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
अनुशय दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
प्रयोग में लाई गई प्रणाली	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

10.5.11 बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बट्टा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन-पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरूप लाभ के संदर्भ में बट्टा दर का निर्धारण किया गया है।
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित दर	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसार, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा अन्य संबंधित घटकों जैसे श्रमिक बाजार में मांग तथा आपूर्ति पर विचार किया गया है।
अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन इसमें अपंगता कारक भी शामिल है।

10.5.12 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण*		सिल्वर जुबली बोनस		मेडिकल लाभ*		सेवा निवृत्ति उपहार	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
देयता का वर्तमान मूल्य	6.16	6.949	1.03	1.01	0.603	0.616	1.34	1.40
पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
किए गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचानी गई देयता	6.16	6.949	1.03	1.01	0.603	0.616	1.34	1.40

* जैसा कि प्रबंधन ने आकलन किया।

10.5.9 Investment percentage maintained by the trust

(in %age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Central Government Securities	12.20	13.29	---	1.44	Nil	Nil
State Government Securities	33.09	31.60	22.31	---	Nil	Nil
High Safety Bonds/TDRs	33.51	30.55	36.30	26.59	100	Nil
Other investments	20.98	24.57	41.38	71.98	Nil	100

10.5.10 Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

(in %age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Discount rate	7.30	7.49	7.71	7.71	7.71	7.71
Expected rate of return on plan assets	8.72	8.21	8.53	7.95	9.34	9.87
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

10.5.11 Basis of Actuarial Assumptions considered

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.

10.5.12 Other long term employee benefit (Non funded)

(Rs. in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment *		Silver jubilee Bonus		Medical Benefits *		Retirement Gifts	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Present Value of Obligation	6.16	6.949	1.03	1.01	0.603	0.616	1.34	1.40
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	6.16	6.949	1.03	1.01	0.603	0.616	1.34	1.40

* As assessed by the management

10.5.13 नवंबर, 2017 से प्रभावी मजदूरी संशोधन के कारण उत्पन्न होने वाली देयता को पूरी करने के लिए 31.03.2019 तक ₹.170.00 करोड़ के एक अस्थाई प्रावधान का सृजन किया गया है। अपेक्षित जानकारी के अभाव में, देयता का पता नहीं लगाया जा सका और अस्थायी रूप से प्रदान किया गया।

10.6 लेखामानक - 17 - खंड रिपोर्टिंग

भाग क: व्यापार खंड

(रु.लाखों में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.19 (लेखा परीक्षित)	31.03.18 (लेखा परीक्षित)
1. खण्ड राजस्व		
क. राजकोष	265611	271036
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	439024	385956
ग. फुटकर बैंकिंग	233739	195774
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	321	229
कुल	938695	852995
2. खंड परिणाम		
क. राजकोष	80528	76800
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	73356	57976
ग. फुटकर बैंकिंग	39056	29408
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	321	229
कुल	193261	164413
3. गैर-आबंटित व्यय	53575	49942
4. परिचालन लाभ	139686	114471
5. प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	225563	173955
6. आयकर	-31529	14896
7. विशेष लाभ/हानि	0	0
8. शुद्ध लाभ	-54348	-74380
अन्य सूचना		
9. खंड आस्तियां		
क. राजकोष	2665888	3360208
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	5277448	5264059
ग. फुटकर बैंकिंग	2809743	2670168
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्तियां	145126	81489
कुल आस्तियां	10898205	11375924
10. खंड देयताएं		
क. राजकोष	2560519	3198598
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	5068858	5010883
ग. फुटकर बैंकिंग	2698688	2541746
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्तियां	0	6429
कुल आस्तियां	10328065	10757656

नोट: मानक ए.एस-17 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है जोकि क. राजकोष परिचालन ख. कारपोरेट/थोक बैंकिंग ग. फुटकर बैंकिंग घ. अन्य बैंकिंग परिचालन हैं।

10.5.13 Pending settlement of the Bipartite agreement on wage revision (due from November 2017), an adhoc amount of Rs.170.00 crore has been provided upto 31.03.2019. Since modalities are yet to be finalized, the actual liability could not be ascertained.

10.6 AS 17 – Segment Reporting:

Part A : Business Segment :

(Rs. in Lacs)

Particulars	Year ended	
	31.03.19 (Audited)	31.03.18 (Audited)
1. Segment Revenue		
a) Treasury	265611	271036
b) Corporate/ Wholesale Banking	439024	385956
c) Retail Banking	233739	195774
d) Other Banking Operations	321	229
Total	938695	852995
2. Segment Result		
a) Treasury	80528	76800
b) Corporate/ Wholesale Banking	73356	57976
c) Retail Banking	39056	29408
d) Other Banking Operations	321	229
Total	193261	164413
3. Unallocated Expenses	53575	49942
4. Operating Profit	139686	114471
5. Provisions & Contingencies	225563	173955
6. Income Tax	-31529	14896
7. Extra Ordinary Profit/ Loss	0	0
8. Net Profit	-54348	-74380
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	2665888	3360208
b) Corporate/ Wholesale Banking	5277448	5264059
c) Retail Banking	2809743	2670168
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Assets	145126	81489
Total Assets	10898205	11375924
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	2560519	3198598
b) Corporate/ Wholesale Banking	5068858	5010883
c) Retail Banking	2698688	2541746
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Liabilities	0	6429
Total Liabilities	10328065	10757656

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

कॉरपोरेट/थोक तथा फुटकर बैंकिंग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति तथा देयताओं को इन खंडों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

भाग ख : भौगोलिक खंड :

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है , इसलिए भौगोलिक खंड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

10.7 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारी

श्री एस. हरिशंकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी 20.09.2018 से
श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक 17.02.2017 से
श्री गोविंद एन डोंग्रे	कार्यकारी निदेशक 10.10.2017 से

क. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक :

(रुपये लाख में)

नाम एवं पदनाम	2018-19	2017-18
श्री जतिंदरवीर सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	21.33
श्री एस. हरिशंकर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	14.25	-
श्री मुकेश जैन, कार्यकारी निदेशक	-	6.91
श्री अरविंद कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक	-	0.03
श्री फरीद अहमद	23.99	22.44
श्री गोविंद एन डोंग्रे	23.64	10.60

ख. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण:

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

10.8 प्रति शेयर आय AS 20 -

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद कुल लाभ (रु. करोड़ में)	-543.48	-743.80
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	56.49	40.22
आधार एवं कम की गई प्रति शेयर आय (रु.)	-9.62	-18.49
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00

10.9 AS 21 - लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणी

बैंक की कोई अनुपंगी नहीं है अतः लेखामानक 21 लागू नहीं है।

10.10 लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन

10.10.1 बैंक ने आयकर लेखा-जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22, 'आय पर करों का लेखांकन' का अनुपालन किया है।

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Part B : Geographical Segment :

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

10.7 AS 18 – Related Party Disclosures

Key Managerial Personnel:

(i) Mr. S. Harisankar	Managing Director & CEO w.e.f. 20.09.2018
(ii) Mr. Fareed Ahmed	Executive Director w.e.f. 17.02.2017
(iii) Mr. Govind N. Dongre	Executive Director w.e.f. 10.10.2017

a) Remuneration Paid to Key management personnel :

(Rs. in Lacs)

Name and Designation	2018-19	2017-18
Mr. Jatinderbir Singh, Chairman & Managing Director	-	21.33
Mr. S. Harisankar, Managing Director & CEO	14.25	-
Mr. Mukesh Kumar Jain, Executive Director	-	6.91
Mr. Arvind Kumar Jain Executive Director	-	0.03
Mr. Fareed Ahmed	23.99	22.44
Mr. Govind N. Dongre	23.64	10.60

b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:

Particulars	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
Loans outstanding	Nil	NIL

10.8 AS 20 - Earning Per Share

(Rs. in crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Net Profit After tax available for equity Shareholders	-543.48	-743.80
Weighted Average Number of Equity Shares in crore	56.49	40.22
Basic and Diluted Earnings per Share (Rs.)	-9.62	-18.49
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

10.9 AS 21 – Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 21 is not applicable.

10.10 AS 22 – Accounting for Taxes on Income

10.10.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

10.10.2 आस्थगित कर अस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

मद	आस्थगित कर अस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1 स्थायी अस्तियों पर मूल्यह्रास	-	शून्य	15.41	3.11
2 संशोधित मजदूरी का प्रावधान	59.24	17.30	-	शून्य
3 धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	-	शून्य	67.04	60.39
4 निवेशों हेतु एनपीए पर प्रावधान	72.85	18.42	-	-
5 गंदे तथा संदेहजनक ऋणों हेतु प्रावधान (एनपीए)	1060.53	615.86	-	-
6 पुनःसंचनित मानक अस्तियों के अंकित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	2.91	5.25	-	-
कुल	1195.53	656.83	82.45	63.50

10.10.3 बैंक द्वारा आयोजित आयकर और आस्थगित कर के प्रावधान को कानूनी विशेषज्ञों और अनुकूल न्यायिक घोषणाओं की राय को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त माना गया है।

10.10.4 भविष्य की कर योग्य आय की उपलब्धता की उचित निश्चितता पर बैंक द्वारा की गई समीक्षा, जिस पर बुरे और संदिग्ध ऋण के प्रावधान के कारण समय पर मतभेद उत्पन्न होते हैं, जिसे महसूस किया जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने उपरोक्त समय के अंतर पर आस्थगित कर रु .444.67 करोड़ की परिसंपत्ति को मान्यता दी है।

10.10.5 अपीलीय प्राधिकारियों / न्यायिक घोषणाओं / कानूनी विशेषज्ञों की राय के निर्णयों के मद्देनजर रु.57.48 करोड़ (पिछले वर्ष रु 84.86 करोड़) को एकत्रित करने की विवादित मांगों के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

10.11 लेखा मानक 23- समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक संस्थाओं में निवेश हेतु लेखांकन

बैंक के पास किसी प्रकार की अनुषंगी नहीं है। अतः एएस 23 लागू नहीं है।

10.12 लेखा मानक 26- अमूर्त अस्तियां

बैंक में प्रयोग किया जा रहा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर बैंक में ही तैयार किया गया है जो कि निश्चित समयावधि में विकसित किया गया है। अतः सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालन व्यय का आवश्यक हिस्सा है, जैसे कि प्रतिदान आदि तथा लाभ-हानि खाते में संबंधित व्यय शीर्ष में लेखांकित किया गया है।

10.13 लेखा मानक 28- अस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन

लेखा मानक 28- में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर अस्तियों को “निगमित अस्तियां” माना गया है न कि “नकदी निर्मित इकाइयां”। प्रबंधन की राय के अनुसार 31.03.2019 तक आईसीएआई द्वारा जारी एएस-28 की शर्तों के अनुसार समग्र राशि में स्थिर अनर्जक अस्तियां कोई नहीं है। अन्य अस्तियों के अनर्जक होने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विशेष नियमों के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं।

10.14 लेखा मानक 29 - प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक अस्तियां

10.14.1 लेखा मानक - 29 के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक अस्तियों हेतु बैंक ने निम्न के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है:

(क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटित होना या न होना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और

(ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि

* यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटारा किया जा सके या

* देयता राशि का सटीक अनुमान आंका नहीं जा सका है।

10.10.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

(Rupees in crore)

Head		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	Depreciation on Fixed Assets	-	Nil	15.41	3.11
2	Provision for wage revision	59.24	17.30	-	Nil
3	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	-	Nil	67.04	60.39
4	Provision for NPA on Investments	72.85	18.42	-	-
5	Provision for Bad & Doubtful Debts (NPAs)	1060.53	615.86	-	-
6	Provision for diminution in FV of Restructured Standard Assets	2.91	5.25	-	-
Total		1195.53	656.83	82.45	63.50

10.10.3 Provision for Income Tax and Deferred Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.

10.10.4 Review made by the bank on reasonable certainty of availability of future taxable income on which timing differences arising on account of provision for bad and doubtful debt, that can be realized and accordingly during the year 2018-19, the Bank has recognized Deferred Tax Asset of Rs.444.67 Crore on the above timing differences.

10.10.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income aggregating to Rs.57.48 crore (Previous year Rs.84.86 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

10.11 AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 23 is not applicable.

10.12 AS 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

10.13 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2019, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

10.14 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

10.14.1 As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -

- Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or
- Any present obligation from the past events but is not recognized because
 - It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया गया है। इनका आकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहाँ विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि ये कभी पहचान में न आने वाली आय में परिवर्तित हो सकती हैं।

10.14.2 आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध प्रावधानों में घट-बढ़:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		अथ शेष	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
जिन्होंने बैंक ऋण की अभिस्वीकृति नहीं दी है, के विरुद्ध दावा	26.44	27.22	4.46	2.92	5.35	3.70	25.55	26.44
इन्वोयड बैंक गारंटी	6.83	1.53	0.79	5.30	शून्य	0.00	7.62	6.83
एल.सी. डेवलपड	शून्य	0.00	शून्य	0.00	शून्य	0.00	शून्य	0.00

10.15 अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेखों के नोट वाले हिस्से में उपयुक्त स्थान पर प्रकट किया गया है।

11.1. अतिरिक्त प्रकटीकरण :

(रुपये करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा	2018-19	2017-18
गैर-निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	1962.25	1722.43
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	-17.41	-88.65
अंकित मूल्यों में कटौती हेतु प्रावधान पुनर्गठित (मानक)	-6.83	-30.46
गैर-निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	136.30	28.80
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	121.61	90.37
अन्य प्रावधान	59.71	17.06
कर-निर्धारण हेतु प्रावधान		
वर्तमान कर	291.68	277.11
आस्थगित कर	-519.74	-370.76
न्यूनतम वैकल्पिक कर साख पात्रता-वर्तमान वर्ष	-130.76	-138.08
न्यूनतम वैकल्पिक कर साख पात्रता संशोधित	-	297.43
पिछले वर्ष का कर व्यय	43.53	83.26
कुल	1940.34	1888.51

11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़

(रुपये करोड़ में)

	2018-19	2017-18
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

10.14.2 Movement of Provision against Contingent Liabilities:

(Rs. in crore)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	26.44	27.22	4.46	2.92	5.35	3.70	25.55	26.44
Invoked Bank Guarantees	6.83	1.53	0.79	5.30	NIL	0.00	7.62	6.83
L.C Devolved	NIL	0.00	NIL	0.00	NIL	0.00	NIL	0.00

10.15 Other significant accounting policies has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

11.1. Additional disclosures:

(Rupees in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2018-19	2017-18
Provision for Non Performing Advances	1962.25	1722.43
Provision for Standard Assets	-17.41	-88.65
Provision for diminution in FV Restructured (Standard)	-6.83	-30.46
Provision for Non Performing Investments	136.30	28.80
Provision for Depreciation in the value of Investments	121.61	90.37
Other Provisions	59.71	17.06
Provision for Taxation:		
Current Tax	291.68	277.11
Deferred Tax	-519.74	-370.76
MAT Credit Entitlement-Current Year	-130.76	-138.08
MAT Credit Entitlement Reversed	-	297.43
Previous Year Tax Expenses	43.53	83.26
Total	1940.34	1888.51

11.2 Movement of Floating Provisions

(Rupees. in crore)

	2018-19	2017-18
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

11.3 आरक्षित निधि से आहरण

कुल रु. शून्य (गत वर्ष के शून्य लाख) पिछली तिमाहियों में पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से आहरण किया गया।

11.4 ग्राहक शिकायतें:

		2018-19	2017-18
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	46	86
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	9213	5837
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	9199	5877
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	60	46

11.5 बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामले:

		2018-19	2017-18
क)	वर्ष के आरंभ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	शून्य	शून्य
ग)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
घ)	वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1

11.6 जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों एवं एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रु करोड़ों में)

	31.03.2019	31.03.2018
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	24907.28	26608.29
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	25.27%	26.16%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रु करोड़ों में)

	31.03.2019	31.03.2018
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	19700.21	18200.94
बैंक के कुल अग्रिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ ग्राहकों को अग्रिम का प्रतिशत	27.08%	26.10%

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रु करोड़ों में)

	31.03.2019	31.03.2018
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	22768.80	18122.64
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	24.57%	20.19%

11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रु करोड़ों में)

	31.03.2019	31.03.2018
सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखिम	1402.71	1246.08

11.3 Draw down from Reserve

A sum of Rs. NIL lacs (previous year Rs. NIL lacs) has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

11.4 Customer's Complaints:

		2018-19	2017-18
a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	46	86
b)	No. of Complaints received during the year	9213	5837
c)	No. of Complaints redressed during the year	9199	5877
d)	No. of Complaints pending at the end of the year	60	46

11.5 Awards Passed by the Banking Ombudsman:

		2018-19	2017-18
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	1
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	Nil	Nil
c)	No. of Awards implemented during the year	Nil	Nil
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	1	1

11.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

11.6.1 Concentration of Deposits

(Rupees. In crore)

	31.03.2019	31.03.2018
Total Deposits of twenty largest depositors	24907.28	26608.29
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits	25.27%	26.16%

11.6.2 Concentration of Advances

(Rupees. in crore)

	31.03.2019	31.03.2018
Total Advances to twenty largest borrowers	19700.21	18200.94
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	27.08%	26.10%

11.6.3 Concentration of Exposures

(Rupees. in crore)

	31.03.2019	31.03.2018
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	22768.80	18122.64
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	24.57%	20.19%

11.6.4 Concentration of NPAs

(Rupees. in crore)

	31.03.2019	31.03.2018
Total Exposure to top four NPA Accounts	1402.71	1246.08

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

(रु करोड़ों में)

क्र.सं	क्षेत्र	31.03.2019			31.03.2018		
		बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत
क.	प्राथमिकता क्षेत्र						
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	9854.63	1062.37	10.78%	10062.07	817.31	8.12%
2.	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	3460.94	768.97	22.22%	3407.72	830.42	24.37%
3.	सेवा क्षेत्र	6639.55	967.81	14.58%	6244.64	841.5	13.48%
4.	व्यक्तिगत ऋण	5453.73	414.3	7.60%	5412.49	374.27	6.91%
	उप-योग (क)	25408.85	3213.45	12.65%	25126.92	2863.5	11.40%
ख	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	0	0	0%	0	0	0%
2	उद्योग	18935.87	3391.07	17.91%	20016.08	4197.71	20.97%
3	सेवा क्षेत्र	25312.14	1815.69	7.17%	21858.91	573.5	2.62%
4	व्यक्तिगत ऋण	3090.61	185.65	6.01%	2736.88	166.93	6.10%
	उप-योग (ख)	47338.62	5392.41	11.39%	44611.87	4938.14	11.07%
	कुल (क+ख)	72747.47	8605.86	11.83%	69738.79	7801.64	11.19%

बैंक उक्त प्रारूप में उन उप क्षेत्रों को जिनके कुल अग्रिमों से बकाया अग्रिम 10% से अधिक हैं, को प्रकट कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि खनन क्षेत्र को बैंक का कुल बकाया उद्योग क्षेत्र के कुल अग्रिम से 10 प्रतिशत से अधिक है तो बैंक को उद्योग क्षेत्र को अग्रिम के अंतर्गत खनन क्षेत्र में अलग से उक्त प्रारूप में प्रकट करना चाहिए।

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1 अप्रैल को सकल एनपीए. (अथ शेष)	7801.65	6297.59
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए.)	3666.37	2591.75
उप-योग (क)	11468.02	8889.34
घटा : i) उन्नयन	343.73	210.14
ii) वसूलियाँ (उन्नयन खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	883.38	417.74
iii) बट्टे खातों में डालना	1574.45	451.28
iv) उक्त iii) के अतिरिक्त अन्य बट्टे खाते में डाले गए	60.59	8.53
उप-योग ख,	2862.15	1087.69
31 मार्च को सकल एनपीए.(इति शेष) (क-ख)	8605.87	7801.65

11.7 Sector Wise NPAs

(Rupees. in crore)

Sl. No.	Sector*	31.03.2019			31.03.2018		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	9854.63	1062.37	10.78%	10062.07	817.31	8.12%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	3460.94	768.97	22.22%	3407.72	830.42	24.37%
3	Services	6639.55	967.81	14.58%	6244.64	841.5	13.48%
4	Personal loans	5453.73	414.3	7.60%	5412.49	374.27	6.91%
	Sub-total (A)	25408.85	3213.45	12.65%	25126.92	2863.5	11.40%
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0	0	0%	0	0	0%
2	Industry	18935.87	3391.07	17.91%	20016.08	4197.71	20.97%
3	Services	25312.14	1815.69	7.17%	21858.91	573.5	2.62%
4	Personal loans	3090.61	185.65	6.01%	2736.88	166.93	6.10%
	Sub-total (B)	47338.62	5392.41	11.39%	44611.87	4938.14	11.07%
	Total (A+B)	72747.47	8605.86	11.83%	69738.79	7801.64	11.19%

*Banks may also disclose in the format above, sub sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a bank's outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it should disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the 'Industry' sector.

11.8 Movement of NPAs

(Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Gross NPAs as on 1 st April (Opening Balance)	7801.65	6297.59
Additions (Fresh NPAs) during the year	3666.37	2591.75
Sub-total (A)	11468.02	8889.34
Less: (i) Up-gradations	343.73	210.14
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	883.38	417.74
(iii) Technical/ Prudential Write-offs	1574.45	451.28
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	60.59	8.53
Sub-total (B)	2862.15	1087.69
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	8605.87	7801.65

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1 अप्रैल को तकनीकी/प्रुडेंशल बट्टा खातों का प्रारंभिक शेष)	2306.34	1909.63
जमा : वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रुडेंशल बट्टा खाते	1574.45	451.28
उप-योग (क)	3880.79	2360.91
घटा : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/प्रुडेंशल बट्टा खातों से की गई वसूली (ख)	168.27	54.57
31 मार्च को (इति शेष) (क-ख)	3712.52	2306.34

11.9 विदेशी आस्तियाँ, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
कुल आस्तियाँ	65.16	151.36
कुल एन.पी.ए.	0	0
कुल राजस्व	3.22	4.45

11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.11 अंतर्समूह जोखिम

क्र.सं	विवरण	31.03.2019		31.03.2018	
		संस्वीकृत ऋण/लिमिट	शेष बकाया	संस्वीकृत ऋण/लिमिट	शेष बकाया
(क)	अंतर्समूह जोखिम की कुल राशि	शून्य	शून्य	30.69	6.01
(ख)	शीर्ष 20 अंतर्समूहों के जोखिम की कुल राशि	शून्य	शून्य	30.69	6.01
(ग)	उधारियों/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम में अंतर्समूह जोखिम का प्रतिशत	शून्य	शून्य	0.04%	0.01%
(घ)	अंतर्समूह जोखिम पर सीमा भंग का विवरण तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.12 जमाकर्ता की शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीइएफ) हेतु अंतरण

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
डीइएफ हेतु अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	158.82	136.65
जमा : वर्ष के दौरान डीइएफ हेतु अंतरित राशि	31.00	24.46
घटा : डीइएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूर्ति की गई राशि	2.31*	2.29*
डीइएफ को अंतरित राशि का इति शेष	187.51	158.82

* मूल धन

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at April 1	2306.34	1909.63
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	1574.45	451.28
Sub-total (A)	3880.79	2360.91
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year (B)	168.27	54.57
Closing balance as at March 31 (A-B)	3712.52	2306.34

11.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rupees. in Crores)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Assets	65.16	151.36
Total NPAs	0	0
Total Revenue	3.22	4.45

11.10 Off-Balance Sheet SPVs sponsored

(Rupees. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
NIL	NIL	NIL	NIL

11.11 Intra-Group Exposures

S.No.	Particulars	31.03.2019		31.03.2018	
		Sanc Loan/ limit	Balance O/s	Sanc Loan/ limit	Balance O/s
(a)	Total amount of intra-group exposures	Nil	Nil	30.69	6.01
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures	Nil	Nil	30.69	6.01
(c)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	Nil	Nil	0.04%	0.01%
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	Nil	Nil	Nil	Nil

11.12 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Opening balance of amounts transferred to DEAF	158.82	136.65
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	31.00	24.46
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	2.31*	2.29*
Closing balance of amounts transferred to DEAF	187.51	158.82

* Principal Amount

11.13 आरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम

वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 15.01.2014 संख्या डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 की शर्तों के अनुसार बैंक ने संघटकों द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार आरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु रु. 0.10 करोड़ (विगत वर्ष रु. 0.30 करोड़) की राशि उपलब्ध करवायी है।

12. चलनिधि व्याप्ति अनुपात

(रुपये लाख में)

		30.06.2018		30.09.2018		31.12.2018		31.03.2019	
		कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां (एचक्यूएलए)		1727367.12		1763895.20		1920143.24		1831692.79
नकदी प्रवाह									
2	फुटकर जमाएं तथा छोटे व्यवसायियों से जमाएं, जिनमें	4911137.35	489175.22	4969893.64	495115.31	4982477.99	496386.06	5060994.13	504145.30
(i)	स्थिर जमाएं	38770.31	1938.52	37481.06	1874.05	37234.81	1861.74	39082.28	1954.11
(ii)	घटा स्थिर जमाएं	4872367.03	487236.70	4932412.58	493241.26	4945243.18	494524.32	5021911.85	502191.19
3	अरक्षित थोक निधियन जिसमें	1562654.18	1060476.97	1440684.40	927343.82	1433334.03	879796.43	1374052.22	775143.66
(i)	परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	1562654.18	1060476.97	1440684.40	927343.82	1433334.03	879796.43	1374052.22	775143.66
(iii)	अनरक्षित ऋण	0.00	0.00					0.00	0.00
4	संरक्षित थोक निधियन	0.00	0.00	38073.91	0.00				0.00
5	अतिरिक्त अनिवार्यताएं, जिसमें	12744.40	859.24	27748.26	2321.39	93257.48	6158.41	79956.23	5947.82
(i)	व्युत्पन्न जोखिमों से संबद्ध बहिर्गमन तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण तथा चल निधि सुविधाएं	12744.40	859.24	27748.26	2321.39	93257.48	6158.41	79956.23	5947.82
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	1239445.61	54313.36	1207360.37	52555.38	1123581.70	48235.57	1160906.43	50083.16
8	कुल नकदी प्रवाह		1604824.79		1477335.90		1430576.46		1335319.94
नकदी अंतः प्रवाह									
9	प्रतिभूत ऋण (यथा रिवर्स रेपो)	28333.33	23333.33	62379.71	0.00	17377.61	0.00	50929.58	0.00
10	पूर्ण अर्जक जोखिमों से अंतःप्रवाह	341700.54	235967.98	331037.12	212516.94	270764.15	144650.67	260311.86	177083.83
11	अन्य नकदी अंतःप्रवाह	0.00	0.00	42534.78	42534.78	71716.42	71716.42	49083.33	41478.87
12	कुल अंतः नकदी प्रवाह	370033.87	259301.31	435951.61	255051.72	359858.18	216367.09	360324.77	218562.70
13	कुल एच.क्यू.एल.ए		1727367.12		1763895.20		1920143.24		1831692.79
14	कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रवाह		1345523.48		1222284.18		1214209.37		1116757.24
15	चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%)		128.38%		144.31%		158.14%		164.02%

11.13 Un-Hedged Foreign Currency Exposure

During the year, in terms of RBI Circular No. DBOD.No. BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dt. 15.01.2014, the Bank has provided an amount of Rs. 0.10 cr. (Previous Year Rs.0.30 cr.) towards Unhedged Foreign currency Exposure Based on the details furnished by the constituents.

12. Liquidity Coverage Ratio

		30.06.2018		30.09.2018		31.12.2018		31.03.2019	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets		1727367.12		1763895.20		1920143.24		1831692.79
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	4911137.35	489175.22	4969893.64	495115.31	4982477.99	496386.06	5060994.13	504145.30
(i)	Stable Deposits	38770.31	1938.52	37481.06	1874.05	37234.81	1861.74	39082.28	1954.11
(ii)	Less stable deposits	4872367.03	487236.70	4932412.58	493241.26	4945243.18	494524.32	5021911.85	502191.19
3	Unsecured wholesale funding of which	1562654.18	1060476.97	1440684.40	927343.82	1433334.03	879796.43	1374052.22	775143.66
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non -operational deposits (all counterparties)	1562654.18	1060476.97	1440684.40	927343.82	1433334.03	879796.43	1374052.22	775143.66
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00					0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	0.00	0.00	38073.91	0.00				0.00
5	Additional requirements, of which	12744.40	859.24	27748.26	2321.39	93257.48	6158.41	79956.23	5947.82
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt product	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	12744.40	859.24	27748.26	2321.39	93257.48	6158.41	79956.23	5947.82
6	Other contractual funding obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Other contingent funding obligations	1239445.61	54313.36	1207360.37	52555.38	1123581.70	48235.57	1160906.43	50083.16
8	Total Cash Outflows		1604824.79		1477335.90		1430576.46		1335319.94
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g.reverse repos)	28333.33	23333.33	62379.71	0.00	17377.61	0.00	50929.58	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	341700.54	235967.98	331037.12	212516.94	270764.15	144650.67	260311.86	177083.83
11	Other Cash Inflows	0.00	0.00	42534.78	42534.78	71716.42	71716.42	49083.33	41478.87
12	Total Cash Inflows	370033.87	259301.31	435951.61	255051.72	359858.18	216367.09	360324.77	218562.70
13	TOTAL HQLA		1727367.12		1763895.20		1920143.24		1831692.79
14	Total Net Cash Outflows		1345523.48		1222284.18		1214209.37		1116757.24
15	Liquidity Coverage Ratio(%)		128.38%		144.31%		158.14%		164.02%

13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की शर्तों के अनुसार प्रकटीकरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से क्रय की गई चल सम्पत्ति से संबंधित सूचना का विवरण-

क्र.सं	विवरण	2018-19		2017-18	
		मूल राशि	ब्याज	मूल राशि	ब्याज
1	मूलधन तथा उस पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाए) जो किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	आपूर्तिकर्ता को वर्ष के दौरान नियत दिन के अलावा किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	भुगतान में हुई देरी की अवधि के लिए देय तथा बकाया ब्याज (जो अदा कर दिया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत तिथि के अलावा) लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	उपचित ब्याज तथा शेष अप्रदत्त राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	उत्तरवर्ती वर्षों में देय तथा अतिरिक्त शेष ब्याज की राशि, जहाँ तक कि उपयुक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमी को अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से अदा कर दिया जाता है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर सं. बी पी.बी सी 1/21.06.201/2015-16 जुलाई 1,2015 के अनुसार बैंको को बेसल III पूंजी विनियमन के अंतर्गत स्तंभ 3 का प्रकटन करना होगा। इन विवरणों को हमारे वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्रकटन लेखा परीक्षकों के द्वारा लेखा परीक्षा के दायरे में नहीं आता है।
15. जहाँ सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर और जहां आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित /पुनः वर्गीकृत किया गया है।

13. Disclosures in Terms of MSMED Act 2006

Details of information relating to purchase of moveable property from Micro and Small Enterprises:

S. No.	Particulars	2018-19		2017-18	
		Principal Amount	Interest	Principal Amount	Interest
1	The principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier.	NIL	NIL	NIL	NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year.	NIL	NIL	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act;	NIL	NIL	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise , for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Act.	NIL	NIL	NIL	NIL

14. In term of RBI circular DBR NO.BP.BC1/21.06.201/2015-16 July 1,2015, banks are required to make pillar 3 disclosures under BASEL III capital regulations. These details are being made available on our website www.psbindia.com. These disclosures have not been subjected to audit by the auditors.
15. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी

(000 छोड़कर)

विवरण	2018-19	2017-18
(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह		
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	-5434779	-7437977
समायोजन हेतु:		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	18187269	17981364
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	-147207	641058
निवेशों पर मूल्यह्रास	1216087	903749
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-97994	1119
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	2560620	2530157
कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	16283996	14619470
समायोजन हेतु :		
जमाओं में वृद्धि/(कमी)	-31685619	161860051
उधारों में वृद्धि/(कमी)	-8689849	-2754528
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-1400791	2451523
निवेशों में वृद्धि/(कमी)	65509253	-51524261
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	-46221011	-99354126
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	7445988	-12273258
प्रत्यक्ष करों का भुगतान किया गया (प्रतिदाय को हटाकर)	-2215330	-2391816
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह	-973363	10633055
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-708701	-512756
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	97994	-1119
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह(ख)	-610707	-513875
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
नगदी के लिए इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) जारी करना	0	1645013
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम	0	6204987
सार्वजनिक निर्गम व्यय	0	-9862
जारी अतिरिक्त टियर -1 बॉन्ड्स	0	10000000
गौण बॉन्ड्स का मोचन	-1000000	0
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	-2560620	-2530157
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	-3560620	15309981
परिचालन गतिविधियों से नकदी	-973363	10633055
निवेश गतिविधियों से नकदी	-610707	-513875
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	-3560620	15309981
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि	-5144690	25429161
बैंक शेष व नकदी (प्रारंभिक)	71326926	45897765
बैंक शेष व नकदी (अंतिम)	66182236	71326926

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2019

(000'S OMITTED)

PARTICULARS	2018-19	2017-18
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	-5434779	-7437977
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	18187269	17981364
Depreciation on Fixed Assets	-147207	641058
Depreciation on Investments	1216087	903749
Profit on sale of Assets	-97994	1119
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	2560620	2530157
Operating Profit before working capital changes	16283996	14619470
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	-31685619	161860051
Increase / (Decrease) in Borrowings	-8689849	-2754528
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	-1400791	2451523
(Increase) / Decrease in Investments	65509253	-51524261
(Increase)/ Decrease in Advances	-46221011	-99354126
(Increase) / Decrease in Other Assets	7445988	-12273258
Direct Taxes Paid (Net of refund)	-2215330	-2391816
Cash Flow from Operating Activities (A)	-973363	10633055
B. Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets	-708701	-512756
Profit on sale of Assets	97994	-1119
Cash Flow from Investing Activities (B)	-610707	-513875
C. Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares (Face Value) for cash	0	1645013
Share Premium received thereon	0	6204987
Public Issue Expenses	0	-9862
Issue of Additional Tier I Bonds	0	10000000
Redemption of Subordinated Bonds	-1000000	0
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-2560620	-2530157
Cash Flow from Financing Activities (C)	-3560620	15309981
Cash from Operating Activities	-973363	10633055
Cash from Investing Activities	-610707	-513875
Cash from Financing Activities	-3560620	15309981
Increase in Cash & Cash Equivalents	-5144690	25429161
Cash and Bank Balances (Opening)	71326926	45897765
Cash and Bank Balances (Closing)	66182236	71326926



चन्द्र मोहन सिंह
सहा. महाप्रबंधक

वी.के. मेहरोत्रा
उप महाप्रबंधक

दलजीत सिंह ग़ोवर
महाप्रबंधक

राजीव रावत
महाप्रबंधक

जयंत कुमार नायक
महाप्रबंधक

नेत्रानन्द सेठी
महाप्रबंधक

हरविन्द्र सचदेव
महाप्रबंधक

हर्ष बीर सिंह
निदेशक

टी.आर. मेंदीरता
निदेशक

एम.एस. दादू
निदेशक

एस.आर. घेडीया
निदेशक

बी.पी. विजयेन्द्र
निदेशक

एस.आर. मेहर
निदेशक

गोविन्द एन डोंगे
कार्यकारी निदेशक

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

एस. हरिशंकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

चरन सिंह
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष

कृते एस. मान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(सुभाष मान)
एम. नं. 080500
एफआरएन: 000075 एन

(बलदेव गर्ग)
एम. नं. 092225
एफआरएन: 013148 एन

कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते राज गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(मधुर गुप्ता)
एम. नं. 090205
एफआरएन: 001359 एन

(संदीप गुप्ता)
एम. नं. 529774
एफआरएन: 000203 एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.05.2019

C.M. SINGH
ASSTT. GEN. MANAGER

V.K. MEHROTRA
DY.GEN. MANAGER

DALJIT SINGH GROVER
GENERAL MANAGER

RAJIV RAWAT
GENERAL MANAGER

JAYANTA KUMAR NAYAK
GENERAL MANAGER

NETRANAND SETHI
GENERAL MANAGER

HARVINDER SACHDEV
GENERAL MANAGER

HARSH BIR SINGH
DIRECTOR

T. R. MENDIRATTA
DIRECTOR

M. S. DADU
DIRECTOR

S. R. GHEDIA
DIRECTOR

B.P. VIJAYENDRA
DIRECTOR

S. R. MEHAR
DIRECTOR

GOVIND N DONGRE
EXECUTIVE DIRECTOR

FAREED AHMED
EXECUTIVE DIRECTOR

S. HARISANKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

CHARAN SINGH
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

For S. Mann & Co.
Chartered Accountants

For Baldev Kumar & Co.
Chartered Accountants

(Subhash Mann)
Partner
M. No. 080500
FRN : 000075N

(Baldev Garg)
Partner
M. No. 092225
FRN : 013148N

For Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants

For Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants

(Madhur Gupta)
Partner
M. No. 090205
FRN : 001359N

(Sandeep Gupta)
Partner
M. No. 529774
FRN : 000203N

Place: New Delhi
Dated: May 24, 2019



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

(नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक: 11.07.2019)

फार्म 'बी' प्रॉक्सी फॉर्म

[शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए]

अनुलग्नक 'अ'

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ का/की/के हैं जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती----- निवासी-----

जिला----- राज्य ----- को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर श्री/श्रीमती-----

निवासी----- जिला ----- राज्य ----- को

वृहस्पतिवार, दिनांक 11 जुलाई, 2019 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक में जोकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली-110085 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी/हमारी ओर से मेरे/ हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

-----माह के -----दिन 2019 को हस्ताक्षरित

पंजीकृत फोलियो न./ग्राहक का आईडी.न.

शेयरों की संख्या :

कृपया रसीदी
टिकट
लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम:-----

पता:-----

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम:-----

पता :-----

प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं भरने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक कि:
 - व्यक्तिक शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - संयुक्त शेयरधारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटार्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।
- प्रॉक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है, यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।
- प्रॉक्सी के साथ:**
 - अटार्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटार्नी अधिकार की प्रति **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008** को नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् **शनिवार 06 जुलाई, 2019 (5.00 बजे सायंकाल) को कार्य-समय समाप्त होने से पूर्व या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी।**
- यदि संबंधित अटार्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटार्नी अधिकार की पंजीकरण संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख फार्म "B" पर नहीं है तथा विधिवत् स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
- बैंक में जमा प्रॉक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगी जिससे वह प्रलेख संबंधित है।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

{NINTH ANNUAL GENERAL MEETING}: 11.07.2019

FORM 'B'

PROXY FORM

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....Resident of.....in the district of
..... in the State of being a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind
Bank, hereby appoint Shri/Smt resident of.....in the district of
.....in the State ofor failing him/her, Shri/Smt resident
of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for
me/ us and on my / our behalf at the Ninth Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on **Thursday the 11th
July, 2019** at 10.00 A.M. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini,
Delhi-110 085 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2019

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Please affix
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Name & Address:

Signature of the sole / first named shareholder

Name & Address:

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
- The proxy together with :** (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of **Saturday, the 06th day of July, 2019 (5.00 p.m.)**.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

अनुलग्नक 'ब'

उपस्थिति पर्ची

नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज,
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3, सेक्टर 3,
जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास,
रोहिणी, दिल्ली-110085

वृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2019 प्रातः 10.00 बजे

[कृपया उपस्थिति पर्ची को भरें व पंजीकरण काउंटर पर सौंप दें]

पंजीकृत फोलियो/ डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

प्रवेश पास

नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज,
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3, सेक्टर 3,
जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास,
रोहिणी, दिल्ली-110085

वृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2019 प्रातः 10.00 बजे

पंजीकृत फोलियो/ डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

नोट: मतदान के लिए मतपत्र, प्रवेश पास के विरुद्ध जारी किया जाएगा।

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ATTENDANCE SLIP NINTH ANNUAL GENERAL MEETING

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,
Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-110 085

Thursday, July 11, 2019, 10.00 a.m.

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter]

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ENTRY PASS (To be retained throughout the meeting)

NINTH ANNUAL GENERAL MEETING

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,
Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-110 085


Thursday, July 11, 2019, 10.00 a.m.

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Note : Ballot Paper for polling will be issued against the entry pass only.

PUNJAB & SIND BANK

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-110 085



[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

मुख्य सतर्कता अधिकारी/ Chief Vigilance Officer



श्री संजय जैन (सीवीओ)
Sh. Sanjay Jain (CVO)

महाप्रबंधक / General Managers



श्रीमती हरविन्द्र सचदेव
Smt. Harvinder Sachdev



श्री नेत्रानंद सेठी
Sh. Netranand Sethi



श्री जयंत कुमार नायक
Sh. Jayanta Kumar Nayak



श्री राजीव रावत
Sh. Rajiv Rawat



श्री दलजीत सिंह ग्रोवर
Sh. Daljit Singh Grover



Printed at MP Printers, (A Unit of DB Corp. Ltd.) Noida 201305

ੴ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life